खण्ड-08 सत्र-02 / अंक-08

बुधवार 26 मार्च, 2025 / 05 चैत्र, 1947 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08, सत्र-2 में अंक 06 से 12 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-2 बुधवार, 26 मार्च, 2025/05 चैत्र, 1947 (शक) अंक-8

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3–69
2.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	70–123
3.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	124–320
4.	माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	321–322
5.	समिति के प्रतिवेदन से सहमति	323
6.	नियम–107 के अंतर्गत प्रस्ताव एवं उस पर चर्चा	324–341
7.	ई–विधान सभा के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य एवं उस पर चर्चा	342–349
8.	वार्षिक बजट (2025–26) पर चर्चा	351–435
9.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	436–438

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-2 बुधवार, 26 मार्च, 2025/05 चैत्र, 1947 (शक) अंक-8

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री आले मोहम्मद इकबाल
2. श्री अजय महावर
3. श्री अनिल झा
4. श्री चन्दन कुमार चौधरी
5. चौधारी ज़ुबैर अहमद
6. डॉ. अजय दत्त
7. डॉ. अनिल गोयल
8. श्री गजेन्द्र सिंह यादव
9. इमरान हुसैन
10. श्री जरनैल सिंह
11. श्री जितेन्द्र महाजन
12. श्री कुलदीप कुमार
13. श्री नीरज बैसोया
14. श्री प्रवेश रत्न
15. श्री प्रेम चौहान
16. श्री पुनरदीप सिंह साहनी
17. श्री राम सिंह नेताजी
18. श्री सही राम
19. श्री संजीव झा
20. श्री सोम दत्त
21. श्री सुरेन्द्र कुमार
22. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान
23. श्री विशेष रवि
24. श्री अहिर दीपक चौधरी

25. श्री अनिल कुमार शर्मा
26. श्री अरविन्दर सिंह लवली
27. श्री गजेन्द्र दराल
28. श्री हरीश खुराना
29. श्री कैलाश गहलोत
30. श्री कैलाश गंगवाल
31. श्री करनैल सिंह
32. श्री कुलदीप सोलंकी
33. श्री कुलवन्त राणा
34. श्री मनोज कुमार शौकीन
35. सुश्री नीलम पहलवान
36. श्री ओम प्रकाश शर्मा
37. श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
38. श्री पवन शर्मा
39. श्रीमती पूनम शर्मा
40. श्री राज करन खत्री
41. श्री राज कुमार भाटिया
42. श्री राज कुमार चौहान
43. श्री रवि कान्त
44. श्री रविन्दर सिंह नेगी
45. श्री संजय गोयल
46. श्री सतीश उपाध्याय
47. सुश्री शिखा रॉय
48. श्री श्याम शर्मा
49. श्री सूर्य प्रकाश खत्री
50. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
51. श्री तिलक राम गुप्ता

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 बुधवार, 26 मार्च, 2025/05 चैत्र, 1947 (शक) अंक-8

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेंद्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, श्री राजकरण खत्री, श्री अजय महावर।

श्री अजय महावर: माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 22 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोंडा विधानसभा में 2015 से 2025 तक कितने नये शराब के ठेके खोले गये हैं, उसमें कितने सरकारी, गैर सरकारी और प्राईवेट ठेके हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर क्या रिहायशी इलाकों में दारू के ठेके खोले जा सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो, कितनी दूरी पर खोले जा सकते हैं और उसके क्या नियम हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर के क्षेत्रफल में कोई शराब की दुकान आबंटित न करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2017 के उल्लंघन में घोंडा विधानसभा में 6 ठेके खोले गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक बंद कर दिया जायेगा?

माननीय अध्यक्षः इसको अजय जी अब आप करेंगे। अच्छा एक मिनट आप अभी दोबारा लेते हैं आपका शायद ऑन दी वे हैं।

माननीय शहरी **विकास मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप करेंगे रिप्लाई।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री आशीश सूद): जी।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, ठीक है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां रखा है उसकी जानकारी हम संकलित कर रहे हैं, अतिशीघ्र यह जानकारी माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा।

प्रश्न संख्या 22 का उत्तर इस प्रकार हैः

(क) 1. नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन के मद्देनजर आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था के तहत सभी खुदरा दुकानें 16.11.2021 से बंद हो गई हैं।

2. 17.11.2021 से 31.08.2022 के दौरान नई आबकारी नीति लागू थी, जिसमें केवल निजी दुकानें ही चालू थीं।

3. 01.09.2022 से आज तक आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जिसमें केवल सरकारी खुदरा दुकानों को ही काम करने की अनुमति है

4. एल-6 दुकानों से संबंधित रिकॉर्ड को निर्वाचन क्षेत्र के बजाय लाइसेंस के अनुसार अनुक्रमित किया गया है । आज की तारीख में घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13 एल-6 खुदरा शराब की दुकानें चालू हैं। (सूची संलग्न)। हालांकि संदर्भ के लिए खुदरा लाइसेंसों की पूरी सूची भी संलग्न है।

(ख) यह विभाग इस विभाग के पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/1997-2000 दिनांक 03.08.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 द्वारा बताई गई एल-6 दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार 04 निगमों से प्राप्त आवेदनों पर एल-6 बिक्री लाइसेंस जारी करता है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) एसडीएम (सीलमपुर) ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 बी (दिल्ली से सहारनपुर राजमार्ग) के निकट स्थित शराब की दुकानों की संख्या का पता लगाने के लिए क्षेत्र में निरीक्षण किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि यद्‌यपि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709-बी और इन दुकानों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं लगती है, लेकिन वर्तमान में इन दुकानों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-709-बी तक सीधे पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709-बी वर्तमान में निर्माणाधीन है और यह राजमार्ग शास्त्री नगर और खजूरी खास चौक से गुजरते हुए पुश्ता रोड के ऊपर और साथ-साथ बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-709-बी के निर्माण के पूरा होने के बाद इन दुकानों और एनएच-709-बी की पहुंच की सही स्थिति की पुष्टि की जा सकती है।

नवंबर 2024 में एसडीएम टीम, आबकारी टीम और माननीय विधायक के प्रतिनिधि के बीच एक संयुक्त निरीक्षण भी किया गया, जिसमें यथास्थिति पाई गई।

यह विषय सरकार के प्राथमिकता की सूची में है जैसे ही संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होगी नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) उपरोक्त।

अनुपूरक जानकारी

आबकारी विभाग दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार दिल्ली में शराब की बिक्री को नियंत्रित करता है। दिल्ली में कोई डिस्टिलरी नहीं है, इसलिए आयात परमिट के जरिए दूसरे राज्यों से शराब आयात की जा रही है और विदेशी शराब को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परमिट के जरिए आयात किया जा रहा है।

वर्तमान आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था में, सभी खुदरा दुकानों का संचालन चार सरकारी निगमों यानी डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस द्वारा किया जा रहा है। खुदरा शराब की दुकानों की बिक्री के लिए लाइसेंस यानी एल-6, एल-8 और एल-10 दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जा रहे हैं। खुदरा शराब की दुकानों को खोलने और संचालन के लिए विभाग ने नियम और शर्तें संख्या एल-6/एक्स./आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम II/1997-2000 दिनांकित 03/08/2022 के माध्यम से जारी की थीं. लाइसेंसधारकों को उपरोक्त आदेश के तहत जारी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होता है। उक्त नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में विभाग दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार उचित कार्रवाई करता है। यह भी प्रस्तुत करना है कि पहले आबकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को निजी संस्थान के माध्यम से संचालित किया जाता था, अब यह प्रणाली एनआईसी द्वारा ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में आयात की जाने वाली सभी शराब पर एक अद्वितीय बारकोड होता है और विभाग के पास डिस्टिलरी से लेकर उपभोक्ताओं तक की पूरी तरह से निगरानी और पता लगाने की व्यवस्था है। खुदरा दुकानों पर सभी शराब बारकोड की स्कैनिंग के माध्यम से बेची जा रही है।

Ghonda Assembly Constituency Liquor vend shops

Sr No.	Corp Name	Vend ID	Name	Vend Address
1	DCCWS	CV890	KHAJOORI KHAS,L-6 (DCCWS)	SHOP NO. A-1/5,VILLAGE-KHAJOORI KHAS,A-BLOCK,MAIN WAZIRABAD ROAD,BHAJANPURA, SHAHDARA, , DELHI, DELHI
2	DSCSC	5SG	SOUTH GAMRI, BHAJAN PURA	A-32/12, SOUTH GAMRI NEAR BHAJAN PURA , NEW DELHI, DELHI
3	DSCSC	6KWN	BHAJANPURA A1	A-1/4, BHAJANPURA, SHAHDARA, 110053, NEW DELHI, DELHI
4	DSCSC	CV1005	GAMRI EXTN.	SHOP NO.231/C, KH. NO.231/2, D- BLOCK, GALI NO.11, GAMRI EXTN., BHAJANPURA, , DELHI, DELHI
5	DSCSC	CV806	WAZIRABAD ROAD, BHAJANPURA	SHOP NO. A-1/6 MAIN WAZIRABAD ROAD, BHAJANPURA, DELHI , DELHI, DELHI
6	DSIIDC	CV879	BHAJANPURA	SHOP NO. 670, BHAJANPURA MAIN WAZIRABAD ROAD SHAHDARA, DELHI, DELHI
7	DSIIDC	CV731	YAMUNA VIHAR(GHONDA)	PROPERTY NO. A-189, MAIN YAMUNA VIHAR ROAD, NEAR GHONDA CHOWK, SHAHDARA, DELHI, DELHI
8	DCCWS	8RJN	SOUTH GAMRI EXTN.	A-520 SOUTH GAMRI EXTENSION,MOLAR BAND ROAD DELHI-110053, NEW DELHI, DELHI
9	DSCSC	5SB	SOUTH GAMRI BLOCK A	A,1236, MAIN SERVICE ROAD, SoUTH GAMRI, DELHI-110093, NEW DELHI, DELHI
10	DSCSC	6PPD	KARTAR NAGAR, SHAHDARA	J-25, 31/2, PUSTA, SURAJ GALI NO.1, KARTAR NAGAR, SHAHDARA, DELHI-110053 , NEW DELHI, DELHI
11	DCCWS	CV878	BRAHAMPURI,L-6 (DCCWS)	SHOP NO. J-96, KHASRA NO.60, MAIN ROAD, BRAHAMPURI, , DELHI, DELHI
12	DSCSC	5WRJM	NEW USMANPUR	A-26, 2ND PUSHTA MAIN ROAD, NEW USMANPUR, DELHI-110053, NEW DELHI, DELHI
13	DSIIDC	CV880	NEW USMAN PUR	U - 505 KH. NO. 92 MAIN SERVICE ROAD 2ND PUSHTA NEW USMAN PUR, DELHI, DELHI

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
L- BLOCK , VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

F.No.L-6/EX./IMFL/2022-23/VOL-II/ 1997-2000 Date : 03/08/22

To,

1. The Managing Director (DTTDC) 19-A, DDA SCO Complex, Defence Colony, New Delhi- 110024	2. The Chairman-cum-Managing Director (DSCSC) Aapurti Bhawan, 7-9, Aaram Bagh, Paharganj, New Delhi.
3. The Managing Director (DSIIDC) Room No. G-08 & 11, Plot No. 74 A, DSIIDC Office Building, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024	4. The Executive Director (DCCWS) Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi-110015

Sub: Opening of Government Corporation liquor vends (L-6 vends) - reg.

Sir/Madam,

The Government has decided to revert to the Excise Duty based Policy regime w.e.f. 01/09/2022. The Government and its agencies (viz. DSIIDC, DSCSC, DTTDC, DCCWS), were sizeable players in the retail segment as well as public at large in the previous regime.

2. In this regard, please find enclosed herewith the Terms & Conditions for opening of L-6 vends alongwith the prescribed proforma for applying for opening of new L-6 vends.

3. You are requested to apply for grant of license in accordance with aforesaid Terms & Conditions on priority alongwith documents as mentioned in the proforma.

4. This issues with the prior approval of Commissioner (Excise).

Yours faithfully,

Encl: As above

Assistant Commissioner (IMFL)

TERMS AND CONDITINOS FOR THE GRANT OF LICENCE IN FORM L-6 RETAIL VEND OF INDIAN LIQUOR/FOREIGN LIQUOR IN PUBLIC SECTOR (SELECTED UNDERTAKING OF THE DELHI GOVERNMENT NAMELY DTTDC, DSIIDC, DSCSC AND DCCWS)

L-6 License for retail vends of Indian Liquor/Foreign Liquor are granted only to the selected undertakings of the Delhi Government namely DTTDC, DSIIDC, DSCSC and DCCWS. Any proposal in respect of premises for opening of a vend would come from these Corporations. As such, an individual who wants to give his premises on rent for opening of vend has to approach the corporations, which after looking into suitability of the premises apply to the Office of the Commissioner of Excise for grant of L-6 license in respect of the premises.

1. **ELIGIBILITY TO HOLD LICENCE**

   As per Rule 32(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, (hereinafter referred to as rules), L-6 Licence shall be granted to the retail vends in public sector to the Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time.

2. The vend premises should be in a pucca building with minimum floor area of 300 Sq. Ft. located in Local Shopping Centre (LSC)/Commercial premises.

   2.1 The proposed vend premises shall be inspected by the site inspection committee/team deputed by the Licensing Authority, comprising of Excise Officers which shall ascertain the suitability of the proposed premises for grant of licence as per the provisions under the Delhi Excise Rules, 2010.

   2.2 As per rule 51(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, no retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following namely :-

(a) Major educational institutions;
(b) Religious places;
(c) Hospital with fifty beds and above:

Provided that the condition mentioned in clause (C) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises"

Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules.

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

~~~
~~~

Explanation I- For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II – For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III- The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

3. If the proposed premises meets the above requirement and found suitable and the grant of L-6 licence is approved, the concerned Corporation will require to deposit the prescribed licence fee before issue of licence.

4. Licence in Form L-6 for the licensing period shall be, *inter alia*, subject to the general conditions in Rules, 37, 50, 51 and 66 of the Delhi Excise Rules, 2010. The holders of L-6 licence shall abide by the provisions of the Delhi Excise Act, 2009, (hereinafter referred to as Act), the rules and orders issued thereunder, and any other law/rules in force in the National Capital Territory of Delhi relating to liquor.

   4.1 The applicant for L-6 licence should be in actual physical possession of a premises (hereinafter referred as "the proposed vend) measuring carpet area of 300 Sq. Feet and above, situated at LSC/Commercial premises duly approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc.

5. **PROCEDURE TO APPLY**

   5.1 Applications in the prescribed form (Annexure-I) along with other relevant documents, for L-6 licence shall be made to the Deputy Commissioner (Excise), (hereinafter referred as "the Deputy Commissioner).

   5.2 Applicant will submit the following documents along with the application :-

(a) Proof of lawful possession of the proposed premises i.e. ownership/lease/rental documents etc.

(b) An affidavit declaring that :-

  (i) He is in actual physical possession of the premises for which he has made an application for grant of L-6 licence.

  (ii) There is nothing adverse against the applicant as per the provisions of rule 23 of the Delhi Excise Rules, 2010.

x.8

5.3 A lay out plan of the area in which the shop is located , clearly showing the proposed premises/vend.

6. Information , as required in the application form, shall be furnished with complete details and enclosures, truly and faithfully, so as to enable smooth processing of the application. The applicant shall not be entitled to any relief or compensation on account of delay in the finalization of his case for grant of the licence.

6.1 The applicant , whose application is not complete in all respect, will be given 15 days time to remove the deficiencies failing which the application shall be rejected summarily without any further notice.

7. **GRANT OF LICENCE**

7.1 All the applications for the grant of L-6 licence shall be subject to the acceptance by the licensing authority, who may accept or reject any application without assigning any reason. The licensing authority shall be under no obligation to grant any licence for which application has been made.

7.2 If, on scrutiny, any application is found incomplete, vague, confusing or not as per the terms and conditions, the same shall be summarily rejected and the decision of the licensing authority shall be final.

8. **COMPLETION OF FORMALITIES**

8.1 Successful applicants shall be granted L-6 licences, for their respective proposed vends, subject to the completion of the following requirements within fifteen days from the date of approval of the licence :-

(a) Payment of licence fee as prescribed under the Delhi Excise Rules, 2010, by way of demand draft or by online mode of payment, in favour of the Deputy Commissioner, Delhi.

(b) The successful applicant shall submit a plan of interior design of the proposed shop ensuring the following points :-

i. The shop floor area has been designed to ensure the display of the various liquor brands along with necessary price indicators .

ii. The interiors of the shop have been so designed that the shop has proper painting, lighting , flooring and hygiene.

iii. All the corporations shall take necessary steps to ensure 100% scanning and shall take all necessary steps for layout improvement and put signages in a prescribed font/format, wherever required.

iv. There shall be specific colour coding for the specific corporation vends i.e. green colour for DTTDC, blue for DCCWS, grey for [illegible] and yellow for [illegible], so that they are easily identified visually.

v. The vend incharge and other employees will wear uniform with name plates according to the colour code mentioned above.

vi. They shall display the helpline number of the concerned Corporation headquarters and the Excise Control Room (011-23370262) and shall maintain hygiene in an around the vend.

vii. They will ensure that no open wiring and fittings are visible to the customers.

9. The licensed premises shall be duly insured against fire and natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for removal of defects in the building.

10. TRANSPORT PERMITS/RIGHT TO SELL LIQUOR

10.1.1 On completion of the above-referred requirement, the applicant shall be granted licence in Form L-6, which will entitle him to make retail sale, from the proposed vend, of those brands of Indian Liquor/Foreign Liquor which have been approved/registered by the Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi.

10.1.2 The holder of L-6 licence shall be bound to procure liquor from holders of L-1/L-1F licence, at the rate approved by the Department. Transport Permits to procure liquor from holders of L-1/L-1F licences shall be issued to the holders of L-6 licencee subject to payment of excise duty and other levies applicable under the Act and the Rules.

11. TIMING AND RETAIL PRICE

11.1 Government of National Capital Territory of Delhi has approved the policy of flexi-timings for retail trade of liquor in Delhi. L-6 liquor vends will be allowed to remain open from 10.00 am to 10 p.m.

11.2 Holders of L-6 licence shall be bound to sell liquor only at a price fixed by the Excise Commissioner for each brand, and mentioned on labels. Any

undercharging or overcharging shall be considered as violation of the terms and conditions and the licence shall be liable to be cancelled.

12. DRY DAYS

"Dry Days" as declared by the Government under Rules 52 of the Delhi Excise rules, 2010, shall be observed as "dry days". L-6 retail vends shall remain closed on all the "dry days". The holders of L-6 licences shall not be entitled to any compensation or relief due to any increase in the number of "dry days" beyond the normal number or due to change in the working hours of the retail vends during the course of the licensing period.

13. STOCK AND BOOKS OF ACCOUNTS

13.1 The holders of L-6 licence shall store only such number of brands of Indian Liquor/Foreign Liquor as may be approved by Deputy Commissioner.

13.2 The holders of L-6 licence shall maintain the books of accounts and sales statements in the prescribed proforma. He shall maintain true account for day to day, in ink, entering all figures in international numbers and other particulars in English or Hindi.

14. PAYMENTS

14.1 The licensee shall make all the payments to the Government in connection with the operation of his licence by way of bank draft or online mode approved by RBI, in the name of the Deputy Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

14.2 The licensee shall pay simple interest @ 12% per annum from the date next following the day on which any payment recoverable from him under section 29 of the Act becomes due to the Government until the date on which such payment is actually made or such amount is actually recovered, whatsoever may be the reason for the lapse of time before payment is made or recovery is affected.

14.3 The licensee shall not be entitled to any interest or any other relief or compensation on account of any delay in the payment of any amount to him by the Government.

15. BARCODE SYSTEM

15.1 For implementation of the Excise Supply Chain information Management System (ESCIMS), the standard operating procedures for barcode implementation shall be made available to all the licensees of the Department of Excise, Entertainment and Luxury Taxes of NCT of Delhi, who shall be required to procure, install and make

necessary provisions for IT and non IT infrastructure at his licensed premises as may be required for successful implementation of the Excise Supply Chain information Management System.

15.2 The holders of L-6 licence shall be bound to issue receipt/bill for each transaction of sale of liquor. The bill/receipt shall inter alia include:-

(i) name of the holder of the L-6 licence and address of the shop,

(ii) name and address of the customer,

(iii) date of sale,

(iv) names, quantity and batch no. of the brands sold.

16. RENEWAL

16.1 Normally, the Excise Year would be from 1st April to 31st March (see rule 21).

16.2 L-6 licence may be renewed at the sole discretion of the Licensing Authority subject to payment of such licence fee and compliance of such other conditions as may be prescribed from time to time.

17. PROHIBITION

17.1 In pursuance of the Directive Principles of the State Policy relating to Prohibition contained in Article 47 of the Constitution of India, Government of the National Capital Territory of Delhi may issue orders and directions from time to time and such orders and directions shall be Binding on the licensee and no compensation shall be payable on that account.

17.2 The licensee shall abide by the following prohibition measures, namely:-

(i) The licensee shall display a notice board prominently in front of the licensed premises declaring that "Drinking of liquor is injurious to health".

(ii) All persons employed by the licensee in the licensed premises shall be required to possess identity cards issued under the signatures of the authorized signatory and the employees shall be required to produce the identity card on demand by the Excise officer or any officer not below the rank of Sub-Inspector.

(iii) The licensee shall neither keep, distribute nor sell any advertisement material which is likely or intended to promote the sale or consumption of liquor. Eco-friendly carry-bags, however, can be used Subject to such advertising as not exhorting people to take to drinking.

५.४

(iv) No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to the programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (as amended from time to time) and The Cable Television Net Work Rules, 1996 (as amended from time to time.)

18. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

18.1 Other conditions and guidelines, as applicable to retail liquor vends, shall be adhered to in the case of L-6 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government from time to time.

18.2 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under section 29 of the Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by the licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation or relief on account of such refusal.

18.3 No outsourcing, whatsoever will be allowed in any form to the licensee.

18.4 In order to provide a wider choice to a customer for picking a brand of liquor, the department has initiated the idea self-services liquor vends. The self-serviced vends shall have such design and arrangements so that a customer does notrequire any aid and is not interfered while choosing a brand of his/her choice. The incentive for self-served vends may also include increasing the profit margin of such vends.

19. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-6 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer.

Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issuance of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

ধ.४

20. These terms & conditions, unless repugnant to be express provisions of the Delhi Excise Act, 2009, and the Rules made thereunder, shall be in addition to the said Act and the Rules, which are deemed to be incorporated in these terms & conditions as if they are expressly set out herein. Applicants are advised to access, read and understand the same before applying.

21. The Deputy Commissioner reserves the right to cancel or suspend any L-6 licence at will as per provision section 17 of the Act.

22. The Government reserves the right for a mid-term review of manner of levying duties/fees and amount of duties/fee etc. to be paid/payable in case any amendment is made to the Act, Rule or Law related to liquor & bonded warehouse in Delhi during the period of licence. Accordingly the changes if any shall be binding to all the L-6 licensees.

3/8/22

COMMISSIONER (EXCISE)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 23, सुश्री आतिशी जी, प्रश्न संख्या 24, श्री मुकेश कुमार अहलावत जी।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, एक मिनट सदस्य, सदस्य का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी दस मिनट वेट कर लेंगे आप। क्या करना चाहिए या एक बार थ्रू आउट चले जाते हैं फिर आ जाएंगे लोग। क्योंकि श्री अशोक गोयल जी, प्रश्न संख्या 25 श्री अशोक गोयल।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 25 प्रस्तुत हैः

(क) पिछले एक वर्ष में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शौचालयों के रखरखाव व साफ-सफाई की शिकायतों पर कितने ठेकेदारों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं किस-किस तिथि पर हुई, उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा इस विषय में क्या-क्या निर्देश जारी किये गए और उन निर्देशों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई, पूर्ण विवरण दें;

(ग) यदि कार्यवाही नहीं हुई तो दोषी अफसरों के नाम व पद का विवरण दें; और

(घ) क्या डूसिब की जमीनों व एसेट्स के विषय में कोई ऑडिट के निर्देश मिले हैं, पूरी कार्यवाही का विवरण दे?

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 25, श्री अशोक गोयल जी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः जी-जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 25 मॉडल टाउन विधानसभा के संदर्भ में माननीय सदस्य अशोक गोयल जी ने पूछा है उसका उत्तर सदन के पटल पर हमने प्रस्तुत कर दिया है।

उत्तर - (क) संबंधित एजेंसी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है और उनको आवश्यकता अनुसार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है।

उत्तर - (ख) इस संबंध में माननीय शहरी विकास मंत्री की ओर से कोई विशेष दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर - (ग) उपरोक्त (क) के अनुसार

उत्तर - (घ) डूसिब की जमीनों और संपत्तियों के ऑडिट के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

श्री अशोक गोयलः ये जो उत्तर है ये बिलकुल प्रश्न के जैसा ही लगता है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कोई उत्तर है ही नहीं। इसमें डिटेल मांगी गयी

के पिछले एक वर्ष में शिकायतों का विवरण और उस पर क्या-क्या कार्रवाई हुई तो कोई जानकारी इस उत्तर में है ही नहीं और मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस उत्तर के साथ-साथ क्या कोई कंप्लेंट का मैकेनिजम हमने बनाया हुआ है क्या? और दूसरा ये जो डूसिब के टॉयलेट्स हैं जो कि बहुत बुरी हालत में हैं, इनका कोई इन्सपेक्शन का भी कोई मैकेनिजम आपने बनाया है क्या?

माननीय शहरी विकास मंत्री: मैं सदस्य को सूचित करना चाहता हूं, इसकी जो एक टेंडर इसके संदर्भ में जारी हुआ है उस टेंडर में इसकी सफाई की व्यवस्था, इसकी कंप्लेंट की व्यवस्था और सफाई करने के बाद इसको ऐप के माध्यम से विधानसभा वार ऐप पर रियल टाइम फोटो डालने की व्यवस्था है। आपके अगर प्रश्न में कुछ अधूरा है, अधूरा विषय आपको लगता है तो मैं उसकी जानकारी आपको एकत्र करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: कोई पूरक।

डॉ अनिल गोयल: हां जी।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. अनिल गोयल।

डॉ. अनिल गोयल: अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इन डूसिब के टॉयलेट्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मैं देखता हूं जो कर्मचारी हैं या सुपरवाइजर है, वहां सर जो 3 होने चाहिए वहां 2 हैं। तो मेरा सवाल है कि इन शौचालयों में कर्मचारी और सुपरवाइजर की संख्या जरूर बताई जाए। तीन लोग होने चाहिए लेकिन अक्सर वहां एक दो पाये जाते हैं और वो भी 6, 8, 10 घंटे पाए जाते हैं। तो मेरा सवाल है सर प्रत्येक शौचालय में कर्मचारी व सुपरवाइजर की संख्या

बताई जाए और मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं एक दो होते हैं। शौचालय में कार्यरत, शौचालय रख-रखाव की इनकी हाजिरी किस प्रकार लगाई जाती है।

माननीय अध्यक्षः नहीं एक मिनट आप अनिल जी, नहीं अशोक गोयल जी के प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं आप।

डॉ. अनिल गोयलः हां उसी शौचालय के साथ।

माननीय अध्यक्षः हां ठीक-ठीक।

डॉ. अनिल गोयलः डूसिब से संबंधित है सर।

माननीय अध्यक्षः हां ठीक-ठीक।

डॉ. अनिल गोयलः तो शौचालय में कर्मचारी और सुपरवाइजर जो एक प्राइवेट वेंडर को दिये गए हैं उनकी कर्मचारियों की संख्या वहां पर एक्चुअली नहीं होते हैं।

माननीय अध्यक्षः इसमें डॉक्टर साहब ये जो प्रश्न है ना ये मॉडल टाउन।

डॉ. अनिल गोयलः ये मैं कुछ

माननीय अध्यक्षः तो उसी में अगर आप कुछ।

डॉ. अनिल गोयलः डूसिब से संबंधित है सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं-नहीं डूसिब से संबंधित बड़ा विषय हो गया ना, तो इस प्रश्न जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित कोई पूरक प्रश्न आपका है तो उसमें आप कोई स्पेसिफिक बात एक सेन्टेन्स में पूछिये आप।

डॉ. अनिल गोयलः स्पेसिफिक बात ये है कि इन्हीं के अगर मॉडल टाउन में भी उसमें कर्मचारी कितने होते हैं उनकी संख्या देखी जाए। उनका ड्यूटी रोस्टर होता है क्या? वहां बोर्ड कोई कम्प्लेंड रिड्रेसल का लगा है क्या? और क्या इनके में।

माननीय अध्यक्षः एक आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ना।

डॉ. अनिल गोयलः जी।

माननीय अध्यक्षः तो आपका प्रश्न हो गया।

डॉ. अनिल गोयलः जी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि डूसिब के टॉयलेट की मेन्टेनेंस के लिए कु कोन्ट्रेक्टर्स को काम दिया गया है वो कोन्ट्रेक्टर्स अपने कर्मचारियों से उसकी सफाई कराकर, जैसा मैंने अभी पहले बताया, रियल टाइम पर फोटो देते हैं। आपका जो विशेष तौर पर ये जानना है कि उस कोन्ट्रेक्टर की कितनी बाध्यता है।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, पहले बात पूरी हो जाए मंत्री जी की, फिर आप बोलना।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः उसकी कितनी बाध्यता है। मैं आपको कोन्ट्रेक्ट की कंडीशन्स के अनुसार कितनी बाध्यता है मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूँ।

माननीय अध्यक्षः और कोई पूरक प्रश्न।

डॉ. अनिल गोयलः बाध्यता तो है सर लेकिन वो पूरी नहीं हो रही ये मैं कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, आप पूछना चाहते हैं, आतिशी जी। फिर आपके, ऐसा है कि जिसका प्रश्न है वो दो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके अलावा 5 पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि चेयर सबको अलाउ करेगा और जहां लगेगा कि आवश्यकता है वहां ही आलाउ करेगा। आतिशी जी।

सुश्री आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट मैं आदरणीय यूडी मिनिस्टर को देना चाहती हूं। यूडी मिनिस्टर को देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि रियल टाइम फोटोज ये अपलोड करते हैं। ये जीपीएस स्टैट फोटोग्राफ्स हैं आज सुबह 10 बजकर 6 मिनट की कालका जी विधानसभा के भूमिहीन कैम्प के टॉयलेट्स की, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर टॉयलेट्स की ये स्थिति है, तो क्या फोटोज अपलोड हो रही हैं, क्या सफाई हो रही है, बिकोज ये भी रियल टाइम फोटोज हैं इतनी गंदगी है टॉयलेट्स में, कल आपके मुख्यमंत्री जी ने इतने लंबे-लंबे भाषण दिये हैं कि झुग्गियों को हम फंड दे रहे हैं लेकिन झुग्गियों के टॉयलेट्स का पिछले एक महीने में कितना बुरा हाल हो गया है।

माननीय अध्यक्षः चलिये एक मिनट, मैडम मैं फिर आप।

सुश्री आतिशीः नारकीय स्थिति में रह रहे हैं, झुग्गी वाले, ये आज सुबह की फोटोज हैं।

माननीय अध्यक्षः गहलौत जी, गहलौत जी पूरक प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न देखिये, मैं आतिशी जी अगर आप नहीं चाहती व्यवस्था से प्रश्न काल चले।

सुश्री आतिशीः आप कह रहे हैं कि आपके पास तो इसलिये आप मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको।

माननीय अध्यक्षः तो आप अगर हर व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। आप प्रश्न पूछिये, आप प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। मैंने आपको आलाउ किया था।

सुश्री आतिशीः मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपकी ये फोटोग्राफ आदरणीय मंत्री जी को।

माननीय अध्यक्षः अब आप बैठ जाइये। अब गहलौत जी आप पूछिये। सिर्फ प्रश्न एक लाइन में होगा, प्रश्न पर कोई व्याख्या नहीं होगी, कोई उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, प्रश्न काल का अर्थ होता है प्रश्न पूछना। अगर आप एथिक्स नहीं बना कर रखेंगे तो मैं माफी चाहूंगा कि सदन से माफी चाहता हूं इस बात की कि मुझे टोकना पड़ेगा, लेकिन इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए, ये पवित्र सदन है। सदस्यों के समय की बहुत-ही कीमती समय है सभी सदस्यों का, सदन का समय और भी कीमती है ज्यादा इसलिए आपने आपने प्रश्न किया, प्रश्न, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्लीज, आप पूछिये कैलाश जी प्रश्न पूछिये। मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी तो प्रश्न काल को कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो मुझे कार्रवाही करनी पड़ेगी। बैठ जाईये, बैठ जाईये। करिये।

श्री कैलाश गहलौतः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः करिये, प्रश्न करिये।

श्री कैलाश गहलौतः अध्यक्ष जी मैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप एक मिनट मैं, इनका जो प्रश्न है प्रश्न जो बोल रहे हैं ये बाकी नहीं, जो इनका प्रश्न है उस पर आप रिप्लाई कर दीजिए। इसमें से आपने जो भी प्रश्न के रूप में जो भी निकाला है। इतने लंबे भाषण में से उसको निकालिए और ये मैं आपको कॉपी भी दे रहा हूं। ये कॉपी लीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं आपके माध्यम से आतिशी जी को ये बताना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें अभी थोड़े दिन हुए हैं ना आए हुए विपक्ष में सुन लीजिए। ये प्रश्न सिर्फ है मॉडल टाउन का और विधानसभा का नहीं उठा सकते आप, ये गलत है ये।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट आप।

श्री मोहन सिंह बिष्टः तुम्हारा ये प्रोसीजर गलत है, इस विधान सभा अरे भाई बात सुन लो भाई, मेरी बात को सुन लीजिए आप एक बार।

माननीय अध्यक्षः अरे अब प्रश्न काल करवा रहा हूं मैं, आप तो प्रश्न काल ही नहीं करवाते थे। आप प्रश्न काल ही नहीं करवाते थे। मैं प्रश्न काल करवा रहा हूं। मैं रिप्लाई दिलवा रहा हूं। आपको फिर भी तकलीफ है, रिप्लाई में भी तकलीफ है। बैठिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे रुको ना एक मिनट, ये मैं कैसे बोल देंगी आप, प्वाइंट तो सिर्फ है मॉडल टाउन विधानसभा का, आप उसको ओखला में कैसे जबाव देंगे।

माननीय अध्यक्षः मोहन जी ये विषय मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः भई मैंने आप पर ही छोड़ दिया, एक व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं। आप आतिशी जी के सवाल का जबाव दीजिए, इनके भाषण पर रिप्लाई नहीं करना आपको।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः देखिये, अरे अरे नेता प्रतिपक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी मैं हूं ना, मैं देता हूं आपको जबाव। दरअसल माननीय सदस्य की टॉयलेट की सफाई की गंभीरता आदरणीय अध्यक्ष जी इसी से पता चलता है आज का पहला प्रश्न इन्ही को पूछना था, ये 23 नंबर इन्हीं का सवाल था, उन टॉयलेट्स के संदर्भ में इसी से गंभीरता पता चलती है।

माननीय अध्यक्ष मैं इनको आराम से समय देता दोबारा देता, पूरा होने के बाद।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः तारांकित प्रश्न लगाकर आप यहां सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। और आप मुख्यमंत्री, भाई साहब माननीय सदस्य। आप मुख्यमंत्री जी की कल की घोषणा पर राजनीति करना चाहते हैं, अपनी खिसियाहट को कम करने के लिए ये इसी से पता चलता है 23 नंबर का तारांकित सवाल था। अगर आपकी इतनी बड़ी चिंता थी तो आप समय पर यहां उपलब्ध क्यों नहीं थे। एक मिनट, एक मिनट, माननीय सदस्य माननीय सदस्य आपको झुग्गी वाले से पूछना था तो ये सवाल लगाया था यहां मौके पर रहती आप और ये जो सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछ रहीं हैं मैं आज सदन पर माननीय अध्यक्ष जी मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है दोष नहीं काम करेंगे, वो भी दौर था ये माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री थीं, वित मंत्री थी, डूसिब

का बजट रात को 11 बजकर 40 मिनट पर दिया उन्हीं टॉयलेट्स के लिए और डूसिब मेंटेनेंस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पायीं। मैं उस और जाना नहीं चाहता हूं। 11 बजकर 40 मिनट पर, 31 मार्च को डूसिब का बजट दिया गया। आज का बताएंगे, आपकी चिंता इतनी थी 33 दिन में 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है, 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। आपकी पार्टी के आपकी पार्टी को दिल्ली की झुग्गी वालों के सामने उधेड़ कर रख दिया है। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः इसलिए कष्ट हो रहा है अध्यक्ष जी ये सवाल पूछतीं हैं मुख्यमंत्री जी ने कल बजट एलोकेट किया अगले साल का इनका बजट एलोकेशन 11 बजकर 40 मिनट पर 31 मार्च को किया। 31 मार्च को किया आज ये हमारे बजट पर सवाल पूछते हैं। अपने सवाल के समय यहां रहते नहीं हैं। हां एक महीने में नारकीय जिंदगी दी है। आपकी पोलिटिक्स पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अगर विपक्ष।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः 11 बजकर 40 मिनट पर बजट देंगे। 11 बजकर 40 मिनट पर बजट देंगे। हमसे सवाल करेंगे।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा): सदन में गुंडागर्दी हो रही है आपको... आनी चाहिये। ये हाउस की व्यवस्था नहीं है ये गुंडागर्दी करके, इक्ट्ठे होकर करते हैं ये व्यवस्था हाउस की नहीं है। इस तरह की व्यवस्था से आप.. आप क्या यहां केवल लड़ने के लिये आये हैं?

माननीय अध्यक्षः मुझे लगता है विपक्ष जो है प्रश्न काल को जारी नहीं रखना चाहता। क्या दिक्कत क्या है आपको। बैठ जाइये। प्रश्न काल पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। जो सदस्य प्रश्न काल में अव्यवस्था करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। मैं माफी चाहता हूं फिर कह रहा हूं सदन से कि माननीय सदस्यगण प्रश्न काल एक ऐसा दौर होता है सदन का जिसमें प्रश्न पूछना और मंत्री जी का रिप्लाई करना ये जनता के बीच का एक ब्रिज है। उसका पवित्रता से पालन कीजिए, उसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाईये और समय पर 11 बजे प्रश्न काल शुरु हुआ यहां पर आतिशी जी उस समय मौजूद नहीं थीं, मैंने नाम पुकारा दो बार, तीन बार पुकारा वो उपस्थित नहीं हुई इसलिए मुझे अगले प्रश्न पर जाना पड़ा फिर मुकेश कुमार अहलावत जी का प्रश्न था वो भी यहां उपलब्ध नहीं थे, फिर अशोक गोयल जी का प्रश्न था वहां से प्रश्न काल शुरु हुआ। 25 नंबर पर अशोक गोयल जी ने बातचीत की। अब अशोक गोयल जी के प्रश्न पर ही पूरक प्रश्न जो है वो आतिशी जी ने पूछा था उसका रिप्लाई जो है वो माननीय मंत्री जी ने यहां पर उनके द्वारा ही दिये गये पेपर पर दिया गया है अब मैं कैलाश गैहलोत जी उस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरा।

श्री कैलाश गहलोत: अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से एक छोटा सुझाव है माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अलग अलग विधान सभा में काफी सारे कैंप्स हैं जैसे मेरी विधान सभा में विजवासन है तो उसमें करीब 5-6 बड़े बड़े कैंप हैं तो उसमें कौन सी सर्विसिज, कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है उसकी क्लैरिटी आज तक हमें नहीं है। तो अगर माननीय मंत्री जी के आफिस से एक सूची चली जाये सबको जितने भी माननीय विधायक हैं और जिनकी विधान सभा में इस तरह के कैंप्स हैं कि ये ये।

माननीय अध्यक्ष: मैं चाहता हूं आप प्रश्न के रूप में मंत्री जी से कुछ पूछें पूरक प्रश्न के रूप में। प्रश्न में कनवर्ट कर लीजिये। जो आप कह रहे हो उसको प्रश्न में कनवर्ट कर लीजिये।

श्री कैलाश गहलोत: क्या माननीय सदस्यों को इस प्रकार की सूची मिल सकती है कि जो जो कैंप्स उनके विधान सभा में हैं, उन कैंप्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है और अगर उस तरह के टायलेट्स हैं या कोई और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके कांट्रेक्टर और उनके नाम और नंबर मिल जायें।

माननीय अध्यक्ष: आप एक बात मंत्री जी एक मिनट, अगर पूरक प्रश्न में कोई प्रश्न इस प्रकार का आता है जो अभी तुरंत आपके पास उसकी तैयारी नहीं है क्योंकि पूरक प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें कहीं न कहीं वो मॉडल टाउन असेम्बली के बाहर से है तो आप अपने विवेक से जो भी कहना चाहें, कह सकते हैं।

माननीय शहरी विकास मंत्री: बहुत आभार माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय सदस्य कैलाश गहलोत जी ने जो विषय रखा है बहुत सारी जगहों पर अगर

सदस्यों को ये जानकारी नहीं है किस कैंप में क्या सुविधा कहां से है, मैं निकट भविष्य में विभाग से वो जानकारी सदस्यों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्षः श्री गजेंद्र दराल। अभी एक बार बात कर लेते हैं। उस समय थे नहीं यहां पर सदस्य। तो एक मिनट आप बैठिये। मुकेश कुमार अहलावत जी का प्रश्न है आप बैठिये। आप बैठिये, हो जायेगा। आप बैठिये। जो खुद सदस्य हैं मौजूद नहीं हैं तो फिर।

श्री गजेंद्र दरालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 26 का उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री से जानना चाहूंगा।

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी अनाधिकृत कालोनियां हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) पिछले पांच वर्षों में अधिकतर कालोनियों में विकास कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) विकास कार्य करने वाले विभागों के पास मुंडका विधानसभा की कितनी योजनाएं लंबित हैं तथा ये कब तक शुरू हो जाएगी?

माननीय अध्यक्षः मुकेश कुमार अहलावत सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये... ओवररूल हो गया है। बाकी आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दिया जायेगा। हां जी।

...(व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय सदस्य गजेंद्र दराल जी ने जो मुंडका विधान सभा के संदर्भ में प्रश्न पूछा है उसकी एनेक्स्चर के साथ जानकारी सदन के पटल पर रखी गयी है।

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 91 अनाधिकृत कॉलोनियॉ हैं। सूची 'क' पर संलग्न है।

(ख) अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो की जानकारी सूची 'क' संलग्न है[1] एवं जिनका विवरण निम्न है :-

* 46 कॉलोनियों में सड़कें एवं नालियॉ बनाने के कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
* 18 कॉलोनियों में सड़कें एवं नालियॉ बनाने का कार्य प्रगति पर है।
* 03 कॉलोनियों का निविदा कार्य प्रक्रिया में है।
* 04 कॉलोनियों की सड़कें एवं नालियॉ बनाने का कार्य अभी किया जाना है जिनमें से एक कॉलोनी एवं नालियॉ बनाने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन का कार्य पूर्ण करने के बाद आरंभ किया जाएगा अथवा दूसरी कॉलोनी का कार्य वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रारंभ किया जाएगा।
* 19 कालोनियों में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है।
    - 05 कॉलोनियों में DSIIDC एवं 03 कॉलोनियों में DJB के द्वारा कार्य किया गया है।
    - 03 कॉलोनियों (Regn no.623(A), 623(B), 1252(B) के GSDL मैप उपलब्ध नहीं है। जिनके कारण इन 03 कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है।

---

1. सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

- 04 कॉलोनियों (Regn no. 1021 ELD Regn no. 218, Regn no. 561, Regn no. 48 ELD) की सड़के एवं नालियाँ ठीक है इसलिए कार्य नहीं किया गया है अथवा

- 01 कॉलोनी (Regn no. 1049) का मैप दूसरी कॉलोनी (Regn no. 762) के साथ ओवरलैप है तथा (Regn no. 762) के तहत कार्य करा दिया गया है।

- 01 कॉलोनी (Regn no. 145 ELD) का मैप दूसरी कॉलोनी (Regn no. 629) में है।

- 01 कॉलोनी (Regn no. 7 ELD) uc boundary लाल डोरा विलेज के अंदर में है।

01 कॉलोनी (Regn no. 409) मौके पर मौजूद नहीं है।

(ग) विवरण सूची 'ख' में संलग्न हैं।[2]

माननीय अध्यक्षः इस पर कोई पूरक प्रश्न? कोई पूरक प्रश्न आपका? मनोज शौकीन जी। इसी पर।

श्री मनोज शौकीनः आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मुंडका विधान सभा से संबंधित प्रश्न है। इसी के अंदर चंदर विहार हमारी एक कालोनी आती है मुंडका विधान सभा में, उसके जो सीवर की जो व्यवस्था डालने की और उसके अंदर पानी की पाइप लाइन डालने की व्यवस्था और उसकी सप्लाई की और उसके डिस्पोजल की जो सीवर की है क्या कहीं की गयी है, और अगर नहीं

2. सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

की गयी तो कब तक की जायेगी ये मेरा प्रश्न है। हालांकि ये विभाग बदल जाता है क्योंकि सीवर और वाटर वो जल बोर्ड के अधीन है लेकिन फिर भी जैसे समय के हिसाब से समझें तो मुझे इसका आंसर दे दें।

माननीय शहरी विकास मंत्री: माननीय सदस्य ने जिस कालोनी के संदर्भ में विषय उठाया है मैं संबंधित विभागों तक उनका कंसर्न पहुंचा कर जानकारी उपलब्ध कराता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हां जी, इसपे झा जी।

श्री अनिल झा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से किराड़ी विधान सभा की जो मुख्य मार्ग है जो पीरागढ़ी से होते हुए बहादुर गढ़ की तरफ जाती है वो सिर्फ मुंडका ही विधान सभा नहीं है फिर तो किराड़ी, पश्चिम विहार, आपका जो नांगलोई अदर विधान सभाओं की भी वही अप्रोच रोड है और वो पिछले एक महीने से भयंकर जाम के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं। अगर वो ये वाली जो मुख्य मार्ग है उसकी जो अप्रोच रोडें हैं वह कब तक बनेंगी और वहां पर जाम की स्थिति कब तक समाप्त होगी ऐसा मेरा प्रश्न है।

माननीय शहरी विकास मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी मैं थोड़ा आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सदस्य का एक प्रश्न इनकी विधान सभा के संदर्भ में है। अगर ऐसे सब विषय उसके साथ आते तो मैं इनको बहुत अच्छे से इस संबंध में तथ्यात्मक उत्तर देता। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं वो इसके संदर्भ में मुझे पत्र व्यवहार करके अगर जानकारी मांगेंगे मैं उपयुक्त अधिकारियों से बातचीत करके उनको उपलब्ध कराऊँगा।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। मोहन सिंह बिष्ट जी। आप उनको तो बुला लीजिये मैं स्पष्ट कर दूंगा सारी स्थिति। आप बैठिये, बैठिये आप। वो उनको

बुलाईये आप, पहले सदस्य को बुलाईये यहां। प्रश्न पूछने वाले सदस्य को बुलाईये पूरी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। बैठिये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब मैं आपको, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदस्य मुकेश कुमार अहलावत जो अपने ही प्रश्न के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं, सदन में उपलब्ध नहीं हैं और फिर भी मैं उनकी गैरहाजिरी में आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं बैठिये आप। बैठिये मैं कर देता हूं। आप बैठिये, बैठिये मैं कर देता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट बैठिये वो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं मैडम बैठिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैडम मैं सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं। सुनिये आप पहले न उसको देख लीजिये। बहुत दिन हो गये थे न आपको।

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये, बैठिये। मैं आपको बुलाऊंगा, पूरक प्रश्न पूछवाऊंगा आपसे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर मेरा क्वेश्चन मैं सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं सर मैं पूरक प्रश्न।

माननीय अध्यक्षः मुझे इस बात की बहुत ही तकलीफ है कि जो संबंधित विधायक जिन्होंने माननीय सदस्य ने जो प्रश्न लगाया वो खुद ही सदन में नहीं आये जबकि स्टार्ड क्वेश्चन है और उनको मुकेश कुमार अहलावत जी तो मंत्री

भी रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के और सारी परिपाटी को जानते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं हैं यहां और नियम ये कहता है कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य का सदन में होना अनिवार्य है जब उसका रिप्लाई हो, नहीं तो वो प्रश्न आगे चला जाता है उसका रिप्लाई नहीं। एक मिनट, आप बैठिये बात पूरी होने दीजिये। बात पूरी होने दीजिये, आप बैठिये मैं बात पूरी कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये, मैं पूरी बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले नियम बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप बैठिये न, मेरी बात से अगर आप संतुष्ट न हों फिर आप कहियेगा। बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपको एक मिनट, एक मिनट, आप बैठिये मैं आपकी बात का बात स्पष्ट कर रहा हूं बैठिये, बैठिये आप बैठिये, बैठिये, बैठिये आप मैं आपकी बात स्पष्ट कर रहा हूं। ये अजीब स्थिति है बात पूरी होने से पहले ही, मतलब मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, विपक्ष में पहली बार आप लोग बैठ रहे हैं मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा। लेकिन वो हर जगह नहीं झलकनी चाहिये। एक मिनट, एक मिनट। तो मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं तो सदस्य का होना अनिवार्य है। अगर सदस्य नहीं होगा तो प्रश्न आगे चला जायेगा। अब विषय आ गया कि ये बात अगर सदस्य यहां होते और वो कहते मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मैं पूरी स्थिति स्पष्ट करता। उन्होंने जो प्रश्न लगाया था वो वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन वास्तविकता में वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्न था और ये भी सदस्य कई बार करते हैं जो नहीं करना चाहिये कि जिस दिन अंतिम तारीख होती है मान लीजिये आज वित्त पर प्रश्न पूछने का दिन था तो उसकी

अंतिम तारीख थी 15 दिन का जो एक शेड्यूल है 14 दिन का, तो वो उस दिन उसमें नहीं लगाया होगा। तो उन्होंने क्या किया जो मेरी अजेम्पशन है वो जिस दिन फाईनेंस का चल रहा होगा उस दिन स्वास्थ्य का प्रश्न लगा दिया वो कि स्वास्थ्य की डेट निकल गयी होगी। और जब वो प्रश्न फाईनेंस में पहुंचा तो फाइनेंस ने देखा ये तो हमारे सवाल ही नहीं हैं तो उन्होंने उसको ऐसा नहीं है डैड कर दिया, उसको हैल्थ को भेज दिया और ये घटना परसों की है। तो अब स्वास्थ्य विभाग उसका जो है उत्तर तैयार करेगा और वो सदन के समक्ष आयेगा लेकिन जो डेस्परेशन विपक्ष यहां दिखा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं थी, धन्यवाद। आगे बढ़िये। आगे बढ़िये, आगे बढ़िये। अगला आप बात पूरी करिये। आप बात पूरी करिये। वो होते न, मुकेश अहलावत यहां पर होने चाहिये थे। आप मुझे नहीं मालूम प्रश्नकाल में भी वकील भेजे जाते हैं, मुझे मालूम नहीं था।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मुंडका विधान सभा जिसमें कि डीएसआईआईडीसी द्वारा सड़क और नालियां उनका बनाने का कार्य किया जाना था। डीएसआईआईडीसी के पास बजट की उपलब्धता के बाद मुंडका विधान सभा क्षेत्र की इन कालोनियों का विकास कार्य क्यों नहीं किया गया, मेरी सरकार इन कालोनियों के विकास को कब तक करा देगी, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

माननीय शहरी विकास मंत्री: माननीय सदस्य, एक जानकारी जो पिछले दिनों इन प्रश्नों के उत्तर को संग्रह करते समय आई, लगभग डीएसआईआईडीसी और फ्लड दोनों विभागों को जो अनऑथोराईज्ड कालोनी के विकास के लिये पैसे दिये गये थे, डीएसआईआईडीसी और फ्लड दोनों विभागों को बता रहा हूं, दोनों तरह की चीज मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं सदन के समक्ष रहे ये

जानकारी, क्योंकि ये सभी के कंसर्न का इशु है। उनको जितना पैसा दिया गया था उसका लगभग 55 प्रतिशत पैसा ही वो लोग इस्तेमाल कर पाये। हम इसकी जानकारी संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से कि क्या उनको ये काम करने से रोका गया, क्या उनके पास उसके संदर्भ में जरूरी जो नो हाउ और जो साधन रहने चाहिये थे, जितना स्टाफ रहना चाहिये था वो नहीं था एक किस प्रकार का कमियों के कारण वो हुआ नहीं, उसी में आपके मुंडका विधान सभा का संदर्भ भी आता है। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र इस डाटा को संग्रहित करके डीएसआईआईडीसी और फ्लड ने काम कहां कहां अधूरे रहे और क्यों अधूरे रहे, इससे सदन को अवगत कराने का मैं प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्षः बस पूरक प्रश्न हो गये अब अगला प्रश्न श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान।

श्री वीरेन्द्र सिंह कादियानः माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–27 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने GSTINs पंजीकृत हैं;

(ख) दिल्ली में कितने फर्जी GSTINs चिह्नित किए गए हैं, वर्ष 2017 से बाद के आँकड़े दें;

(ग) फर्जी GSTINs को चिह्नित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है; और

(घ) 20 फरवरी 2025 के बाद से व्यापारियों को 'ट्रेड लाइसेंस' जारी करने व उनके नवीकरण करने तथा लालफीताशाही के कारण होने वाली रुकावटों और विलंब को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये, बैठिये आप, आप बैठिये, बैठिये। आप लगता है प्रश्न काल आप मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी आपके खिलाफ, मुझे माफी चाहूंगा मैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं अगर आप नहीं अगर सदन को चलने देना चाहते, रिप्लाई करिये आप। रिप्लाई करिये आप।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): आपको सरकार जवाब दे रही है।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये आप। बैठिये आप, बैठिये। आप प्रश्न काल को जारी नहीं रखने देना चाहते। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुमति लेकर बोलूंगा। अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुमति लेकर बोलूंगा। अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुमति चाहता हूं।

प्रश्न संख्या 27 का उत्तर:

(क) जीएसटी बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 19.03.2025 तक दिल्ली में पंजीकृत सक्रिय जीएसटीआईएन की संख्या निम्नानुसार है:

अधिकार क्षेत्र	सक्रिय करदाता
राज्य	4,95,896
केन्द्र	3,07,549
कुल	8,03,445

(ख) दिल्ली में अब तक 11,836 फर्जी जीएसटीआईएन की पहचान की गई है।

(ग) विभाग ने फर्जी जीएसटीआईएन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से फर्जी फर्म पहचान का अभियान क्रियान्वित।
2. आईटीसी के अवैध लाभ, जाली ई-वे बिल, ई-चालान आदि के संबंध में अन्य राज्यों के संदर्भ के माध्यम से पहचान।
3. विभागीय आतंरिक डेटा विश्लेषण और फर्जी फर्मों की पहचान जैसे शून्य इनपुट, एक से अधिक फर्मों के साथ एक ही बैंक खाता आदि।
4. मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को उनके व्यवसाय के स्थान के सत्यापन के लिए ऑनलाइन मॉडयूल के माध्यम से सूचना पत्र जारी किए जा

रहे हैं। करदाताओं का पता न लगने या स्वागत पत्र न मिलने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

5. जीएसटी के तहत पंजीकृत फर्जी/गैर-मौजूद फर्मों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

(घ) व्यापार एवं कर विभाग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का कार्य नहीं करता है।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्तता के कारण मैं जवाब देना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति है तो।

माननीय अध्यक्ष: हां आप जवाब दीजिये। विपक्ष को जवाब से कोई अर्थ नहीं है, राजनीति करनी हैं।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है दिल्ली में जो जीएसटीआईएन नंबर हमारे यहां पे रजिस्टर्ड हैं ये कुल 8,03,445 है।

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो हमारे मंत्री हैं उनको रिप्लाई के लिये आग्रह करता हूं। विपक्ष के सवाल पर भी विपक्ष अगर जवाब

नहीं चाहता तो बहुत ही दु:ख का विषय है। आप बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देखिये आप बैठिये, बैठिये आप।

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): देखिये अगर आपने रूल बुक पढ़ी है अगर आपने रूल बुक पढ़ी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है दिल्ली में कुल 8,03,445 जीएसटीआईएन नंबर रजिस्टर्ड हैं इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हैं ये 4,95,896 हैं और जो सीजीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं ये 3,07,549 हैं और ये जो प्रकिया रहती है जो भी जीएसटीआईएन को अप्लाई करता है तो ये उसमें रेंडमली उसको पिक करते हैं कोई उसमें सीजीएसटी में चला जाता है कोई उसमें एसजी एसटी में चला जाता है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितने फर्जी जीएसटीआईएन नंबर को अभी तक आईडेंटिफाई किया है ये लगभग जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टोरेट जनरल आफ एनलिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट इसके द्वारा 11,836 फर्जी जीएसटीआईएन की पहचान किया गया जो फ्राड थे, फर्जी थे। उसके बाद में कम्बाईड ड्राईव होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जब वो ड्राईव होती है उसके बाद में फील्ड वेरिफिकेशन होता है वो सारे पेपर्स की उनके कंप्यूटर की जांच होती

है। उसके बाद में पाया गया कि 8020 नंबर उसमें से एकदम फ्राड थे और उनको हटा दिया गया और उसके ऊपर में कार्रवाई भी होती है, उनका नंबर कैंसिल भी होता है।

और उसके बाद में जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि कोई इसमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है तो आजकल, ये आज से पहले परंपरा होती थी, अगर कोई भी आदमी अपना व्यापार करना चाहता है उसको कोई भी लाइसेंस, कोई भी आवश्यकता नहीं है लेने की और उसको केवल अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करना होता है अगर उसको जीएसटी नंबर मिल जाता है तो वो सीधा अपना व्यापार कर सकता है हालांकि अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसको एमसीडी का लाइसेंस लेना होता है या कोई पेट्रोलियम संबंधित अपना व्यापार करना चाहता है तो उसको फिर भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है इसके अलावा किसी भी व्यापार में, किसी भी, कोई भी trade व्यापार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष: कोई पूरक प्रश्न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेम चौहान।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं, बैठ जाइये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां जी।

माननीय अध्यक्षः अभी तक ये सप्लीमेंट्री हो रहा था क्या, शोर क्यों मचा रहे थे आप लोग, किसलिए शोर मचा रहे थे? प्रश्न आपके सदस्य का था और आप सब शोर मचा रहे थे, किसलिए? आप पूरक पूछेंगे या शोर मचाएंगे, आप बताइये ना, प्रश्नकाल में विपक्ष के ही सदस्य का प्रश्न है, मंत्री जी ने रिप्लाई कर दिया, उसके काउंटर में आपको मैं पूरक प्रश्न की इजाजत दे रहा हूं और आप शोर मचा रहे हैं, क्या मतलब चाह क्या रहे हैं आप?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या चाह रहे हैं आप?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या चीज?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे आपको मालूम है नियम कानून का, नियम कानून का मालूम है। आप तो 10 साल सत्ता में रहे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री समेत किसी को नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि आप प्रश्नकाल नहीं करवाते थे इसलिए आपको किसी नियम की जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं आपको, बैठिए आप। मैं आपको नियम क्लीयर कर देता हूं। अब मैं नियम को स्पष्ट कर देता हूं। मैं नियम स्पष्ट कर देता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण नियम 38 के अनुसार

क्योंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल में कुल प्रश्न 20 हैं और अभी हम 8वें प्रश्न पर भी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि विपक्ष बार-बार जो प्रश्नकाल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह के जबकि मंत्री सीधे तौर पर अपना रिप्लाई कर रहे हैं और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेता-विपक्ष की भूमिका भी बहुत गैर जिम्मेदार है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहीं हैं और उन्होंने भी प्रश्नकाल में रिप्लाई किए हैं। लेकिन देखिए नियम-38, रूल-38, ''मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन- विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे" लेकिन हम स्थगित नहीं कर रहें, वो किसी कारण से अगर आज उपस्थित नहीं हो पाई तो हम उसको स्थगित नहीं कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ता हूं, ''परंतु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे" और मैंने उनको इजाजत दे दी है। अब यहां सदन में मंत्री उपस्थित हैं, मंत्री जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, नियम कहता है कि अगर मंत्री, संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं तो अध्यक्ष नियमानुसार मंत्री को आप रिप्लाई करने की इजाजत देंगे, मैंने दे दी इजाज़त। प्रश्न जो आए हैं उनके उत्तर पहले से सुनिश्चित हैं, कोई spontaneous उत्तर नहीं हैं, लिखित उत्तर हैं जिसका विभाग ने यहां पर सब्मिशन किया है, रिप्लाई आ रहा है लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से इसको विषय बनाना नहीं चाहिए था और मैं, भविष्य में भी, बैठ जाइये आप, बैठ जाइये आप। मैं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये। बैठ जाइये। मैं भविष्य में भी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं भविष्य में भी कोई मंत्री किसी कारण से उपलब्ध नहीं होंगे तो मैं इसी तरह की इजाजत देता रहूंगा क्योंकि मेरा ध्येय है सदन में प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए और उन पर पूरक प्रश्न होने चाहिए इसलिए ये ऐसा नहीं है, पूर्व में प्रश्नकाल ही नहीं होता था, फिर उसके रिप्लाई नहीं आते थे, वो सब कुछ होता था यहां, मैं उसका गवाह हूं चश्मदीद, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमने भुगता है कि विपक्ष के प्रश्नों पर क्या होता था। लेकिन इसलिए आज भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं जो कुल 20 प्रश्न हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, 20 प्रश्न हैं और सदन की इच्छा ये है प्रश्नकाल पूरा चले बल्कि इसको और 10 मिनट ज्यादा दूंगा क्योंकि इसमें विपक्ष के प्रश्न ज्यादा हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं, 20 में से अब जो प्रश्न आने वाले हैं, वो हैं कादियान जी का, फिर प्रेम चौहान जी का, फिर प्रवेश रत्न जी का, फिर हरीश खुराना जी का, संजीव झा जी का, अनिल झा जी का, सुरेन्द्र कुमार जी का, जुबैर अहमद जी का और वीर सिंह धिंगान जी का। तो ये लाइन में विपक्ष के प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं प्रश्नकाल चले और यहां पर मंत्रीगण उत्तर दें, लेकिन विपक्ष की बड़ी अजीब स्थिति है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर से वो भाग रहे हैं। अब सदन तय करें, प्रश्नकाल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, आप बताइये, बताइये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो आप अपने किए पर माफी मांगेंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माफी मांगेंगी क्या?

...(व्यवधान)

सुश्री आतिशीः अगर आप कहेंगे तो...

माननीय अध्यक्षः हां, माफी मांगिए आप।

सुश्री आतिशीः मैं माफी...

माननीय अध्यक्षः आपने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया, मैंने नियम क्लीयर कर दिया, आप इसके लिए खेद प्रकट करिये। फिर मैं प्रश्नकाल को आगे चलाऊंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां, करिए खेद प्रकट, आप अपने खेद प्रकट करिए।

सुश्री आतिशीः लेकिन मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी...

माननीय अध्यक्षः चलिए अब आप बैठ जाइये। अभी देखिए अगर मंत्री उपलब्ध नहीं हैं तो क्या रिप्लाई नहीं लूं।

सुश्री आतिशीः आप मंत्रियों को भी कहिए कि वो मौजूद रहें, ये मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरा मैडम ये कहना है...

...(व्यवधान)

सुश्री आतिशीः सर, ये हो सकता हैं न आपका, अगर एक कान से ही आप सुनते हैं दूसरे कान से सुनते नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर

नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछें गए हैं तो उत्तर नहीं आने चाहिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप प्रश्न पूछते हैं, सदन में उपलब्ध नहीं हैं। आपके 3 सदस्य, देखिए, पहले मैंने...

...(व्यवधान)

सुश्री आतिशीः मंत्रियों को आना चाहिये कि नहीं आना चाहिये?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, आप ये बताइये,

...(व्यवधान)

सुश्री आतिशीः मंत्रियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिय?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यगण से कहना चाहता हूं आतिशी जी अपने प्रश्न पर उपलब्ध नहीं थीं, फिर पूर्व मंत्री-मुकेश कुमार अहलावत भी यहां उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न पूछकर आप उपलब्ध नहीं हो रहें। प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न होने के बाद भी दिलवाए जा रहे हैं तो आप कौन सी यहां पर परिपाटी चाहती हैं मुझे बता दीजिए, मैं वो करता हूं।

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष जी, मेरा बस आपसे एक आग्रह है, मैं बिल्कुल

सहमत हूं कि जिसने सवाल पूछा उसको मौजूद होना चाहिए... लेकिन जिस मंत्री को जवाब देना है उनको भी मौजूद होना चाहिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये मुझे तय करना हैं न। मैं नियम से ही सदन चला रहा हूं। मैं रूल-38, आपके पास अगर रूल बुक है आप पढ़ लीजिए। हमारा ध्येय है सदन में उत्तर आना, उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, मंत्री किसी कारण से अगर उपलब्ध नहीं होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पास-ओवर नहीं होगा, दूसरे मंत्री रिप्लाई करेंगे और मैं उनको अलाऊ करूंगा। पूरक प्रश्न भी अलाऊ करूंगा। अधिकारीगण यहां उपलब्ध हैं जिन्होंने उत्तर दिए हैं जिन विभागों के, कोई क्वेरी होगी तो सदन में ही मैं मंत्री जी को अलाऊ करूंगा, वो संबंधित विभाग के अधिकारी से और स्पष्टीकरण ले सकते हैं। लेकिन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, मुख्य ध्येय है उत्तर आना। और बड़ी हैरानी की बात है...

...(व्यवधान)

सुश्री आतिशीः हम आपसे सहमत हैं अध्यक्ष जी। हम आपसे सहमत हैं।

माननीय अध्यक्षः 20 में से 11 प्रश्न विपक्ष के हैं उसके बाद विपक्ष ने पिछले 45 मिनट में 30 मिनट हंगामा किया है। आगे बढ़िए। चलिए। श्री प्रेम चौहान।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा सप्लीमेंट्री।

माननीय अध्यक्षः किसमें सप्लीमेंट्री?

श्री जरनैल सिंहः इसी सवाल पर। इसी सवाल पर...

माननीय अध्यक्षः कादियान जी वाले में?

श्री जरनैल सिंहः हां जी, हां जी।

माननीय अध्यक्षः अभी उसको और चलाना है, करिए।

श्री जरनैल सिंहः सर, ये इसके 'ख' में जवाब दिया है- दिल्ली में अब तक 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर्स की पहचान की गई है, तो मेरा सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काफी सालों से सुनने में आ रहा था कि लोग फर्जी जीएसटी लेते हैं, वैट के झूठे बिल काटते हैं उनका क्लेम खड़ा रह जाता है, इन पर कार्रवाई क्या की गई है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी तक तो सारी कार्रवाई आपकी हैं न।

...(व्यवधान)

श्री जरनैल सिंहः मंत्री जी देंगे।

माननीय अध्यक्षः कार्रवाई तो सारी आपकी है जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आपके प्रश्न आपके...

...(व्यवधान)

श्री जरनैल सिंहः सर, उनके देने दो न सर।

माननीय अध्यक्षः आपकी सरकार के कार्यकाल के हैं। बताइये इन्हें। चलिए, चलिए।

श्री जरनैल सिंह: सर, उनको देने दो न सर। सब आप ही कर दोगे। फिर उनको क्या, वो क्या करेंगें? हद हो गई सर। ये तो बात...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: समय मत खराब करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिए, ठीक है। मंत्री जी।

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा, एक तो जब इस सदन में कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो किसी मंत्री के साथ-साथ में सरकार से पूछा जाता है। आपकी जो 10 साल सरकार रही, उसमें सरकार का एक ही मतलब था, वो था एक ही व्यक्ति, और उस व्यक्ति के पास में कोई भी विभाग नहीं था, न वो साइन करते थे,

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): ये मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पूछा। इसीलिए...

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): इसीलिए आपके नेता ने सबको जेल भेज दिया। वो आपसे साइन करवाता था और सबको जेल भेज दिया, मैं आपको बता रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): आपको जवाब सुनना ही नहीं है, जवाब सुनना ही नहीं है। आपको जवाब सुनना ही नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): हां, मैं बता रहा हू।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): आपको भाषण सुनना पड़ेगा। आप यहां पर इतना बकवास करते हैं आपको भाषण सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः रिप्लाई आने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी को रिप्लाई करने दीजिए। प्रश्नकाल में मंत्री जी रिप्लाई कर रहे हैं, आपके ही प्रश्न का। विपक्ष के ही प्रश्न का आंसर दे रहे हैं वो।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अध्यक्ष जी, टोटल 11,836, अरे सुन लो भैया।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): हां, बता रहा हूं मैडम।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अरे मैं बता रहा हूं मैडम, बता रहा हूं। बैठ जाइये, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): बैठ जाइये विपक्ष के नेता।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): पूरा आधा घंटा आपने खराब कर दिया यहां पर प्रश्नकाल का। आपने प्रश्नकाल का आधा घंटा खराब कर दिया। आधा घंटा खराब कर दिया आपने। आपने प्रश्नकाल का आधा घंटा खराब कर दिया और फिर भी ऐसे हंसते रहते हैं आप।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): आधा घंटा खराब कर दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): 11,836 फर्जी जीएसटी-आईएन नंबर की पहचान हुई हैं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये। रिप्लाई आने दीजिए।

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): और उसमें से 8020 को सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जो भी उनसे टैक्स की रिकवरी होगी उसकी कार्रवाई चल रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये आप, आपकी रिप्लाई कर दिया, बैठ जाइये। एक पूरक प्रश्न पूछिए। श्री प्रेम चौहान। एक सेकंड। प्रेम जी, एक मिनट बैठ जाइये, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। एक बात, एक मैं रूलिंग और दे देता हूं। जब मंत्री खड़े होंगे रिप्लाई करने के लिए, वो किसी भी समय खड़े हो सकते हैं, कभी भी चलते सदन में, सदन को रोककर के अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं हमेशा अलाऊ करूंगा। मंत्री जी अभी खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उनको उत्तर देने दीजिए और उसके बाद अगला प्रश्न होगा। करिए।

माननीय वित्त मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): 11,836 फर्जी जीएसटी-आईएन नंबर का पहचान हुआ और उसके बाद में फील्ड वेरीफिकेशन होता है, फील्ड वेरीफिकेशन में पता लगा 8020 ही फ्रॉड हैं बाकी फ्रॉड नहीं हैं। तो जो फ्रॉड नहीं थे वो चल रहे हैं, जो 8020 फ्रॉड थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये। श्री प्रेम चौहान।

श्री प्रेम चौहानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या-28 प्रस्तुत है।

क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं,

(ख) विगत दस वर्षों में अनाधिकृत कॉलोनियों में कितने किलोमीटर गलियों का निर्माण किया गया;

(ग) विगत दस वर्षों में अनाधिकृत कॉलोनियों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया; और

(घ) विगत दस वर्षों में अनाधिकृत कॉलोनियों में कितने किलोमीटर सीवर लाइनें डाली गईं?

और साथ ही अध्यक्ष जी पीछे से बहुत भद्दी गालियां दी जा रही हैं, बकवास और अजीब-अजीब तरह की चंदन चौधरी जी के माध्यम से ठीक नहीं है सर।

माननीय अध्यक्षः ये प्रश्न में तो नहीं लिखा न ये सब, जो बोल रहे हों आप।

श्री प्रेम चौहानः जी सर।

माननीय अध्यक्षः क्या मैं समझा नहीं मैं, मेरा ध्यान प्रश्न में था आपके।

श्री प्रेम चौहानः पीछे से कह रहे थे, तू बहुत बकवास करता है, चंदन जी बार-बार बोल रहे हैं तू बहुत बकवास कर रहा है, तेरे को बहुत खुजली हो रही है, ये संसदीय भाषा है क्या?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रेम चौहानः ठीक है सर। मैंने बता दिया, 28 नंबर, मेरा सवाल नंबर 28 है।

माननीय अध्यक्षः हां, ठीक है। प्रश्न नंबर 28,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपका प्रश्न में इंट्रस्ट नहीं है क्या?

श्री प्रेम चौहानः मेरा है सर, बट...

माननीय अध्यक्षः तो प्रश्न के साथ में प्रश्न खड़े कर दिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम चौहानः ठीक है सर अब बता दिया। कोई बात नहीं।

माननीय अध्यक्षः तो उन पर ध्यान दूं कि इस पर ध्यान दूं?

श्री प्रेम चौहानः ठीक है सर।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री आशीष सूद): आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर प्रस्तुत है: माननीय सदस्य श्री प्रेम चौहान जी ने दिल्ली में पिछले गत सालों में अनाधिकृत कालोनियों में कितने किलोमीटर सड़क है और कितने किलोमीटर पाइप लाइन डली, इसका जवाब हमने सदन के पटल पर रख दिया है, लिखित में उनको दिया गया है।

प्रश्न संख्या 28 का उत्तर:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिसूचना दिनांक 29.10.2019 के तहत 1797 अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं ।

(ख) और (ग) डीएसआईआईडीसी द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में पिछले 10 वर्षो में 1564.29 किलोमीटर गलियों/सड़कों का निर्माण किया गया ।

(घ) विगत दस वर्षो में अनाधिकृत कॉलोनियों में 3499.85 किलोमीटर सीवर लाइनें डाली गयी।

माननीय अध्यक्षः जी, पूरक प्रश्न, अजय महावर जी, फिर आप संजीव जी, फिर अनिल झा जी। एक मिनट पहले जिसका प्रश्न है उनको पूरक, पहला आपका प्रश्न है, पूरक आप पूछिए।

श्री प्रेम चौहानः अध्यक्ष जी, कृपया मंत्री महोदय जी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार बतायेंगे कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेतु कितना बजट आवंटित किया गया तथा उसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक कुल आवंटित बजट कितना था, जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुसार उपलब्ध करायें एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री आशीष सूद): लगता है माननीय सदस्य लिखते समय अपना अधूरा प्रश्न लिख पाए थे इसलिए दोबारा कागज पर लिखकर लाए हैं पूरक प्रश्न। मैं अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मैं बहुत ससम्मान उनको दे रहा हूं जानकारी, वित्त वर्ष में प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित हुआ, कितना खर्च हुआ, ये अभी उपलब्ध नहीं है, मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। इनको उपलब्ध कराया जायेगा मगर इनकी चिंता ज्यादा हो रही है। मैं यहां सदन के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सदन के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत जानकारी है कम्पैरीजन करने की माननीय सदस्य को कि इस वर्ष कितना आवंटित हुआ, पिछला कितना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, 1797 कॉलोनियों में 1,564 किलोमीटर सड़क बनी है 10 साल में चौहान साहब, 1797 कॉलोनी में 1500 किलोमीटर सड़क, एक किलोमीटर से भी कम सड़क 10 साल में बनी है एक कॉलोनी में और वो भी और 10 सालों में 3499 किलोमीटर सीवर लाइन डाली है, यानि एक कालोनी में 10 साल में केवल दो किलोमीटर लाइन डाली है, इसलिए इनको बहुत आभार है आपका, कहीं आतिशी जी सस्पेंशन का ऑर्डर ना निकाल दे आपका, सरकार खुलवा दी 10 साल की आपने, मैं कल खोलता आंकड़े के साथ, आपने आज ही सरकार के 10 साल के कपड़े उतरवा दिये। अनाधिकृत कॉलोनी में कितना काम हुआ, एक कॉलोनी में दस साल में एक किलोमीटर सड़क, बहुत ऐतिहासिक विकास करके गई आपकी सरकार।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब इसमें अजय महावर जी का पूरक प्रश्न। एक मिनट बैठ जाइये प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये जो सवाल है वो सवाल का जवाब मंत्री महोदय ने एक-एक लाइन में दे दिया, उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा, उसके स्पष्टीकरण में इतना समय सदन का लग रहा है, मेरा आपसे निवेदन है

कि इसको इतना विस्तार से, एक लाइन में जब इनको सब लम्बाई–चौड़ाई, खर्चा सब बता दिया।

माननीय अध्यक्षः बिल्कुल ठीक कहा।

श्री ओम प्रकाश शर्माः तो इसका विस्तार से सदन का समय खराब ना किया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। अजय महावर जी, अजय महावर जी पूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री अजय महावरः मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से पूरक प्रश्न के रूप में ये एक सवाल है कि इसमें जो अनोथराइजड कॉलोनी है इसकी क्या अन्य कैटेगिरी भी है, कई कैटेगिरियों में है, अगर कैटेगिरी है तो कितनी कैटेगिरी है। इसमें कुछ हिस्सा ओ–जोन में भी कटा है, तो उसकी संख्या कितनी है और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पिछले 10 वर्षों में कैटेगराइज्ड वाइज किसी में हुई है किसी में नहीं हुई उसका भी विवरण आदरणीय मंत्री जी उपलब्ध कराएंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय सदस्य मेरे पास अभी तुरंत आपने जो डिटेल विवरण कालोनियों के कैटेगराइजेशन और उनमें विकास कार्यों का, कैटेगरी वाइज मांगा है, उपलब्ध नहीं है, मैं बहुत शीघ्र आपको लिखित जवाब के रूप में ये उपलब्ध करा दूंगा।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय मैं तो पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने डीएसआईआईडीसी ने जो 1564 किलोमीटर काम किया

उसकी जानकारी दी, लेकिन मंत्री जी आपकी आधी अधूरी जानकारी थी। अनोथराइज्ड कालोनी में दो डिपार्टमेंट काम करता है, फल्ड इरीगेशन और डीएसआईआईडीसी, डीएसआइआईडीसी केवल 30 परसेंट जगह पर काम किया 70 परसेंट जगह पर फल्ड इरीगेशन काम किया है। अगर फल्ड इरीगेशन के काम को आप जोड़ लेते तो पूरी जानकारी मिल जाएगी कितनी सरकार हमारी काम किये है। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ और ये है कि अनोथराइज्ड कॉलोनी जो 1797 कॉलोनी है, उसके बहुत सारे पार्ट एक्सटेंड हो गए हैं और हर एक अनोथराइज कॉलोनी में सारे साथी सहमत होंगे 30 परसेंट, 40 परसेंट एक्सटेंड हो गए हैं, एक्सटेंडिड एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता जिसके कारण आधा डेव्लप होता है और आधे डूब जाते हैं। तो क्या कोई सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिसमें एक्सटेंडिड पार्ट जो है उसका भी विकास हो पाए ताकि वहां के रहने वाले लोग नरक का जीवन ना व्यतीत करें।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकार की क्या नीति थी, उनको क्या constraints थे इसके डेव्लप होने के लिए वो सरकार इसको क्यों डेव्लप नहीं कर पाई इसको समझकर ये एक नीतिगत सवाल है, सरकार अपनी नीति के संदर्भ में आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी क्योंकि पिछले वषों में क्या constraints थे इनकी जानकारी के आधार पर लेकर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

माननीय अध्यक्षः अनिल झा जी और फिर मनोज शौकिन जी।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी मंत्री जी का आभार के मंत्री जी ने किलोमीटर के हिसाब से हमें जानकारियाँ दी। मैं संजीव झा जी के प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि अनोथराइज्ड कॉलोनियों में डीएसआइआईडीसी,

फल्ड कंट्रोल डिपार्टमेंट उसके अलावा एमसीडी भी काम करती है और उसके अलावा जल बोर्ड जहां पर रेस्टोरेशन करती है तो वहां पर ये तीनों एजेंसियाँ काम नहीं करती है लेकिन एमसीडी को पिछले 15 वर्षो में जितनी कॉलोनियॉ दी गई उसके अंदर सर जी मैं बिल्कुल होशो–हवास में ये बयान दे रहा हूं यहां पर की 90 प्रतिशत कॉलोनियों में कार्पोरेशन ने लास्ट फिफ्टीन ईयर में अपना ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया ना काम किया है, एक। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अनोथराइज्ड कॉलोनियों में 1799 कॉलोनियॉ जो काम कर रही हैं, ऐसी कितनी कॉलोनियों में जहां पहले काम हो गए, जो पिछली सरकारें थी लेकिन मैप की डबलिंग के कारण से लगभग ऐसे मेरी जो जानकारी है 30 कॉलोनियॉ ऐसी हैं मैप की डबलिंग के कारण से वहां पर डेव्लपमेंट नहीं हो पा रही है, वहां आबादी पूरी है, वहां 75 प्रतिशत से आबादी पूरी हो गई है, वहां पर राशनकार्ड है, वहां बिजली के बिल है, वहां पानी के बिल हैं, वहां पर कमर्शियल चार्जिज लिए जा रहे हैं, लेकिन उन कॉलोनियों में डेव्लपमेंट नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं ऐसी कितनी कॉलोनियॉ हैं जहां पर मैप की डुयूवैल के कारण से, नासमझी के कारण जब एमसीडी में जहां आप 15 साल थे, उसकी नालायकी के कारण से, ये जो काम नहीं हुए उसका जिम्मेदार कौन है और कब तक काम हो जाएगा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट एक सैकंड, भई देखिये प्रश्न का अर्थ है प्रश्न पूछा जाए। मनोज शौकिन जी।

श्री मनोज शौकिन: धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न ही नहीं समझ में आया मेरे को। प्रश्न पूछो ना आप।

श्री अनिल झाः प्रश्न ही पूछा है ना।

माननीय अध्यक्षः क्या है बताइये।

श्री अनिल झाः एक गलती के कारण से जिन कॉलोनियों में काम नहीं हुआ है वो कब तक हो जाएगा और ऐसी कितनी कॉलोनियां है, ऐसा मंत्री जी बता दें।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी बड़ा गम्भीर सवाल पूछा मगर on the lighter side माननीय सदस्य ने कहा मैं आज होशो-हवास में बात कर रहा हूं जैसे बाकी सब बेहोशी में कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य ने कहा, on the lighter side माननीय सदस्य ने कहा जहां आप 15 साल से थे वहां आप भी थे, आपका परिवार भी था। खैर इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, वो मैप की डबलिंग के कारण ये सवाल तब भी हम उस समय भी सरकार से पूछते थे उस सरकार से जो 10 साल यहां थी, उसने क्यों नहीं कर पाये वो मैप की डबलिंग, क्यों समाप्त नहीं हुई हम बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे तथ्यों को खंगाल रहे हैं, उस समय भी जब 15 साल पहले आप इस तरफ थे तब भी ये जवाब नहीं था अभी जानकारी एकत्र करके आपको जरूर सूचित किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः मनोज शौकिन जी।

श्री मनोज शौकिनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने डबल मैपिंग वाला

एक क्वेश्चन पूछा उसी तरह से बहुत सारी कॉलोनियाँ जो ईएलडी के नाम से है। गांव में जब लाल डोरा बांटने की जगह नहीं बची और उसके साथ में बची हुई जो आबादी थी उसको ईएलडी माना गया, ईएलडी (एक्सटैंडिड लाल डोरा)। क्योंकि लालडोरा बढ़ा नहीं गांव का लेकिन साथ वाली जो कॉलोनी थी उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्री जी यहां पर आज हमारे माननीय सदस्य है। तो वो ईएलडी के अंदर कब तक काम होगा क्योंकि वहां काम नहीं हुआ है और उसकी काम करने की क्या योजना है अभी तक किसी ने नहीं बनाई तो बनाकर के उसके अंदर काम करना चाहिए ये मेरे क्वेश्चन है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय सदस्य के concern से आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत सहमत हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक्सटेंडिड लालडोरा, गांव, अनोथराइज्ड कॉलोनी के विकास के प्रति सरकार कमिटिड है। जो प्रश्न आपने उठाया है, उसमें गांव के विकास के लिए इस बार जो पैसा दिया गया है उसके संदर्भ में पूरी योजना करने के बाद, पूरी जानकारी और प्लान बनाने के बाद मैं आपको सिलसिलेवार गांव के हिसाब से रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

श्री मनोज शौकिनः अध्यक्ष जी एक सैकंड, एक सैकंड। क्योंकि विषय गम्भीर है और माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाए हैं मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये गांव से संबंधित नहीं है, उसको अनोथराइज्ड कॉलोनी के रूप में ही ईएलडी की एक लिस्ट बनाई गई और वो अनोथराइज्ड कॉलोनी के द्वारा ही यूडी के द्वारा जी उसमें काम होने हैं, हुए नहीं है। उसको सैपरेट कर दिया गया, उसको इसमें जोड़कर के काम करने की योजना बनाई जाए।

माननीय अध्यक्षः अब ये अंतिम पूरक प्रश्न है नेताजी राम सिंह का।

श्री राम सिंह नेताजीः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा मामला है। सब सदस्य जानते हैं, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो हमेशा अनोथराइज्ड कॉलोनी से जीतकर आते हैं। आप हर बार ये कहकर बात को खत्म ना करें कि 10 साल आपने क्या किया।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन करिये ना। नहीं नेताजी आप क्वेश्चन पूछिए आप।

श्री राम सिंह नेताजीः मेरा सिर्फ ये कहना है कि अनोथराइज्ड कॉलोनी में जो सीवर डलने हैं और काम होने हैं विकास के उसमें अब कितना समय लगेगा और कितने समय में ये काम चालू हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्षः कोई स्पेसेफिक बात पूछिए ना आप।

श्री राम सिंह नेताजीः मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः कितनी कॉलोनी में क्या मतलब है।

श्री राम सिंह नेताजीः मेरा कहना ये है कि अनोथराइज्ड कॉलोनी में, मतलब।

माननीय अध्यक्षः नहीं आप क्वेश्चन पूछिए ना। सीवर व्यवस्था पर प्रश्न है।

श्री राम सिंह नेताजीः मतलब सीवर का जो काम है वो कब तक शुरू हो पाएगा अनोथराइज कॉलोनी में ये मेरा कहना है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, ठीक, ठीक।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः हमारी सरकार अनोथराइज्ड कॉलोनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमने बजट में प्रावधान भी किए है, आपके स्पेसेफिक, आप सभी कॉलोनिज के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो हर कॉलोनी की एस्टीमेट बनने और उसके इम्प्लीमेंटशन का अलग-अलग प्रोसैस है, वो बहुत कोम्प्लीकेटिड जानकारी है, एकत्र करके आपको दूंगा। अगर किसी अनोथराइज्ड कॉलोनी के विषय में विशेष आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको अपनी विधानसभा की चाहिए वो तुरंत अतिशीघ्र मैं आपके पास भिजवाता हूं।

माननीय अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री प्रवेश रत्न। मैंने बोला था मैं, चूंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल काफी डिस्टर्ब किया था इसलिए मैं उसको थोड़ा कोम्पन्सेट करूंगा। ये भी प्रश्न विपक्ष का ही है। मैं हरीश खुराना जी का ये दो प्रश्न लेने के बाद प्रश्नकाल पूरा होगा। जी।

श्री प्रवेश रत्नः माननीय अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से प्रश्न संख्या 29 का उत्तर चाहूंगा।

(क) क्या पटेल नगर विधानसभा में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं? इसकी विस्तष्टत सूची सौंपे;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया, तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयों वार लिस्ट मुहैया करवाएं;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, लिस्ट मुहैया करवाएं;

(च) क्या शौचालयों की सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या शौचालयों की साफ-सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती हैं?

माननीय अध्यक्षः पहले प्रश्न का रिप्लाई तो आ जाये सवाल नम्बर 29 शहरी विकास मंत्री।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः पटेल नगर constituency के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री प्रवेश रत्न जी ने जो सवाल पूछे हैं उनका सिलसिलेवार जवाब सदन के पटल पर रखा गया है।

उत्तरः

(क) जी हाँ।

(ख) सूची संलग्न है (अनुलग्नक-क)

(ग) टेंडर 01.11.2023

वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, वाईपर, पोंछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी संबंधित खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशासी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) जी हाँ।

(ञ) लागू नहीं है।

(ट) शौचालयों की सफाई का फोटो जे.एस.सी.ऐप पर अपलोड किया जाता है।

अनुलग्नक (क)

List of JSC in AC 24 (Patel Nagar)

S.No.	jsc_id	division	location
1	24CJ1338	C10	Rajasthani Colony West Patel Nagar
2	24CJ1339	C10	Prem Nagar Gali No. 13 to 16
3	24CJ1340	C10	2262/5B Near Higher Secondary B/W Ranjit Nagar, Z-Block
4	24CJ1354	C10	T-10 Opposite F-Block Punjabi Basti Baljeet Nagar Site-I
5	24CJ1355	C10	T-10 Opposite F-Block Punjabi Basti Baljeet Nagar Site-II
6	24CJ1356	C10	Y 42 New Ranjit Nagar Munshi Ram Bagh
7	24CJ1373	C10	Prem Nagar near Patel Nagar Railway Station Opposite Latrins

24/03/2025
EO&CE

माननीय अध्यक्षः इस पर कोई पूरक प्रश्न आपका। हां जी कुलवंत राणा जी आपका पूरक प्रश्न।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष महोदय पटेल नगर के आधार पर डूसिब के द्वारा जो शौचालय बनाए गए है, क्या ऐसे शौचालय जो बहुत सारी विधानसभाएं हमारी जैसे रिठाला विधानसभा हैं, ऐसे शौचालयों की आवश्यकता है कि जो भविष्य में जो मुख्य सड़कें हैं या मुख्य बाजार हैं जहां शौचालयों की आवश्यकता है, उसका अभाव है। आम लोगों को परेशान होती है, तो भविष्य में क्या डूसिब के द्वारा या डूसिब का जो स्थान जो कॉलोनियां है, उनमें शौचालय बनाने की कोई योजना है मंत्री जी। और उन योजना के साथ उनकी सफाई की व्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी और जब सफाई नहीं हो पा रही उसके पीछे क्या कारण है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो डूसिब के जो नए टॉयलेट्स बनाने के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्षों में डूसिब के टॉयलेट्स की मेंटेनेंस का काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया उसके माध्यम से हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में जो मानक हैं, जो मानक सैनिटेशन मानक बनाए गए हैं प्रति व्यक्ति कितने लोगों के हिसाब से कितने टॉयलेट होने चाहिए। अभी आज हमारे पास 28 हजार टॉयलेट्स के संदर्भ में डूसिब में हम उसका मेंटेनेंस करते हैं, वो मानकों से कम है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस बजट में नए टॉयलेट के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जो कल के बजट भाषण में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। टॉयलेट्स के साथ-साथ इस बार सरकार, स्नानागृह भी माताओं-बहनों और बेटियों के लिए हमने बजट दिया, हमारी योजना

है, हमने उसके लिए व्यवस्था की है, बजटरी प्रावधान भी माननीय सदस्य किए गए है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं आपका हो गया। आप पूछना चाहते हैं पूरक प्रश्न, एक मिनट जिनका प्रश्न है उनको पूछने दीजिए।

श्री प्रवेश रत्नः मैं मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि अगर डूसिब के शौचालय हैं तो।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः नये टॉयलेट ही नहीं स्नानागृह भी बनाने की व्यवस्था की है। मैंने, अभी थोड़े ही ना बन जाएंगे। बजट पास हो गया, एकदम निकाल के थोड़े ही ना लग के देंगे।

माननीय अध्यक्षः प्रवेश रत्न जी आपका पूरक प्रश्न रहेगा, बाकी इसके बाद हरीश खुराना जी का प्रश्न लिया जाएगा।

श्री प्रवेश रत्नः मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं क्या जमीन उपलब्ध है और बनाने के लिए।

माननीय अध्यक्षः हां जी मंत्री जी। पटेल नगर के बारे में।

श्री प्रवेश रत्नः क्या जमीन उपलब्ध है और बनाने के लिए।

माननीय अध्यक्षः ये तो बड़ा वेग सा सवाल हो गया एक मिनट।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः नहीं नहीं मैं आपका कन्सर्न्ड आपके हां हां जानकारी उपलब्ध करके बताते हैं आपको।

माननीय अध्यक्षः अब हरीश खुराना जी। माननीय सदस्य हरीश खुराना जी।

...(व्यवधान)

श्री हरीश खुरानाः आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न संख्या–30 का जवाब चाहता हूं।

क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षो के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ख) विगत पाँच वर्षो में, शिक्षा क्षेत्र के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध कराएँ; और

(ग) विगत पाँच वर्षो में, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध कराएँ?

उत्तरः

(क) से (ग) संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार।[3]

माननीय अध्यक्षः ठीक है। एक सैकेंड मंत्री जी।

माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): माननीय अध्यक्ष जी अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कल जैसे सरकार का बजट आया एक लाख करोड़ रुपए का तो इससे पहले की जो

3. अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

सरकार रही 2024-25 का जो इन्होंने बजट निकाला 76 हजार करोड़ का जिसमें आरई इन्होंने 77,700 करोड़ बनाया है। मगर जो एक्चुअल एक्सपेन्डीचर था वो केवल 57 हजार करोड़ था। यानि की 20 हजार करोड़ रूपया इन्होंने कम खर्च किया। ऐसे ही जो ये बार बार बात करते थे हमने वर्ल्ड क्लास हैल्थ उसमें इन्होंने 2024-2025 में 8 हजार 685 करोड़ रूपया रखा था बी में आर.ई. में 8 हजार 918 करोड़ रूपये रखा और जो इनका एक्चुअल इन्होंने खर्च किया वो 6 हजार 815 रूपये यानि की 815 करोड़ यानि की 2100 करोड़ रूपया आपने हैल्थ पर कम खर्च किया और ऐसे ही एजूकेशन सैक्टर में जो ये दावा करते थे वर्ल्ड क्लास एजूकेशन मॉडल इन्होंने बनाया है उसमें जो इन्होंने आर.ई. बनाया था 16 हजार 711 का और एक्चुअल इन्होंने खर्च किया केवल 13 हजार 987 यानि 1900 करोड़ रूपये खर्च किए। ये दावा तो बड़ा-बड़ा करते थे अध्यक्ष जी मगर शिक्षा में, चिकित्सा में और जो इनका बजट था यानि कि इनको खुद भी नहीं पता था कि इनकी दिशा क्या है केवल बड़े-बड़े झूठ बोलकर और एक्चुअल जो खर्च करते थे वो बहुत ही कम खर्च करते थे तो ये है इनकी असलियत।

माननीय अध्यक्षः पूरक प्रश्न, विशेष रवि जी। बस ये लास्ट है। लास्ट है। ये बस एक ही पूरक प्रश्न एलाउड है।

श्री विशेष रविः सर हर साल बजट से या तो पहले या बजट के दिन जो है एक Economic Survey सर्वे जो है वो सदन के पटल पर आता था लेकिन इस साल जो है इकोनोमिक सर्वे जो है वो।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न काल समाप्त हुआ। प्रश्न करिए आप।

श्री विशेष रवि: बजट से जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं आप जो प्रश्न उनका जो प्रश्न है ना उसमें आप पूरक प्रश्न पूछिए भाषण मत दीजिए आप।

श्री विशेष रवि: बजट से जुड़ा हुआ तो है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए आप, सिंगल लाइन में प्रश्न पूछिए आप।

श्री विशेष रवि: एक सिंगल लाइन में पूछ रहा हूं सर कि इस वर्ष इकोनोमीक सर्वे सरकार ने क्यों नहीं रखा है।

माननीय अध्यक्ष: ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं इनके प्रश्न से,

श्री विशेष रवि: सर बजट की बात तो हो रही है।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये, बैठ जाइये आप, बैठ जाइये, अब प्रश्नकाल समाप्त।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. श्री राज करन खत्री: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी अनाधिकृत व अधिकृत कालोनियां हैं, संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) पिछले 5 वर्षों में अधिकतर कालोनियों में विकास कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने वाले विभागों के पास उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र की कितनी योजनाएं लंबित हैं तथा ये कब तक शुरू की जाएगी?

शहरी विकास मंत्री: (क) नरेला विधानसभा क्षेत्र में 64 अनाधिकृत कॉलोनियों हैं सूची 'क' पर संलग्न है।

अधिकृत कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती हैं। जो भारत सरकार के अन्तर्गत कार्य करती है। पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(ख) शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार डीएसआईआईडीसी नरेलीा विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करता है। डीएसआईआईडीसी ने अनुलग्नक 'ए' के अनुसार नरेला में विकास कार्य पूरे कर लिए हैं। बाकी विकास कार्यों की जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से ली जा सकती है।

(ग) पांच योजनाएं लंबित हैं जिसका विवरण अनुलग्नक 'बी' में संलग्न है। A/A & E/S मिलने के पश्चात यह योजनाएं लगभग 2 महीने की अवधि के अंदर शुरू की जाएंगी।

23. सुश्री आतिशीः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी विधानसभा में ड्यूसिब के शौचालय हैं;

अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, विस्तृत सूची प्रदान करें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालय वार सूची मुहैया करवायें;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिये किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, सूची मुहैया करवायें;

(च) क्या शौचालयों के साफ-सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या शौचालयों की साफ-सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींच कर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) 28 शौचालयों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-क)

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, हारपिक, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी संबंधित खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) जी हाँ।

(ञ) शौचालयों की सफाई का फोटो जेएससी ऐप पर अपलोड किया जाता है।

(ट) लागू नहीं है।

3/C अनुलग्नक (क)

List of JSC in AC-51 (Kalkaji)

S. No.	DIV.	AC NO.	LOCATION
1	C-06	51	Bhoomiheen Camp, Kalkaji ID-3362
2	C-06	51	Bhoomiheen Camp, Kalkaji
3	C-06	51	Bhoomiheen Camp, Kalkaji
4	C-06	51	Bhoomiheen Camp, Kalkaji ID-3279
5	C-06	51	Navjeevan Camp & J.L. Nehru Camp Govind Puri Kalkaji
6	C-06	51	Nehru Camp & Nav Jeevan Camp, Kalkaji ID-3357
7	C-06	51	Nehru Camp & Nav Jeevan Camp, Kalkaji ID-3357
8	C-06	51	Karpuri Thakur Jan Jeewan Camp, Sriniwaspuri ID-2167
9	C-06	51	Indira Gandhi Camp, T Market, Sriniwaspuri
10	C-06	51	Indira Gandhi Camp, T Market, Sriniwaspuri ID-3352
11	C-06	51	Gandhi Camp behind Okhla DTC Depot I
12	C-06	51	Gandhi Camp behind Okhla DTC Depot I
13	C-06	51	Gandhi Camp behind F/V Market, Okhla, Railway Station ID-3309
14	C-06	51	Gandhi Camp behind F/V Market, Okhla, Railway Station ID-3309
15	C-06	51	Ghandi Camp Okhla Behind DTC Depot-I,
16	C-06	51	Dayal Singh Colony near West Front Okhla ID-2416
17	C-06	51	Karpuri Thakur Jagjeewan Camp Shriniwas Puri
18	C-06	51	10 seater PF JSC at JJ basti Indira Camp Gurudwara Srinivas puri
19	C-06	51	JJ basti Indira Camp Gurudwara Srinivaspuri
20	C-06	51	Priya Camp, Mathura Road Opp. Sukhdev Vihar Depot
21	C-06	51	Priyanka Camp, Mathura Road Opp. Sukhdev Vihar Depot ID-3979
22	C-06	51	Indira Camp, Mathura Road Opp. Sukhdev Vihar Depot CRRI Mathura Road
23	C-06	51	Leprosy Camp Siriniwas Puri ID-2413
24	C-06	51	Sarvodya Camp near MCD School Kalkaji ID-3274
25	C-06	51	Sarvodya Camp near MCD School Kalkaji
26	C-06	51	Sudhar Camp Kalkaji Opp. BSES office
27	C-06	51	Sudhar Camp Kalkaji
28	C-06	51	Nehru Camp & Nav Jeevan Camp, Kalkaji

19/03/2025

EO to CE

24. श्री मुकेश कुमार अहलावतः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितने 'डेटा एंट्री ऑपरेटरों' को ओपीडी/आईपीडी स्टॉफ के रूप में नियुक्त किया गया है, विगत दस वर्षो के आँकड़े दें;

(ख) विगत दस वर्षो में उक्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन के लिए आवंटित तथा खर्च किए गए बजट की जानकारी दें;

(ग) क्या वर्ष 2021 के बाद कोई ऐसी समयावधि भी रही है, जिसमें इन डेटा एंट्री ऑपरेटरों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया;

(घ) 2021 के बाद से डेटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन जारी न किए जाने के लिए वित्त विभाग द्वारा क्या आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ की गई हैं, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव की टिप्पणियों से अवगत कराएँ;

(ङ) इस मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री की टिप्पणी क्या थी;

(च) क्या मौजूदा वित्त वर्ष में डेटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन हेतु राशि आवंटित की गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो कितनी और यदि नही ंतो उसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्रीः (क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों से प्राप्त जवाब के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ओपीडी/आईपीडी स्टाफ के रूप में 409 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) नियुक्त किए गए हैं।

(ख) वित्त विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन, विभाग के अन्य मदों से भुगतान किया जा रहा है।

पिछले 10 वर्षों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन पर लगभग 67,45,68,552/- रूपये (सड़सठ करोड़ पैंतालीस लाख अड़सठ हजार पांच सौ बावन) रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) दिल्ली सरकार के अस्पतालों से प्राप्त जवाब के अनुसार, निम्नलिखित अस्पतालों को छोड़कर सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समय-समय पर वेतन का भुगतानर किया जा रहा है:

1. दीप चंद बंधु अस्पताल
   (मई 2024 से दिसम्बर 2024)
2. डॉ हेडगेवार आरोग्य संस्थान
   (मई 2024 से अब तक)
3. जग प्रवेश चंद्र अस्पताल
4. (अप्रैली 2024 से सितम्बर 2024)
5. लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल
6. (जनवरी 2021 से सितम्बर 2022)
7. महर्षि वाल्मिकी अस्पताल
8. (सितम्बर 2022)

9. सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल
(सितम्बर 2024 से अब तक)

(घ) और (ङ) वित्त विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर के आधार पर संलग्नक-क, ख, ग, घ, ङ, च, छ (soft: copy in CD)

(च) नहीं।

(छ) वित्त विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतन के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन विभाग के अन्य मदों से भुगतान किया जाता रहा है।

31. श्री संजीव झा: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर 2022 से पहले भलस्वा लैंडफिल साइट पर कितने मीट्रिक टन कूड़ा था;

(ख) कितने मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन औसत अनुसार फेंका जा रहा था और कितने मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन नगर निगम के द्वारा किया जाता था;

(ग) दिसंबर 2022 से पहले इस भलस्वा लैंडफिल साइट पर कितने क्षेत्रफल और कितनी उंचाई पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिसंबर 2022 के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम द्वारा इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए नई योजना बनाई गई;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण दीजिए; और

(च) दिसंबर 2022 से जनवरी 2025 तक इस लैंडफिल साइट पर कितने मीट्रिक टन कूड़ा बचा हुआ था, कितने मीट्रिक टन कूडे का निस्तारण हो गया व अब रोजाना कितने मीट्रिक टन कूड़ा यहां फेका जा रहा है?

शहरी विकास मंत्री: (क) जुलाई 2022 में ड्रोन द्वारा किये गए आंकलन के अनुसार 73 लाख मीट्रिक टनर कूड़ा था।

(ख) जुलाई 2022 में लगभग 3000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन फेंका जा रहा था। लगभग 2000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निस्तारण किया जा रहा था।

(ग) दिसम्बर 2022 से पहले भलस्वा लैंडफिल साइट पर 70 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 65 मीटर उंचाई तक कूड़े के पहाड़ थे।

(घ) और (ङ) जी नहीं। भलस्वा से कूड़े का निस्तारण भारत सरकार की योजना "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(च) आंकलन के अनुसार दिसम्बर 2022 तक भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगभग 73 लाख मीट्रिक टन कूड़ा था। फरवरी 2025 के अंत तक भलस्वा लैंडफिल साइट पर 51 लाख मीट्रिक टन कूड़ा बचा हुआ था और अब लगभग 3000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज डाला जा रहा है।

32. श्री अनिल झा: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 5 वर्षों में किराड़ी क्षेत्र के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें लागू की गयी हैं, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) किराड़ी में बुनियादी ढांचे (सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज) को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने किराड़ी में जल भराव और खराब सड़कों की समस्या को हल करने के लिये कोई विशेष योजना चलाई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में किराड़ी के लिये क्या योजनायें बनाई गयी हैं और अब तक उनका कितना क्रियान्वयन हुआ है; और

(च) सरकार की कौन-कौन सी योजनायें किराड़ी क्षेत्र में पूरी तरह से सफल रहीं और किन योजनाओं को अब तक लागू नहीं किया जा सका, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) से (घ) शहरी विकास विभाग द्वारा किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में संलग्न "क" में विवरण दिये गये कार्य किये हैं तथा अनाधिकृत कॉलोनी में संलग्न "ख" में दिये गये कार्य किये गए हैं। इनकी आज की वस्तुस्थिति सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

किराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीरेज नेटवर्क उपलब्ध कराने/बिछाने की योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पांच वर्षों में लगभग 15 किलोमीटर क्षतिग्रस्त/गहरी पानी की लाइनों को बदला गया है जिससे लोगों को पानी सुचारु रूप से उपलब्ध कराया गया।

किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 104 अनाधिकृत और 3 गांवों में सीवरेज नेटवर्क बिछाने का कार्य प्रगति पर है। कार्य के दायरे में किराड़ी कॉलोनी समूह क्षेत्र के अनाधिकृत कॉलोनियों और गांवों के लिए 3 सीवरेज पंपिंग स्टेशनों के साथ 423.53 किलोमीटर की लंबाई में सीवरेज नेटवर्क बिछाना शामिल है। वर्तमान में, अब तक लगभग 307 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया जा चुका है और 3 एसपीएस का काम प्रगति पर है। पूरा काम मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) दिल्ली सरकार की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नया अस्पताल खोलने की योजना थी, हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अस्पताल वहां बनाया जाए या नहीं।

विधानसभा क्षेत्र किराड़ी में कुल 11 मोहल्ला क्लीनिक, 1 दिल्ली सरकार औषधालय एवं 05 सीड पीयूएचसी (प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र) कार्यरत है। सूची 'ग' संलग्न है।

किराड़ी क्षेत्र में 10 स्कूल अभी चल रहे हैं, 1 नई स्कूलील बिल्डिंग तैयार है जिसमें 2 पालियों में स्कूल सत्र 2025-2026 में प्रारंभ हो जाएंगे और 2 नई स्कूल बिल्डिंग निर्माणधीन हैं जिनमें 2 पालियों में स्कूल चलेंगे।

(च) यह एक विस्तृत प्रश्न है जिसके अन्तर्गत सभी विभाग से अवलोकन प्राप्त करने की जरूरत होगी। अत: योजना विभाग इसके बारे में कोई अध्ययन करवा सकती है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

33. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोकुलपुरी विधानसभा में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, इसकी विस्तृत सूची सौंपे;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयों वार सूची मुहैया करवाएं;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, सूची मुहैया करवाएं;

(च) क्या शौचालयों की सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या शौचालयों की साफ-सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) गोकुलपुरी विधानसभा में डूसिब का एक शौचालय है। सूची संलग्न है। (अनुलग्नक–क)

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी संबंधि खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) जी हाँ, फोटो खींचकर अपलोड की जाती है।

(ञ) लागू नहीं है।

(ट) शौचालयों की सफाई का फोटो जे.एस.सी.ऐप पर अपलोड किया जाता है।

List of JSC in AC 68 (Gokalpur)

S.No	jsc_id	Division	location
1	68CJ1132	C08	Block C Sanjay Camp Gokal Puri

20/03/2025

E.O to CE

34. चौधरी जुबैर अहमदः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीलमपुर विधानसभा में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं? इसकी विस्तृत सूची दें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया, तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयों वार सूची मुहैया करवाएं;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, सूची मुहैया करवाएं;

(च) क्या शौचालयों की सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या शौचालयों की साफ–सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती हैं?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) सीलमपुर विधानसभा में डूसिब के दो शौचालय है। सूची संलग्न है। (अनुलग्नक–क)

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी संबंधित खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) जी हाँ।

(ञ) लागू नहीं है।

(ट) शौचालयों की सफाई का फोटो जे.एस.सी. ऐप पर अपलोड किया जाता है।

अनुलग्नक (क) S/c

JSC under jurisdiction Division C-08				
S. No.	Name of JSC/Location	JSC code	WC	AC No.
16	CPJ Block New Seelampur	65CJ1130	30	65
20	Block 3/4 K, Brahpuri road New Seelampur	65CJ1131	36	65

20/03/2025
EO to CE

35. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, दिल्ली सरकार अपने बजट में दिल्ली के अनुसूचित जाति विभाग को भी कुछ धनराशि आवंटन करता है;

(ख) यदि हां, तो वित्त विभाग अनुसूचित जाति विभाग को प्रति वर्ष कुल कितना बजट आवंटित करता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है अनुसूचित जाति विभाग को दिये कुल बजट की आय-व्यय का ब्यौरा भी प्रति वर्ष लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति विभाग को कुल कितना (राशि) बजट दिया गया तथा प्रति वर्ष कुल कितना बजट अनुसूचित जाति पर खर्च किया गया?

मुख्यमंत्रीः (क) हाँ।

(ख) संलग्न अनुलग्नक 'बी' के अनुसार।

(ग) वित्त विभाग में आय से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं।

(घ) संलग्न अनुलग्नक 'बी' के अनुसार।

अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Starred Question No.:-35
Dated:- 26.03.2025
Question asked by: Shri Veer Singh Dhingan

Will the *Chief Minister/Minister* be pleased to state:

S.No.	Question	Reply
a	Whether it is true that the Finance Department of Govt. of NCT of Delhi also allocates some budget to the Department of Scheduled Caste in its budget;	Yes
b	If yes, how much budget Finance Department allocates to the Department of Scheduled Caste every year.	As per Annexure 'B' attached.
c	Is it also true that the detail of the income and expenditure of the total budget given to the department of Schedule Caste are also taken every year ; and	No information regarding income is available in Finance Department
d	If yes, how much budget was allocated and spent by the department in the last 5 years, provide year wise detail?	As per Annexure 'B' attached.

This issues with the approval of Minister Finance, Delhi.

Deputy Secretary
Finance Department

36. श्री कुलदीप सोलंकी: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूसिब के अनुसार दिल्ली में कितनी सूचीबद्ध/मान्यताप्राप्त झुग्गी बस्तियाँ हैं, सूची दें;

(ख) डूसिब के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्तियों की सूची प्रदान करें;

(ग) पालम विधानसभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षो में झुग्गी बस्तियों में कितनी राशि खर्च की गई है, संबंधित दस्तावेजों सहित परियोजनाओं का विवरण दें, यदि कोई परियोजनाएँ इस समय जारी हैं, तो उनकी भी जानकारी दें; और

(घ) पालम विधानसभा क्षेत्र झुग्गी बस्तियों के लिए आगामी वित्त वर्ष में कोई योजना प्रस्तावित है?

शहरी विकास मंत्री: (क) झुग्गी कलस्टर की सूची दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि माननीय विधायक जी को कोई असुविधा हो तो सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) डूसिब के अनुसार पालम विधान सभा क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्तियां इस प्रकार हैं:-

JJC Subji Mandi, Rajiv Gandhi Camp, Manglapuri phase-II.

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र में पाँच वर्षों में झुग्गी बस्तियों में रू. 4,53,290/- खर्च किये गये हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:-

Improvement of CC pavement and drains in JJ Cluster, Manglapuri, Palam.

इसका दस्तावेज संलग्न है। अनुलग्नक (क)

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र झुग्गी बस्ती के लिए आगामी वित्त वर्ष में प्रस्तावित योजना यह है:-

Improvement of CC pavement and drains at JJC Subji Mandi, Rajiv Gandhi Camp, Manglapuri JJ Cluster at Manglapuri, Palam.

3/18/25, 3:04 PM Award Letter 4/C अनुलग्नक (ख)

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, C01

RAJA GARDAN NEW DELHI DELHI .

NO.: **WA/4222/AL No. 43/EEC-1/2019-20 /D- 432** Dated :**28-08-2019**

To,

M/S FAIR DEAL CONST CO. (Prop. Surindra Singh)
50B, GOLDEN ENCLAVE RANAJI ENCLAVE
PT.-1 NEW DELHI-110043

Name of Scheme:	**Environmental Improvement in Urban Slums (Revenue)**
Sub Head:	**Improvement of CC Pavement and Drains in JJ Cluster Manglapuri, Palam (Project ID 000012208)**
Tender No.:	**2019_DUSIB_176950_1, NIT No. 52/EEC-1/DUSIB/2019-20**

Dear Sir(s),

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. **4,53,290/- (Four Lakh Fifty Three Thousand Two Hundred Ninty Only)** , which is **43.43% below** the estimated cost of Rs. **8,01,290/- (Eight Lakh One Thousand Two Hundred Ninty Only)** .

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. **22,665/- (Twenty Two Thousand Six Hundred Sixty Five Only)** within **7** days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause **1** of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus **60** days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender **60 days** shall be reckoned from **15** days after the date of issue of this letter.

EXECUTIVE ENGINEER, C01
DUSIB

Distribution

1. EE, C01
2. Concerned AE
3. AE (P)
4. AAO
5. Head Clerk / Cashier
6. Office Copy

19/03/2025
E.O & C.E

* Award letter for project id #12208, originally generated on 28/08/2019 at 04:46:04 pm from IP 59.178.55.207 by user #6

37. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1998, वर्ष 2003, वर्ष 2010, वर्ष 2020 तथा 2025 में शराब की कुल कितनी सरकारी और निजी अधिकृत दुकानें थीं;

(ख) वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में दिल्ली सरकार को आबकारी कर और वैट (VAT) के रूप में कुल कितना राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ग) उपरोक्त वर्षों में वर्षानुसार कितने करोड़ लीटर शराब बेची गयी;

(घ) क्या आवासीय कल्याण समितियों, क्षेत्रीय विधायकों एवं निगम पार्षदों के आपत्ति एवं विरोध के बावजूद उनके क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं;

(ङ) घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सरकारी शराब की दुकानें खुलने के क्या कारण है तथा उन दुकानों को स्थानांतरित करने या बंद करने के लिए क्या प्रावधान है; और

(च) नयी शराब नीति 2022 के तहत सरकार को एक लीटर शराब की बिक्री पर कितना आबकारी कर और वैट मिलता था और वर्तमान की शराब नीति के तहत एक लीटर शराब की बिक्री पर सरकार को कितना आबकारी कर और वैट मिलता है?

मुख्यमंत्री: (क)

1. नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन के मद्देनजर आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था के तहत सभी खुदरा दुकानें 16.11.2021 से बंद हो गई हैं।

2. 17.11.2021 से 31.08.2022 के दौरान नई आबकारी नीति लागू थी, जिसमें केवल निजी दुकानें ही चालू थीं।

3. 01.09.2022 से आज तक आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जिसमें केवलज सरकारी खुदरा दुकानों को ही काम करने की अनुमति है।

4. एल-6 दुकानों से संबंधित रिकॉर्ड को निर्वाचन क्षेत्र के बजाय लाइसेंस के अनुसार अनुक्रमित किया गया है। आज की तारीख में लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 एल-6 खुदरा शराब की दुकानें चालू हैं। (सूची संलग्न)।

(ख)

वित्त वर्ष	आबकारी कर (करोड़ में)
22-2021	5487.58
23-2022	5547.97
24-2023	5164.08
25-2024	28.02.2025 (5068.92 तक)

(ग)

वित्त वर्ष	शराब बिक्री (करोड़ लीटर में)
22-2021	19.22
23-2022	25.84
24-2023	21.27
25-2024	2024/12/31) 12.24 तक ESCIMS portal se (03/10/2024 se e-abkari पोर्टल से शराब बिक्री का डाटा एकत्र किया जा रहा है।

(घ) यह विभाग इस विभाग के पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/1997-2000 दिनांक 03..08.2022 (प्रतिलीपि संलग्न) और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 द्वारा बताई गई एल-6 दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार 04 निगमों से प्राप्त आवेदनों पर एल-6 बिक्री लाइसेंस जारी करता है।

(ङ) आबकारी विभाग को 04 नियमों (डीसीसीडब्ल्यूएस, डीएससीएससी, डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी) से एल-6 दुकानें खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस विभाग के पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/1997-2000 दिनांक 03.08.2022 के तहत एल-6 दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार है।

प्राप्त आवेदन को एल-6 दुकान खोलने के लिए प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति को भेजा जाता है, जिसे एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/1944-1949 दिनांक 02.08.2022 के तहत क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक और श्रम निरीक्षक को सदस्य के रूप में भेजा जाता है।

एसडीएम टीम से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह विभाग अपने पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/1997-2000 दिनांक 03.08.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत एल-6 ठेके खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार एल-6 ठेके का लाइसेंस जारी करता है।

आबकारी विभाग अपने परिपत्र संख्या एल-6(88)/एक्स/आईएमएफएल/2018-19/1643-1647 दिनांक 09.10.2020 के अनुसार शराब की खुदरा दुकानों के हस्तांतरण/स्थानांतरण की अनुमति देता है।

(च) जानकारी की प्रतिलिपि संलग्न है।

अनुपूरक जानकारी

आबकारी विभाग दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार दिल्ली में शराब की बिक्री को नियंत्रित करता है। दिल्ली में कोई डिस्टिलरी नहीं है, इसलिए आयात परमिट के जरिए दूसरे राज्यों से शराब आयात की जा रही है और विदेशी शराब को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परमिट के जरिए आयात किया जा रहा है।

वर्तमान आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था में, सभी खुदरा दुकानों का संचालन चार सरकारी निगमों यानी डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस द्वारा किया जा रहा है। खुदरा शराब की दुकानों की बिक्री के लिए लाइसेंस यानी एल-6, एल-8 और एल-10 दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जा रहे हैं। खुदरा शराब की दुकानों को खोलने और संचालन के लिए विभाग ने नियम और शर्तें संख्या एल-6/एक्स./आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम II/1997-2000 दिनांकित 03/08/2022 के माध्यम से जारी की थीं. लाइसेंसधारकों को उपरोक्त आदेश के तहत जारी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होता है। उक्त नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में विभाग दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार उचित कार्रवाई करता है। यह भी प्रस्तुत करना है कि पहले आबकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को निजी संस्थान के माध्यम से संचालित किया जाता था, अब यह प्रणाली एनआईसी द्वारा ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में आयात की जाने वाली सभी शराब पर एक अद्वितीय बारकोड होता है और विभाग के पास डिस्टिलरी से लेकर उपभोक्ताओं तक की पूरी तरह से निगरानी और पता लगाने की व्यवस्था है। खुदरा दुकानों पर सभी शराब बारकोड की स्कैनिंग के माध्यम से बेची जा रही है।

Laxmi Nagar Assembly Constituency Liquor vend shops

Sr No.	Corp Name	Vend ID	Name	Vend Address
1	DSCSC	5VVD	GURU NANAK PURA A65	A-65, GURU NANAK PURA, LAXMI NAGAR, DELHI-110092 , DELHI, DELHI
2	DSCSC	CV730	L10 METROPLEX EAST MALL, LAXMI NAGAR	SHOP NO. 1 TO 7, METRO PLEX EAST MALL DISTT. CENTR LAXMI NAGAR, DELHI, DELHI
3	DSCSC	CV887	LAXMI NAGAR, BLOCK-E	E-58/B, VIKAS MARG LAXMI NAGAR, DELHI, DELHI
4	DSCSC	CV984	DWARKA SEC-5	SHOP NO.G-1, G-2, RAJ LAXMI PLAZA, PLOT NO.15, MAIN MARKET, SECTOR-5, DWARKA , DELHI, DELHI
5	DTTDC	4LMC	LAXMI NAGAR COFFEE HOME	BASEMENT, LAXMINAGAR COFFEE HOME LAXMI NAGAR DISTT CENTRE , NEW DELHI, DELHI
6	DCCWS	7RAG	E-8,GROUND FLOOR,PANDAV NAGAR,L-6 (DCCWS)	SHOP NO. E-8, GROUND FLOOR,PANDAV NAGAR, PANDAV NAGAR, DELHI, DELHI
7	DSCSC	CV888	SHAKARPUR A115	A-115, MAIN VIKAS MARG SHAKARPUR, DELHI, DELHI
8	DSIIDC	1VMS2	UPADHAYA MARG	U-60, UPADHAY BLOCK, SHAKARPUR, DELHI , NEW DELHI, DELHI
9	DSIIDC	CV1000	ARUNA PARK SHAKARPUR	SHOP NO. R-19, ARUNA PARK SHAKARPUR DELHI, DELHI, DELHI
10	DSIIDC	CV962	SHAKAR PUR	SHOP NO. WA-117, WA BLOCK, GROUND FLOOR SHAKARPUR, DELHI, DELHI
11	DTTDC	4NAN	PANDAV NAGAR II	BUNGLOW PLOT NO.1 PANDAV NAGAR DELHI 110092 A-BLOCK, NEW ASHOK NAGAR, DELHI, DELHI
12	DTTDC	4RGH	SHAKARPUR, VIKAS MARG	SHOP NO. 434/113, SHAKARPUR,VEER SAVARKAR BLOCK, MAIN VIKAS MARG, , DELHI, DELHI
13	DTTDC	6SEK	GANESH NAGAR	C-117A, GANESH NAGAR, PANDAY NAGAR COMPLEX, DELHI-110092 , NEW DELHI, DELHI
14	DTTDC	CV750	SHAKAR PUR, LAXMI NAGAR METRO	U-68 GROUND FLOOR SHAKARPUR DELHI 110092, DELHI, DELHI
15	DTTDC	CV766	PANDAV NAGAR - III	53 PANDAV NAGAR GROUND FLOOR DELHI - 92. DELHI, DELHI
16	DSCSC	5MV	MANDAWALI	PLOT NO.8, PCP-VIII, LSC MANDAWALI FAZALPUR, I.P. , DELHI, DELHI

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
L- BLOCK , VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

F.No.L-6/EX./IMFL/2022-23/VOL-II/ 1997-2000 Date : 03/08/22

To,

1. The Managing Director (DTTDC) 19-A, DDA SCO Complex, Defence Colony, New Delhi- 110024	2. The Chairman-cum-Managing Director (DSCSC) Aapurti Bhawan, 7-9, Aaram Bagh, Paharganj, New Delhi.
3. The Managing Director (DSIIDC) Room No. G-08 & 11, Plot No. 74 A, DSIIDC Office Building, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024	4. The Executive Director (DCCWS) Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi-110015

Sub: Opening of Government Corporation liquor vends (L-6 vends) - reg.

Sir/Madam,

The Government has decided to revert to the Excise Duty based Policy regime w.e.f. 01/09/2022. The Government and its agencies (viz. DSIIDC, DSCSC, DTTDC, DCCWS), were sizeable players in the retail segment as well as public at large in the previous regime.

2. In this regard, please find enclosed herewith the Terms & Conditions for opening of L-6 vends alongwith the prescribed proforma for applying for opening of new L-6 vends.

3. You are requested to apply for grant of license in accordance with aforesaid Terms & Conditions on priority alongwith documents as mentioned in the proforma.

4. This issues with the prior approval of Commissioner (Excise).

Yours faithfully,

Encl: As above

Assistant Commissioner (IMFL)

TERMS AND CONDITINOS FOR THE GRANT OF LICENCE IN FORM L-6 RETAIL VEND OF INDIAN LIQUOR/FOREIGN LIQUOR IN PUBLIC SECTOR (SELECTED UNDERTAKING OF THE DELHI GOVERNMENT NAMELY DTTDC, DSIIDC, DSCSC AND DCCWS)

L-6 License for retail vends of Indian Liquor/Foreign Liquor are granted only to the selected undertakings of the Delhi Government namely DTTDC, DSIIDC, DSCSC and DCCWS. Any proposal in respect of premises for opening of a vend would come from these Corporations. As such, an individual who wants to give his premises on rent for opening of vend has to approach the corporations, which after looking into suitability of the premises apply to the Office of the Commissioner of Excise for grant of L-6 license in respect of the premises.

1. **ELIGIBILITY TO HOLD LICENCE**

   As per Rule 32(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, (hereinafter referred to as rules), L-6 Licence shall be granted to the retail vends in public sector to the Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time.

2. The vend premises should be in a pucca building with minimum floor area of 300 Sq. Ft. located in Local Shopping Centre (LSC)/Commercial premises.

   2.1 The proposed vend premises shall be inspected by the site inspection committee/team deputed by the Licensing Authority, comprising of Excise Officers which shall ascertain the suitability of the proposed premises for grant of licence as per the provisions under the Delhi Excise Rules, 2010.

   2.2 As per rule 51(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, no retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following namely :-

   (a) Major educational institutions;
   (b) Religious places;
   (c) Hospital with fifty beds and above:

   Provided that the condition mentioned in clause (C) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises"

   Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules.

   Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

Explanation I- For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II – For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III- The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

3. If the proposed premises meets the above requirement and found suitable and the grant of L-6 licence is approved, the concerned Corporation will require to deposit the prescribed licence fee before issue of licence.

4. Licence in Form L-6 for the licensing period shall be, *inter alia*, subject to the general conditions in Rules, 37, 50, 51 and 66 of the Delhi Excise Rules, 2010. The holders of L-6 licence shall abide by the provisions of the Delhi Excise Act, 2009, (hereinafter referred to as Act), the rules and orders issued thereunder, and any other law/rules in force in the National Capital Territory of Delhi relating to liquor.

   4.1 The applicant for L-6 licence should be in actual physical possession of a premises (hereinafter referred as "the proposed vend) measuring carpet area of 300 Sq. Feet and above, situated at LSC/Commercial premises duly approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc.

5. PROCEDURE TO APPLY

5.1 Applications in the prescribed form (Annexure-I) along with other relevant documents, for L-6 licence shall be made to the Deputy Commissioner (Excise), (hereinafter referred as "the Deputy Commissioner).

5.2 Applicant will submit the following documents along with the application :-

(a) Proof of lawful possession of the proposed premises i.e. ownership/lease/rental documents etc.

(b) An affidavit declaring that :-

(i) He is in actual physical possession of the premises for which he has made an application for grant of L-6 licence.

(ii) There is nothing adverse against the applicant as per the provisions of rule 23 of the Delhi Excise Rules, 2010.

5.3 A lay out plan of the area in which the shop is located , clearly showing the proposed premises/vend.

6. Information , as required in the application form, shall be furnished with complete details and enclosures, truly and faithfully, so as to enable smooth processing of the application. The applicant shall not be entitled to any relief or compensation on account of delay in the finalization of his case for grant of the licence.

6.1 The applicant , whose application is not complete in all respect, will be given 15 days time to remove the deficiencies failing which the application shall be rejected summarily without any further notice.

7. **GRANT OF LICENCE**

7.1 All the applications for the grant of L-6 licence shall be subject to the acceptance by the licensing authority, who may accept or reject any application without assigning any reason. The licensing authority shall be under no obligation to grant any licence for which application has been made.

7.2 If, on scrutiny, any application is found incomplete, vague, confusing or not as per the terms and conditions, the same shall be summarily rejected and the decision of the licensing authority shall be final.

8. **COMPLETION OF FORMALITIES**

8.1 Successful applicants shall be granted L-6 licences, for their respective proposed vends, subject to the completion of the following requirements within fifteen days from the date of approval of the licence :-

(a) Payment of licence fee as prescribed under the Delhi Excise Rules, 2010, by way of demand draft or by online mode of payment, in favour of the Deputy Commissioner, Delhi.

(b) The successful applicant shall submit a plan of interior design of the proposed shop ensuring the following points :-

i. The shop floor area has been designed to ensure the display of the various liquor brands along with necessary price indicators .

ii. The interiors of the shop have been so designed that the shop has proper painting, lighting , flooring and hygiene.

iii. All the corporations shall take necessary steps to ensure 100% scanning and shall take all necessary steps for layout improvement and put signages in a prescribed font/format, wherever required.

iv. There shall be specific colour coding for the specific corporation vends i.e. green colour for DTTDC, blue for DCCWS, grey for [illegible] and yellow for [illegible], so that they are easily identified visually.

v. The vend incharge and other employees will wear uniform with name plates according to the colour code mentioned above.

vi. They shall display the helpline number of the concerned Corporation headquarters and the Excise Control Room (011-23370262) and shall maintain hygiene in an around the vend.

vii. They will ensure that no open wiring and fittings are visible to the customers.

9. The licensed premises shall be duly insured against fire and natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for removal of defects in the building.

10. TRANSPORT PERMITS/RIGHT TO SELL LIQUOR

10.1.1 On completion of the above-referred requirement, the applicant shall be granted licence in Form L-6, which will entitle him to make retail sale, from the proposed vend, of those brands of Indian Liquor/Foreign Liquor which have been approved/registered by the Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi.

10.1.2 The holder of L-6 licence shall be bound to procure liquor from holders of L-1/L-1F licence, at the rate approved by the Department. Transport Permits to procure liquor from holders of L-1/L-1F licences shall be issued to the holders of L-6 licencee subject to payment of excise duty and other levies applicable under the Act and the Rules.

11. TIMING AND RETAIL PRICE

11.1 Government of National Capital Territory of Delhi has approved the policy of flexi-timings for retail trade of liquor in Delhi. L-6 liquor vends will be allowed to remain open from 10.00 am to 10 p.m.

11.2 Holders of L-6 licence shall be bound to sell liquor only at a price fixed by the Excise Commissioner for each brand, and mentioned on labels. Any

undercharging or overcharging shall be considered as violation of the terms and conditions and the licence shall be liable to be cancelled.

12. DRY DAYS

"Dry Days" as declared by the Government under Rules 52 of the Delhi Excise rules, 2010, shall be observed as "dry days". L-6 retail vends shall remain closed on all the "dry days". The holders of L-6 licences shall not be entitled to any compensation or relief due to any increase in the number of "dry days" beyond the normal number or due to change in the working hours of the retail vends during the course of the licensing period.

13. STOCK AND BOOKS OF ACCOUNTS

13.1 The holders of L-6 licence shall store only such number of brands of Indian Liquor/Foreign Liquor as may be approved by Deputy Commissioner.

13.2 The holders of L-6 licence shall maintain the books of accounts and sales statements in the prescribed proforma. He shall maintain true account for day to day, in ink, entering all figures in international numbers and other particulars in English or Hindi.

14. PAYMENTS

14.1 The licensee shall make all the payments to the Government in connection with the operation of his licence by way of bank draft or online mode approved by RBI, in the name of the Deputy Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

14.2 The licensee shall pay simple interest @ 12% per annum from the date next following the day on which any payment recoverable from him under section 29 of the Act becomes due to the Government until the date on which such payment is actually made or such amount is actually recovered, whatsoever may be the reason for the lapse of time before payment is made or recovery is affected.

14.3 The licensee shall not be entitled to any interest or any other relief or compensation on account of any delay in the payment of any amount to him by the Government.

15. BARCODE SYSTEM

15.1 For implementation of the Excise Supply Chain information Management System (ESCIMS), the standard operating procedures for barcode implementation shall be made available to all the licensees of the Department of Excise, Entertainment and Luxury Taxes of NCT of Delhi, who shall be required to procure, install and make

necessary provisions for IT and non IT infrastructure at his licensed premises as may be required for successful implementation of the Excise Supply Chain information Management System.

15.2 The holders of L-6 licence shall be bound to issue receipt/bill for each transaction of sale of liquor. The bill/receipt shall inter alia include:-

(i) name of the holder of the L-6 licence and address of the shop,

(ii) name and address of the customer,

(iii) date of sale,

(iv) names, quantity and batch no. of the brands sold.

16. RENEWAL

16.1 Normally, the Excise Year would be from 1st April to 31st March (see rule 21).

16.2 L-6 licence may be renewed at the sole discretion of the Licensing Authority subject to payment of such licence fee and compliance of such other conditions as may be prescribed from time to time.

17. PROHIBITION

17.1 In pursuance of the Directive Principles of the State Policy relating to Prohibition contained in Article 47 of the Constitution of India, Government of the National Capital Territory of Delhi may issue orders and directions from time to time and such orders and directions shall be Binding on the licensee and no compensation shall be payable on that account.

17.2 The licensee shall abide by the following prohibition measures, namely:-

(i) The licensee shall display a notice board prominently in front of the licensed premises declaring that "Drinking of liquor is injurious to health".

(ii) All persons employed by the licensee in the licensed premises shall be required to possess identity cards issued under the signatures of the authorized signatory and the employees shall be required to produce the identity card on demand by the Excise officer or any officer not below the rank of Sub-Inspector.

(iii) The licensee shall neither keep, distribute nor sell any advertisement material which is likely or intended to promote the sale or consumption of liquor. Eco-friendly carry-bags, however, can be used Subject to such advertising as not exhorting people to take to drinking.

(iv) No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to the programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (as amended from time to time) and The Cable Television Net Work Rules, 1996 (as amended from time to time.)

18. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

18.1 Other conditions and guidelines, as applicable to retail liquor vends, shall be adhered to in the case of L-6 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government from time to time.

18.2 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under section 29 of the Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by the licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation or relief on account of such refusal.

18.3 No outsourcing, whatsoever will be allowed in any form to the licensee.

18.4 In order to provide a wider choice to a customer for picking a brand of liquor, the department has initiated the idea self-services liquor vends. The self-serviced vends shall have such design and arrangements so that a customer does notrequire any aid and is not interfered while choosing a brand of his/her choice. The incentive for self-served vends may also include increasing the profit margin of such vends.

19. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-6 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer.

Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issuance of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

x.y

20. These terms & conditions, unless repugnant to be express provisions of the Delhi Excise Act, 2009, and the Rules made thereunder, shall be in addition to the said Act and the Rules, which are deemed to be incorporated in these terms & conditions as if they are expressly set out herein. Applicants are advised to access, read and understand the same before applying.

21. The Deputy Commissioner reserves the right to cancel or suspend any L-6 licence at will as per provision section 17 of the Act.

22. The Government reserves the right for a mid-term review of manner of levying duties/fees and amount of duties/fee etc. to be paid/payable in case any amendment is made to the Act, Rule or Law related to liquor & bonded warehouse in Delhi during the period of licence. Accordingly the changes if any shall be binding to all the L-6 licensees.

3/8/22

COMMISSIONER (EXCISE)

OFFICE OF THE COMMISSIONER, EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.L-6(88)/Ex/IMFL/2018-19/ 1643-1647 Dated : 09.10.2020

CIRCULAR

Sub: Transfer/shifting of retail liquor vends (L-6, L-7, L-8 & L-9).

The competent authority is pleased to allow transfer/shifting of L-6, L-7, L-8 & L-9 liquor vends, subject to the following guidelines/conditions:-

1. A transfer/shifting fee equal to the "Annual License Fee" for transfer/shifting of liquor vend from one location to another location shall be charged.
2. The application for transfer/shifting of liquor vend from one location to another location would be decided within a maximum period of 60 days from the date of receipt, subject to fulfillment of all norms/conditions.
3. A liquor vend allowed to be shifted once will not be allowed to shift at another location for the next two years i.e. there shall be a moratorium of two years for such vend (s).
4. The other terms & conditions and provisions under the Delhi Excise Act, 2009, and Rules framed thereunder, for grant/renewal/shifting of license(s) would remain unchanged, except to the extent as modified above.

Therefore, any interested Government Corporation may submit its application for shifting of any L-6/L-8 liquor vend and any interested L-7/L-9 licensee may submit its application for shifting from existing location to another location in the proforma enclosed as Annexure-A & B respectively.

(Sanjeev Kumar)
Dy. Commissioner (Excise)

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister, GNCT of Delhi.
2. PS to Secretary (Finance), GNCT of Delhi.
3. PPS to Commissioner (Excise), GNCT of Delhi.
4. Joint Director (IT), Excise Department – to place the above circular on the website of Excise Department.
5. AC (ESCIMS), Excise Department – to place the above circular on ESCIMS portal.

Dy. Commissioner (Excise)

(1) Indian Liquor and Foreign Liquor

(i) Indian Liquor (Whisky, Rum, Gin, Vodka, Brandy)—

Wholesale price (WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1.	Up to 24	[1][300 per cent.]
2.	Above 24 to 50	Duty for maximum WSP in slab 1 + [2][225 per cent.] of amount by which WSP exceeds Rs. 24.
3.	Above 50 to 250	Duty for maximum WSP in slab 2 + 80 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 50.
4.	Above 250 to 750	Duty for maximum WSP in slab 3 + 65 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 250.
5.	Above 750	Duty for maximum WSP in slab 4 + 30 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 750

(ii) Indian Wine and Liquor—

Wholesale price (WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1.	Up to 100	65 per cent.
2.	Above 100 to 250	Duty for maximum WSP in slab 1 + 40 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 100.
3.	Above 250	Duty for maximum WSP in slab 2 + 30 per cent of amount by which WSP exceeds Rs. 250.

(iii) Indian Beer, Cider and Alcopop—

Sl. No.	Category	Duty @ of wholesale price
[3][1.	Beer, Cider and Alcopop per quarts of 650 ml	150 per cent.]

1. Subs. by Notification No. F.10(4)/Fin.(Rev-I)/2012-13/DS III/453, dated 15th June, 2012, for "250 per cent." (w.e.f. 15-6-2012).
2. Subs. by Notification No. 10(1)/Fin.(Rev-I)/2014-15/ds VI/603, dated 17th June, 2014, for "170 per cent." (w.e.f. 17-6-2014).
3. Subs. by Notification No. 10(1)/Fin.(Rev-I)/2014-15/ds VI/603, dated 17th June, 2014, for serial No. (1), (2) and (3) (w.e.f. 17-6-2014). Serial No. (1), (2) and (3), before substitution, stood as under:

"1.	Beer, Cider and Alcopop containing 5 per cent. or less alcohol v/v having Maximum Retail Price (MRP) up to Rs. 100 per quarts of 650 ml	110 per cent.
2.	Beer, Cider and Alcopop containing more than 5 per cent. alcohol v/v but not exceeding 8 per cent. alcohol having Maximum Retail Price (MRP) up to Rs. 100 per quarts of 650 ml	120 per cent.
3.	Beer having Maximum Retail Price (MRP) more than Rs. 100 per quarts of 650 ml.	120 per cent.".

[1][4.	Beer manufactured and sold at microbrewery	Rs. 40/per bulk litre]

[2][Provided that the rate of duty payable in respect of Beer manufactured by Microbrewery shall be @ Rs. 15 per bulk litre.]

(iv) Foreign Liquor (Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy)—

Wholesale price (WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1.	Up to 1000	85 per cent.
2.	Above 1000	Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 1000.

(v) Foreign Liquor (Wine, Liqueur, Beer and Cider)—

Wholesale price (WSP) slab	Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees)	Duty @ of wholesale price
1.	Up to 1000	65 per cent.
2.	Above 1000	Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 per cent. of amount by which WSP exceeds Rs. 1000.

Provided that the amount of duty payable shall be subject to the provisions of rule 54 of the Delhi Excise Rules, 2010:

Provided further that the duty payable in respect of packings other than quarts *i.e.*, 750 ml/700 ml/650 ml as applicable, shall be levied proportionately.

[3][(2) **Country Liquor** – Duty @ 245% of Wholesale Price.]

(3) **Spirituous Preparations, including essence but other than Medicinal and Toilet preparations** – Duty @ 20% of Wholesale Price.

(4) **Bhang** – Duty @ Rs. 5 per Kilogram]

[4][(5) The duty to be levied on Delhi Medium Liquor (60 degrees) shall be 190 per cent. of the WSP.]

[5][**153. Rate of duty for consumption "on" the premises and for sale through Canteen Stores Department (CSD).**—(1) For consumption "on" the premises of Licences in Forms L-17, L-18, L-19, L-20, L-28, L-29, an additional duty at the rate of twenty per cent. of wholesale price over and above the duty prescribed for Indian Liquor as in Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act.

(2) For consumption "on" the premises of Licences in Forms L-15, L-16, L-21, an additional duty at the rate of thirty per cent. of wholesale price over and above

1. Ins. by Notification No. F.10(2)/Fin.(Rev-I)/2012-13/ds VI/472, dated 28th May, 2014 (w.e.f. 28-5-2014).
2. Ins. by Notification No. F.10(2)/Fin.(Rev-I)/2012-13/DS III/407, dated 16th May, 2012 (w.e.f. 16-5-2012).
3. Subs. by Notification No. 10(08)/Fin.(Rev-I)/2015-16/ds VI/465, dated 22nd June, 2015, for sub-rule (2) (w.e.f. 1-7-2015). Earlier sub-rule (2) was substituted by Notification No. 10(11)/Fin.(Rev-I)2013-14/ds VI/490, dated 2nd June, 2014 (w.e.f. 1-7-2014) by Notification No. F.10(1)/Fin.(Rev-I)/2013-14/DS VI/391, dated 17th May, 2013 (w.e.f. 17-5-2013). Sub-rule (2), before substitution by Notification No. 10(08)/Fin.(Rev-I)2015-16/ds VI/465, dated 22nd June, 2015, stood as under:
   "(2) **Country Liquor** – Duty @ 220% of Wholesale Price.".
4. Ins. by Notification No. F.10(1)/Fin.(Rev-I)/12-13/DS III/498, dated 4th July, 2012 (w.e.f. 4-7-2012).
5. Ins. by Notification No. F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/DS-II/247, dated 7th June, 2011 (w.e.f. 1-7-2011).

the duty prescribed for Indian Liquor as in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act.

(3) For sale of Indian Liquor and Foreign Liquor through the Canteen Stores Department (holders of licence in Form L-23/L-23F), the rate of duty shall be fifty per cent. of the rate of duty prescribed in clauses (i), (ii) and (iii) and seventy-five per cent. of the rate of duty mentioned in clauses (iv) and (v) of sub-rule (1) of rule 152.]

[1][**154. Rates of fee.**—The following shall be the rates of licence fee, label registration fee and other fees leviable in respect of excisable articles for various categories of licences—

(1) *Licence Fee for wholesale vend of Indian Liquor, wholesale vend of Foreign Liquor and wholesale vend of Country Liquor*—

(a) The license fee for the licenses in Form L-1, L-1F, L-3, L-31, L-32 and L-33 shall be prescribed in the terms and conditions approved by the Government for each year as provided under rule 34(1) of the Delhi Excise Rules, 2010.

(b) The licence fee for each additional sourcing for the approved brands of Indian Liquor shall be Rs. 5 Lacs per brand in addition to the prescribed licence fee.

(2) *Licence Fees for Other Category of Licences*—

Sl. Nos.	Reference of rule	Forms of Licence	Description of Licences	Annual Licence fee (in Rs)
1	2	3	4	5
1.	32(1)	L-2	Wholesale vend of Draught Beer	50,000
2.	32(1)	L-4	Wholesale vend of Rectified spirit	25,000
3.	32(1)	L-5	Wholesale vend of Denatured spirit including special denatured spirit	25,000
4.	32(1)	L-6	Retail vend of Indian Liquor in public sector	2,50,000
5.	32(1)	L-6FG	Retail vend of Foreign Liquor in public sector to the holders of licence in Form L-6.	Ten per cent. of licence fee applicable for L-6 licence
6.	32(1)	L-6FE	Retail vend of Foreign Liquor in public sector.	2,00,000
7.	32(1)	L-7	Retail vend of Indian Liquor in private sector	8,00,000
8.	32(1)	L-7FG	Retail vend of Foreign Liquor in private sector to the holders of licence in Form L-7.	Ten per cent. of licence fee applicable for L-7 licence
9.	32(1)	L-7FE	Retail vend of Foreign Liquor in private sector	6,00,000

1. Ins. by Notification No. F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/DS-II/247, dated 7th June, 2011 (w.e.f. 1-7-2011).

2021-22

4.2 Simplification and Rationalisation of liquor pricing including Excise Duty and VAT:

4.2.1. Since the entire Excise duty and VAT has been subsumed into the reserve license fee for retail vends, it is decided that Excise Duty and VAT shall be charged for better control and accounting by the Departments. Hence Excise Duty and VAT shall be charged at the rate of 1% each. However, the VAT for consumption "on" the premises (HCR sector) shall continue to be levied at the rate of 25%.

4.2.2 This will minimize the possibilities of siphoning or avoidance of VAT, Excise duty.

4.3 Sale through Canteen Stores Department (CSD)

At present, sale of Indian Liquor and Foreign Liquor through Canteen Stores Department (holders of License in Form L-23/L-23F) is given rebate of 50% of the Excise Duty on Indian Liquor and 25% on Foreign Liquor. Under the New Excise Policy, the Excise Duty is being substantially subsumed into license fee of Retail Vends. It is proposed that the supply of liquor to the defence personnel should continue seamless and in such a manner so that CSD Store are not burdened by such a heavy license fee as is being expected from the regular retail vends. Further, the GoM has recommended that the Excise duty shall be maintained approximately at the current rates and necessary amendment be made in the rules.

At present, the excise duty contribution from Sale through CSD for the year 2020-21 was 91.87 cr. **Accordingly, it is proposed that rate of Excise Duty for Indian and Foreign liquor shall be 65% of the Wholesale Price (WSP) on sale through Canteen Stores Department. At this proposed rates, the overall excise revenue from CSD shall remain at approximately the same level as in the previous years.** The change in duty will however lead to proportionate lower Excise duty levy in lower segment brands vis-à-vis the premium segment brands with the overall tax revenue remaining approximately the same. The prices of lower segment of liquor will come down due to rationalization of duty structure. However, the prices of premium liquor brands are likely to rise by proposed modification in duty structure.

4.4 Microbrewery:

The retail vend of beer manufactured by a microbrewery is granted license in form of L-11 and is granted for consumption "off" the premises to any independent restaurant as per approved terms and conditions. In regard to microbrewery, following terms and conditions shall also apply:

4.4.1 Draught beer shall be allowed to be taken away in bottles or 'growlers'.

4.4.2 Draught beer shall also be allowed to be served at permitted events which have the P-10, P-10E, P-11, P-13 permits. However, wherever draught beer is being served as a take away, clear signage and information will be need to put up about its short shelf life and the bottles will have to mention the expiry date clearly.

4.4.3 Micro-Brewery shall be allowed to supply to other bars and restaurants who have L-15, L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-28, L-29 & L-38 licenses.

Q39(a) Which liquor policy is currently applicable in Delhi, provide copy of that policy	**Ans.** As per Cabinet decision no. 3091 dated 31.07.2022, Government took the decision to revert to the excise duty-based policy (as was prevalent before 17.11.2021) w.e.f from 01 September, 2022 *i.e. Policy which was in force as on 16.11.2021.* Therefore, w.e.f. 01.09.2022 department reverted to policy which was in force as on 16.11.2021 i.e. policy of 2020-2021 was implemented. Accordingly, Terms & Conditions for year 2022-2023 were issued on 02.08.2022 by Excise Department for various licenses. And same policy/terms& conditions have been continued for the year 2023-2024 & 2024-2025. Hence, the current Excise Duty Based policy regime of 2020-21 (as on 16.11.2021) is currently applicable in Delhi. (copy placed opposite)

38. श्री जरनैल सिंह: क्या माननीय **निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा समय में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने वोटर हैं, विधानसभा वार विवरण दें;

(ख) किसी के नाम को मतदाता सूची से हटाने के लिए विभाग किस प्रक्रिया को अपनाता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये;

(ग) 1 जून 2024 से लेकर अभी तक प्रति विधानसभा कुल कितनी वोटिंग काटी गयी है, सभी का विस्तृत विवरण दिया जाये;

(घ) वोटर को उसके पते पर रहने के बावजूद भी बिना वजह या अन्य कारणों से वोट काटने से संबंधित विभाग को कितनी शिकायत मिली है, इसका भी विधानसभा वार विवरण दिया जाये;

(ङ) विभाग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए किन लोगों को काम पर लगाता है व उन्हें इसके बदले क्या तनख्वाह या भत्ता मिलता है, उसका विस्तृत विवरण दिया जाये;

(च) क्या विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स की जगह किसी परमानेंट स्टाफ को इस कार्य में लगाने की योजना बना रहा है; और

(छ) यदि हां, तो उसके बारे में जानकारी दी जाये?

निर्वाचन मंत्रीः (क) दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 तक दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,56,14,000 मतदाता पंजीकृत थे। विधानसभा क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-'ए' में संलग्न है।

(ख) दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपने कार्य करता है। स्थायी रूप से स्थानांतरित/मृत/एक से अधिक मतदाताअें को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिनांक 11.08.2023 के पत्र द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों की प्रति अनुलग्नक-'बी' के रूप में संलग्न है।

(ग) 1 जून, 2024 से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन-2025 तक हटाए गए मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-'सी' में संलग्न है।

(घ) दिल्ली के 11 चुनाव जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वोटों के कटने के संबंध में 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

एसी–8 मुंडका–01

एसी–11 नांगलोई जाट–07

एसी–29 तिलक नगर–02

एसी–38–दिल्ली कैंट–01

(ङ) जमीनी स्तर पर मतदाता सूची के सत्यापन का काम बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 13033 मतदान केंद्रों के लिए 13033 बीएलओ तैनात हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, लिपिक कर्मचारी आदि जैसे बीएलओ के रूप में तैनात हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलओ को 12000/– प्रति वर्ष पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

(च) बीएलओ कार्य के लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का कोई निर्देश नहीं है।

(छ) लागू नहीं।

39. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में कौन–सी शराब नीति लागू है, उस पॉलिसी की कॉपी प्रदान की जाए;

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ख) शराब की दुकान खोलने के लिए किस-किस विभाग से अनुमति एवं एनओसी लेनी पड़ती है;

(ग) क्या रिहाइशी इमारतों व घरों में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है;

(घ) एक विधानसभा व एक वार्ड में अधिकतम कितने शराब के ठेके खोले जा सकते हैं;

(ङ) एक मौहल्ले में 100 मीटर की दूरी के भीतर कितने शराब के ठेके खोले जा सकते हैं;

(च) क्या शराब का ठेका खोलने के लिए स्थानीय विधायक की एनओसी आवश्यक होती है;

(छ) यदि नहीं, तो यह एनओसी लेने की आवश्यकता कब से समाप्त की गई है;

(ज) शराब के ठेके पर क्रेता की उम्र जानने के लिए क्या मानक या मापदंड निर्धारित किए गए हैं और विक्रेता इस संदर्भ में कौन-कौन सी जानकारी क्रेता से प्राप्त करता है;

(झ) दिल्ली में कितनी जनसंख्या पर एक शराब के ठेके को खोलने का प्रावधान है;

(ञ) एक विधानसभा या एक वार्ड में शराब का ठेका खोलने के लिए जनसंख्या का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है;

(ट) आबकारी कमेटी का गठन कौन करता है, इसके सदस्य कौन-कौन होते हैं और उनका कार्यकाल कितने समय का होता है; और

(ठ) वर्तमान में कौन सी आबकारी कमेटी कार्यरत है इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका अध्यक्ष कौन है?

मुख्यमंत्री: (क) कैबिनेट निर्णय संख्या 3091 दिनांक 31.07.2022 के अनुसार, सरकार ने 01 सितंबर, 2022 के आबकारी शुल्क आधारित नीति (जैसा कि 17.11.2021 से पहले प्रचलित थी) पर वापस लौटने का निर्णय लिया, अर्थात नीति जो 16.11.2021 को लागू थी। इसलिए, 01.09.2022 से विभाग उस नीति पर वापस लौट गाया जो 16.11.2021 को लागू थी, अर्थात 2020-2021 की नीति लागू की गई। तदनुसार, आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के लिए वर्ष 2022-2023 के लिए नियम और शर्तें 02.08.2022 को जारी की गईं। और वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए समान नीति/नियम और शर्तें जारी रखी गई हैं। अतः वर्तमान में दिल्ली में 2020-21 की आबकारी शुल्क आधारित नीति व्यवस्था (16.11.2021 तक) लागू है। (प्रतिलिपि सामने रखी गई है)

(ख) यह विभाग 04 निगमों (डीसीसीडब्ल्यूएस, डीएससीएससी, डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी) से प्राप्त आवेदनों पर एल-6 विक्रय लाइसेंस जारी करता है, जो इस विभाग के पत्र संख्या एल-6/एक्स/आइएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/ 1997-2000 दिनांक 03.08.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 द्वारा बताई गई एल-8 विक्रय दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) आबकारी विभाग को 04 निगमों (डीसीसीडब्ल्यूएस, डीएससीएससी, डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी) से एल-6 दुकानें खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस विभाग के पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/बॉल्यूम-II

/1997-2000 दिनांक 03.08.2022 के तहत एल-6 दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार हैं।

प्राप्त आवेदन को एल-6 दुकान खोलने के लिए प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति को भेजा जाता है, जिसे एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/1944-1949 दिनांक 03.08.2022 के तहत क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक और श्रम निरीक्षक को सदस्य के रूप में भेजा जाता है।

एसडीएम टीम से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह विभाग अपने पत्र संख्या एल-6/एक्स/आईएमएफएल/2022-23/वॉल्यूम-II/1997-2000 दिनांक 03.08.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत एल-6 दुकानें खोलने की शर्तों और नियमों के अनुसार एल-6 दुकान लाइसेंस जारी करता है।

(ङ) शराब की दुकान खोलने के लिए ऐसा कोई मानदंड नहीं है।

(च) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(छ) प्रश्नर लागू नहीं होता।

(ज) विक्रेता कर्मचारी ग्राहक से आयु का कोई भी प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहते हैं, ताकि ग्राहक के रूप-रंग से उसकी आयु के बारे में संदेह होने पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक की आयु 25 वर्ष से अधिक है।

(झ) शराब की दुकान खोलने के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है।

(ञ) शराब की दुकान खोलने के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है।

(ट) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(ठ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
L- BLOCK , VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

F.No.L-6/EX./IMFL/2022-23/VOL-II/ 1997-2000 Date : 03/08/22

To,

1. The Managing Director (DTTDC) 19-A, DDA SCO Complex, Defence Colony, New Delhi- 110024	2. The Chairman-cum-Managing Director (DSCSC) Aapurti Bhawan, 7-9, Aaram Bagh, Paharganj, New Delhi.
3. The Managing Director (DSIIDC) Room No. G-08 & 11, Plot No. 74 A, DSIIDC Office Building, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024	4. The Executive Director (DCCWS) Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi-110015

Sub: Opening of Government Corporation liquor vends (L-6 vends) - reg.

Sir/Madam,

The Government has decided to revert to the Excise Duty based Policy regime w.e.f. 01/09/2022. The Government and its agencies (viz. DSIIDC, DSCSC, DTTDC, DCCWS), were sizeable players in the retail segment as well as public at large in the previous regime.

2. In this regard, please find enclosed herewith the Terms & Conditions for opening of L-6 vends alongwith the prescribed proforma for applying for opening of new L-6 vends.

3. You are requested to apply for grant of license in accordance with aforesaid Terms & Conditions on priority alongwith documents as mentioned in the proforma.

4. This issues with the prior approval of Commissioner (Excise).

Yours faithfully,

Encl: As above

Assistant Commissioner (IMFL)

***TERMS AND CONDITINOS FOR THE GRANT OF LICENCE IN FORM L-6 RETAIL VEND OF INDIAN LIQUOR/FOREIGN LIQUOR IN PUBLIC SECTOR (SELECTED UNDERTAKING OF THE DELHI GOVERNMENT NAMELY DTTDC, DSIIDC, DSCSC AND DCCWS)**

L-6 License for retail vends of Indian Liquor/Foreign Liquor are granted only to the selected undertakings of the Delhi Government namely DTTDC, DSIIDC, DSCSC and DCCWS. Any proposal in respect of premises for opening of a vend would come from these Corporations. As such, an individual who wants to give his premises on rent for opening of vend has to approach the corporations, which after looking into suitability of the premises apply to the Office of the Commissioner of Excise for grant of L-6 license in respect of the premises.

1. **ELIGIBILITY TO HOLD LICENCE**

   As per Rule 32(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, (hereinafter referred to as rules), L-6 Licence shall be granted to the retail vends in public sector to the Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time.

2. The vend premises should be in a pucca building with minimum floor area of 300 Sq. Ft. located in Local Shopping Centre (LSC)/Commercial premises.

2.1 The proposed vend premises shall be inspected by the site inspection committee/team deputed by the Licensing Authority, comprising of Excise Officers which shall ascertain the suitability of the proposed premises for grant of licence as per the provisions under the Delhi Excise Rules, 2010.

2.2 As per rule 51(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, no retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following namely :-

(a) Major educational institutions;
(b) Religious places;
(c) Hospital with fifty beds and above:

Provided that the condition mentioned in clause (C) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises"

Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules.

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

Explanation I- For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II – For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III- The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

3. If the proposed premises meets the above requirement and found suitable and the grant of L-6 licence is approved, the concerned Corporation will require to deposit the prescribed licence fee before issue of licence.

4. Licence in Form L-6 for the licensing period shall be, *inter alia*, subject to the general conditions in Rules, 37, 50, 51 and 66 of the Delhi Excise Rules, 2010. The holders of L-6 licence shall abide by the provisions of the Delhi Excise Act, 2009, (hereinafter referred to as Act), the rules and orders issued thereunder, and any other law/rules in force in the National Capital Territory of Delhi relating to liquor.

4.1 The applicant for L-6 licence should be in actual physical possession of a premises (hereinafter referred as "the proposed vend) measuring carpet area of 300 Sq. Feet and above, situated at LSC/Commercial premises duly approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc.

5. **PROCEDURE TO APPLY**

5.1 Applications in the prescribed form (Annexure-I) along with other relevant documents, for L-6 licence shall be made to the Deputy Commissioner (Excise), (hereinafter referred as "the Deputy Commissioner).

5.2 Applicant will submit the following documents along with the application :-

(a) Proof of lawful possession of the proposed premises i.e. ownership/lease/rental documents etc.

(b) An affidavit declaring that :-

(i) He is in actual physical possession of the premises for which he has made an application for grant of L-6 licence.

(ii) There is nothing adverse against the applicant as per the provisions of rule 23 of the Delhi Excise Rules, 2010.

5.3 A lay out plan of the area in which the shop is located , clearly showing the proposed premises/vend.

6. Information , as required in the application form, shall be furnished with complete details and enclosures, truly and faithfully, so as to enable smooth processing of the application. The applicant shall not be entitled to any relief or compensation on account of delay in the finalization of his case for grant of the licence.

6.1 The applicant , whose application is not complete in all respect, will be given 15 days time to remove the deficiencies failing which the application shall be rejected summarily without any further notice.

7. GRANT OF LICENCE

7.1 All the applications for the grant of L-6 licence shall be subject to the acceptance by the licensing authority, who may accept or reject any application without assigning any reason. The licensing authority shall be under no obligation to grant any licence for which application has been made.

7.2 If, on scrutiny, any application is found incomplete, vague, confusing or not as per the terms and conditions, the same shall be summarily rejected and the decision of the licensing authority shall be final.

8. COMPLETION OF FORMALITIES

8.1 Successful applicants shall be granted L-6 licences, for their respective proposed vends, subject to the completion of the following requirements within fifteen days from the date of approval of the licence :-

(a) Payment of licence fee as prescribed under the Delhi Excise Rules, 2010, by way of demand draft or by online mode of payment, in favour of the Deputy Commissioner, Delhi.

(b) The successful applicant shall submit a plan of interior design of the proposed shop ensuring the following points :-

i. The shop floor area has been designed to ensure the display of the various liquor brands along with necessary price indicators .

ii. The interiors of the shop have been so designed that the shop has proper painting, lighting , flooring and hygiene.

iii. All the corporations shall take necessary steps to ensure 100% scanning and shall take all necessary steps for layout improvement and put signages in a prescribed font/format, wherever required.

iv. There shall be specific colour coding for the specific corporation vends i.e. green colour for DTTDC, blue for DCCWS, grey for [illegible] and yellow for , so that they are easily identified visually.

v. The vend incharge and other employees will wear uniform with name plates according to the colour code mentioned above.

vi. They shall display the helpline number of the concerned Corporation headquarters and the Excise Control Room (011-23370262) and shall maintain hygiene in an around the vend.

vii. They will ensure that no open wiring and fittings are visible to the customers.

9. The licensed premises shall be duly insured against fire and natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for removal of defects in the building.

10. TRANSPORT PERMITS/RIGHT TO SELL LIQUOR

10.1.1 On completion of the above-referred requirement, the applicant shall be granted licence in Form L-6, which will entitle him to make retail sale, from the proposed vend, of those brands of Indian Liquor/Foreign Liquor which have been approved/registered by the Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi.

10.1.2 The holder of L-6 licence shall be bound to procure liquor from holders of L-1/L-1F licence, at the rate approved by the Department. Transport Permits to procure liquor from holders of L-1/L-1F licences shall be issued to the holders of L-6 licencee subject to payment of excise duty and other levies applicable under the Act and the Rules.

11. TIMING AND RETAIL PRICE

11.1 Government of National Capital Territory of Delhi has approved the policy of flexi-timings for retail trade of liquor in Delhi. L-6 liquor vends will be allowed to remain open from 10.00 am to 10 p.m.

11.2 Holders of L-6 licence shall be bound to sell liquor only at a price fixed by the Excise Commissioner for each brand, and mentioned on labels. Any

undercharging or overcharging shall be considered as violation of the terms and conditions and the licence shall be liable to be cancelled.

12. DRY DAYS

"Dry Days" as declared by the Government under Rules 52 of the Delhi Excise rules, 2010, shall be observed as "dry days". L-6 retail vends shall remain closed on all the "dry days". The holders of L-6 licences shall not be entitled to any compensation or relief due to any increase in the number of "dry days" beyond the normal number or due to change in the working hours of the retail vends during the course of the licensing period.

13. STOCK AND BOOKS OF ACCOUNTS

13.1 The holders of L-6 licence shall store only such number of brands of Indian Liquor/Foreign Liquor as may be approved by Deputy Commissioner.

13.2 The holders of L-6 licence shall maintain the books of accounts and sales statements in the prescribed proforma. He shall maintain true account for day to day, in ink, entering all figures in international numbers and other particulars in English or Hindi.

14. PAYMENTS

14.1 The licensee shall make all the payments to the Government in connection with the operation of his licence by way of bank draft or online mode approved by RBI, in the name of the Deputy Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

14.2 The licensee shall pay simple interest @ 12% per annum from the date next following the day on which any payment recoverable from him under section 29 of the Act becomes due to the Government until the date on which such payment is actually made or such amount is actually recovered, whatsoever may be the reason for the lapse of time before payment is made or recovery is affected.

14.3 The licensee shall not be entitled to any interest or any other relief or compensation on account of any delay in the payment of any amount to him by the Government.

15. BARCODE SYSTEM

15.1 For implementation of the Excise Supply Chain information Management System (ESCIMS), the standard operating procedures for barcode implementation shall be made available to all the licensees of the Department of Excise, Entertainment and Luxury Taxes of NCT of Delhi, who shall be required to procure, install and make

necessary provisions for IT and non IT infrastructure at his licensed premises as may be required for successful implementation of the Excise Supply Chain information Management System.

15.2 The holders of L-6 licence shall be bound to issue receipt/bill for each transaction of sale of liquor. The bill/receipt shall inter alia include:-

(i) name of the holder of the L-6 licence and address of the shop,

(ii) name and address of the customer,

(iii) date of sale,

(iv) names, quantity and batch no. of the brands sold.

16. RENEWAL

16.1 Normally, the Excise Year would be from 1st April to 31st March (see rule 21).

16.2 L-6 licence may be renewed at the sole discretion of the Licensing Authority subject to payment of such licence fee and compliance of such other conditions as may be prescribed from time to time.

17. PROHIBITION

17.1 In pursuance of the Directive Principles of the State Policy relating to Prohibition contained in Article 47 of the Constitution of India, Government of the National Capital Territory of Delhi may issue orders and directions from time to time and such orders and directions shall be Binding on the licensee and no compensation shall be payable on that account.

17.2 The licensee shall abide by the following prohibition measures, namely:-

(i) The licensee shall display a notice board prominently in front of the licensed premises declaring that "Drinking of liquor is injurious to health".

(ii) All persons employed by the licensee in the licensed premises shall be required to possess identity cards issued under the signatures of the authorized signatory and the employees shall be required to produce the identity card on demand by the Excise officer or any officer not below the rank of Sub-Inspector.

(iii) The licensee shall neither keep, distribute nor sell any advertisement material which is likely or intended to promote the sale or consumption of liquor. Eco-friendly carry-bags, however, can be used Subject to such advertising as not exhorting people to take to drinking.

५.४

(iv) No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to the programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (as amended from time to time) and The Cable Television Net Work Rules, 1996 (as amended from time to time.)

18. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

18.1 Other conditions and guidelines, as applicable to retail liquor vends, shall be adhered to in the case of L-6 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government from time to time.

18.2 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under section 29 of the Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by the licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation or relief on account of such refusal.

18.3 No outsourcing, whatsoever will be allowed in any form to the licensee.

18.4 In order to provide a wider choice to a customer for picking a brand of liquor, the department has initiated the idea self-services liquor vends. The self-serviced vends shall have such design and arrangements so that a customer does notrequire any aid and is not interfered while choosing a brand of his/her choice. The incentive for self-served vends may also include increasing the profit margin of such vends.

19. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-6 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer.

Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issuance of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

(iv) No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to the programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 *(as amended from time to time)* and The Cable Television Net Work Rules, 1996 *(as amended from time to time.)*

18. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

18.1 Other conditions and guidelines, as applicable to retail liquor vends, shall be adhered to in the case of L-6 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government from time to time.

18.2 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under section 29 of the Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by the licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation or relief on account of such refusal.

18.3 No outsourcing, whatsoever will be allowed in any form to the licensee.

18.4 In order to provide a wider choice to a customer for picking a brand of liquor, the department has initiated the idea self-services liquor vends. The self-serviced vends shall have such design and arrangements so that a customer does notrequire any aid and is not interfered while choosing a brand of his/her choice. The incentive for self-served vends may also include increasing the profit margin of such vends.

19. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-6 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer.

Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issuance of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

ਮ.ਨ

20. These terms & conditions, unless repugnant to be express provisions of the Delhi Excise Act, 2009, and the Rules made thereunder, shall be in addition to the said Act and the Rules, which are deemed to be incorporated in these terms & conditions as if they are expressly set out herein. Applicants are advised to access, read and understand the same before applying.

21. The Deputy Commissioner reserves the right to cancel or suspend any L-6 licence at will as per provision section 17 of the Act.

22. The Government reserves the right for a mid-term review of manner of levying duties/fees and amount of duties/fee etc. to be paid/payable in case any amendment is made to the Act, Rule or Law related to liquor & bonded warehouse in Delhi during the period of licence. Accordingly the changes if any shall be binding to all the L-6 licensees.

3/8/22

COMMISSIONER (EXCISE)

40. श्री सोम दत्तः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में दिल्ली में कितनी 'स्ट्रीट लाइटें' लगाई गई हैं, वर्षवार विवरण दें;

(ख) मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत बजट आवंटन का वर्षवार विवरण दें; और

(ग) मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत खर्च किए गए बजट का वर्षवार विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) सरकार के पास दस वर्षों में कितनी स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। परन्तु मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना 2019 से शुरू हुई जिसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाने का भी प्रावधान है, जिसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	स्ट्रीट लाइट्स की संख्या
2019-20	59723
2020-21	28722
2021-22	43334
2022-23	1407
2023-24	0
2024-25	27242

(ख) और (ग) इस तरह की कोई योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

67. श्री हरीश खुरानाः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र (एसी-25) के लिए एमएलए लैड निधि में आवंटित कुल राशि कितनी है;

(ख) आज की तिथि में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एमएलए लैड निधि में शेष राशि कितनी है; और

(ग) पिछले एक वर्ष में एमएलए लैड निधि से किए गए, (पूरे हो चुके अथवा चल रहे) कार्यों का विवरण तथा कार्यान्वयन एजेंसी का नाम बताएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) विधायक निधि योजना के तहत मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए पिछले 5 वर्षों में आवंटित फंड का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फंड
2020-21	Nil (COVID-19 के कारण नया फंड जारी नहीं किया गया)
2021-22	Rs. 4 Crore
2022-23	Rs. 4 Crore
2023-24	Rs. 7 Crore
2024-25	Rs. 15 Crore

(ख) विधानसभा के समापन पर विधायक निधि की बची हुई आवंटित राशि समाप्त हो जाती है और अब आठवीं विधानसभा में वर्ष 2025-2026 में विधायक निधि के लिए आवंटन राशि का निर्धारण बजट के आधार पर होगा।

(ग) पिछले 1 वर्ष में विधायक निधि योजना से किए गए स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (Annexure-A)

Annexure - 'A'

Data of AC-25 (Moti Nagar) of During the 2024-2025

Sr No	Name of Work	Name of Agency	Revised Estimate Amount (Rs. In Lakh)	Status	Year
1	Improvement/Development of staircase passage by pdg. MS gate near 2/24 Phase-III new Moti nagar, A-137, A-92, B-191, B-210 & C-106 Karampura in ward-89/KPZ	North DMC	4.62	Sanction Issued	2024-25
2	Improvement/Development of walkway in the park opp. C-23, C-Block new Moti nagar ward-89/KBZ	North DMC	12	Sanction Issued	2024-25
3	Improvement/Development of walkway in the park near TC-3/1 in TC-Block New Moti Nagar ward-89/KBZ	North DMC	13.84	Sanction Issued	2024-25
4	Improvement of lane by pdg. RMC from B1/165 to B1/207 new Moti nagar in Karampura W-89/KBZ	North DMC	15.08	Sanction Issued	2024-25
5	Improvement /Strengthening of road by Dense carpeting from B-239 to G-143 Karampura and C-1 to D-35 (Post office Road) in Karampura ward-89/KBZ.	North DMC	66.74	Sanction Issued	2024-25
6	Improvement/ Development of staircase passage by pdg. MS Gate Between B-1/55 & B-1 New moti nagar, near D-48/1, G-67 & G-65, G-53 & G-55, F-91 & F-89 and F-341 & F-347 Karampura in ward-89/KBZ	North DMC	4.62	Sanction Issued	2024-25
7	Improvement of Walkway in Chacha Nehru Park in Ramesh Nagar ward 91/KBZ	MCD	16.61	Sanction issued	2024-25
8	Provision of Lighting arrangement in various Mpl Park in ward 91 under Karol bagh Zone	MCD	19.6	Sanction issued	2024-25
9	Provision of lighting arrangement in various Mpl Park in ward 90 under Karol bagh Zone	MCD	19.59	Sanction issued	2024-25
10	Provision of lighting arrangement in various Mpl Park in ward 89 under Karol bagh Zone	MCD	19.6	Sanction issued	2024-25
11	Provision of Semi High Mast Pole Lights alongwith allied accessories 3 Nos at Ambedkar University and 1 Nos. at Amar Park Karampura under Karol Bagh Zone	MCD	9.09	Sanction issued	2024-25

12	Improvement and Development of Roads by Providing Dense Carpeting from Shop No. 6 Gurudwara Singh sabha Jaidev Park East Punjabi Bagh to WZ-2 plot No. 19A Manohar Park metro pillar no. 37A, Road no. 7 Gate no. 4 Jai Dev park {in ward no.-89} and WZ-6 to M&CW Centre WZ-6/1 to Recreation Centre, WZ-32 to WZ-1A, A-129 to A-122 Shardapuri {in ward no. 91} in Karol Bagh Zone	MCD	76.71	Sanction issued	2024-25
13	Renovation of 35 Nos. Common Stair case of New Moti Nagar & Karampura DUSIB Flats in Moti Nagar Assembly Constituency	I&FC	56.84	Sanction issued	2024-25
14	Providing and fixing 50 Nos. Security mild steel gates at DUSIB Flats Karampura and New Moti Nagar in Moti Nagar Assembly Constituency	I&FC	80.63	Sanction issued	2024-25
15	Repair and construction of damaged boundary wall of park at JJ Jawahar Camp, A-2 Block, W.H.S Kirti Nagarat AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.58	sanction issued	2024-25
16	Repair and construction of damaged boundary wall of Park at 5/35, Industrial Area, Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.51	sanction issued	2024-25
17	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at 5/35 Industrial Area Kirti Nagar (JJC Code no.36) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.86	sanction issued	2024-25
18	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at JJ Jawahar Camp A-2 Block W.H.S (JJC Code no. 49) Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.84	sanction issued	2024-25
19	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at B-58 Rama Road (JJC Code no.35) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.85	sanction issued	2024-25
20	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at Amar Park infront of HIL Factory Gate, Petrol Pump, Zakhira (JJC Code no. 497) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.87	sanction issued	2024-25
21	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at Sanjay Camp, Chunna Bhatti Kirti Nagar. (JJC Code no.46) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.91	sanction issued	2024-25

22	Providing and laying CC pavement and improvement of SW drains at Chunna Bhatti (Harijan Basti) Lakkar Mandi Kirti Nagar. (JJC Code no.45) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	9.87	sanction issued	2024-25
23	Construction/Execution of tube well at JSC at Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi, Kirti Nagar, Site 2, JSC Code No. 25CJ0536 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
24	Construction/Execution of tube well at JSC at Reshma Camp, Ex-Nehru Camp near WHS-2, Kirti Nagar, JSC Code No. 25CJ0523 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
25	Construction/Execution of tube well at JSC at Chuna Bhatti (Harijan Basti) Lakkar Mandi, Kirti Nagar, Site 2, JSC Code No. 25CJ0525 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
26	Construction/Execution of tube well at Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi, Kirti Nagar, Site 1, JSC Code No. 25CJ0529 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
27	Construction/Execution of tube well at JJ Jawahar Camp A-2, block, W.H.S., Kirti Nagar, Site 1, JSC Code No. 25CJ0559 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
28	Construction/Execution of tube well at JJ Jawahar Camp A-2, block, W.H.S., Kirti Nagar, Site 2, JSC Code No. 25CJ0482 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
29	Construction/Execution of tube well at Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi, Kirti Nagar, Site 2, JSC Code No. 25CJ0433 in AC-25, Moti Nagar	DUSIB	3.33	sanction issued	2024-25
30	Improvement/Development of Raod side berm by pdg. RMC from H.No-3/8 to H.No.4/9 Jaidev Park in Ward-89 Karam Pura/KBZ	MCD	9.95	sanction issued	2024-25
31	Provision of street light fittings alongwith allied accessories in kirti Nagar, Ramesh Nagar Saraswati Garden, Mansarovar Garden, Moti Nagar New Moti Nagar, Karam Pura and East Punjabi Bagh in AC -25 under Karol Bagh Zone	MCD	14.7	Sanction issued	2024-25
32	Provision of Semi High Mast Pole Lights along with allied accessories in park Railway Colony Punjabi Bagh East in AC-25 under Karol Bagh Zone	MCD	2.87	Sanction issued	2024-25

33	Providing and fixing 60 No.s Security mild steel gates at New Moti Nagar DUSIB flats in Moti Nagar Assembly Constituency. (Location I Block Moti Nagar, C Block moti Nagar, B Block Moti Nagar, D Block Moti Nagar, 24 Block New Moti Nagar, 29 Block New Moti Nagar, 40 Block New Moti Nagar)	I&FC	96.73	Sanction issued	2024-25
34	Renovation of 50 No.s Common Stair Case of New moti Nagar DUSIB Flats in Moti Nagar Assembly Constituency. (Location C Block New Moti Nagar, A Block New Moti Nagar, E Block New Moti Nagar, I Block Moti Nagar, 36 Block New Moti Nagar, 40 Block New Moti Nagar)	I&FC	81.19	Sanction issued	2024-25
35	Imp./Dev. of road by pdg. RMC from H.No. D-8 to H. No. D-65 Mansarover Garden in Ward No. 91, Ramesh Nagar / KBZ.	MCD	13.08	Sanction issued	2024-25
36	Installation of 10 no.s new DBHP repair and Maintenance of defective hand pumps in AC-25 Moti Nagar under EE(D) 063	DJB	18.5	Sanction issued	2024-25
37	Replacement of old/damaged sewer lines by P/L 300 mm dia SN8 Pipe from E-88A to E-97 Mansarovar Garden Kirti Nagar in AC-25 Moti Nagar under EE(D) 063	DJB	14.44	Sanction issued	2024-25
38	Replacement of old/damaged sewer lines by P/L 300 mm dia SN8 Pipe from B-21 to 1C-129 Namdhari Colony and Backstreet of Bikaner Corner Sweet Ramesh Nagar from Plot No. 1/65 to 4/65 and Plot No. 3/65 to 7/65 New Market in AC-25 Moti Nagar under EE(D) 063	DJB	14.91	Sanction issued	2024-25
39	Replacement of old/damaged sewer Liner by P/I 300 mm dia SN8 pipe from H.N. I-103 to H-1 and I-101 to I-94 in Kirti Nagar in AC-25 Moti Nagar under EE(D) 063	DJB	24.36	Sanction issued	2024-25
40	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at B-Block Double Storey Quarters Ramesh Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.87	Sanction issued	2024-25

41	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at 8/35 Industrial area Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.94	Sanction issued	2024-25
42	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at A-198 Railway Line Indira Gandi Camp Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.86	Sanction issued	2024-25
43	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Ram Chander Park F Block AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.84	Sanction issued	2024-25
44	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Dr. Ambedkar Camp, Plot No 39 Industria Area Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.97	Sanction issued	2024-25
45	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Chunna Bhatti Lakkar Mandi Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.9	Sanction issued	2024-25
46	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Indira Gandhi Camp Mayapuri Chowk Block C Mansarover Garden AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.97	Sanction issued	2024-25
47	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Reshma Camp, Ex Nehru Camp near WHS -2 Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.98	Sanction issued	2024-25
48	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Shiv basti Behind Gold Spot Factory near Railway Station Patel Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.91	Sanction issued	2024-25
49	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Amar Park Zakhira (Near Zakhira Chowk) AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.98	Sanction issued	2024-25

50	Providing laying C C pavement and drainage system of the deteriorated lanes (Partly cluster) of the J J Cluster at Dr. Ambedkar Camp, 52,53 Furniture Block Kirti Nagar AC-25 Moti Nagar.	DUSIB	9.84	Sanction issued	2024-25
51	Construction/Execution of tube well at Natraj Cinema Back of Nalla Sudama Puri Moti Nagar. (old) (25CJ0480) and JJC Garib Basti D/S (25CJ0490) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	7.36	Sanction issued	2024-25
52	Construction/Execution of tube well at Chara Mandi Jakhira Flyover (25CJ0488) and Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi Kirti Nagar New Wine Shop (25CJ0535) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	7.36	Sanction issued	2024-25
53	Construction/Execution of tube well at 5/35 *Industrial Area Kirti Nagar Site No. 1* (25CJ0478) and 5/35 Industrial Area Kirti Nagar Site No. 2 (25CJ0432) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	7.36	Sanction issued	2024-25
54	Construction/Execution of tube well at Block Amar Park infornt of HIL Factory Gate, Petro Pump, Zakhira (25PJ0508) and Amar Park Zakhira Site 2 (near Zakhira Chowk) (25CJ0555) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	7.36	Sanction issued	2024-25
55	Construction/Execution of tube well at Block A and B Sudershan Park Nalla Moti Nagar (25PJ0483) and B-58 Rama Road (Double Storey) (25CJ0476) in AC-25 Moti Nagar	DUSIB	7.36	Sanction issued	2024-25

68. श्री विशेष रवि: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई हेतु दिल्ली नगर निगम को लिखित पत्र संख्या 128631 दिनांक 06/03/2025 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई तथा इस समस्या का समाधान कब तक होगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ख) पत्र में उल्लेखित भवनों पर हुई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:-

भवन संख्या	कार्यवाही विवरण
1770/53, रेगर पुरा हरध्यान सिंह रोड़	भवन का नक्शा सरल स्की के अंतर्गत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा स्वीकृत है। जिसकी आई.डी. संख्या 20005579 है।
1790, 1791, 1797 रेगरपुरा हरध्यान सिंह रोड़	भवन संख्या 1790 का नक्शा सरल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा स्वीकृत है। जिसकी आई. डी. संख्या 10111872 है तथा नक्शे से इतर (deviated) निर्माण के कारण भवन संख्या 1790 पर निगम के अनुछेद संख्या 343 और 344(1) के अंतर्गत फाईल संख्या 08/C-83/BUC/KBZ/24 दिनांक 08.01.2024 से कार्यवाही की गई। भवन संख्या 1791 तथा 1797 से सम्बधित कोई जानकारी/कार्यवाही रिकॉर्ड पर उपलब्ध नही है।

1200/91-92/93, गली नम्बर 1/2 नाईवालान	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भवन संख्या 1200/91-92/93, गली नम्बर 1/2, नाईवालान का नक्शा सरल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा स्वीकृत है जिसका भवन संख्या 1291, 1292 तथा 1293 है जिनकी आई.डी. संख्या क्रमशः 101144754, 10114755 और 10114759 है।
8075A, ईस्ट पार्क रोड़	भवन संख्या 8075A से कोई भवन ईस्ट पार्क रोड पर मौजूद नही है।
17बी/22, प्यारे लाल रोड़, देव नगर, करोल बाग	भवन का नक्शा सरल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा स्वीकृत है। जिसकी आई.डी. संख्या 20013894 है।

(ग) नक्शे के इतर (deviated) निर्माण कार्य के संज्ञान आने पर समय-समय पर डी.एम.सी. एक्ट तथा UBBL 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

69. श्री विशेष रवि: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर 2024 के बाद से विधायक निधि के अंतर्गत शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार से ओपन जिम एवं झूले लगाने के लिए किन-किन विधानसभाओं से कितनी सैंक्शन्स आपके पास आई, कृपया पूर्ण विवरण दें;

(ख) इन सभी सैंक्शन्स में से कितने स्थान पर ओपन जिम एवं झूले लगाए जा चुके हैं;

(ग) अगर शहरी विकास विभाग द्वारा आई सैंक्शन्स पर काम नहीं हुआ है तो इसका कारण बताएं और जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताएं; और

(घ) उपरोक्त पूछे गए सभी ओपन जिम एवं झूले कब तक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में लगा दिए जाएंगे, कृपया पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) विधायक निधि योजना के अंतर्गत कुल 92 प्रस्ताव विभिन्न विधानसभाओं में स्वीकृत किए गए हैं। जिनकी अनुसंलग्क 'ए' पर संलग्न है।

सितम्बर 2024 के बाद से विधायक निधि के अंतर्गत शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार से ओपन जिम एवं झूले लगाने के लिए निम्न विधानसभाओं से दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग को सैंक्शन्स प्राप्त हुई:–

क्र.सं.	विधानसभा	ओपन जिम लगाने के लिए प्राप्त सैंक्शन्स	झूले लगाने के लिए प्राप्त सैंक्शन्स
1.	AC No-42	2	4
2.	AC No-50	0	7
3.	AC No-39	1	1
4.	AC No-62	13	0
5.	AC No-23	5	0
6.	AC No-1	11	12
7.	AC No-13	0	2
8.	AC No-9	2	2
9.	AC No-16	0	4

(ख) उपरोक्त सैंक्शन्स में से 6 स्थानों (AC-50 में 4 स्थानों तथा AC-13 में 2 स्थानों) पर झूले लगाए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) कार्य निष्पादन हेतु दर अनुबन्ध के अंतर्गत कार्यो का आवंटन प्रक्रिया में है तथा निविदा लगने के बाद दर अनुबन्ध के अंतिमकरण (finalization) होने पर उपरोक्त सभी ओपन जिम व झूले लगाने के कार्यो को करवाया जाएगा।

(Data AC-01 to 35)

w/c Annexure-A

S. No.	AC No.	MLA Name	Name of Work	Agency	Year	Revised Estimated cost (Rs. in Lakh)	Status
1	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park Opp H. No.-63, Mahila Park, Near Sai Mandir, Punjabi Colony Narela, W. No. 01/Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
2	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park RSP Opp H. No. A95, Gautam Colony, Narela, W. No. -01/Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
3	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park RSP opp. H.N.C-08, Gautam Cly. Narela, W. No. 1	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
4	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Sant Shiromani Ravidas ji Aashram, RWA Pana Udhyan, Narela, W. No. 01/Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
5	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park Opp Mukhija X-ray Lab, Punjabi Colony W. No.-01/Narela Zone.,	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
6	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park Opp. H. No. 2118, Six Shaheed Narela, W. No. 01/ Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
7	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Quipment in Arya Samaj Ashram, Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
8	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park opp. Flat No. 206 Janta Flat (EWS) House Pkt-1 Sec. A-5 Narela	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
9	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park in EWS H. No. 660, Near MCD School, Sec-A5, W. No. 03/Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
10	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open Gym Equipment in Park R/Scheme Pkt. 12 Sec. A-5, W. No.-03/Narela Zone.	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
11	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of open GYM Equipment's in Park in Pocket-5, Sector A6, Opp. Mother Dairy. W. No.-3, Narela	MCD	2024-25	8.38	sanction issued
12	1	Sh. Sharad Kumar Chauhan	Installation of Children Play Equipment's at Park Pocket-5, Sector-A6, Opp. Mother dairy. W. No.-3, Narela	MCD	2024-25	5.74	sanction issued

13	6	Sh. Mohinder Goyal	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN MAHADEV PARK VIJAY VIHAR SECTOR-4 ROHINI,WARD NO.24, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	7.23	sanction issued
14	6	Sh. Mohinder Goyal	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN BETWEEN B&C BLOCK SECTOR-1 AVANTIKA ROHINI WARD NO.24 ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	7.23	sanction issued
15	6	Sh. Mohinder Goyal	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN PARK OPP. H.N. 129 MCD COLONY SECTOR-4 ROHINI WARD NO.24, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	7.23	sanction issued
16	9	Sh. Rituraj Govind	PROVIDING & INSTALLATION OF OPEN GYM EQUIPMENT IN PARK NEAR NANGLOI RAILWAY STATION KIRARI, WARD NO.37, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	5.68	Sanction issued
17	9	Sh. Rituraj Govind	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT AT PARK NEAR NANGLOI RAILWAY STATION, PREM NAGAR KIRARI, IN WARD NO.37, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	10.29	Sanction issued
18	9	Sh. Rituraj Govind	PROVIDING & INSTALLATION OF OPEN GYM EQUIPMENT IN PARK AT MUBARAK PUR VILLAGE, WARD NO.39, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	5.68	Sanction issued
19	9	Sh. Rituraj Govind	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN PARK AT MUBARAK PUR VILLAGE, WARD NO.39, ROHINI ZONE.	MCD	2024-25	5.56	Sanction issued
20	12	Smt. Rakhi Birla	Providing and Fixing of 04 Nos. Open Gym at Block-X,K,L & M in Ward No-49A, Mangolpuri, AC-12	DUSIB	2024-25	32.47	Sanction issued
21	12	Smt. Rakhi Birla	Providing and Fixing of 02 Nos. Open Gym at Block-R & S in Ward No-49A, Mangolpuri, AC-12	DUSIB	2024-25	16.23	Sanction issued
22	12	Smt. Rakhi Birla	Providing and Fixing of 04 Nos. Open Gym at Block No-C,E,F,&Q in Ward No-50, Mangolpuri in AC-12	DUSIB	2024-25	32.47	Sanction issued
23	13	Sh. Vijender Gupta	Const of plateform for Gym equipments in park in Pocket D-13 Sector -7 in ward 52/M-I RZ	MCD	2024-25	2.89	Sanction issued
24	16	Smt. Preeti Jitender Tomar	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN PARK OPP. H.NO.E-206, SHAKURPUR IN KPZ.	MCD	2024-25	7.76	Sanction issued
25	16	Smt. Preeti Jitender Tomar	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN PARK BEHIND I-BLOCK MINICIPAL SCHOOL SHAKURPUR J.J. COLONY KPZ.	MCD	2024-25	7.76	Sanction issued

26	16	Smt. Preeti Jitender Tomar	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN VARDHMAN VATIKA, TRI NAGAR KPZ.	MCD	2024-25	7.76	Sanction issued
27	16	Smt. Preeti Jitender Tomar	PROVIDING & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENTS IN PARK BEHIND H.NO.01, RAJ NAGAR KPZ.	MCD	2024-25	7.76	Sanction issued
28	23	Sh. Vishesh Ravi	Providing and fixing exercise fitness equipment (open gym) at Aram Bagh A-Block in Karol Bagh Constituency-23. NOC is placed at page 244/C	I&FC CD-II	2024-25	52.12	Sanction issued
29	23	Sh. Vishesh Ravi	Providing and fixing Open Gym equipments and swings in Karol Bagh Assembly Constituency, AC-23 at 4536XV Dal Mandi Paharganj	I&FC CD-II	2024-25	77.66	Sanction issued
30	29	Sh. Jarnail Singh	Providing and fixing gym equipments at Shaheed Simiriti Uddyaan, Tilak Nagar	DUSIB	2024-25	14.29	Sanction issued
31	31	Sh. Mahinder Yadav	Development of 03 No.s Park by Providing and fixing outdoor exercise equipments along left bank of Supplementary drain on RD 34100m, RD33600m, RD32420m in VikasPuri Assembly Constituency AC-31	I&FC	2024-25	87.62	Sanction issued
32	34	Sh. Gulab Singh	Installation of open gym equipments and RCC Benches at various locations in 980 EWS Flats at Sector 16B Site-1 Dwarka (AC-34)	DUSIB	2024-25	30.84	Sanction issued

Data (AC-36 to 70)

Sl.no.	AC no.	MLA	Name of work	Agency	Status	amount Rs. in Lakhs
1	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of children play equipments at C-601 Wala park, Inderpuri	MCD	Sanction issued	1.57
2	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of children play equipments at F-611 Wala Park JJ Colony Inderpuri (Radha Krishna Mandir) in Rajinder Nagar Assembly Constituency-39	MCD	Sanction issued	1.57
3	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of children play equipments at WZ 860 D Balmiki Mandir Park, Naraina Village	MCD	Sanction issued	9.77
4	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of children play equipments at park near H.No. 2151/13 DTC Store Pandav Nagar, New Patel Nagar	MCD	Sanction issued	9.77
5	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of open gym equipments at Baba Gulab Singh Park, C-Block, Budh Nagar, Inder Puri, Rajinder Nagar Assembly Constituency-39	MCD	Sanction issued	4.64
6	39	Durgesh Pathak	Supplying and installation of open gym equipments at Maharana Pratap Park, New Patel Nagar in Rajinder Nagar Assembly Constituency-39	MCD	Sanction issued	7.65
7	39	Durgesh Pathak	Development of area by providing and fixing the children's swing at JJC Rajiv Gandhi Camp in Rajinder Nagar Assembly Constituency (AC-39)	DUSIB	Sanction issued	9.5
8	40	Arvind Kejriwal	Providing and fixing of playing equipment for residents children park Pandara Road	NDMC	Sanction issued	13.66
9	40	Arvind Kejriwal	Providing and fixing of playing equipments at various parks of R-II Division at Lodhi Colony, Jor Bagh colony and B.R. camp	NDMC	Sanction issued	19.27
10	40	Arvind Kejriwal	Providing and fixing of playing equipments at parks behind 110-113 Jor Bagh	NDMC	Sanction issued	11.15
11	40	Arvind Kejriwal	Providing and fixing kids play equipments at various location in NDMC area.	NDMC	Sanction issued	39.97
12	40	Arvind Kejriwal	Providing & Fixing of playing equipments i.e. swings, monkey bar, etc. under area fall in R-III division.	NDMC	Sanction issued	37.71
13	42	Madan Lal	Supply & Installation of Children Play Equipments at Park C-Block, Lajpat Nagar-1 in Central Zone	MCD	Sanction issued	2.07
14	42	Madan Lal	Supply & Installation of Open Gym Equipment in Puneet Dutt Park, Defence Colony Central Zone	MCD	Sanction issued	1.94
15	42	Madan Lal	Supply & Installation of children play equipment & open gym in equipments in different park of Kasturba Nagar (AC-42) assembly constituency	MCD	Sanction issued	32.48
16	45	Naresh Yadav	Supply & Installation of Children play equipment at park Desu Park, J-Block Saket in Front of Apeejay School, South Zone.	MCD	Sanction issued	2.57
17	45	Naresh Yadav	Supply & Installation of Open Gym Equipments at Press Enclave, Saket South Zone	MCD	Sanction issued	3.43
18	48	Ajay Dutt	Providing and fixing open Gym at various location in Madangir, Pushp vihar & Khanpur ward in Ambedikar Nagar Constituency AC-48.	I&FC	Sanction issued	64.66
19	50	Saurabh Bhardwaj	Supply and installation of open gym equipments at Tara Apartment, Alaknanda, in ward no. 171, South Zone	MCD	Sanction issued	3.41
20	50	Saurabh Bhardwaj	Supply and installation of open gym equipments at I-Block, C.R. Park, South Zone	MCD	Sanction issued	3.41
21	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at Sishu park, SFS flat, Shaikh Sarai, Ph-1 South Zone	MCD	Sanction issued	1.57

22	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at Shiv mandir park, opp. Prachin Shiv mandir, Chirag Delhi South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
23	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at banjara park, banjara basti, savitri nagar South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
24	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at Pocket-J, Shaikh Sarai, Ph-1 South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
25	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at Pocket-F, Shaikh Sarai, Ph-1 South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
26	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at Police Station, R-Block, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	9.93
27	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at Pampose Enclave, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
28	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at Saraswati park at D-block, East of Kailash, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	1.57
29	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at Saraswati park at E-block, G.K.-1, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	9.77
30	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park near H.No. 187, B-block, Mount Kailash, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	2.68
31	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at Panchsheel Enclave, A-1 Block, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	9.93
32	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of children play equipments at park at S Block, G.K. 1, Ward No. 173, South Zone	MCD	Sanction issued	9.93
33	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of open gym equipments at K-Pocket, Ward no. 172, Shaikh Sarai South Zone	MCD	Sanction issued	3.43
34	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of open gym equipments at E-Pocket, Panchsheel Park	MCD	Sanction issued	3.85
35	50	Saurabh Bhardwaj	Supply & installation of open gym equipments at S-block park behind mother dairy, Panchsheel Park	MCD	Sanction issued	3.85
36	50	Saurabh Bhardwaj	CONSTRUCTION OF ARTISTIC GAZEBO (Hexagonal) IN THE PARK AT L-2 BLOCK, MA KALKA PARK, SHIVAJI BLOCK, DDA FLAT KALKA JI, WARD NO. 171, SOUTH ZONE.	I&FC CDV	Sanction issued	7.62
37	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN PARK A 29 PARK CR PARK.	MCD	Sanction issued	1.57
38	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN POCKET B ASHOKA PARK GANGOTRI ENCLAVE	M-II	Sanction issued	1.8
39	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN 52 POCKET PARK CR PARK		Sanction issued	1.57
40	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN PARK AT 16-19 BLOCK DDA FLAT KALKAJI.	MCD	Sanction issued	1.8
41	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN PARK I 1645 MELA GROUND CR PARK.	HOR D	Sanction issued	10.16
42	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT ITEMS FOR REPAIR OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN DIFFERENT PARKS OF WARD NO. 171 ASSEMBLY CONSTITUENCY GREATER KAILASH (AC-50)	MCD	Sanction issued	2.84

43	50	Saurabh Bhardwaj	SUPPLY & INSTALLATION OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT ITEMS FOR REPAIR OF CHILDREN PLAY EQUIPMENT IN DIFFERENT PARKS OF WARD NO. 173 ASSEMBLY CONSTITUENCY GREATER KAILASH (AC-50)	MCD	Sanction issued	10.34
44	51	Atishi	Providing & fixing of Jhula at different Wards (174, 175, 176) in Kalkaji Assembly Constituency (AC-51).	I&FD	Sanction issued	23.3
45	55	Rohit Kumar Mehraulia	Providing and installation/fixing open Gym at various locations in AC-55 Trilokpuri	I& FC	Sanction issued	35.65
46	56	Kuldeep Kumar	Providing and installation of Open Gym, Badminton Court, Boom Barrier and Children Play Equipment in various locations in Kondly, AC-56.	I& FC	Sanction issued	65.85
47	59	Om Parkash Sharma	Providing and installation/fixing of 10 nos. of open Gym at 2 Nos. in ward no. 205, 2 nos. in ward no. 206, 03 nos. in ward no. 207, 03 Nos. in ward no. 208 & Supply of 5 nos. water coolers with R.O. Attahced at various locations in AC-59 Vishwas Nagar	I & FC	Sanction issued	38.38
48	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Teriwala Park Bholanath Nagar Ward no.215 SSZ.	MCD	Sanction issued	5.53
49	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Ramleela Park Bholanath Nagar (Maharishi Balmiki Park Lavkush Park) Ward no.215 SSZ.	MCD	Sanction issued	5.53
50	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Tikona Park Jwala Nagar (Tikona Park) Ward no.215 SSZ.	MCD	Sanction issued	5.53
51	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Subzi Mandi Chhota Bazar Park Ward no.215 SSZ.	MCD	Sanction issued	5.53
52	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in B Pocket Park-1 Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
53	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in B Pocket Park-2 Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
54	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in Park -1 Dilshad Colony Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
55	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in Park -2 Dilshad Colony Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
56	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in J&K Pocket Park-1 Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
57	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in J&K Pocket Park-2 Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
58	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in I-Pocket Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
59	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in M-Pocket Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53
60	62	Ram Niwas Goel	Providing & Installation of Open Gym Equipments in R-Block Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	Sanction issued	5.53

70. श्री विशेष रवि: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में 'पेड पार्किंग' तथा अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई हेतु दिल्ली नगर निगम को लिखित पत्र संख्या 126916 दिनांक 01/07/2024 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई तथा इस समस्या का समाधान कब तक होगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ग)

1. करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में 'पेड पार्किंग' तथा अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए कार्यवाही हेतु दिल्ली नगर निगम को लिखित पर संख्या 126916 दिनांक 01.07.2024 (अनुलग्नक-'क') के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आर.पी. सेल विभाग द्वारा पूर्व में आबंटित पार्किंग (अजमल खॉ पार्क) के निर्धारित क्षेत्र के बाहर अवैध वाहन खड़े किए जाते हैं। इसको नियंत्रित करने, साफ-सफाई, राजस्व बढ़ाने तथा लोगों को पार्किंग की अच्छी सुविधा देने हेतु इस क्षेत्र को सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के उपरान्त वैध पार्किंग बना दिया गया जिसका नाम 'इनसाईड अजमल खॉ पार्क मेन गेट' रखा गया है। जिसका आबंटन ई-टेन्डर प्रक्रिया द्वारा दिनांक 03.01.2023 को कर दिया गया।

2. माननीय विधायक महोदय के उपरोक्त पत्र प्राप्ति के पश्चात इस विभाग द्वारा इस पार्किंग क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त उक्त पार्किंग कांट्रेक्टर पर साफ-सफाई न रखने के संदर्भ में पेनेल्टी लगाई र्ग (अनुलग्नक-ख)।

3. क्योंकि क्षेत्र के विधायक द्वारा इस पार्किंग की शिकायत की जा रही थी तो उक्त अधिकारियों ने इस पार्किंग का कैंसिल करने के लिए विषय की जांच के निर्देश दिये।

4. परंतु इसी दौरान माननीय विधायक महोदय श्री विशेष रवि द्वारा एक और पत्र संख्या–127063/26/7/2024 दिनांक 26.07.24, (अनुलंग्नक 'ग') इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें विधायक महोदय ने बताया कि विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही कर दी गई है तथा उक्त पार्किंग दिशा–निर्देश अनुसार चल रही है साथ ही विधायक महोदय ने वहां के निवासियों तथा दुकानदारों के अनुरोध पर इस पार्किंग को रद्द (कैंसिल) न करने का अनुरोध किया। क्योंकि यह पार्किंग वहां के निवासियों तथा दुकानदारों द्वारा प्रयोग की जा रही थी।

5. माननीय विधायक महोदय के दूसरे पत्र दिनांक 26.07.24 के अनुरोध पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ये पार्किंग रद्द नहीं की गई।

6. अजमल खॉ पार्क के अंदर अनाधिकृत पार्किंग के विषय में सूचित किया जाता है कि यदि अजमल खॉ पार्क के किसी भी हिस्से में अवैध रूप से वाहनों को पार्क किया जाता है तो उन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा समय–समय पर हटाया जाता है।

7. मास्टर पृथ्वी राज स्टेडिम में अवैध पार्किंग के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यह स्थान वर्तमान में जर्जर हालत में है तथा पूर्व में फण्ड की कमी के कारण मरम्मत का कार्य नहीं हो सका। इस स्थान पर अवैध पार्किंग को रोकने के कारण मरम्मत का कार्य नहीं हो सका। इस स्थान पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए करोल बाग क्षेत्र की सामान्य शाखा से समन्वय के साथ शीघ्र ही व्यवस्था की जा रही है।

अनुलग्नक 'क' 143/C

Vishesh Ravi
Chairman
- Committee on Welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes
- Dr. NC Joshi Memorial Hospital
Member
- Committee on Papers Laid on the Table
- Committee on Salary & other Allowances of Member of Delhi Legislative Assembly
- Committee on Welfare of Students & youth
- A&U Tibbia College and Hospital

सत्यमेव जयते

M.L.A.
Karol Bagh, AC-23
I-16/542, Military Road, Bapa Nagar
Karol Bagh, New Delhi-5
Mobile : +91 9953758914
Mobile : +91 8588833423
Help Line No. : 011 -25756864
E-mail: delhidys@gmail.com

Ref. No. 126916/1/07/2024

Dated 01/07/024

Addl. Commr. (Advt.)/MCD
05 JUL 2024
Dy. No. P/566

Cmr.
Addl. Cm. (R.P. Cell)
DC/KBZ

Reminder-3

Subject: Reminder - Illegal Encroachment and Request for Removal of Paid Parking Spot at Ajmal Khan Park Main Gate in Karol Bagh

Remunerative Project Cell
D. No RPC 2638
Date 05/7/24
Municipal Corporation of Delhi

Reference: MLA to Commissioner Ref.No-123006 dated 7/1/2023
Reference: MLA to Commissioner Ref.No-124072 dated 13/7/2023

Respected Sir/Madam,

I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to you as a follow-up to my previous communication, referenced as MLA to Commissioner Ref.No-123006, dated 7/1/2023 and Ref. No- 124072, dated 13/07/2023. The matter at hand pertains to two significant concerns regarding Ajmal Khan Park in Karol Bagh, which require immediate attention.

First, Illegal Encroachment of Green Land by RP Cell in Karol Bagh Ajmal Khan Park Main Gate:
It has been brought to my attention that the RP Cell has illegally encroached upon the green land near the main gate of Ajmal Khan Park in Karol Bagh. This encroachment poses a threat to the integrity and beauty of the park. I request your urgent intervention to address this issue and take appropriate action against the encroachment by RP Cell.

Second, Request for Removal of Paid Parking Spot at Ajmal Khan Park Main Gate:
I would also like to draw your attention to the presence of a paid parking spot at the main gate of Ajmal Khan Park. This spot, managed by the RP Cell, has been causing significant inconvenience to the walkers and joggers who utilize the park. It is worth noting that there is already an existing paid parking spot within Ajmal Khan Park, specifically on the East Park Road side. Charging the public for parking at the main gate, in addition to the existing paid parking spot, is unnecessary and burdensome.

I have previously communicated this concern to the Commissioner and DC KBZ Commissioner through my letter Ref.No-123006 dated 7/1/2023 Ref. No- 124072, dated 13/07/2023. Regrettably, no action has been taken to address this matter thus far. Hence, I kindly request your immediate intervention to remove the paid parking spot at Ajmal Khan Park Main Gate and allow the walkers and joggers to park their vehicles outside the park without any charges.

Your prompt attention to these issues is of utmost importance to ensure the well-being and convenience of the residents and visitors of Karol Bagh. By addressing these concerns, we can preserve the sanctity of the park and enhance the overall experience of the public.

Thank you for your anticipated cooperation and prompt action in this matter. I remain committed to working together to create a better and more accessible environment for

our constituents.

With warm regards,

VISHESH RAVI, MLA (AC-23) Karol Bagh, New Delhi-5

Vishesh Ravi

To,

1. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi – 100 002.

Administrative Officer
R.P. Cell/MCD

05/08/07
f AO/RPC

Administrative Officer
R.P. Cell/MCD

6/c

अनुलग्नक - ख

अनुलग्नक 'ख' 148/C

MUNICIPAL CORPOTATION OF DELHI
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER
REMUNRATIVE PROJECT CELL DEPARTMENT
25TH FLOOR, E-1 BLOCK, DR. S. P. MUKHERJEE CIVIC CENTRE
JAWAHARLAL NEHRU MARG, MINTO ROAD, NEW DELHI 110002.

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. AC/RPC/MCD/2024/D-1016 Dated: 19/07/24

PENALTY NOTICE

During the inspection of the parking site situated at Inside Ajmal Khan Park Main Gate, Karol Bagh Zone, carried out by AI/KBZ on 12.07.2024, the following violations were noticed and the penalties are imposed as per clause 15 of the terms & conditions:-

Sl. No.	Violation	Minor/Major	Penalty amount (in Rs.)
1	Not keeping the premises clean.	Minor	25,000/-
	TOTAL		Rs.25,000/-

2. Therefore, you are hereby directed to submit an amount of Rs.25,000/- as penalty mentioned above within seven days of issue of this notice, failing which appropriate action will be taken as per terms & conditions.

19/7/24
Administrative Officer
RP Cell, MCD
Administrative Officer
R.P. Cell/MCD
O/C

Sh. Jagtar Singh
R/o –D-6/10, Sector-15,
Rohini, Delhi-110089.
Email: jagtarsinghprop@yahoo.com

Copy for information to:-

1. Deputy Commissioner, RP Cell.

Administrative Officer
R.P. Cell/MCD

5/c

अनुलग्नक "III" 150/C

Vishesh Ravi
Chairman
- Committee on Welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes
- Dr. NC Joshi Memorial Hospital
Member
- Committee on Papers Laid on the Table
- Committee on Salary & other Allowances of Member of Delhi Legislative Assembly
- Committee on Welfare of Students & youth
- A&U Tibbia College and Hospital

सत्यमेव जयते

M.L.A.
Karol Bagh, AC-23
1-16/542, Military Road, Bapa Nagar
Karol Bagh, New Delhi-5
Mobile : +91 9953758914
Mobile : +91 8588833423
Help Line No. : 011 -25756864
E-mail: delhidvs@gmail.com

Ref. No. 127063|26/7/2024
Dated 26/7/2024

C3183?

Remunerative Project Cell
D. No RPC 3153
Date 27/7/24
Municipal Corporation of Delhi

To,
The Dy. Commissioner
RP Cell, MCD
Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Rd,
Ajmeri Gate, New Delhi - 110002.

It is stated the after receiving the complaint of the undersigned, the MCD department has taken action and now the parking site is running as per the guidelines of the department.

It has also come to light that if this parking is closed then people will still park their vehicles here. In the absence of official parking, there is a danger of wrong and illegal activities may take place in this area

It is also stated that the nearby residents/shopkeepers have also requested not to cancel the site as it is used by them for parking of their vehicles.

In view of the above, it is requested that the parking site at Inside Ajmal Khan Park Main Gate may not be cancelled.

Thanking You

VISHESH RAVI, MLA (AC-23) Karol Bagh, New Delhi-5

Vishesh Ravi

Pls put up.
29/07

AC/RPC

10/08

DD/RPC 10/07

DA/KBZ

Administrative Officer
R.P. Cell/MCD

71. श्री विशेष रवि: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में अवैध डेयरी फार्म व आवारों गायों के संबंध में कार्रवाई हेतु दिल्ली नगर निगम को लिखित पत्र संख्या 126717 दिनांक 20/05/2024 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई तथा इस समस्या का समाधान कब तक होगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ग) दिनांक 30.05.2024 से अब तक करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से व संलग्न क्षेत्रें से आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की गई। कुल 125 आवारा पशुओं को उठाया गया जिसकी प्रतिलिपि (अनुलग्नक 'क') पर संलग्न है।

वार्ड 83 में आवारा गायों को पालने वाले डेयरी मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के 05 पत्र (अनुलग्नक-'ख') पुलिस थाने में भेजने के साथ-साथ डी.एम.सी. एक्ट के अंतर्गत 21 चालान की भी कार्यवाही की गई है।

इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में कड़ी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु 05 पत्र (अनुलग्नक-'ग') पुलिस थाना, डी.बी. गुप्ता में विभाग द्वारा भेजे जा चुके हैं ताकि अवैध डेयरी मालिक पुनः करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में डेयरी से संबंधित कार्य न कर सके। भविष्य में भी यह कार्यवाही आगे जारी रहेगी तथा अवैध डेयरी को घोघा भेजने की जरूरत है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

72. श्री विशेष रविः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृपया वार्ड संख्या नंबर- 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 139, 140 और 141 में दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुल्क लेकर विज्ञापन के लिए लगाए सभी पोल, यूनिपोल अन्य सभी तरह के विज्ञापन माध्यम, लोकेशन और पूरे पते के साथ वार्ड अनुसार सूची प्रदान करें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विज्ञापनों का आवंटन वार्ड अनुसार न देकर क्षेत्र अनुसार/कलस्टर अनुसार दिया जाता है। वार्ड संख्या 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 139, 140 और 141 करोल बाग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। करोल बाग में आबंटित सभी विज्ञापनों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

73. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्षों से 2025 तक एमएलए लैड फंड को कुल कितनी बार बढ़ाया गया, उसका विवरण दें;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अधिकतर जगहों पर एमएलए लैड फंड के सिवाय दूसरे फंड का उपयोग नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या उपरोक्त फंड को किसी दूसरे हेड में प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो कितना एवं यदि नही तो क्यों, विवरण दें; और

अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एमएलए लैड फंड के तहत कितनी धन राशि आवंटित की गई, कितने कार्य पारित किए गए तथा उपरोक्त फंड में कितनी धन राशि अब तक बकाया रही, पूर्ण विवरण दे?

शहरी विकास मंत्री: (क) शहरी विकास विभाग दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि द्वारा सम्बंधित कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। विधायक निधि में मंत्री मंडल के निर्णय (Cabinet Decision) No. 2623 दिनांक 07.08.2018 द्वारा विधायक निधि में वृद्धि 04 करोड़ से 10 करोड़ की गयी। तत्पश्चात मंत्रिमंडल के निर्णय (Cabinet Decision) No. 3157 दिनांक 10.10.2024 द्वारा विधायक निधि में वृद्धि 10 करोड़ से 15 करोड़ की गयी। 2017 से प्रत्येक वर्ष विधायक के लिए फण्ड का आवंटन निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड
2017-18	Rs. 4 Crore
2018-19	Rs. 10 Crore
2019-20	Rs. 10 Crore
2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)
2021-22	Rs. 4 Crore
2022-23	Rs. 4 Crore
2023-24	Rs. 7 Crore
2024-25	Rs. 15.00 Crore

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त उत्तरनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शहरी विकास विभाग को MLALAD फण्ड का वितरण 13.12.2017 के आदेश से दिया गया था तथा प्रतिवर्ष आवंटन निम्न है:

वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड
2017-18	Rs. 4 Crore
2018-19	Rs. 10 Crore
2019-20	Rs. 10 Crore
2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)
2021-22	Rs. 4 Crore
2022-23	Rs. 4 Crore
2023-24	Rs. 7 Crore
2024-25	Rs. 15.00 Crore

मुस्तफाबाद विधानसभा में MLALADS फण्ड द्वारा किये गए कार्यों का विवरण निम्न है:

विधानसभा सत्र	कार्यों की संख्या	कार्यों की स्वीकृति राशि	शेष राशि
6th DVS	33	1.99 Cr	-
7th DVS	45	2.23 Cr	1.77 Cr*

*सातवीं विधानसभा के समापन के बाद शेष धन राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

74. श्री कुलवंत राणाः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सैक्टर-16 के जे-ब्लाक में 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को आवास दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत कुल कितने आवास के लिए भू-खंड लिये गये थे और कुल कितने लोगों को आवास आवंटित किए गए तथा आवंटन के बाद कितने आवास बच गए, जोकि लोगों को आवंटित नहीं हो पाए। आवास नंबर आदि के साथ सूची सहित विस्तृत जानकारी दी जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आवास लीज पर थे;

(घ) यदि हां, तो क्या उन आवासों को फ्री होल्ड करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) से (ङ) यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है, जो भारत सरकार के अन्तर्गत कार्य करता है। पूर्ण विवरण डी.डी.ए. से प्राप्त किया जा सकता है।

75. श्री कुलवंत राणाः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सैक्टर-1 में सफाई कर्मचारियों के लिए आवास की कोई योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके तहत बनाए गए क्वाटरों की कुल संख्या कितनी थी और वो किन किन लोगों को अलॉट कि गए थे;

(ग) इन आवासीय परिसरों का निर्माण कब हुआ था, इनकी मियाद कितने वर्ष के लिए थी और अब तक उनकी कितनी मियाद हो चुकी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस कालोनी में एस.सी/एस.टी. वर्ग के लोग रहते हैं और यहां के सीवर जाम हैं, सड़कें टूटी हुई है, छतों एवं दीवारों पर पेड़ उगे हुए हैं;

(ङ) यदि हां तो इन क्वाटरों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कौन है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इस कालोनी की बदहाल स्थिति के कारण यहां रहने वाले एससी/एसटी वर्ग के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं;

(छ) क्या यह सत्य है कि इन क्वाटरों की स्थिति के सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही हैं; और

(ज) यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है, विस्तृत जानकारी दी जाए?

शहरी विकास मंत्रीः (क) से (ज) दिल्ली नगर निगम द्वारा रोहिणी सैक्टर-01 में सफाई कर्मचारियों के लिए आवास की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

76. श्री अभय वर्माः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में किन-किन कार्यों के लिए विधायक निधि से फंड आवंटित किये गये, विस्तृत सूची उपलब्ध करवायें;

(ख) सातवीं विधानसभा कार्यकाल के दौरान पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के 70 विधायकों को विकास कार्य के लिए विधायक निधि से कितने रुपये आवंटित किये गये, प्रत्येक विधायक अनुसार सूची दें; और

(ग) शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक निधि के अलावा और किन-किन विकास कार्यों के लिए अलग से फंड देने का प्रावधान है, विस्तृत जानकारी दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) लक्ष्मी नगर विधानसभा के क्षेत्र में उक्त अवधि में शहरी विकास विभाग के एमएलए लैड शाखा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची अनुलग्नक 'बी' में संलग्न है।

(ख) प्रत्येक विधानसभा में वर्षवार एमएलएलैड फण्ड का ब्यौरा निम्नांकित है:-

वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड
2020-21	शून्य (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)
2021-22	रूपये-4 करोड़
2022-23	रूपये-4 करोड़
2023-24	रूपये-7 करोड़
2024-25	रूपये-15.00 करोड़

(ग) एमएलएलैड, अनाधिकृत कॉलोनी फण्ड, MSPY इत्यादि स्कीम के तहत फण्ड उपलब्ध कराया जाता है।

Annexure 15

74/.

S No	Name of works	Agency	Revised Estimated Amount	Year	Status
	AC-58 Laxmi Nagar MLA Sh. Abay Verma				
1	Imp Dev of Link of gali No 2, West Guru angad Nagar, Laxmi Nagar by pdg 0 in Ward No 14E/AC-58 in Shah South Zone	MCD	8 74	2021-22	Sanction issued
2	Imp Dev of Gali No 9, F Block Laxmi Nagar by pdg 0 in Ward No 14E/AC-58 in Shah South Zone	MCD	7 38	2021-22	Sanction issued
3	Improvement Development of Hanuman Mandir Road from Patparganj road to I&FC drain by pdg RMC in C-16E/AC-58/SSZ in Pandav Nagar	MCD	70.85	2021-22	Work Complete and Balance amount to be refunded
4	Imp Dev of lanes in G-Block by pdg RMC & drainage in lanes from Mahila Park to G-48 and adjacent link Near H No-G-58 to G-54, G-61 to G-65 & G-67 to G-66 in Ward No -15 E/SSZ/AC-58, Shakarpur	MCD	26 11	2021-22	Sanction issued
5	Improvement Development of link near Park of Saket Block, Mandawali by pdg RMC and Drain from H.no-H-45 to H No-197 in ward no-16-E/AC-58 Shahdara South Zone	MCD	5.72	2021-22	Sanction issued
6	Imp Dev of lane from Hno B-15 to Hno B-15A in B-Block Guru Ramdas Nagar in Laxmi Nagar Ward no 14E in shah south zone	MCD	5 91	2021-22	Sanction issued
7	Imp Dev. of gali no-4 from H No-95 to H.No-100 and gali No-5 from H No-117 to H.No-125 in D-Block Laxmi nagar Ward No-13-E/AC-58 in Sh.S Zone.	MCD	9 19	2022-23	Work Complete and Balance Released
8	Construction of path and other repair works in Saket Block Park Mandawali in W No-16-E (224)/ AC-58 Shah.(S) Zone In Pandev Nagar	MCD	7 00	2022-23	Work Complete and Balance Released
9	Improvement Development of lanes of B-Block Shakarpur by pdg RMC and drain from H.No-B-51 to H No-S-35 and side links near B-80 and B-81 in ward no-15-E/AC-58 Shahdara South Zone	MCD	8 78	2022-23	Work Complete and Balance Released
10	Improvement development of lane from H No WA-175 to WA-180 Shakarpur by pdg RMC and drain in W No 15-E/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	5.33	2022-23	Work Complete and Recovery raised
11	Improvement development of lane from H No WB-176 to WB-184 A Shakarpur by pdg RMC and drain in W No 15-E/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	7 36	2022-23	Work Complete and Recovery raised
12	Improvement development of Gali No 3 of Saket Block Mandawali from H No 11 to H No 15 and link near H-45 along park by pdg RMC and drain in W No 16-E/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	8 00	2022-23	Work Complete and Recovery raised
13	Improvement/Development of Lanes of Sunder Block Shakarpur by pdg. RMC and drain in links near H No. S95, S97 and S98 in Ward No 15-E/AC-58/S.S.Z	MCD	7 09	2022-23	Work Complete and Recovery raised
14	Improvement/Development of Lanes of Pandav Nagar by providing RMC and drain from SP 12 to H No D 64 A and D 92 to D 100 in Ward No - 16E/AC-58/S.S.Z	MCD	16 25	2022-23	Sanction issued
15	Improvement/Development of Lanes of B Block Shakarpur by pdg RMC and drain in lanes from H No B 32 to H No B 47A and B 46 and B 48 in Ward No. 15-E/AC-58/S.S.Z.	MCD	9 36	2022-23	Work Complete and Recovery raised
16	Improvement/Development of Lanes of Master Block Shakarpur by pdg. RMC and drain from H. No MB 8A to MB 14, H No MB 15 to B 94 and links near H. No MB 26, MB 30 and MB 32 in Ward No 15-E/AC-58/S.S.Z.	MCD	15.93	2022-23	Sanction issued
17	Improvement/Development of Lanes of U Block Shakarpur by pdg RMC and drain from H No U 27 to H No U 56 and links near H No U 35, U 44A, U 54, U 59 in Ward No 15-E/AC-58/S.S Z	MCD	17.79	2022-23	Sanction issued
18	Improvement/Development of Lanes of Saket Block Mandawali by pdg RMC and drain for Gali No 10 main road to H No 10/5, link near H No 83 and Gali No 15 H No 46 to H No 46 B in Ward No -16F/AC-58/S.S.Z.	MCD	6 70	2022-23	Work Complete and Recovery raised
19	Imp Dev of Gali from H No 5 to H No 15 and link upto H No 11 in Kishan Kunj, Laxmi Nagar Ward No 13-E/AC-58 in Shah (S) Zone	MCD	7 93	2022-23	Work Complete and Recovery raised
20	Imp Dev of Gali from H No F-58 to H No F-65 in F Block Jawahar Park Laxmi Nagar Ward No. 13-E/AC-58 in Sh. (S) Zone.	MCD	9.93	2022-23	Work Complete and Recovery raised
21	Imp Dev of Gali from H. No -135 B to H. No -131 in J-Extn, Laxmi Nagar Ward No. 13-E/AC-58 in Sh (S) Zone	MCD	7.33	2022-23	Work Complete and Recovery raised
22	Imp Dev of Gali No -16, 17 and links in F-Block Laxmi Nagar Ward No.-14/AC-58 Sh. (S) Zone.	MCD	20.95	2022-23	Work Complete and Recovery raised
23	Imp Dev of Gali No -7, 11, 12, 13 and 14 in F-Block Laxmi Nagar Ward No.-14/AC-58 Sh (S) Zone	MCD	22.71	2022-23	Work Complete and Recovery raised
24	Imp Dev. of road from T-point Jawahar Park to Gurudwara Vishwakarma Park Ward No -13-E/AC-58 Kishan Kunj Sh. (S) Zone	MCD	24.95	2022-23	Work Complete and Recovery raised
25	Imp Dev of lane from H No. 207 to 242 P.D. Vihar by pdg RMC and Paver Block in Ward No 14E/AC-58 Shah (S) Zone.	MCD	28 62	2022-23	Sanction Issued
26	Providing and fixing of iron gates in South Ganesh Nagar, Dhiraj Block/South Ganesh Nagar in AC-58 Laxmi Nagar Assembly Constituency.	I&FC	21.67	2022-23	Sanction issued
27	Imp. Dev of gali from H No. F-740 to H-50 D and F-13/752 to F-18/756 Ganesh Nagar-II in Shakarpur Ward No-15E/AC-58 Sh S Zone	MCD	21.50	2022-23	Sanction issued
28	Imp Dev of gali from H No -7 C to 31 A, 44 A to 2 B and links to 29 F, 3 A in Ganesh Nagar-II Shakarpur Ward No-15 E/AC-58 Sh S Zone	MCD	21 73	2022-23	Sanction issued
29	Imp Dev of gali from H No MB 97 A to MB 106, MB 123 A to MB 90 MB 127 to MB 86 and links in Master Block Shakarpur Ward No-15 E/AC-58 Sh S Zone	MCD	20 79	2022-23	Sanction issued
30	Imp Dev of gali from H No H-93 A to H-51 A and links to H-114 A, H-100 and H-88 C in Shakarpur Ward No-15 E/AC-58 Sh S Zone	MCD	16 65	2022-23	Sanction issued

	Kishan Kunj W. No 13E/AC-58 Sh. S. Zone	MCD	24.02	2022-23	Sanction issued
32	Imp Dev. of D Park by pdg Walkway, boundary wall etc in D-Block Pandav Nagar W. No.-16E/AC-58 Sh. S Zone	MCD	24.25	2022-23	Work Complete and Recovery raised
33	Improvement/Development of Lanes of Saket Block Mandawali by pdg RMC and drain for Gali No 16 from H No 88 to H No 88C and Gali No 17 H No 90 to H No 90 D in Ward No.-16E/AC-58/S.S.Z	MCD	5.24	2023-24	Work Complete and Balance Released
34	Providing and fixing victorian Garden Benches & RCC Bench at different locations in Laxmi Nagar Assembly Constituency (AC-58)	I&FC	18.25	2023-24	Work Complete and Balance Released
35	Imp Dev. of gali along Mahila Park upto H. No. G-26/G-27 and H-30 to H-14 in Shakarpur Ward No.-15 E/AC-58 Sh. S. Zone	MCD	22.35	2023-24	Work Complete and Recovery raised
36	Imp Dev. of gali from H No H-49 to H-40, H-39 to H-19A and H-35 to H-25 in Shakarpur Ward No.-15E/AC-58 Sh. S. Zone	MCD	20.50	2023-24	Work Complete and Recovery raised
37	Imp Dev of lane H No 881-A to H No 871-A and culvert in different location at K-Block, Laxmi Nagar in Ward No 14E/AC-58 in Laxmi Nagar in Shah (S) Zone	MCD	5.09	2023-24	Work Complete and Recovery raised
38	Imp Dev of lane H No 33 to H No 36 in Gyan Kunj Laxmi Nagar in Ward No 14E/AC-58 in Laxmi Nagar in Shah (S) Zone	MCD	6.63	2023-24	Work Complete and Recovery raised
39	Imp Dev of lane from H No 1 to H No 18 in Gyan Kunj Laxmi Nagar in Ward No. 14E/AC-58 in Laxmi Nagar in Shah (S) Zone	MCD	32.46	2023-24	Work Complete and Recovery raised
40	Imp Dev of lane from H No A-43 to H No A-36 in A-Block Priyadarshani Vihar in Ward No 14E/AC-58 in Laxmi Nagar in Shah (S) Zone	MCD	14.16	2023-24	Work Complete and Recovery raised
41	Provision of lighting arrangements with 5 meter street light poles at different locations in Laxmi Nagar (AC-58) under Shahdara (S) Zone	MCD	17.80	2023-24	Work Complete and Balance Released
42	Imp/Dev of link roads from H No. F-169 to F-170, F-171/5 to F-172/A, F-171/4 to F-178 and F-177 to F-180 in F-Block Laxmi Nagar in Ward No.-14E, AC-58 Shah South Zone	MCD	106.97	2023-24	Work Complete and Balance Released
43	Imp Dev of lane from H No FF-6 to FF-19 B and FF-19 to FF-14 and FF-34 to H No FF-36 in Laxmi Nagar in W No 203/AC-58 SSZ	MCD	22.15	2023-24	Work Complete and Recovery raised
44	Imp. Dev of lane from H No F-15 to F-6/B and from FF-20/A to FF-38 in Laxmi Nagar in W No. 203/AC-58 SSZ	MCD	23.67	2023-24	Work Complete and Recovery raised
45	Imp Dev of lane from H No FF-51 to F-41/A and from FF-7 to FF-40 in Laxmi Nagar in W No. 203/AC-58 SSZ	MCD	27.02	2023-24	Work Complete and Recovery raised
46	Improvement Development of park by providing walkway and boundary wall etc in Tanki wala Park, PD Vihar in Laxmi Nagar Ward No 203/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	14.72	2023-24	Work Complete and Recovery raised
47	Improvement and development of road in front of MC Pry. School S-Block to B-142 in Pandav Nagar Ward No 16-E/200 AC-58	MCD	30.59	2023-24	Work Complete and Recovery raised
48	Imp/development of lanes surrounding in MC Pry School B-Block from H No B-100 to B-99 and B-48 to B-80 and B-48 to B-100 and B-80 to B-99 and gali adjoining dispensary near H No B-45 in Pandav Nagar Ward No 16-E/200 AC-58 Shah South Zone	MCD	24.47	2023-24	Work Complete and Recovery raised
49	Improvement and development of Dhobi Ghat Pandav Nagar by construction of hall, sheds and balance portion of boundary wall and repair of toilets in W. No 16-E/200 AC-58 Shah South Zone	MCD	68.51	2023-24	Sanction issued
50	Improvement development of park by pdg walkway and boundary wall etc in Gyan Kunj Park in Laxmi Nagar Ward No 203/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	32.23	2023-24	Sanction issued
51	Imp Dev of gali from H. No B-53 to Kaiser Valley School and link in Ganesh Nagar Extn-II W No-202 Shakarpur AC-58 Sh S Zone	MCD	14.97	2023-24	Sanction issued
52	Improvement Development of park by providing walkway and boundary wall etc in Jagat Ram Park in Laxmi Nagar Ward No.-203/AC-58 Shah. (S) Zone	MCD	35.59	2023-24	Sanction issued
53	Imp dev of road from Ambedkar Library to Rishab Medicos in WB Block W. No. 202 Shakarpur AC-58 Sh. S. Zone	MCD	23.98	2023-24	Work Complete and Balance Released
54	Imp dev of park by providing walkway and boundary wall etc in Sanjay Park in Laxmi Nagar Ward No 203/AC-58 Shah. (S) Zone	MCD	20.81	2023-24	Work Complete and Balance Released
55	Imp dev of gali from H. No U-100 to U-112, U-7 to U-12 and U-16 to U-18 in Shakarpur W. No. 202 AC-58 Sh. S. Zone	MCD	15.20	2023-24	Work Complete and Balance Released
56	Improvement Development of lane from H No. 637 to 726 and to Gurudwara Road Guru Angad Nagar, Laxmi Nagar Ward No. 203/AC-58 Shah. (S) Zone	MCD	10.90	2023-24	Work Complete and Balance Released
57	Provision of E.I and fans at Dhobi Ghat Pandav Nagar in Ward No 16-E/200 under Shahdara South Zone	MCD	2.74	2023-24	Work Complete and Balance Released
58	Construction of entry gates on main market road Shakarpur in W No 202 AC-58 Sh. S. Zone	MCD	24.57	2023-24	Work Complete and Balance Released
59	Imp Dev of park and entry gate adjacent to H No 84 near Temple in Kishan Kunj W No. 201 Lalita Park AC-58 Sh. S. Zone	MCD	19.97	2023-24	Sanction issued
60	Improvement Development of gali from H No -WA-61 to WA-64 in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	3.75	2023-24	Work Complete and Balance Released
61	Improvement Development of gali from H No -WB 59B to WB 71 and link in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	11.33	2023-24	Work Complete and Balance Released
62	Improvement Development of gali from H No -WB-98 to WB-121 in Shakarpur in Ward No. 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	7.93	2023-24	Work Complete and Balance Released
63	Improvement Development of gali along H No -F/F-495/2 in Ganesh Nagar Shakarpur in Ward No. 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	8.23	2023-24	Sanction issued
64	Improvement Development of gali from H No -WB-17 to WB-52 in Shakarpur in Ward No. 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	11.79	2023-24	Work Complete and Balance Released
65	Improvement Development of gali from H No -WB-106 to WB-108 in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	6.14	2023-24	Work Complete and Balance Released
66	Improvement Development of street along H No -S 606, H No -S 610 and H No -S 490 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	12.17	2023-24	Sanction issued

12/c

67	Improvement Development of gali from H No -S 168 to S 390 and H No -S 391 to S 393 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	4 73	2023-24	Work Complete and Balance Released
68	Improvement Development of gali from H No.-S 54 to S 63 and links in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	8 38	2023-24	Work Complete and Balance Released
69	Improvement Development of gali from H No -S 91C to S 94D Sunder Block and H No -D-1 to D-10 in Shakarpur Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	7 21	2023-24	Sanction issued
70	Improvement Development of gali on either side of H No -12A in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone.	MCD	5 12	2023-24	Work Complete and Balance Released
71	Improvement Development of gali from H No.-WA-36 to WA-40 in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	4.70	2023-24	Work Complete and Balance Released
72	Improvement Development of gali from H No.-S 180 to S 129 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone.	MCD	8 51	2023-24	Work Complete and Balance Released
73	Improvement Development of gali from H No -S 264 to S 278 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone.	MCD	8.49	2023-24	Work Complete and Balance Released
74	Improvement Development of gali from H No -S 173 A to S 386 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	7.08	2023-24	Sanction issued
75	Improvement Development of gali from H No -S 481 to S 586 and link upto dairy in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	9 40	2023-24	Sanction issued
76	Improvement Development of gali from H. No -S 452 to S 443B, H No -S 456 to S 438 and H No -S 443 to S 543 in School Block Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	10.01	2023-24	Sanction issued
77	Improvement Development of gali from H No -S 451 to S 414 and H No -S 421 to Park in Shakarpur in Ward No 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	9.04	2023-24	Work Complete and Balance Released
78	Improvement and development of lane from H No -A-97 to A-42 in Pandav Nagar Ward No. 200, AC-58, SSZ	MCD	10 67	2023-24	Sanction issued
79	Improvement/development of gali Retender Ashram wali in Pandav Nagar Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	13 06	2023-24	Work Complete and Balance Released
80	Improvement and development of lane from H No -D-50 to D-55 in Pandav Nagar Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	4 15	2023-24	Work Complete and Balance Released
81	Improvement and development of lane from H No -A-39 to A-57 in Pandav Nagar Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	10 64	2023-24	Sanction issued
82	Improvement and development of lane from H No -D-8 to D-49 in Pandav Nagar Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	9 34	2023-24	Work Complete and Balance Released
83	Improvement and development of lane in D-Block near H. No -D-Block near H No -D-20, D-21, E-109, D-55, D-100 in Pandav Nagar Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	17.10	2023-24	Sanction issued
84	Improvement/development of Urja Vihar road from BSES substation Mandawali to H No 145/63 (Pan Corner) in Pandav Nagar, Ward No 200, AC-58 SSZ	MCD	76.11	2023-24	Sanction issued
85	Improvement /Development of street from H no U-126 to U-135, U-149 to U-136 and links in U-Blk Shakarpur Ward no. 202, SSZ	MCD		2024-25	sanction issued
86	Improvement/Development of streets from H no U-152 to U-157 and U-175 to U-180 and links in U-Blk Shakarpur ward no. 202 SSZ.	MCD	12.94	2024-25	santion issued
87	Improvement /Development of streets along H no. S-523 and TVS Showroom in school block Shakarpur ward no. 202, SSZ	MCD	7.86	2024-25	santion issued
88	Improvement /Development of streets along H no S-519 to S-522 and link in school block shakarpur ward no 202, SSZ	MCD	4.08	2024-25	santion issued
89	Improvement /Development of Lane from H no WA-197 to WA-200 D in WA block, Shakarpur ward no. 202 SSZ	MCD	2.93	2024-25	santion issued
90	Improvement/Development of link roads from H no J-9 to J-7, J-15 to J-13, J-33 to J-31 and J-1 to J-31/A in J-Block and K-57 to 479, K-90 to K86, K-10 to K-115, K-6 to K-108, K-99 to K-18 near H no K-108, K-87 to K-36, K-88 to K-45 and 475 to 470 in K-Block Laxmi Nagar in SSZ	MCD	185.99	2024-25	sanction issued
91	Improvement/Development of roads in front of MC Primary School Kishan Kunj from H.no 132 to 127, 120 to 115, 109-114, 96 to 91, 42 to 37, 31 to 36 and 18 to 13 in Kishan Kunj Part-I in ward 203 Shah (S) Zone	MCD	148.4	2024-25	santion issued
92	Improvement/Develpoment of roads from H.no J-3/9 to J-3/17 in J-3 Blk in ward no. 201 in J-Extn Lalita Park in SSZ.	MCD	10.86	2024-25	santion issued
93	Improvement/Development of roads near MC Primary School to Hno. 108, J-3/122 to J-3/100, J-3/123 to J-3/127, J-2/144 to J-2/145 to J-2/152 and J-2/173 to 55 near Mazid in Vishwakarma Park in ward no. 203 Shah. (S) Zone	MCD	127.01	2024-25	
94	Improvement/Development of link roads from H no F-36B to F-243, F-50B to F-73B, F-54 to F-81B, F-243 to F-81B, F-202 to F-206, F-142 to F-142 to F-119 in F-Block Laxmi Nagar D-6 to E-36 203 Shah (S) Zone.	MCD	192.73	2024-25	santion issued
95	Improvement/Development of road from D-6 to E-36 in Pandav Nagar, ward no. 200 SSZ.	MCD	63.26	2024-25	santion issued
96	Improvement/Development of Link Surrounding Radha Kishan Temple H.no. C-134, C-96 A in Pandav Nagar, ward no. 200 SSZ	MCD	25.79	2024-25	santion issued
97	Improvement/Development of roads from H.no B-3 to B-14, B-20 to B-33 (Suhash Chowk), C-70 to C-20, C-1/A to C-10/11 (Aruna Park) and Tikona Park, G-90 to 6/A Vijay Block in Laxmi Nagar 203 Shah (S) Zone	MCD	184.54	2024-25	santion issued
98	Improvement /Development of roads near H no E-60 to E-7, E-43-E-48 front, E-43 to E-18 Back, E-42 to E-37, E-19 to E-24, E-18 to E-13, E-49 to E-51, E-36 to E-29, E-36 to E-31-A, E-25 to E-30 and E-7 to E-9 in E-Block Laxmi Nagar 203 Shah (S) Zone	MCD	126.9	2024-25	santion issued
99	Improvement /Development of roads from H no B-3 to G-89, B-7 to G-82, B-7 to G-37, G-1 to G-73, G-7 to G-52 to G-49 and G-69 to G-59 in G-Block, Laxmi Nagar Ward no. 203 Shah. (S) Zone	MCD	122.98	2024-25	santion issued

100	Improvement/ Development of road from H.no. 149 Near SBI to Maharaja Hotel in Mangal Bazar road by Pdg RMC in ward no 203 Shah. (S) Zone	MCD	113.13	2024-25	santion issued
101	Improvement/ Development of Aruna Park Gali from H no C-1 to C-20 and from H no E-1 to C1/A and links Pdg RMC in C-Blk Laxmi Nagar in ward no 203 Shah (S) Zone	MCD	32.15	2024-25	santion issued
102	Imrovement/ Development of park by pdg Walway boundary wall etc in Mahila Park Kishan Kunj, Laxmi Nagar in ward no 203 Shah (S) Zone	MCD	19.08	2024-25	santion issued
103	Imp /Dev Of park by pdg Walkway boundary wall etc in A-blk P.D Vihar Near H no A-92 P D Vihar ward no 203/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	26.89	2024-25	sanction issued
104	Imp/Dev Of Park by pdg Boundary wall etc. near Yadav nursing home Guru Ram Das Nagar, Laxmi Nagar ward no 203/AC-58 Shah (S) Zone	MCD	12.88	2024-25	sanction issued
105	Imp /Dev Of lane from H.no C-268 to C-253 in C-blk Pandav Nagar, ward no 200 AC-58 SSZ	MCD	15.33	2024-25	sanction issued
106	Imp /Dev Of lane from H no C-216 to C-235 in C-blk Pandav Nagar, ward no 200 AC-58 SSZ	MCD	14.91	2024-25	sanction issued
107	Imp /Dev Of lane from H.no C-134 to C-148 in C-blk Pandav Nagar, ward no. 200 AC-58 SSZ	MCD	10.74	2024-25	sanction issued
108	Imp./Dev Of lane from H.no C-169 to C-151 in C-blk Pandav Nagar, ward no 200 AC-58 SSZ	MCD	12.61	2024-25	sanction issued
109	Imp./Dev. of Hanuman Mandir Wali gali Saket Block Mandawali Pandav Nagar ward no. 200 AC-58	MCD	11.99	2024-25	sanction issued
110	Imp./Dev of Street from H.no. S-22 to S-117 and lane along park in Sunder Blk Shakarpur ward no 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	11.53	2024-25	sanction issued
111	Imp /Dev of Street from H no S-64 to S-149 in Sunder Blk Shakarpur ward no 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	14.09	2024-25	sanction issued
112	Imp /Dev of Street from H no S-41 to S-53 and link in School Blk Shakarpur ward no 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	18.73	2024-25	sanction issued
113	Imp /Dev of Street from H no WA/113 to WA/106 C WA/98 to WA/190 and lane link in WA Blk Shakarpur ward no 202/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	16.73	2024-25	sanction issued
114	Imp./Dev of Lane fron H no A-58 to A-46 in A- Blk Pandav Nagar ward no 200 AC-58	MCD	11.90	2024-25	sanction issued
115	Imp./Dev of road from PWD road Aggarwal Sweet corner A-15 to A-7 in Pandav Nagar ward no. 200 AC-58	MCD	23.01	2024-25	sanction issued
116	Construction of Link Roads from H No 735 to R-18, H No 772 to 701, Guru Ram Dass Nagar Extension, Lalita Park, Laxmi Nagar in Ward No. 201/AC-58 in Shahdara South Zone	MCD	16.17	2024-25	sanction issued
117	Improvement Development of Street from H No J-37/1 to H No. 44 in J-Extn. Ward No. 201 Lalita Park Shahdara South Zone	MCD	9.11	2024-25	sanction issued
118	Improvement Development of Street from H No H/71 to H/58, H No H/34 to H/43 and Link in Ward No 201 Lalita Park AC-58 Shahdara South Zone	MCD	20.4	2024-25	sanction issued
119	Improvement Development of Street from H No E8A to C-5 and Link in Ganesh Nagar-II Shakarpur Ward No 202 Shah South Zone	MCD	5.15	2024-25	sanction issued
120	Improvement Development of Lane from H. No. S-47 to H No S-66 in School Block Shakarpur Ward No. 202 Shah South Zone	MCD	6.81	2024-25	sanction issued
121	Improvement Development of Street From H No. C-703 to C-28/643 in Ward No. 202 Shakarpur AC-58 Sh. South Zone	MCD	20	2024-25	sanction issued
122	Improvement Development of Street from H No C-689 to B-593 upto C-46/610 in Ward No. 202 Shakarpur AC-58 Sh S Zone	MCD	16.4	2024-25	sanction issued
123	Improvement Development of Street from H No S-221 to S-71 in School Block Ward No. 202 Shakarpur AC-58 Sh. South Zone	MCD	10.23	2024-25	sanction issued
124	Improvement Development of Street No 06 from H No F-19 to 22A and Link upto School in Vishwakarma Park Ward No 201 Lalita Park AC-58 Shahdara South Zone	MCD	7.58	2024-25	sanction issued
125	Improvement Development of Lanes from H No J-3/84 to J-3/86 via J-3/107 J-Extension Ward No 201/AC-58 Lalita Park Shahdara South Zone	MCD	19.43	2024-25	sanction issued
126	Providing and Fixing of MS Security Gates in A-Block Mandawali, Laxmi Nagar AC-58	I & FC	19.19	2024-25	sanction issued
127	Provision of Five Mtr Octagonal Pole with 60W LED Light Fittings in various MCD Parks in Ward No 200 and 202 in AC-58 (Laxmi Nagar) undere Shah South Zone	MCD	21.13	2024-25	sanction issued
128	Improvement Development of Gali No 02 from H No. J-111 to H No 106 in J-Block Extension by pdg RMC in Ward No 203 Laxmi Nagar Shahdara South Zone	MCD	7.22	2024-25	sanction issued
129	Improvement Development of Gali No 16 from H No 12 to H No. 662 and Gali No 02 from H. No 12 to H No 04 and its Link in West Guru Angard Nagar by pdg RMC in Ward No. 203 LAxmi Nagar Shah (S) Zone	MCD	19.48	2024-25	sanction issued
130	Imp/Dev Of lane from H no U -10 to U-24A in ward no. 202 Shakarpur SSZ	MCD	2.58	2024-25	sanction issued
131	Imp/Dev. Of lane from H.no WB 156 to D-786 in ward no 202 Shakarpur SSZ	MCD	7.12	2024-25	sanction issued
132	Imp/Dev Of lane from H.no 54 to 61A and link upto 65A in South Ganesh Nagar in ward no. 202 Shakarpur SSZ	MCD	5.33	2024-25	sanction issued
133	Imp/Dev Of lane from H no A-21 to A-30 in South Ganesh Nagar in ward no. 202 Shakarpur SSZ	MCD	6.78	2024-25	sanction issued
134	Imp/Dev Of lane from H no WB 56 to WB-73 in ward no 202 Shakarpur SSZ	MCD	6.35	2024-25	sanction issued
135	Imp/Dev Of street along H no J-3/71 to J-3/108 in J-Extn in ward no 201 Lalita Park, SSZ	MCD	9.70	2024-25	sanction issued
136	Imp /Dev Of road and drain Lamba Cycle wali Gali and Links from H no K-3 to M-81, H no K-14 to H no K-18 and H no M-81 in Guru Ram Dass Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	21.42	2024-25	sanction issued

137	Imp /Dev Of road and drain Link from H no K-108 to H no. K-9, H.no K-99 to H no K-15 and H no K-87 to H no. K-32 and H no K-73 to H no K-31 in Guru Ram Dass Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	16.15	2024-25	sanction issued
138	Imp /Dev Of road and drain Link from H no M-91 to H no N-44/B in M & N Block, Laxmi Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	10 59	2024-25	sanction issued
139	Imp /Dev Of road and drain from H no K-10 to H no 115 H no K-111 to H no K-585 and H no K-86 to H no K-90 and H no K-57 to H no 479 in Guru Ram Dass Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	12 63	2024-25	sanction issued
140	Imp./Dev Of road and drain link from H no J-25 to J-27 H no J-13 to J-15, H no J-7 to J-9, H no L-50 to L-52 in J & L Block Laxmi Nagar by Pdg RMC in ward no.- 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	10.01	2024-25	sanction issued
141	Imp /Dev Of road and drain link from H no K-66 to H no K-45, H no K-59 to H no 63 and H no K-59 to H.no K-48 and H no K-4 to H no K-6 in Guru Ram Dass Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	16.31	2024-25	sanction issued
142	Imp /Dev Of road and drain link from H no L-120 to L-125 H no L-119 to L-115 in L Block Laxmi Nagar by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	13.77	2024-25	sanction issued
143	Imp /Dev Of road and drain link from H no 487 to H no 82B and Guru Angad Nagar Extn by Pdg RMC in ward no - 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	5.63	2024-25	sanction issued
144	Imp./Dev Of road and drain link from H no L-3/4 to H no. L-55 H no J-9 to J-27 and H no J-33 to H no J & K -166 in L Block by Pdg RMC in ward no.- 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	27 31	2024-25	sanction issued
145	Imp /Dev Of road and drain from H no M-1116 to M-127 in M-Block by Pdg RMC in ward no.- 203 SSZ	MCD	8 92	2024-25	sanction issued
146	Imp /Dev Of road and drain from H no 67 to H no 57 in East and Enclave by Pdg RMC in Laxmi Nagar ward no.- 203 SSZ	MCD	17 60	2024-25	sanction issued
147	Imp /Dev Of road and drain from H no 67 to H no 57 in East and Enclave by Pdg Interlocking tiles in Laxmi Nagar ward no - 203 SSZ	MCD	9 86	2024-25	sanction issued
148	Imp /Dev Of road and drain link L-Block H.no L-65 to H no M-14 by Pdg RMC in ward no.- 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	17 46	2024-25	sanction issued
149	Imp /Dev Of road and drain link from H no L-79 to H no L-64 in L-Block by Pdg RMC in ward no.- 203 Laxmi Nagar SSZ	MCD	9.68	2024-25	sanction issued
150	Construction of link roads from H.no 82 to 75, Gali no 4, H no D-207 to D-229 Gali no 9, H no D-230 to D-240 Gali no 10, H no D-274 to D-383 Gali no 14, in D-Block, Lalita Park, Laxmi Nagar, ward no 201/AC-58 in SSZ	MCD	61.90	2024-25	sanction issued
151	Imp /Strengthening of road by dense carpeting from H no 74-68, 67-90, 67-43, 49 to 48, 107 to 93, 107 to 108, 09 to 08, 108 to 119, 134 to 140, 158 to 167, 284 to 247, 302 to 183, 220 to 241, 23 to 34, 21 to 10, 292 to 297 and 120 to 126 in Bank Enclave in ward no 203 Laxmi Nagar in AC-58 SSZ	MCD	84.63	2024-25	sanction issued
152	Imp/Dev Of Sarpanchvada gali no 1,2,3 and gali no 8 from H no. 123A/Old no 500, A H.no A-58 to H no 37, H.no 53/Old no 412 to h no 242, H no 342/4 to H.no 68, H no 108 to Shankaryacharya Public School in Mandawali ward no Pandav Nagar ward no -200 AC-58 SSZ	MCD	42 94	2024-25	sanction issued
153	Construction of Link roads from H.no 90 to 110, Gali no 5 (I-Block), H no 4 to 23 Gali no 1 (I-Block), H no 80 to 89 (H-Block), Garhwaki Mohalla, Lalita Park, Laxmi Nagar, in ward no 201/AC-58 in SSZ	MCD	65 16	2024-25	sanction issued
154	Construction/Imp Dev Of Road between Police Colony and PS Laxmi Nagar in Ward No 201 Lalita Park AC-58 Sh S Zone	MCD	[illegible]	2024-25	sanction issued
155	Construction/Improvement Development of street along H No R-105-A to GGSS School Ramesh Park Ward No 201 Lalita Park Shahdara South Zone	MCD	15.39	2024-25	sanction issued
156	Construction/Improvement Development of street along H No J-21 to J-24 in J-Extn Ward No 201 Lalita Park Shahdara South Zone	MCD	4.31	2024-25	sanction issued
157	Construction/Improvement Development of street along H No R-104-A to Transformer in Ramesh Park Ward No 201 Lalita Park Shahdara South Zone	MCD	14.5	2024-25	sanction issued
158	Construction/Improvement Development of street No 5 from H No 212 to H No 234 and Link in Lalita Park Ward No 201 Shahdara South Zone	MCD	14.78	2024-25	sanction issued
159	Construction/Improvement Development of street along H No J-26 to J-165 in J-Extn Ward No. 201 Lalita Park Shahdara South Zone.	MCD	17.3	2024-25	sanction issued
160	Construction/Improvement Development of Lane from H. No. H-31 to Park Ward No 202 Shakarpur Shahdara South Zone	MCD	10.39	2024-25	sanction issued
161	Provision of Lighting arrangement in MCD Park Tanki Wala near H No A-30 P D Vihar and near Sri Sanatan Dharm Mandir Guru Angad Nagar Laxmi Nagar Ward No 203 in AC-58 (Laxmi Nagar) under Shahdara South Zone	MCD	7.6	2024-25	sanction issued
162	Development of THREE (03) Nos Parks in Ganesh Nagar Complex, Pandav Nagar, Laxmi Nagar (AC-58)	I&FC	59.3	2024-25	sanction issued
163	Construction/Improvement and Development of Lane B-Block from H No B-49 to B-59 and B-60 to B-40 and link near Shop No 27 to 36 in Pandav Nagar Ward No 200 AC 58 SSZ	MCD	23.5	2024-25	sanction issued

	Construction/Improvement and Development of Lane Block-B from H no B-47 to B-58 in Pandav Nagar Ward No. 200 AC 58 SSZ	MCD	10.9	2024-25	sanction issued
165	Construction/Improvement and Development of Lane Block-B from H. No. B-26 to B-17 in Pandav Nagar Ward No 200 AC 58 SSZ	MCD	9.4	2024-25	sanction issued
166	Construction Improvement and Development of Lane from H No. B-48 to B-Block School Road in Ward No 200 Pandav Nagar AC 58 SSZ	MCD	11.77	2024-25	sanction issued
167	Improvement and Development of Walk way S-Block Park in front of MC Pry School Pandav Nagar Ward No. 200 AC 58 SSZ	MCD	20.2	2024-25	sanction issued
168	Construction Improvement and Development of Culvert at Pandav Nagar near Shop No. 44 and 45 and Shop No D-10 and D-14 and near Bikaner Sweets A-Block Pandav Nagar Ward No 200 AC 58 SSZ	MCD	8.5	2024-25	sanction issued

77. श्री संजीव झा: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कोई भी नया मकान या बिल्डिंग बनाने का क्या मापदंड है;

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने अवैध मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए, वार्ड अनुसार विवरण दीजिए;

(ग) नोटिस जारी करने के बाद इनमें से कितने मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर कार्यवाही की गई;

(घ) कार्यवाही करने के बाद कितने मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, कारण सहित विवरण दें;

(ङ) क्या दोबारा कंस्ट्रक्शन होने के बाद पुनः कोई कार्रवाही की गई; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का संबंधित अफसरो पर कोई कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र सहित दिल्ली नगर निगम के अधीन सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्र में नया भवन बनाने के लिए मापदंड दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और संयुक्त भवन निर्माण उपनियम 2016 द्वारा तय है।

(ख)

वर्ष	वार्ड संख्या और नाम	बुकिंग की संख्या
जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022	6 (कादीपुर)	18
	7 (बुराड़ी)	56
	8 (झड़ौदा)	37
	9 (कमालपुर)	56
	10 संत नगर)	39
जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड	6 (बुराड़ी)	71
	7 (कादीपुर)	08
	9 (संत नगर)	70
	10 (झड़ौदा)	112

(ग)

वर्ष	वार्ड, संख्या और नाम	चालू वर्ष में बुक की गई सम्पत्यिों/पिछले वर्षों में बुक की गई सम्पत्तियों/चल रहे निर्माण पर की गई तोड़फोड़/सीलिंग कार्यवाही की संख्या
जनवरी, 2000 से	6 (कादीपुर)	78

दिसम्बर, 2022	7 (बुराड़ी)	125
	8 (झड़ौदा)	76
	9 (कमालपुर)	82
	10 (संत नगर)	67
जनवरी, 2023 से	6 (बुराड़ी)	75
दिसम्बर, 2024	7 (कादीपुर)	29
तक (परिसीमन के	9 (संत नगर)	50
पश्चात वार्ड	10 (झड़ौदा)	100

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई भी विवरण विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध नही है।

(च) उपरोक्त संदर्भ के साथ नही।

78. श्री संजीव झा: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 की तुलना में मिलने वाले 15 करोड़ के एमएलए लैड बजट को 2025-26 में कम करने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाएं;

(ग) एमएलए लैड फंड में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष 2024-25 में एमएलए लैड के अवार्ड हो चुके कामों का बजट वापिस ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उन कामों का विवरण दें; और

(च) एमएलए लैड फंड के अंतर्गत विधायकों को 1993 से लेकर वर्तमान तक वित्तीय वर्ष के अनुसार कितना बजट उपलब्ध कराया गया है, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) से (च) पूरा विवरण एकत्रित किया जा रहा है। पूर्व जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा।

79. श्री संजीव झाः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों में विधायक निधि कोष से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना अभी भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो अनाधिकृत कालोनियों में एमएलए लैड फंड से लगने वाली स्ट्रीट लाइट किस विभाग के द्वारा लगाई जाएगी;

(ग) क्या यह सत्य है कि अब इन कालोनियों में एमएलए लैड फंड से टाटा पावर के द्वारा पहले स्ट्रीट लाइट लगाई जाती थी जो अब उनके द्वारा नहीं लगाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उसका कारण स्पष्ट करें; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा एमएलए लैड फंड से अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जा सकती है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) अनाधिकृत कॉलोनी में विधायक निधि से स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती है।

(ख) अनाधिकृत कॉलोनी में अधिकृत कार्यकारी एजेंसी ये काम कर सकती है। (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिस्कॉम, डीएसआईआईडीसी इत्यादि)।

(ग) इस संबंध में कार्यवाही एजेंसी (टाटा पावर) से वार्ता करके उनको स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में प्रस्ताव इस विभाग में विधायक निधि योजना के अंतर्गत जमा कराया जा सकता है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) जो भी अनाधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव तत्कालीन माननीय विधायक की संस्तुति के आधार पर एमसीडी द्वारा हमें भेजे जायेंगे। उस एम एल ए लैड द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा।

80. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत किन-किन विभागों को कितना फंड दिया गया है, पूर्ण विवरण दें; और

(ख) अभी तक उस फंड का क्या इस्तेमाल किया गया, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) और (ख) शाहदरा विधानसभा के क्षेत्रें में वर्ष 2020-2025 की अवधि में शहरी विकास विभाग के एमएलए लैड शाखा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची अनुलग्नक 'डी' पर संलग्न है।

शाहदरा विधानसभा के क्षेत्रें में MSPY योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

Consti''ency		Name of Work (33)	Executing Agency	Revised Estimates	1st Instalment (50%)	Dated	Financial Year
AC-62 (Sahadara)	566464	1.Improvement/Strengthening of roads by providing Dense carpeting of Block J&K and I Pocket Dilshad Garden in Ward No. 28E Shahdara (North) Zone in AC--62	MCD	124.02	62.01	24.09.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	569052	1.Improvement/Strenghtening of roads of SG Pocket in Dilshad Garden Ward 28-E Sh-N-Zone.	MCD	144.4	72.2	24.09.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	574051	1. Improvement/Development of lane from H.No. 257 to 271, adj. to H.No. 8/24, Lane from. H.No. 95/01 to 07 Gurhal Mohalla and Lane from H.No. 27/5/1/2 to 7/27 at Church 9 Road by pdg. RMC in ward NO. 30-E Jhilmil [illegible]	MCD	8.69	4.34	22.10.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	574051	2. Improvement/Development of lane from H.No. 455 to Kali Mata Mandir by pdg. RMC in Jwala Nagar Ward No. 30-E Jhilmil Shah(S). / Zone	MCD	6.81	3.4	22.10.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	574051	3. Improvement/Development of Pal Gali, from 9H.No. 66/1 to 57-B and links by pdg. RMC in Jwala Nagar Ward No. 30-E Jhilmil Shah(S) Zone	MCD	20.84	10.42	22.10.2019	-2019-202(
AC-62 (Sahadara)	574051	4.Improvement Development of lanes by pdg RMC from H.No. B-1 to B-15, B-26 to B-33 and 8-55 to 8-63 and B-1 towards cremation ground Jwala Nagar in Vivek Vihar Ph-II in AC- 62 Shah. South Zone.	MCD	64.77	32.38	22.10.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	577564	1.Strengthening of road by pdg. Dense Carpeting from H.No. B-188 to H.No. B-201 and Lions Bhawan to H.No. B-84, B-Block Vivek Vihar, AC-62, Shahdara South Zone	MCD	34.26	17.13	15.11.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579828	1.Improvement/Development of Lanes and Drainage System by pdg. RMC H.No. A-35 to GTB Road and H.No. A-20 to A- 33, A-Block, Dilshad Garden in AC-62 in Ward No. E-29 Shah, South Zone.	MCD	21.5	10.75	28.11.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579828	2. Improvement/Development of lanes and Drainage System by pdg. RMC H.No. B- 40 to B-74 and B-188 to B-201 Park Vivek Vihar AC-62 in Ward No. E-29 Shah, South Zone	MCD	24.55	12.27	28.11.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579828	3. Improvement/Development of Lanes and Drainage System by pdg. RMC H.No. C-339 to PWD Road near DJB Vivek Vihar and H.No. 07 Shiva Khand AC-62 in Ward No. E-29 Shah, South Zone	MCD	3.82	1.91	28.11.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579514	1.Improvement/Development Road by pdg. RMC from H.No. 4/785 to H.No.192/1C in Gali No. 13, Raghunath Mandir, Bholanath Nagar, Shahdara, AC-62, Shahdara South Zone.	MCD	8.93	4.46	28.11.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579651	1.Improvement/Development of Lane from H.No. 363 to Vidya Punj, Public School and Lane from H.No. 210 to H.No. 178 by pdg. RMC in Mukesh Nagar, Jwala Nagar in Ward No. 30-E Jhilmil, Shahdara South Zone.	MCD	6.68	3.34	12.12.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579651	2. Improvement/Development of Lane from Shiv Mandir (Bodh Vihar) to H.No. 77C/47 and links by pdg. RMC in Mukesh Nagar, Jwala Nagar in Ward No. 30-E Jhilmil, Shahdara South Zone	MCD	7.51	3.75	12.12.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579651	3. Strengthening of road by pdg. Dense carpeting from H.No. B-190 to ICICI 9 Bank, H.No. B-211 to B-219, C-159 to C- 178, C-89 to C-178, C-289 to Gurudwara, C-260 to Ram Mandir, Vivek Vihar in AC-62, Shahdara South Zone.	MCD	74.52	37.26	12.12.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	579651	4. Improvement/Development of Road by pdg. RMC from DCP Office to H.No. 458 and link, H.No. 953/A to 28A, HRNo. 451 to 4/1225, H.No. 4/1388 to 4/1374, H.No. 4/1525 to Pandav Road and H.No. H28/18A to Eidgah, Bhola Nath Nagar, AC-62, Shahdara South Zone:	MCD	61.07	30.53	12.12.2019	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	584881	1.Improvement Development of road by pdf RMC from Property No. 458/460 Gali No. 8 to H.No. 421, Laxmi Property Gali Now 6 to BSES Pole Gali no. 6, H.No. 1/536 Gali No 5to 1/536-1/8 Gal No 5 Friends Colony, Hans Rajya Compound Gali No. 4-1/2 to H.No. A-1 Gali No. 4-1/2 Friends Colony, H No 944 to H No. 360/7E and HN 174/18 to H NO 208 H No.4/1678 to H No 4/1684 Bhola Nath Nagar and from H No. 6/118 to H No 6/129 Lodi Mohalla, Farsh [illegible]	MCD	125.93	62.96	6.01.2020	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	584881	2. Strengthening of road by pdg Dense carpeting from H No. B-190 to ICICI Bank, H No. B-211 to 8 219 C-159 to C-178 C-89 to C 178, C-289 to Gurudawara C260 to Ram Mandir, Vivek Vihar In AC-62, Shahdara South Zone.	MCD	74.52	37.26	6.01.2020	2019-202(
AC-62 (Sahadara)	724774	Improvement/Development of road and lane from H. No. 49 to 53, H. No. 54 to 59, H. No. 2 to 6, H. No. 45 to 48, H. No. 77 to 95, H. No. 96 to 100, H. No. 101 to 105, H. No. 180 to 184, H. No. 190 to 209, H. No. 210 to 214, I G-Block and H. No. 170 to 175 in F-Block, Dilshad Colony by pdf RMC from in Ward No. 217	MCD	45.82	22.91	06.03.2023	2022-23
AC-62 (Sahadara)	721982	Imp. Dev of link lane from H.No. C-143 to C-133 C Block Vivek Vihar by pdg. RMC in Ward No. 29E Vivek vihar South Zone	MCD	8.06	4.03	23.02.2023	2022-23

AC-62 (Sahadara)	721982	Improvement and Development of lanes from H.No D-1 to Dhobi Ghat by providing RMC with side drain inward No/. 30E Jhilmil Shahdra (South) Zone	MCD	60.5	30.25	23.02.2023	2022-23
AC-62 (Sahadara)	721982	Improvement and Development of roads from H.No. 496 to 498/1 (Pandav Nagar tp PWD Road) in Bholanath Nagar by providing RMC in inward No. 31-E Jhilmil Shahdara (South) Zone.	MCD	40.33	20.16	23.02.2023	2022-23
AC-62 (Sahadara)	535657	Construction of Road H No. 29 to H.No. 458/466 Dargah Friends Colony (Gali No. 2 to Gali No. 8) Industrial Area in Ward no. 29-E (Shahdra South Zone) in AC-62/Shahdra	MCD	50.97	25.48	27.2.2019	2019-2C
AC-62 (Sahadara)	535657	Improvement and Development of lanes and drainage system by pdg. RMC H.No. 4/1593 ot 496/A/S-2 Mahavir Block and H.No. 5/445 to 5/438 Mohalla Maharam Shahdara (AC-62) in Ward no. 31E Shahdara South Zone	MCD	4.42	2.21	27.2.2019	2019-2C
AC-62 (Sahadara)	569052	Improvement/Strengthening of roads of SG Pocket in Dilshad Garden Ward 28-E SH.N.Zone	MCD	144.4	72.2	24.9.2019	2019-2C
AC-62 (Sahadara)	21528699	Improvement Development of lane and link adj. To H.No. -247 to 249, H.No. -374 to 368, H.No. -60/147 to 7/180, Drain adj. To shop no.-109 by pdg. RMC in post office gali and jawahar Mohalla in Shahdara in Ward NO. -30E Jhilmil Shahdara south Zone (AC-62)	MCD	15.21	7.6	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	21528699	Improvement /Development of lane and link adj to H.No-192 , H.No. 191 ,H.No.-177, H.No. -38 H>No. -123 H.No. 126 and H.NO.136 by providing RMC in Gurhai Mohalla, shahdara in Ward No. 30-E Jhilmil Shahdara, South Zone.	MCD	5.65	2.82	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement Development of Lane and drainage system by pdg RMC H No. 198 gali No 209 gali no 11 Bhola Nath Nagar Shahdara (AC-62) in ward No. 31 E in AC-62 Shahdara South Zone.	MCD	7.6	3.8	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement Development of Lane and drainage system by pdg. RMC H. No 421/3 to H. No 126 gali No 10 H. no 4/327 to 4/327 to 4/71A/1 gali no. 4 and 254/5 to 257/B Gali no. 3. 251 3B to 251/2A Gali No. 6 Bhola Nath Nagar Shahdara (AC-62) in ward No. 31 E in AC-62 Shahdara South Zone.	MCD	9.28	4.64	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement Development of lane and drainage system by pdg. RMC H.No. 4/2364 to H.No. 4/2356 Gali No.S. H.No. P-31 to H.No. 2616 gali No.8. H.No. 4/2654 to 4/2649 in Gali No.7. Bihari Colony Bhola Nath Nagar Shahdara (AC-62) in ward No.31E in Shahdara South Zone	MCD	9.61	4.8	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement Development of lanes and drainage system by pdg. RMC H. no 4/1273/1 to H. No. 4/1268 Gali No. 4 near Handa School and H.no 484/1 to H. No. 474 gali No. 10 Dalhai Mohalla, Shahdara (AC-62) in ward No. 31E shahdara South Zone.	MCD	7.22	3.61	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement Development of lanes and drainage. system by pdg. RMC H.No 4/31 to H. No. 466 Cane sound Gali Teliwara and 4/38 to H. No 26/1 Pathanpura Shahdara (AC-62) in ward No. 31 E shahdara South Zone.	MCD	4.81	2.4	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	536739	Improvement development of lanes and drainage system by pdg RMC H.no. 5/299 to H.no. 93, 85 and H. No. 51 to 24, 503 Gajju Katra Shahdara (AC-62) in ward No. 31E Shahdara South Zone	MCD	9.99	4.99	28.02.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No. 62/4C to 54/1 and H.No. 360,383,388/2 Teliwara Shahdara in Ward no-31 E AC/62 Shahdara South Zone	MCD	12.59	6.29	18.1.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No 153, 3/151 to 3/15A, 165, 163, gali Ganga Ram Shahdara in ward no-31E AC/62 Shahdara South Zone	MCD	7.26	3.63	18.1.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No. 6/229, 6/207 Doonger Mohalla, 4/17 to 4/1 Pathanpura, Shahdara village in Ward no-31 E AC/62 Shahdara South Zone	MCD	8.77	4.38	18.1.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No. 17, 100/6, 2/67, 68/1, 192 nao 222 Chhota Bazar to Gurudwara Teliwara Shahdara in Ward no-31 E AC/62 Shahdara South	MCD	17.49	8.74	18.1.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No.-5/210, 5/210, 5/139, 5/141 Chhota Bazar Gali ganga Ram Gali Shahdara Village in Ward no-31 E AC/62 Shahdara South	MCD	6.8	3.4	18.1.2019	2018-19
AC-62 (Sahadara)	529448	Imp. dev of drainage system H.No. 5/221, 228 Gazzu Katra 280/1, 284 Thakurwara, 5/276, 320, 288, 246, 214 Mohalla Sarai Shahdara Village in Ward No. -31 E AC/62 Shahdara South Zone	MCD	13.63	6.81	18.1.2019	2018-19

S. No.	Name of works	Agency	Revised Estimated Amount	Year	Status
	AC-62 Shahdara MLA Sh. Ram Niwas Goel				
1	Imp. Dev. Of different lanes from H.No. B-21 G-1 Gate No. 6 to B-37 G-2 and links, H.No. B-37 G-4 to B-39 G-2, H.No B-28 G-2 to Gate No 8 and links, H.No. 39 G-1 Gate No. 9 to B-46 G-2 near park and links of DDA Flats B Block Dilshad Garden in ward No. 29-E AC-62 Shahdara South Zone	MCD	115.13	2021-22	Work Completed
2	Imp. Dev. Of roads from H No. 101A to H No. 71A/2A H No. 4/131 to H No. 174/4 and links Gali No. 7 old Tejab Mill, Bhola Nath Nagar AC-62 Shahdara South Zone	MCD	34 34	2021-22	Work Completed
3	Imp. Dev. Of different lanes from H.No 263 to 275, H No 315 to 297, H.No 250 to 261, H No. 183 to 169, H.No. 167 to 147, H.No. 163 to 101, H.No. 66 to 38 and H.No. 16 to 01 in Triveni Apartment, Jhilmil Colony in AC-62 Shahdara South	MCD	28.35	2021-22	Work Completed
4	Installation of RO Plant for Synthetic Hockey Turf, Three Seaer Benches, High Mast Pole in the premises of Vivekanand College, Vivek Vihar, Delhi in AC-62/ Shahdara	PWD	114.52	2021-22	Work Completed
5	Installation of 2 number of Semi High Mast Light poles at A Block & B- Block, Vivek Vihar and 20 number of 5 Mtr Street Light poles to cover the dark spots in Ward No.29-E (Vivek Vihar)under Shahdara South Zone	East DMC	9.95	2022-23	Work Completed
6	Installation of 5 number of Semi High Mast Light poles with LED fittings at B-Block Dilshad Garden (1 No.), B Block jhilmil colony (1No.) Govind Khand (1 No.), Lodhi Mohalla Bholanath Nagar (1 No.) Bihari Colony (1 No) in AC-62 (Shahdara) under Shahdara South Zone.	MCD	9.51	2022-23	Work Completed
7	Imp. Dev. of road from H. No. B-1 to B-127 in B-Block Jhilmil by pdg. Dense carpet in Ward No. 29-E Vivek Vihar Shah. (S) Zone.	MCD	39.77	2022-23	Work Completed
8	Imp. Dev. of service lane from H. No A-76 to H. No A-117 in Vivek Vihar A-Block Phase-I by pdg RMC in Ward No 29-E Vivek Vihar Shah (S) Zone.	MCD	12.20	2022-23	Sanction issued
9	Imp. Dev of Gali No 10 from H No 154 to 209/1B in Bhola Nath Nagar by pdg RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	4.87	2022-23	Sanction issued
10	Imp Dev of Gali No 13 from H No P-12 to 2465, Gali No 8 from H No P-46 to 126 and Gali No 9 from H No P-136 to P-190 in Bihari Colony pdg RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	12.70	2022-23	Sanction issued
11	Imp Dev. of Gali No 2 from H No 4/2934 to 4/2441 in Shri Ram Colony by pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	4.42	2022-23	Sanction issued
12	Imp. Dev of link of Gali No. 15 Bhola Nath Nagar and Gali No 1 Bihari Colony from H No. 190/A/5 to 4/2896 pdg. RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	6.82	2022-23	Sanction issued
13	Imp. Dev. of Gali No 7 Ajeet Yadav wali gali and Gali No. 4 Dr. Mittal wali Gali in Bihari Colony pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	6.03	2022-23	Sanction issued
14	Imp Dev. of Gali No 14 from H. No 4/189 to 4/1470 in Mahavir Block pdg. RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	12.07	2022-23	Sanction issued
15	Imp. Dev. of Gali No. 6 from H. No 4925/1 to 469 E/11A in Mahavir Block And Gali No. 2 from H. No 4/1479 to 497 A/2C (Akhare wali Gali, Mohalla Mahaam) pdg. RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	20.31	2022-23	Sanction issued
16	Imp. Dev. of road in Dungar Mohalla Ishwar Pradhan wali gali and road from H. No. 305/1 to 274 in Dungar Mohalla Balmiki Mohalla pdg. RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	12.22	2022-23	Sanction issued
17	Imp. Dev. of Gali No. 2 from H. No. 4/2917 to 4/2913 in Sri ram Colony, Bihari Colony and Gali No. 6 from H No 484/5A/2 to 484/6A/2 in Shalimar Park by pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	7.11	2022-23	Sanction issued
18	Imp. Dev of gali from H No 3/181 to H No 408 in Bada Thakur Dwara pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	7.84	2022-23	Work Complete
19	Imp. Dev of Baiji Mandir wali gali from H No 428 to 452 and link in Pathanpura and gali Ganga Ram Mandir wali, Bada Thakur Dwara and link in pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	6.66	2022-23	Work Completed
20	Imp Dev of gali No. 7 (Pawan Sharma wali gali) from H No. P-116 to P-182 and from H. No. 4/2569 to 2573C in Bihari Colony pdg. RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	10.00	2022-23	Work Completed
21	Imp. Dev. of gali behind Geeta Bhawan in Telewara from H. No. 24/16 to 4/26 and from H. No. 4/26 to near 22/10 in Telewara pdg. RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	8.19	2022-23	Work Completed
22	Imp Dev. of gali No. 3 from H No 4/1668 A to Service Road from H. No. 4/1758 to 4/1932 in Mahavir Block by pdg RMC in Ward No 31-E Shahdara (S) Zone	MCD	7.13	2022-23	Work Completed
23	Imp. Dev. of road from H No 421 to 424, 418C to 418 and 425 to 427 in Telewara near Jaat Dharamshala in Shahdara by pdg RMC in Ward No. 31-E Shahdara (S) Zone.	MCD	4.18	2022-23	Work Completed
24	Imp. Dev. of lane from H No. 338 to 340 & H. No 340 to 278 Triveni Apartment by pdg RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	8.31	2022-23	Sanction issued

25	Imp. Dev. of lane from H No 200 to 213 Triveni Apartment by pdg RMC in Ward No 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	7.07	2022-23	Sanction issued
26	Imp Dev. of lane from H No 7/385 to 27/29/2 Gopi Chand Marg Jwala Nagar by pdg. RMC in Ward No 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	6.57	2022-23	Work Completed
27	Imp. Dev. of lane from H No C-14 to C-24 in C-Block Jhilmil by pdg RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	8.29	2022-23	Work Completed
28	Imp. Dev. of lane from H. No. D-57 to D-71 in D-Block Jhilmil by pdg RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone.	MCD	10.19	2022-23	Work Completed
29	Imp. Dev. of lane from H. No. C-42 to C-29 in C-Block Jhilmil by pdg. RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	9.67	2022-23	Work Completed
30	Granite stone cladding on outer wall and security measures on back side along boundary wall, internal wall finishing in Vivekananda College, Vivek Vihar, Delhi.	PWD	66.05	2022-23	Work Completed
31	Providing and fixing 7 Nos of 12 mtr Semi High Mast pole at Shahdara Ward No. 31-E (2 Nos.), Vivek Vihar Ward No 29E (2 Nos.), Jhilmil Ward No. 30-E (3 Nos.) under Shahdara South Zone.	MCD	16.68	2022-23	Work Completed
32	Imp. Dev. of lane from H. No. 267 to 272 Gali No. 6 Halkara Kuan Jwala Nagar by pdg. RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone.	MCD	7.38	2022-23	Work Completed
33	Imp. Dev. of lane from H. No. 246 to 236 Gali No 6 near Peer Baba Jwala Nagar by pdg. RMC in Ward No. 30-E Jhilmil Shah. (S) Zone	MCD	6.89	2022-23	Work Completed
34	Imp. Dev. of roads from H No 7/311 to Indra Park, (Krishna Gali), H. No 27/96/2A (Amar Ashram to Indira Park School) and links, Gali No. 6 from H. No. C 175 to H No 741 (Vatsalya Mandir), H No 627 Kela Godown to H No 543, H No 77C/9/6B to H. No 77C/8A (Devi Ahilya Bai Park), Shop No 254 to H No 82/5, H No 27/23 Circular Road to H No 27 14 (Hari Mandir) and links at Jhilmil, Ward No 30E in AC-62 Shahdara South Zone	MCD	60 75	2022-23	Work Completed
35	Imp. Dev. of boundary wall of B-Block DDA MIG Flats, Vivek Vihar Phsae-II in Ward No. 29-E, Vivek Vihar AC-62 Shahdara South Zone.	MCD	35.47	2022-23	Sanction issued
36	Providing and fixing 01 set of open Gym and Victorian Benches in Shishu Vatika back side of JSC-62CJ1109 in Dr. Ambedkar Camp, A & B Block, Jhilmil Insutrial Area.	DUSIB	9.17	2022-23	Sanction issued
37	Providing and fixing Tri-colour strip on street light poles in the Shahdara area AC-62 under Sub Division-4/M-2533, Delhi.	PWD	44.51	2023-24	Work Completed
38	Providing & fixing of Victorian Garden Bench in different Wards of Shahdara Constituency (AC-62)	I&FC	24.31	2023-24	Work Completed
39	Providing and fixing of Victorian Garden Benches in Shahdara Ward No. 215 (30 Benches), Ward No. 216 (30 Benches) and Ward No. 217 (40 Benches) of Shahdara Constituency (AC-62).	I&FC	15.18	2023-24	Work Completed
40	Imp. Dev. of Idgah Road from H. No. 4/2268 to 294/1/6 (55B), H. No. 190/A6 to 4/2896 and H. No. 183/3 to links of Gali No. 1A, H. No. 190/A6 to 4/2906, H. No. 363 to 360/A4, Gali No. 4, H No 237/1 to 481, Gali No 6, H. No P-107 to B-36, H No. 102 to P-22A and H No 4/2669 to P-36 in Gali No. 6, Bihari Colony, MC Pry School Bhola Nath Nagar to H. No. 556C, State Bank Gali and BSES Transformer to H No 438/5, Bhola Nath Nagar and H No 4/2382 to 2549/A-1, Gali No. 10 Bihari Colony by pdg RMC in Ward No 215 AC-62 Shahdara South Zone	MCD	101.68	2023-24	Work Completed
41	Provision of electrical installations in Senior Citizen Centre D-Block, Dilshad Garden in Ward No 217 in AC-62 under Shahdara North Zone	MCD	0.97	2023-24	Work Completed
42	Improvement Development of boundary wall from B-1 Gate No 1 to Gate No. 2 (opposite DDA Flat) Vivek Vihar Phase-II adj RUB in Ward No 216/AC-62 Shah (N) Zone	MCD	26.84	2023-24	Work Completed
43	Provision of lighting arrangement with 5 meter long GI Pole in various locations of Vivek Vihar, Mukesh Nagar, Jhilmil, Jwala Nagar, Dilshad Garden, Old Seemapuri and Dilshad Colony at Ward No. 216 & 217 in AC-62 under Shahdara North Zone.	MCD	27.25	2023-24	Work Completed
44	Providing and fixing of semi high mast poles in Dilshad Colony, Dilshad Garden, Old Seemapuri, Jhilmil, Vivek Vihar, Mukesh Nagar and Jwala Nagar at Ward No. 216 & 217 in AC-62, under Shahdara North Zone.	MCD	23.65	2023-24	Work Completed
45	Improvement Development of road/lane from Shop No. 254 to MC Pry School (near Mahadev Mandir) Circular Road in Mukesh Nagar in Ward No. 216/AC-62 Shah (N) Zone and Improvement Development of road/lane from H. No 112 to H. No. 99 E Block Jwala Nagar and from H. No 637 to H. No. 546 and from H. No. 245 to H No. 415 Gali No. 6, Jwala Nagar in Ward No 216/AC-62 Shah (N) Zone.	MCD	48.45	2023-24	Sanction issued
46	Improvement Development of road from H No A-82 to H No A-251 and from H No A-168 to H No. A-182 and from H No 51 to H No 73 in A Block Jhilmil Ward No 216/AC-62 Shah (N) Zone and Improvement Development of road/lane from H No. B-85 to H No. B-99 H No 140 to H No 154 and patch repair H No 170 in B-Block Jhilmil Colony in Ward No 216/AC-62 Shah (N) Zone	MCD	40 67	2023-24	Sanction issued

47	Improvement Development of road/lane from Aam Aadmi Polyclinic to H. No. 51-A/1 (799) Shiv Shakti Mandir and link, Church Road Jwala Nagar in Ward No. 216/AC-62 Shah (N) Zone.	MCD	61.47	2023-24	Sanction issued
48	Improvement Development of Boundary Wall adj railway line A Block DDA, Vivek Vihar near H. No. A-1 in Ward No. 216/AC-62 Shah (N) Zone and providing and fixing of Security Gates at various locations in Shiva Khand & Govind Khand, Jhilmil in Ward No. 216/AC-62 Shah (N) Zone	MCD	37.44	2023-24	Sanction issued
49	Improvement/Development of drainage system in Satyam Enclave, Jhilmil Colony in Ward No 216/AC-62 Shah (N) Zone.	MCD	56.26	2023-24	Sanction issued
50	Improvement Development of road in Janta Qtr. Vivek Vihar Phase-I in Ward No 216 Jhilmil Shah (N) Zone.	MCD	32.51	2023-24	Sanction issued
51	Improvement Development of Lane by pdg RMC and paver block near Gate No.1 from H.No. B-1 to B-63 Vivek Vihar Phase-II in ward No 216/AC-62 Shahdara, SNZ	I&FC	59.65	2023-24	Sanction issued
52	Improvement Development of Lane from H No B-70 to B-77 Vivek Vihar Phase-II by providing RMC in ward No 216/AC-62 Shahdara, North zone	MCD	20.76	2023-24	Work Completed
53	Providing and Fixing of 250 Nos Victorian Garden Bench (Ward No 215 - 30 Nos Bench, Ward No. 216 - 100 Nos Bench, Ward No. 217 - 120 Nos Bench) of Shahdara Constituency (AC-62)	I&FC	38.01	2023-24	Sanction issued
54	Shifting of Electric Substation Dall Mill, opposite Super Dry Cleaner, J&K Block, Dilshad Garden due to change in location, in AC-62/Shahdara	BSES	74.28	2023-24	Sanction issued
55	Imp. Dev. of lane from H.No.6/230 to H.No.6/55 in Mohalla Maharam & link in Chhota Thakur Dwar near H.No. 181/IIIC by pdg RMC in Ward No 215 Shahdara, Shah. South Zone.	MCD	10.09	2023-24	Sanction issued
56	Imp. Dev. of Gali No. 12 from H.No 4/747 to H.No. 4/731 in Bhola Nath Nagar by pdg. RMC in Ward No.215 Shahdara. Shah. South Zone	MCD	15.33	2023-24	Work Completed
57	Imp. Dev. of Gali No 6 from H.No.424/1A to H. No.425/2A in Bhola Nath Nagar and lane in Prjapati Mohalla from H.No 315A to H No 307 by pdg. RMC in Ward No.215 Shahdara, Shah South Zone.	MCD	7.90	2023-24	Work Completed
58	Shifting of substation 'Sardar Aluminium' adjoining to SK Mohit Palace to proposed location i.e. opposite to B-17, Jhilmil Industrial Area in AC-62/Shahdara	BSES	30.21	2024-25	Sanction issued
59	Imp /dev. of road from H no 252A to 4/622. H no 73/74 to 354, Gali no 8, Mani Ram Mandir Marg, H.no 4/1724-A(Sona Maternity) to 4/1854, Rama Block, N-194 to 353/B-2, Gali no 14 & 13, Bholanath Nagar,411/3A to 411/3D, Pandav Road, Gali no 4,5,5A & 6 and Gali SBI and Link Gali no 2(259 to 254/6) by pdg. RMC in Ward no 215 Ac-62 Shahdara South Zone	MCD	61 38	2024-25	Sanction issued
60	Imp./dev. of road from Raju Tent to H no 4/2727(Inder Palace Chowk), Main Road, Bholanath Nagar, H.no N-30 to N-25, Gali no 13, Bihari Colony, H.no. 180/E-2 to 28/18, Gali no. 0, Eidgah road & H.no. 259 to 254/6, Gali no 2 and links by pdg RMC in ward no 215 AC-62 Shahdara South Zone.	MCD	56.34	2024-25	Sanction issued
61	Imp./Dev. of drain in Vishwakarma Nagar from RUB Kashturba Nagar to Jagnnath Temple in Jhilmil Ward no 216/AC-62 Shahdara North Zone.	MCD	137.03	2024-25	Sanction issued
62	Improvement /Strengthening of roads of R-Blk and A- Block in Dilshad Garden Ward no 217 in AC-62 Shahdara North Zone	MCD	118.39	2024-25	Sanction issued
63	Imp./Dev. Of lane from H.no. 5/27 to balmiki Temple in Gajju Katra Shahdara by Pdg. RMC in ward no. 215 Shah.(South) Zone	MCD	6.38	2024-25	Work Completed
64	Imp./Dev. Of Gali no. 12 from H.no 460B to H no. 4/1523 in Mahavir Blk Bhola Nath Nagar by Pdg RMC in ward no 215 Shah.(South) Zone	MCD	14.39	2024-25	Sanction issued
65	Imp./Dev. Of Gali no. 15 from H.no. 1985 to H no. 460A/1B in Mahavir Blk Bhola Nath Nagar by Pdg. RMC in ward no. 215 Shah.(South) Zone	MCD	11.38	2024-25	Sanction issued
66	Imp./Dev. Of Gali no 1 from H.no 848/2 to H no. 496/1B in Shalimar Park & from Pandav road to H.no 3/37 in Mohalla Maharam Shahdara by Pdg RMC in ward no. 215 Shah.(South) Zone	MCD	18.72	2024-25	Sanction issued
67	Imp./Dev Of lanes from H.no 2794/95 to H no. 2794/11 (near Cambridge Public School) in Jawala Nagar by Pdg RMC in ward no 215 Shah (South) Zone	MCD	6.28	2024-25	Work Completed
68	Imp./Dev. Of Gali no. 12 from H no. P 54 to Jain Mandir in Bihari Colony by Pdg. RMC in ward no. 215 Shah.(South) Zone	MCD	7.87	2024-25	Sanction issued
69	Imp./Dev. Of Lane from H no. 459/6/5 to H.no 459-B5 and from H.no. 4/15/32 to 1533 in Dalhai Mohalla & lane in Chotta Thakur Dwara by Pdg. RMC in ward no. 215 Shah.(South) Zone	MCD	9.55	2024-25	Sanction issued
70	Construction of Security Gate om F-Block Dilshad Colony by Pdg. RCC etc. in Ward no 217 Dilshad Colony, Shah. North Zone	MCD	11.73	2024-25	Sanction issued

71	Construction of Senior Citizen Recreation Hall with library at Block-C, Jhilmil Colony AC-62, Shahdara	DUSIB	53.60	2024-25	santion issued
72	Strengthening of road by pdg Dense carpeting from H no. 4/2377(Inder Palace) to DJB Store, Road no 57, Main Road Bholanath Nagar in ward no 215, AC-62, Shahdara South Zone	MCD	51.79	2024-25	santion issued
73	Imp /Dev. of road from H no 28-B(End) to BSES Transformer, Bholanath Nagar, H.no 4/404 to 4/421, Gali no 11 Idgah Road Bholanath Nagar, 356 to 360-A Gali no 5, Jharkhandi Road, 178/5 near Idgah Gate to 4/2261 gali no 13 and link gali no 1 & 2, Bihari Colony, P-183 to P-188/2, Gali no 10, Shri Ram Colony to P-185, Bihari Colony by Pdg. RMC in ward no 215 AC-62 Shahdara South Zone	MCD	83.28	2024-25	santion issued
74	Imp./Dev. of road and drain from H.no. 552 to Vatsalya Academy and Masjid Wali Gali in Jwala Nagar by Pdg RMC in ward no. 216 in Shahdara North Zone.	MCD	24.5	2024-25	santion issued
75	Improvement and strengthening of the road/lanes from Jwala Nagar Shamshan Ghat to Red –Light Kasturba Nagar near H no 28/110A by providing dense carpeting in ward no. 216 in Shahdara North Zone	MCD	62.76	2024-25	santion issued
76	Imp./Dev. of road by pdg RMC from H.no 626 to H no 745 in Gali no. 6, Jwala Nagar, ward no. 216 Shah (N) Zone.	MCD	18.77	2024-25	santion issued
77	Imp./Dev. of Lane by pdg RMC from H.no 108 to H no. 124 in A-Blk , Vivek Vihar Phase-II in ward no. 216 Shah (N) Zone.	MCD		2024-25	santion issued
78	Imp./Dev. of Lane from H.no C-63 to C-68, H no. 401 to H.no. 450, H. no. C-407 to C-412, H.no. 499 to H.no. C-505, H no. D-184 to Dharamshala, H.no D-87 to D 178/1, H no. D-179 to D-184, H no. B-289 to B-51/52 and F-35 to F-24 in B,C,D and F Block., Old Seemapuri in Ward no 217, AC-62 Shah (N) Zone	MCD	38.49	2024-25	santion issued
79	Construction of roads/links and drains from H no 4/2371, Gali no 10, R-42 to R-2/8, Gali no 8, R-50/C to R-40/B Gali no 7, R-50 to R-58, Gali no 6 4/2298 to 4/2313, Gali no 4 2284 to 97-D, Gali no 3, 2257 to 4/2252, Gali no 2 and their links and 2273 to S-13, Gali no 3, near Railway Line, Bihari Colony Shahdara By pdg RMC in ward no. 215 AC-62 Shahdara South Zone	MCD	62 44	2024-25	Santion issued
80	Constrution of roads/links and drains from H no 4/2613 to Gali no. 9 MCD parking, 803 to Post Office, Gali no 15 Bholanath Nagar and Pry School Gali no. 4 Mani Ram Road Bholanath Nagar Shahdara by pdg RMC in ward no 215 AC-62 SSZ	MCD	16.91	2024-25	Santion issued
81	Construction of roads/links and drains from H.no. 4/2280 to 180/E-1.F, Back Side of Idgah Raod, Bihari Colony Shahdara by pdg RMC in Ward no 215 AC-62 Shahdara South Zone.	MCD	12.94	2024-25	Santion issued
82	Construction of roads/links and drains from H.no 4/2242 to Electric Pole no. 692, Ravi Dass Gali, Bihari Colony and 2818-A/99 to Sheetla Mandir Bholanath Nagar Extn. (Near Idgah) Shahdara by pdg. RMC in ward no 215 AC-62 SSZ	MCD	11.55	2024-25	Santion issued
83	*Construction of Gali No.2 from H.No.630/10 to H No.341/A/96 in Shalimar Park Extension by pdg. RMC in Ward No.215 Shahdara Shah South Zone*	MCD	5.43	2024-25	Santion issued
84	*Construction of Gali No.7 from H.No.1571 to H.No.494/4 in Mahavir Block and link of Gali No.10 in Dallui Mohalla by pdg RMC in Ward No 215 Shahdara Shah South Zone*	MCD	8.11	2024-25	Santion issued
85	Construction of road from H No.305/1 to H No 274 in Doonger Mohalla & Ishwar Pradhan Wali Gali by pdg. RMC in Ward No.215 Shahdara, Shah. South Zone	MCD	15.31	2024-25	Santion issued
86	Construction of road from H No.6/245 to H No 257 in doongar Mohalla by pdg RMC in Ward No.215 Shahdara Shah South Zone	MCD	7 36	2024-25	Santion issued
87	Providing and fixing M.S gratting in the area of Ward No 215 Shahdara, Shah. South Zone	MCD	7 04	2024-25	Santion issued
88	Providing and fixing of 250 nos Victorian Garden Benches (125 Benches in ward no. 216 and 125 Benches in ward no 217) in AC-62/Shahdara	I & FC	40.56	2024-25	Santion issued
89	Provision of five nos of 12 Mtr SHML Pole with LED Fittings to attend dark spots of Shahdara ward No. 215 under Shahdara South Zone.	MCD	11.88	2024-25	Santion issued
90	Provision of 5 mtr street light pole wih LED fixtures to attend dark spot of Shahdara Ward 215 under Shahdara South Zone.	MCD	21.82	2024-25	Santion issued
91	Improvement and development of Electrical Installations at Community Hall, Dilshad Colony, C-Block in ward no. 217, AC-62 under Shahdara (North) zone	MCD	13.89	2024-25	Santion issued
92	Provision of 5 mtr Street Light Poles with LED fixtures to attend dark spots of Jhilmil ward no 216 in AC 62 under Shahdara (North) zone	MCD	21.48	2024-25	Santion issued
93	Imp/Dev of Lane by pdg RMC from H.no 193A to H.no 204/A and near H.no. 125, Opposite Shiv Temple in Satyam Enclave, Ward no 216 Jhilmil Shahdara North Zone in AC-62/Shahdara	MCD	16 63	2024-25	Santion issued

94	Imp/Dev. of Drainage from H no 184 to 165 and 167 to 149 and its surrounding lanes and links by pdg brick work in near Shiv Mandir, Satyam Enclave in ward no. 216 Jhilmil Shahdara North Zone in AC-62/ Shahdara	MCD	18 74	2024-25	Santion issued
95	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Feriwala Park Bholanath Nagar Ward no 215 SSZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
96	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Ramleela Park Bholanath Nagar (Maharishi Balmiki Park Lavkush Park) Ward no.215 SSZ	MCD	5 53	2024-25	Santion issued
97	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Tikona Park Jwala Nagar (Tikona Park) Ward no.215 SSZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
98	Providing & Installation of Open Gym Equipments at Subzi Mandi Chhota Bazar Park Ward no.215 SSZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
99	Restoration of settled sewer line by replacing old-damaged Peripheral sewernge network from anaj Mandi towards Jwala Nagar Chowk near Prakash Dairy, under ward 215 AC-62 Shahdara under EE(D)-014	DJB	13.28	2024-25	Santion issued
100	Restoration of old-damaged sewerage network from H No-A-86 to A-107 in A Block Vivek Vihar Ph-II in ward 216 AC-62 Shahdara under EE(D)-014	DJB	6.84	2024-25	Santion issued
101	Restoration of old-damaged sewerage network behind Dr. Narender Nath Gali near H No-33, Shalimar park in ward 215 AC-62 Shahdara under EE(D)-014.	DJB	6.01	2024-25	Santion issued
102	Improvement of sewerage position by replacing old-damaged sewerage system at various location in Bholanath Nagar and Extn (like Dunger Mohalla, Sarai Mohalla, Mahavir Block,etc) under ward 215 AC-62 Shahdara under EE(M)-62.	DJB	19.35	2024-25	Santion issued
103	Replacement of old-damaged 100mm dia water line in left out portion of Bada Thakur dwara Near H No-306, bholanath nagar, Shahdara under ward 215 AC-62 in EE(D)-014.	DJB	5.14	2024-25	Santion issued
104	Reconstruction of old damaged UGR roof including renovation of rooms at H Pockets Dilshad Garden UGR in AC-62 under EE(D)-014	DJB	42.8	2024-25	Santion issued
105	Removing contamination problem by replacement of 100 mm dia old -damaged CI water lines at R block dilshad Garden in ward no-217(Dilshad Colony) under AC-62 in EE(D)-014	DJB	9.72	2024-25	Santion issued
106	Improvement of water supply position by replacing old-damaged 100mm dia water line near shop no. 324 & H.No-309 in Post office Wali gali, chota bazaar, Shahdara under ward 215 AC-62 in EE(M)-62	DJB	11.73	2024-25	Santion issued
107	Replacement of old-damaged water line near H No-7/140, 7/146 and 7/168, Jwahar Mohalla, Shahdara under ward no-216 (Jhilmil) AC-62 in EE(M)-62	DJB	12.86	2024-25	Santion issued
108	Removing contamination problem by replacement of 100 mm Dia old damaged C.I. water line at H-Block H No. 326 to 425 and G- block old Seema Puri in ward no. 217 (Dilshad colony) under AC-62 in EE(D)-014	DJB	18.44	2024-25	Santion issued
109	Replacement of old damaged and undersized sewer line by 300mm Dia pipe in B-211 in B-31 in B-Block &A-Block Jhilmil colony in AC-62 in EE(D)-014	DJB	21.98	2024-25	Santion issued
110	Repairing of damaged 600 mm Dia waterline near Geeta Bhawan Bholanath Nagar by providing laying 600 mm Dia DI pipeline in ward No 215 Shahdara under AC-62 in EE(D)-014	DJB	10.64	2024-25	Santion issued
111	Providing & Installation of Open Gym Equipments in B Pocket Park-1 Ward no 217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
112	Providing & Installation of Open Gym Equipments in B Pocket Park-2 Ward no 217 SNZ	MCD	5 53	2024-25	Santion issued
113	Providing & Installation of Open Gym Equipments in Park -1 Dilshad Colony Ward no 217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
114	Providing & Installation of Open Gym Equipments in Park -2 Dilshad Colony Ward no.217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
115	Providing & Installation of Open Gym Equipments in J&K Pocket Park-1 Dilshad Garden Ward no 217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
116	Providing & Installation of Open Gym Equipments in J&K Pocket Park-2 Dilshad Garden Ward no 217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
117	Providing & Installation of Open Gym Equipments in I-Pocket Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
118	Providing & Installation of Open Gym Equipments in M-Pocket Dilshad Garden Ward no.217 SNZ.	MCD	5.53	2024-25	Santion issued
119	Providing & Installation of Open Gym Equipments in R-Block Dilshad Garden Ward no 217 SNZ	MCD	5.53	2024-25	Santion issued

81. सुश्री शिखा रॉयः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 से 2025 की अवधि में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किए गए हैं;

(ख) वर्तमान में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्माणाधीन कार्यों का क्षेत्रवार विवरण क्या है;

(ग) क्या वित वर्ष 2025-26 में शहरी विकास विभाग द्वारा क्या कोई योजना प्रस्तावित अथवा विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार की कोई योजना है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि में शहरी विकास विभाग के एमएलए लैड शाखा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'सी')

ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में MSPY योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची 'डी' पर संलग्न है।

ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची '1' पर संलग्न है।

वर्ष 2019 से 2024 की अवधि में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में इस भाग के सी-05 और सी-06 खंड दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'अ' एवं 'ब')

वर्ष 2019 से 2025 तक दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि में शहरी विकास विभाग के एमएलए लैड शाखा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'सी')।

गेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में MSPY योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची 'डी' पर संलग्न है।

ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची '2' पर संलग्न है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'ब')

(ग) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि में शहरी विकास विभाग के एमएलए लैड शाखा द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'सी')

(घ) एमएलए लैड फंड के अंतर्गत आवंटित धन राशि के तहत विकार कार्यों को स्वीकृत कराया जा सकता है।

(ङ) एमएलए लैड फंड के अंतर्गत आवंटित धन राशि के तहत विकास कार्यों को स्वीकृत कराया जा सकता है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

82. श्री जरनैल सिंह: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमसीडी के बायलॉज के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में बने शॉपिंग मॉल और अस्पतालों के अंदर पार्किंग में भी वाहन खड़े करने पर पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान है;

(ख) पश्चिमी दिल्ली में सुभाष नगर स्थित पैसिफिक मॉल में पार्किंग शुल्क की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि पहले यह शुल्क नहीं लिया जाता था और अब लिया जाता है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ङ) यदि हां, तो एमसीडी बिल्डिंग बायलॉज के विरूद्ध जाकर पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति एमसीडी द्वारा दिए जाने के क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;

(च) जिस भी कारण से एमसीडी ने पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की जनविरोधी अनुमति दी, क्या उस फैसले को जनता के भले के लिए और एमसीडी के बायलॉज के अनुसार वापस लेने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो पूरा ब्यौरा दें; और

(ज) एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शॉपिंग माल और अस्पतालों में खड़े किए जाने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लेने का क्या प्रावधान है, प्रत्येक शॉपिंग माल और अस्पताल के संदर्भ में अलग अलग पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र में केवल वाहन ही खड़े किए जा सकते हैं, बिल्डिंग बायलॉज में स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र के अन्दर वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग शुल्क लेने या ना लेने के प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पैसिफिक मॉल में पार्किंग शुल्क किया जा रहा है।

(ग) यह सत्य है कि पार्किंग शुल्क पहले भी लिया जाता था तथा बीच में कुछ समय के लिए यह शुल्क नहीं लिया जाता था। वर्तमान समय में यह शुल्क लिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 21.11.2023 को पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति पुनः दी गई थी।

(च) से (ज) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2023 के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा दिनांक 29.04.2024 से निरस्त कर दिया था। प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' संलग्न है।

अनुलग्नक- 'के' s/c

ITEM NO.10 COURT NO.16 SECTION XIV

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 10899/2024

(Arising out of impugned final judgment and order dated 21-11-2023 in LPA No. 130/2020 passed by the High Court Of Delhi At New Delhi)

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI Petitioner(s)

VERSUS

M/S. PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD. & ANR. Respondent(s)

(FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81480/2024-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.81481/2024-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT)

Date : 29-04-2024 This petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA
HON'BLE MR. JUSTICE ARAVIND KUMAR

For Petitioner(s) Mr. Ashwani Kumar, AOR

For Respondent(s) Ms. Haripriya Padmanabhan, Sr. Adv.
Mr. Naveen Kumar, Adv.
Mr. Sanjay Chauhan, Adv.
Ms. Meenakshi Jha, Adv.
Mr. Prateek Yadav, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

Heard the learned counsel appearing for the petitioner.

We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the High Court. Hence, the Special Leave Petition is dismissed.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

(KAPIL TANDON)
COURT MASTER (SH)

(NIDHI WASON)
COURT MASTER (NSH)

83. श्री जरनैल सिंहः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली नगर निगम में प्रत्येक जोन में कितने अवैध निर्माण हुए, उसका वर्ष अनुसार जानकारी दें;

(ख) इन अवैध निर्माण में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया इसकी भी जोन अनुसार विस्तृत जानकारी दें;

(ग) सील की गई संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों को डी–सील किया गया व किस आधार पर किया उसकी भी जानकारी दें;

(घ) उपरोक्त अवैध निर्माण में कितनों को आंशिक रूप से तोड़ा गया व कितनों को पूर्णता तोड़ा गया इसकी भी जानकारी दें;

(ङ) जिन संपत्तियों पर सील व डिमोलिशन एक्शन हुआ उन्हें पुनः न बनाने देने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की होती है;

(च) क्या सील की गई या डिमोलिश की गई संपत्ति के पुनः निर्माण से संबंधित कोई शिकायत विभाग के पास आई;

(छ) यदि हां, तो उन सभी शिकायतों का विवरण दें;

(ज) क्या यह सत्य है कि डिमोलिश की हुई अवैध संपत्तियों पर पुनः निर्माण की जानकारी होने के बावजूद विभाग द्वारा इसे रोकने हेतू कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(झ) अवैध संपत्तियों के पुनर्निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई, जोनवार जानकारी दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) दिल्ली नगर निगम के सभी 12 क्षेत्रीय द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्षानुसार विस्तृत जानकारी अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्षानुसार विस्तृत जानकारी अनुलंग्नक 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुलंग्नक 'घ' पर संलग्न है।

(घ) दोनों ही स्थितियों की सम्मिलित जानकारी दिल्ली नगर निगम के सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। संकलित सूचना अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम में कार्यरत फील्ड अधिकारी तथा दिल्ली पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होती है।

(च) और (छ) इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा डी.एम.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार यह ब्यौरा उनके पास संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ज) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार यह सत्य नहीं है। इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा डी.एम.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

(झ) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार सील की गई सम्पत्ति की निगरानी के लिये एवं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग को पत्र भेजा जाता है। क्षेत्र निरक्षण के दौरान यदि किसी सम्पत्ति की सील टूटी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी द्वारा मालिक/बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र भी भेजा जाता है।

8/C

संलग्न क

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Subject : **Report regarding unauthorised constructions booked, as received from the Zones.**

Name of Zone	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (upto 17.03.2025)	Total	Remarks
Central	1713	1485	1603	1395	1431	681	836	855	859	944	129	11931	
South	1161	961	1096	1141	947	837	1084	1025	857	763	137	10009	
West	1097	914	1047	1778	1290	814	1032	729	669	712	40	10122	
Najafgarh	528	644	742	1087	733	540	635	736	594	453	57	7049	
City S.P. Zone	668	609	471	732	651	279	328	421	487	626	103	5375	
Civil Line	391	387	414	735	366	120	246	271	458	448	30	3866	
Karol bagh	397	396	419	638	574	218	308	257	341	287	60	3895	
Narela	159	180	169	166	260	139	171	145	154	340	39	1922	
Rohini	234	251	192	636	1234	447	325	326	255	287	66	4253	
Keshav Puram	0	0	176	1029	798	321	322	340	219	281	35	3521	Keshav Puram Zone came into force w.e.f.01.09.2017
Shah.(North)	715	909	1150	1539	725	388	381	206	354	333	40	6740	
Shah.(South)	1208	811	1068	1521	1143	459	520	331	254	388	79	7782	
Grand Total												76465	

Assistant Engineer (Bldg.) HQ
Municipal Corporation of Delhi

7/C

संलग्न ख

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Subject : Report regarding demoltion Action taken - as received from the Zones

Name of Zone	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (upto 17.03.2025)	Total	Remarks
Central	610	615	679	736	587	235	256	352	422	590	60	5142	
South	332	430	449	394	253	270	259	478	417	442	22	3746	
West	176	483	428	435	263	305	313	260	245	357	27	3292	
Najafgarh	144	71	72	193	76	103	103	161	149	210	12	1294	
City S.P. Zone	505	447	370	707	412	363	365	383	460	328	1	4341	
Civil Line		220	276	385	342	210	219	275	248	218	15	2408	
Karol bagh	265	229	299	388	328	244	254	292	307	250	31	2887	
Narela	8	10	11	10	10	27	42	39	35	41	13	246	
Rohini	334	309	234	511	431	238	225	338	281	351	62	3314	
Keshav Puram	0	0	153	556	520	281	229	421	395	307	26	2888	Keshav Puram Zone came into force w.e.f.01.09.2017
Shah.(North)	378	436	307	451	212	128	124	115	307	176	19	2653	
Shah.(South)	478	473	475	553	463	196	183	283	199	286	42	3631	
Grand Total												35842	

Assistant Engineer (Bldg.) HQ
Municipal Corporation of Delhi

6/C

संलग्न ग

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Subject : Report regarding Sealing Action taken - as received from the Zones

Name of Zone	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (upto 17.03.2025)	Total	Remarks
Central	169	170	142	313	205	31	61	71	190	364	28	1744	
South	293	303	276	355	256	162	231	299	413	482	43	3113	
West	184	54	57	184	65	27	57	47	47	68	22	812	
Najafgarh	73	18	12	140	42	31	23	19	21	55	2	436	
City S.P. Zone	39	123	60	204	61	55	59	19	125	198	17	960	
Civil Line	..	17	15	9	11	14	18	14	9	43	6	156	
Karol bagh	143	63	41	1003	125	37	25	42	54	108	8	1649	
Narela	3	3	9	2	0	0	1	3	1	0	0	22	
Rohini	12	21	13	28	131	12	7	18	1	13	1	257	
Keshav Puram	0	0	6	42	24	10	3	7	9	29	1	131	Keshav Puram Zone came into force w.e.f.01.09.2017
Shah.(North)	211	119	127	288	136	89	64	63	87	82	7	1273	
Shah.(South)	54	61	295	328	137	92	70	130	61	103	19	1350	
Grand Total												11903	

Assistant Engineer (Bldg.) HQ
Municipal Corporation of Delhi

संलग्न घ

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Subject : Report regarding De-Sealing - as received from the Zones

Name of Zone	Total
Central	29
South	6
West	313
Najafgarh	24
City S.P. Zone	77
Civil Line	22
Karol bagh	112
Narela	2
Rohini	53
Keshav Puram	24
Shah.(North)	15
Shah.(South)	6
Grand Total	**683**

Assistant Engineer (Bldg.) HQ
Municipal Corporation of Delhi

84. श्री जनरैल सिंहः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधायक निधि कोष से क्या-क्या कार्य करवाए जा सकते हैं व क्या-क्या कार्य नहीं करवाए जा सकते, इसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) क्या विधायक निधि कोष से सिक्योरिटी गेट्स, पार्कों में ओपन बैडमिंटन कोर्ट, सिक्योरिट गार्ड केबिन व फैंसी बोलार्ड लाइट्स लगाई जा सकती है;

(ग) क्या पिछले 10 वर्षो में विधायक निधि कोष से यह कार्य करवाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण दिया जाए;

(ङ) क्या पिछले कुछ समय में इन कार्यों को विधायक निधि कोष से करने के लिए विभाग द्वारा कोई पाबंदी लगाई गई है;

(च) यदि हां, तो उनका विवरण और कारण बताया जाए;

(छ) क्या विभाग आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा व जनहित से जुड़े कार्यों को सूची में शामिल करने की कोई योजना बना रहा है; और

(ज) यदि हां, तो उसकी जानकारी दी जाए?

शहरी विकास मंत्रीः (क) और (ख) विधायक निधि योजना के स्वीकृत कार्य की सूची संलग्न है। (Annexure-F)

(ग) जी हाँ।

(घ) शहरी विकास विभाग को आदेश दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि के आवंटन का कार्य दिया गया है। विधायक निधि योजना के तहत दिनांक 13.12.2017 से 06.01.2025 तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है (Annexure-G)

(ङ) शहरी विकास विभाग में विधायक निधि योजना के दिशा निर्देशों में स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव संबंधित कार्य एजेंसी के द्वारा जमा कराए जा सकते हैं। दिशा निर्देशों में स्वीकृत कार्यों को स्वीकृत करने में कोई पाबंदी नहीं है।

(च) लागू नहीं।

(छ) और (ज) एमएलए लैड स्कीम में स्वीकृत कार्यों की सूची के अनुसार लोगों की सुरक्षा एवं जनहित से जुड़े कार्य किए जाते हैं। और इस सूची में समय-समय पर लोगों की सुरक्षा एवं जनहित को देखते हुए संशोधन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए जाते रहते हैं।

85. श्री प्रेम चौहानः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी झुग्गी बस्तियाँ हैं;

(ख) विगत दस वर्षो में झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर गलियों का निर्माण किया गया;

(ग) विगत दस वर्षो में झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया; और

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(घ) विगत दस वर्षों में झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सीवर लाइनें डाली गई?

शहरी विकास मंत्रीः (क) दिल्ली में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अन्तर्गत 675 झुग्गी बस्तियाँ हैं।

(ख) और (ग) विगत दस वर्षों में झुग्गी बस्ती क्षेत्रें में अनुमानित 471 किलोमीटर गलियों का निर्माण किया गया।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड झुग्गी बस्तियों में सीवर लाईन डालने का कार्य नहीं करता है।

86. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में एमएलए लैड फंड के अंतर्गत कितनी बजट-राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) विगत दस वर्षों में एमएलए लैड फंड के अंतर्गत कितनी बजट-राशि वितरित की गई है, विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें; और

(ग) एमएलए लैड फंड के अंतर्गत विगत दस वर्षों में किए गए कार्यों की सूची दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) शहरी विकास विभाग को आदेश दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि के आवंटन का कार्य किया गया है। जिसका वर्ष वार बजट आवंटन का विवरण इस प्रकार है।

Year	Budget Allotted
2017-2018	Rs. 187 Crore
2018-2019	Rs. 500 Crore
2019-2020	Rs. 700 Crore
2020-2021	Rs. 150 Crore
2021-2022	Rs. 280 Crore
2022-2023	Rs. 300 Crore
2023-2024	Rs. 234.53 Crore
2024-2025	Rs. 800 Crore

(ख) शहरी विकास विभाग को आदेश दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि के आवंटन का कार्य दिया गया है। जिसका वर्ष वार बजट आवंटन का विवरण इस प्रकार है।

Year	Budget allotted	Budget Released
2017-2018	Rs. 187 Crore	Rs. 182.77 Crore
2018-2019	Rs. 500 Crore	Rs. 348-95 Crore
2019-2020	Rs. 700 Crore	Rs. 515.91 Crore
2020-2021	Rs. 150 Crore	Rs. 87.65 Crore

2021-2022	Rs. 280 Crore	Rs. 223.25 Crore
2022-2023	Rs. 300 Crore	Rs. 222.26 Crore
2023-2024	Rs. 234.53 Crore	Rs. 158.98 Crore
2024-2025	Rs. 800 Crore	Rs. 280.92 Crore
		Till 19.03.2025

- विधायक निधि योजना में बजट का आवंटन वित्त विभाग दिल्ली सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से होता है।

(ग) शहरी विकास विभाग को आदेश दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि के आवंटन का कार्य दिया गया है। विधायक निधि योजना के तहत दिनांक 13.12.2017 से 06.01.2025 बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (Annexure-B)

87. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू कोंडली में डीडीए द्वारा पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब किया गया था और कितने प्लॉटों का आवंटन किया गया था, आवंटित प्लॉटों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं;

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ग) क्या ऐसे भी प्लॉट हैं जिनका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं;

(ङ) क्या डीडीए के पास ऐसी कोई जानकारी है कि जिन प्लॉटों का आवंटन नहीं किया गया है उन पर अतिक्रमण कर भू-माफिया द्वारा कब्जा किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराए?

शहरी विकास मंत्रीः (क) से (च) डी.डी.ए. की पुनर्वास कॉलोनी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है, जो भारत सरकार के अन्तर्गत कार्य करती है। पूर्ण विवरण डी.डी.ए. से प्राप्त किया जा सकता है।

88. श्री अशोक गोयलः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या के रोकथाम की कोई योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों से दिल्ली नगर निगम द्वारा कितने कुत्तों को उठवाया गया है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में पूरी दिल्ली में और विशेषकर मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गायों की वजह से कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं एवं कितनी गायों को सड़कों से उठवाया गया है;

(घ) सरकार की सड़कों पर घूमने वाली गायों के मुद्दे को लेकर क्या योजना है;

(ङ) क्या इन गायों की सुरक्षा और देखभाल के लिये नगर निगम द्वारा गौशाला बनाने की भी कोई योजना है; और

(च) उपरोक्त विषयों को लेकर अब तक कितने अधिकारियों कार्यवाही की गई पर और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) मॉडल टाउन विधान सभा में आवारा कुत्तों की संख्या के रोकथाम के लिये पशु चिकित्सा विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा माडल टाउन क्षेत्र के लिए निर्धारित दो (2) गैर सरकारी संस्थानों (NGOs):- Neighbourhood Woof ABC Centre, Timarpur एवं Yash Domestic Research Centre (ABC Centre Bela Road) के साथ मिलकर कुत्तों की नसबन्दी व टीकाकरण का कार्य लगातार कर रहा है।

(ख) Animal Birth Control Dogs Rulers, 2023 के अनुसार कुत्तों को उठाकर नसबंधी व टीकाकरण करवाकर वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है।

दिनांक 01.04.2024 से 20.03.2025 तक मॉडल टाउन क्षेत्र से 180 आवारा कुत्तों की Sterilization और Vaccination किया जा चुका है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम में विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गायों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से पिछले पांच वर्षों में 744 गायों को विभाग द्वारा उठाकर गौशाला भेजा गया।

पशु चिकितसा विभाग द्वारा सड़कों पर घूमने वाली गायों को पकड़कर गौशाला भेजा जा रहा है।

सड़कों पर घूमने वाली गाय दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों से हटाई जाती है और दिल्ली सरकार द्वारा आबंटित 04 जगह पर गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित गौशाला भेजा जाता है। इसी क्रम में घुम्मेन्हेरा गांव में दिल्ली सरकार द्वारा आदर्श गौशाला स्थापिक की जाएगी और इस गौशाला की क्षमता 4000 गौवंश रखने की होगी। उपरोक्त के अलावा जमीन उपलब्ध होने पर और गौशाला स्थापित करना विचारधीन है।

(ङ) गौशाला बनाने एवं उसके संचालन का दायित्व दिल्ली नगर निगम का नहीं है। यह विषय दिल्ली सरकार से सम्बधित है।

(च) दिल्ली नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों के साथ आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटना/बाधा को नियंत्रित करने के लिए निरंतर कार्यरत है।

89. श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षो में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में पाईप से पानी कनेक्शन दिया गया है;

(ख) इन कॉलोनियों का नाम व इस काम को आरंभ करने तथा पूरा होने की तिथि बताएँ;

(ग) शेष रही जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में पाईप से पानी देने का काम चल रहा है उनका नाम, काम आरंभ होने व काम पूरा होने की अनुमानित तिथि बताएँ;

(घ) अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2010 के बाद से अब तक, जितने घरों में पाईप से पानी का कनेक्शन हो गया है, उनकी वर्षवार संख्या बताएँ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में PM-UDAY योजना के अंतर्गत 1731 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियाँ हैं, इनमें से कितनी कॉलोनियों में पानी का कनेक्शन नहीं हैं;

(च) क्या इन कॉलोनियों में पाईप से पानी का कनेक्शन देने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो विवरण दें और यदि नहीं तो क्यों; और

(छ) माननीय मंत्री जी ने PM-UDAY योजना के अंतर्गत इन 1731 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों को पानी का कनेक्शन देने हेतु कितनी बैठकें की हैं, फरवरी 2025 के बाद की गई इन बैठकों के मिनिट्स उपलबध कराएँ?

शहरी विकास मंत्रीः (क) 586

(ख) यह विवरण अनुलग्नक 'अ' (Annexure) 'A' में संलग्न है।

(ग) यह विवरण अनुलग्नक 'ब' (Annexure) 'A' मे संलग्न है।

(घ) अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2010 के बाद से अब तक जितने घरों में पाईप से पानी का कनेक्शन हो गया है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

वित्तीय वर्ष	संख्या
2010–11	0
2011–12	0
2012–13	767
2013–14	15378
2014–15	19248
2015–16	61215
2016–17	40066
2017–18	24671
2018–19	33214
2019–20	32465
2020–21	30212
2021–22	27707
2022–23	38486
2023–24	27191
2024–25 (Till 23–03–25)	22288

(ङ) PM-UDAY योजना दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

(च) अभी इन कालोनियों में पानी का कनेक्शन देने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इन कालोनियों का NOC अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) PM-UDAY योजना दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

90. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों से शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक निधि में कितना पैसा उपलब्ध कराया गया है;

(ख) पिछले 10 वर्षों में जिन कार्यों के लिए बजट निर्धारित किया गया था लेकिन जिनका समापन स्थानीय विधायक से नहीं लिया गया उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ग) जो कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं उन पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई तथा ऐसे कार्यों में अगर कोई जांच की गई है तो उसकी जानकारी भी प्रदान की जाए;

(घ) क्या विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराने के बाद इन कार्यों को रोकने/निरस्त करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल बोर्ड/फ्लड डिपार्टमेंट को है; और

(ङ) क्या शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक निधि में दिया गया पैसा कॉलोनी की फेंसिंग (चार दिवारी) करने या गेट लगवाने में इस्तेमाल किया जा सकता है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) शहरी विकास विभाग दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि द्वारा सम्बंधित कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। 2017 से प्रत्येक वर्ष विधायक के लिए फण्ड का आवंटन निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड
2017-18	Rs. 4 Crore
2018-19	Rs. 10 Crore
2019-20	Rs. 10 Crore
2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)
2021-22	Rs. 4 Crore
2022-23	Rs. 4 Crore
2023-24	Rs. 7 Crore
2024-25	Rs. 15.00 Crore

(ख) रोहताश नगर विधानसभा में वर्ष 2017–18 से 2024–25 तक कुल स्वीकृत कार्यों में से 266 कार्य अपूर्ण है। क्योंकि इन कार्यों के विषय में संबंधित कार्यकारी एजेंसी ने जरूरी दस्तावेज शहरी विकास विभाग में अब तक जमा नहीं कराये हैं।

2017–18 से अब तक रोहताश नगर विधानसभा के अपूर्ण कार्यों का विवरण में Annexure A संलग्न है।

(ग) यह विषय सम्बंधित कार्यकारी एजेंसी से सम्बंधित है।

(घ) एमएलए लेडस फण्ड के अंतर्गत स्वीकृति किये गय कार्यों को रोकने/निरस्त करने के विषय में अंतिम निर्णय शहरी विकास विभाग द्वारा सम्बंधित कार्यकारी एजेंसी और विधायक की संस्तुति पर लिया जाता है।

(ङ) हाँ, विधायक निधि का इस्तेमाल प्रश्न में दिए गए कार्यों के लिए किया जा सकता है।

111C

Annexure "A"

AC-64 Rohtash Nagar

Senction Issued but completion report not submitted by Ex. Agency

S. No.	Name of works	Agency	Revised Estimated Amount	Year	Status
1	Providing and fixing open air gym equipments in Seven Parks Ward No. 36E, 37E, 38E, 39E in AC-64, Shahdara North Zone	East DMC	92.49	2018-19	Sanction issued
2	Improvement Development of Gali No 11 B Block H.No. B-279 to B-289 Ashok Nagar [--] by pdg RMC from in Ashok Nagar in Ward No 36E/246 Shah (N) Zone	East DMC	17.89	2018-19	Sanction issued
3	Imp./Dev. of lane from H.no. A-7 to D-64 in Jagatpuri [--] by pdg. RMC from in Ram Nagar in Ward no 37E/AC-64 Shah(N) Zone.	East DMC	23.56	2018-19	Sanction issued
4	Imp./Dev. of lane from H.no A-75 to C-106 in Jagatpuri [--] by pdg. RMC from in Ram Nagar in Ward no. 37E/AC-64 Shah(N) Zone.	East DMC	9.20	2018-19	Sanction issued
5	Imp./Dev. of gali no 1 & 2 from H.no A-44/5 to C-105 in Jagatpuri [--] by pdg. RMC from in Ram Nagar in Ward no 37E/AC-64 Shah(N) Zone	East DMC	20.82	2018-19	Sanction issued
6	Imp/Dev of road/lane adjoining to H no A-13 in Mansrover park by pdg RMC from in c-37E Ram nagar sh(N)zone	East DMC	9.53	2018-19	Sanction issued
7	Imp/Dev of road/lane from H no D-46 to C-26 in Mansrover park by pdg. RMC from in c-37E Ram nagar sh(N)zone	East DMC	10.26	2018-19	Sanction issued
8	Providing and fixing two open air gym equipments in jheel park in welcome colony in Ward No 39E in AC-64 Shahdara (North) Zone	EDMC	27.42	2019-20	Sanction issued
9	Imp./Dev. of Chatri wala park in H-Block, Naveen Shahdara, by providing tile in Ward no 39 E/248, AC-64, Shahdara North Zone.	EDMC	14.05	2019-20	Sanction issued
10	Imp./Dev. of Park near Gol Masjid in, Welcome by providing Tile in Ward no39 E/248, AC-64, Shahdara North Zone	EDMC	13.19	2019-20	Sanction issued
11	Imp. Dev. Of gali No.3 from H.No 1/10856 to 1/10793 and link from gali No 1 to gali No 4 and link from H.No B1/10713 to 1/10716 C, in Subhash Park by providing RMC in Ward No.39 E/248,AC-64,Shahdara North Zone	EDMC	12.86	2019-20	Sanction issued
12	Imp. Dev. Of gali No 1 from H.No 1/11227 to 1/11288 and gali No.2 from H.No 1/11296 to 1/11291 and gali No 3 from H.No 1/11308D H No 1/11291 , in Subhash Park extension by providing RMC in Ward No 39 E/248,AC-64,Shahdara North Zone	EDMC	10.75	2019-20	Sanction issued
13	Remodelling and covering of Nalla from H No Z-III/37 to H No Z-III/51-52,welcome by Providing RCC in Ward No 39 E/248,AC-64,Shahdara North Zone	EDMC	16.51	2019-20	Sanction issued
14	Imp. Dev. Of gali from H No 43 to H No 37 and Road along Kabristan Z-III Block Welcome by pdg RMC in Ward No 39 E/248,AC-64,Shahdara North Zone.	EDMC	12.51	2019-20	Sanction issued
15	Imp./ Dev. Of lane from h. no. 1/1423 to J-48 & link in mansarovar park by pdg. RMC in C-37E Ram Nagar Shah (N) Zone.	EDMC	13.15	2019-20	Sanction issued
16	Imp. Dev. Of gali no 25 from H No. 1/2456 to 1/2014 in East Ram Nagar [--] by pdg RMC from in Ram Nagar in Ward no 37E Shah (N) Zone.	EDMC	9.11	2019-20	Sanction issued
17	Imp. Dev. Of Shanti Optical wali gali from H No. 1/2239 to 1/2225 in East Ram Nagar [--] by pdg RMC from in Ram Nagar in Ward No. 37E Shah (N) zone	EDMC	12.47	2019-20	Sanction issued
18	Imp. Dev. Of lane from H No. 1/2046 to 1/2002A in East Ram Nagar by pdg. RMC in C-37E Ram Nagar Shah (N) Zone	EDMC	10.36	2019-20	Sanction issued
19	Imp Dev Of lane from H No 587 to H No 601-1 in East Ram Nagar by pdg RMC in Ram Nagar in Ward no 37E Shah (N) zone	EDMC	12.46	2019-20	Sanction issued

20	Imp. Dev.of lane from H No B-65 tp B-74 M C Pry School Mansarovar Park [--] by pdg RMC from in Ram Nagar in ward No. 37E Shah (N) Zone.	EDMC	10.03	2019-20	Sanction issued
21	Improvement Development of land from H No. 1/1859 to H. No 1/1864 and links from H. No 1/1873 and from H No. 1/1911 to H. No. 1/1913 in East Ram Nagar [--] by pdg RMC from in Ram Nagar in ward no. 37E Shah (N) Zone	EDMC	10.72	2019-20	Sanction issued
22	Improvement Development of lane and link from H No C-1/125 to H. No. C-1/422 to C-1/455 to C-1/456 in E-1 Block Nand Nagari [--] by pdg RMC from in Ram Nagar in ward no. 37E Shah (N) Zone.	EDMC	13.03	2019-20	Sanction issued
23	Improvement Development of Road from H.No1/2307 to H.No.1/2291 and link in East Ram Nagar [--] by pdg RMC in Rohtash Nagar in Ward No 38E Shah(N) Zone SH1 - Improvement Development of From H No1/2287 to H No 1/2289-C in East Ram Nagar [--] by pdg RMC in Rohtash Nagar in Ward No.38E Shah(N) Zone	EDMC	8 10	2019-20	Sanction issued
24	Improvement Development of gali No 1 from H No 1/6082 to H.No.1/6116and link in East Rohtash Nagar [--] by pdg RMC in Rohtash Nagar in Ward No 38E Shah(N) Zone SH-1	EDMC	15 91	2019-20	Sanction issued
25	Imp./Dev. of Nallah from H.no 1/11789C to road no-65 in Pansheel Garden by providing RCC in Ward no 39 E/248 AC-64 Shahdara North Zone	EDMC	4 25	2019-20	Sanction issued
26	Providing and fixing Reflecting Steel Signange Board in streets of Rohtash Nagar AC-64	I&FC, CD-IV	19.62	2019-20	Sanction issued
27	Construction of Entry gate at different locations by pdg 0 from in Ward no 37E & 36E at AC-64 Shah(N) Zone	EDMC	20 64	2019-20	Sanction issued
28	Construction of Entry gate at different locations by pdg. 0 from in Ward no. 38E & 39E at AC-64 Shah(N) Zone	EDMC	20.64	2019-20	Sanction issued
29	Improvement of C.C Roads / side Drains of D Block Ashok Nagar in Rohtash Nagar AC-64 work substitueted to Improvement of CC Road & side drains of D Block along railway line Ashok Nagar in Rohtash Nagar AC-64	I&FC, CD-IV	49.44	2019-20	Sanction issued
30	Imp/Dev of gali no 13 D-Block Ashok Nagar Near H No D-1076, D-262, D-886 D-879 & D-893 D-Block Ashok Nagar by pdg RMC in C-36E/246 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	21 60	2021-22	Sanction issued
31	Imp/Dev of gali no 11 D-Block Ashok Nagar near Durga Mandir Ashok Nagar by pdg RMC in C-36E/246 Ashok Nagar Sh(N) zone.	MCD	8 77	2021-22	Sanction issued
32	Imp/Dev. of gali no 7A D-Block Ashok Nagar from H no D-807/1 to D-60/1 by pdg RMC in C-36E/246 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	16.00	2021-22	Sanction issued
33	Imp/Dev. of gali no 5 Durgapuri Extn. From H no D-374A to 438B by pdg RMC in C-36/246 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	12.03	2021-22	Sanction issued
34	Imp./Dev of gali no 12 B-Block Ashok Nagar from H No B-268 to B-278 in B-Block Ashok Nagar by pdg RMC in C-36E/246 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	12.67	2021-22	Sanction issued
35	Imp/Dev of gali no.7 B-Block Hardevpuri in Ashok Nagar by pdg RMC in C-36E Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	9.61	2021-22	Sanction issued
36	Imp/Dev of gali no 8 Durgapuri Extn From H no 416 to 430 in Ashok Nagar by pdg. RMC in C-36E Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	10.93	2021-22	Sanction issued
37	Improvement of C C Roads & side Drains of Link Streets of Ashok Marg(Bhagwanpur Khera) in Rohtash Nagar AC-64	I&FC	26.16	2021-22	Sanction issued
38	Supplying of RCC Bench in different places at Rohtash Nagar Constituency (AC-64)	I&FC	13.59	2022-23	Sanction issued
39	Improvement of road from Canara Bank to H No 1/9249 and ajoining link along morning corner by providing RMC pavement and drain in West Rohtash Nagar in C-39E/AC-64/M-III/SH/N/7	MCD	15 77	2022-23	Sanction issued
40	Improvement of road from H No R-7 to A-2 adjoining Khajoor wali gali by providing RMC pavement and drain in C-39E/AC-64/M-III/SH/N/7	MCD	12.84	2022-23	Sanction issued
41	Development of street from H No F12B to E-436 and H No D-25 to D-27 East Jyoti Nagar by pdg. RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone.	MCD	9.21	2022-23	Sanction issued

42	Development of street from H No 26A to 276 and its link in Gali No. 4B Durgapuri Ext by pdg RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	23.69	2022-23	Sanction issued
43	Development of link street of Gali No 10 from H No A/81/1 to A/77/1A and A-72 to A/76/2 in A-Block Ashok Nagar by pdg. RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	9.25	2022-23	Sanction issued
44	Development of link street of Gali No 10 from H No A-67 to A-71 and A-77/2A to A/81 in A-Block Ashok Nagar by pdg RMC in Ward No. 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	9.81	2022-23	Sanction issued
45	Development of Gali No. 6 and its link A Block Ashok Nagar from H. No. A-58 to A-119 and A-85 to A-82/1A by pdg. RMC in Ward No. 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	11.50	2022-23	Sanction issued
46	Development of Gali No 4 and its link A Block Ashok Nagar from H. No. A-54 to A-61A and A-58 to A-61 by pdg RMC in Ward No. 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	7.40	2022-23	Sanction issued
47	Development of Gali No 10 B Block Ashok Nagar from H No C-512 to B-289 by pdg RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	14.10	2022-23	Sanction issued
48	Development of Gali No [illegible] B Block Ashok Nagar from H No B-417 to B-385 by pdg RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	9.55	2022-23	Sanction issued
49	Development of link street of Gali No 7 & 3 D Block Ashok Nagar from H. No. D-682 to D-713 and H No. D-838 to D-748 by pdg RMC in Ward No 36E Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	9.28	2022-23	Sanction issued
50	Improvement of C C roads & side drains in Bhagwanpur Khera & Ram Nagar at Rohtash Nagar AC-64	I&FC	99.98	2022-23	Sanction issued
51	Development of Parks in Rohtash Nagar Assembly Constituency (AC-64).	I&FC	50.43	2022-23	Sanction issued
52	Improvement Development of lanes and drain from H No 1449/12 to H. No. 705 and H No 1449/4 to H No 322 in Durga Puri by pdg. RMC and B/Work in Ward No 38E Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	16.69	2022-23	Sanction issued
53	Improvement Development of lanes and drain from H. No 331 to H. No. 337 and H No 366 to H No 353 and H No 382 to H No. 385 and H. No 352 to H No 203 in Chander Lok by pdg RMC and B/Work in Ward No 38E Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	12.53	2022-23	Sanction issued
54	Improvement Development of lanes and drain from H No 520 to H No. 507 and H No 581 to H No 592 and H No 223 to H No. 335 in Chander Lok by pdg RMC and B/Work in Ward No 38E Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	16.07	2022-23	Sanction issued
55	Improvement Development of lanes from H No 1/3575 to H No. 1/3592 and H No 1/3574-A to H No 1/3538 and H No 1/3573 to H No 1/3560 in Ram Nagar Ext by pdg RMC and B/work in Ward No 38E Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	23.03	2023-24	Sanction issued
56	Improvement of C.C Roads & side drains in Jagatpuri Shahdara at Rohtash Nagar AC-64	I&FC	39.91	2023-24	Sanction issued
57	Improvement development of road and drain from H No 1/9316 to Gali No. 2 in Pratap Pura by pdg RMC and B/work in Ward No. 224 Welcome Shah (N) Zone	MCD	6.00	2023-24	Sanction issued
58	Improvement development of gali from Babarpur Road to H No 1/6960/14 and H No. 1/6959 to H. No. 1/6959/19 and DCM Store to H. No. 1/6959/15 in East Rohtash Nagar by pdg RMC and B/work in Ward No 223. Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	18.22	2023-24	Sanction issued
59	Improvement development of gali from H No 1/6595 to H No 1/6943 and link in East Rohtash Nagar by pdg RMC and B/work in Ward No. 223. Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	19.22	2023-24	Sanction issued
60	Improvement development of gali from H No 1/6577 to H No 1/6561 and H No 1/6574 to H No 1/6568 and H No 1/6586 and H No 1/6591 in East Rohtash Nagar by pdg RMC and B/work in Ward No 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	18.47	2023-24	Sanction issued
61	Improvement development of gali from H No 1/6835 to H No 1/6843-E and H No 1/6830 to H No 1/6826 and Sagar Selection to H No F-300 and links in East Rohtash Nagar by pdg. RMC and B/work in Ward No 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	19.21	2023-24	Sanction issued

62	Improvement development of gali from H No 1/6943 to H No 1/6947 and H No. 1/6573 to H No 1/6578 in East Rohtash Nagar by pdg. RMC and B/work in Ward No 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	9.04	2023-24	Sanction issued
63	P/F of concertina coil from New Modern Shahdara Pump House back side to MCD Works Store in DDA Flats. M.S. Park, Ward No. 222, AC-64. M-III Sh (N) Zone	MCD	18 85	2023-24	Sanction issued
64	Imp./Dev. of lane from H. No. 1/[illegible] to [illegible] & link in Ram Nagar Ward No 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	17 06	2023-24	Sanction issued
65	Imp./Dev of Gali No 25 & links. East Ram Nagar in Ward No 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	28 16	2023-24	Sanction issued
66	Imp./Dev. of Jain Mandir wali gali & links in Ram Nagar Ward No. 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone.	MCD	16.29	2023-24	Sanction issued
67	Imp./Dev. of lane from H. No. 1/3197 to 1/3195 & link in Ram Nagar Ward No 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	8.51	2023-24	Sanction issued
68	Imp./Dev. of drainage system and side berm Flat No. 161 to 248 and in front of small park in RPS Block. DDA Flats, M.S Park Ward No. 222, AC-64. M-III Sh (N) Zone	MCD	17.63	2023-24	Sanction issued
69	Improvement of Damaged streets of East Rohtash Nagar & Kabool Nagar in Rohtash Nagar AC-64	I&FC	57.04	2023-24	Sanction issued
70	Improvement Development of gali G T Road to H No 1/6066 in Kabool Nagar by pdg. RMC and B/work in Ward No. 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	43.03	2023-24	Sanction issued
71	Imp. Dev. Of Gali No 4 Durgapuri Ext from H No 269 to 163 its link from H No 196 to 195 and from H No 212 to 211 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh (N) Zone	MCD	12 86	2023-24	Sanction issued
72	Imp Dev link of Gali No [illegible] from H No [illegible] to 321 its links from H No [illegible] and from H No 382 to 402 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh (N) Zone.	MCD	22 13	2023-24	Sanction issued
73	Improvement Development of Gali from H No 1/6866 to H No 1/6867 & near H. No. 1/6942 & near H No 1/6941 & from H No 1/6912 to H No 1/6915 and from H No 1/6895 to H No. 1/6511 & its links Azad Gali No 3 in East Rohtash Nagar by pdg RMC and B/work in Ward No 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	18.79	2023-24	Sanction issued
74	Improvement Development of Road and Drain from H No 1/7209 to H.No. 1/7214 in Shivaji Park by pdg RMC and B/work in Ward No.224 Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	7 98	2023-24	Sanction issued
75	Improvement Development of Road and Drain from H.No.1/7207 to H.No.1/7380 and H No. 1/7228 to Little Floor School in Shivaji Park by pdg RMC and B/work in Ward No.224 Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	36.00	2023-24	Sanction issued
76	Improvement Development of Road and drain from H No 1/7184 to H.No 1/7178A, H No 1/7160 to H No 7144 and H No 1/7179 wali gali in Shivaji Park by pdg RMC and B/work in Ward No.224 Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	41 07	2023-24	Sanction issued
77	Improvement Development of Road and drain from H No 1/[illegible] to H No 1/7013, H No 1/[illegible] to H No [illegible] H No 1/[illegible] to H.No.1/7109 and H No 1/[illegible] H No 1/7191A wali gali in Shivaji Park by pdg RMC and B/work in Ward No 224 Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	35 99	2023-24	Sanction issued
78	Improvement Development of Road and drain from H No.1/7045 to H.No 1/7078A, H.No 1/7063B to H No 7063, H.No.1/708 to H.No.1/7058 and H.No. 1/7045 wali gali in Shivaji Park by pdg RMC and B/work in Ward No 224 Welcome Colony Shah(N) Zone.	MCD	41.13	2023-24	Sanction issued
79	Improvement and Strengthing of road by pdg Bituminous from H.No 1/7088 to H No 1/7465 in Shivaji Park Ward No. 224/ AC 64 Shahdara (N) Zone.	MCD	42 45	2023-24	Sanction issued
80	Improvement Development of Lane from H.No 1/7019 to KVM School, H.No. 1/6991 to 1/6996, H.No 1/6980 to H.No 1/6984 and from H.No 1/6971 to H.No 1/6974 in Shivaji Park by pdg RMC in Rohtash Nagar, AC-64 Shah (N) Zone	MCD	29.85	2023-24	Sanction issued

81	Improvement Development of gali from H No 1/6434 to H.No.1/6439 and H No 1/6332-A to H.No 1/6599 and H.No.1/6741 to H.No.1/6702 and link in East Rohtash nagar by pdg RMC and B/work in Ward No -223 Rohtash Nagar Shah(N) Zone.	MCD	10.08	2023-24	Sanction issued
82	Improvement Development of gali from H No 1/5786 to H.No 1/6423 in East Rohtash nagar by pdg RMC and B work in Ward No.-223 Rohtash Nagar Shah(N) Zone	MCD	15 14	2023-24	Sanction issued
83	Improvement Development of gali from H No 1/6423 to H.No.1/6735 in East Rohtash Nagar by pdg RMC and B/work in Ward No.-223 Rohtash Nagar Shah(N) Zone	MCD	20.46	2023-24	Sanction issued
84	Imp/Dev of Gali No 20 & lane from H. No. 1/1884 to 1/1969 in East Ram Nagar & from H. No E-78 to E-70 in Mansrover Park Ward No. 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	41.60	2023-24	Sanction issued
85	Imp/Dev of lane from H No. A-30 to A-24 & A-16 to A-45, A-Block, Mansrover Park Ward No 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	24.59	2023-24	Sanction issued
86	Imp/Dev of lane from H No. 1/2202 to 1/2221, East Ram Nagar Ward No 222, M-III Sh (N) Zone	MCD	31 74	2023-24	Sanction issued
87	Imp/Dev of lane from H No. H-1/1268 to H No H-61 & H-69 to H-76 & H-23 to E-30 & H-97 to H-14, M S Park Ward No 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	28.91	2023-24	Sanction issued
88	Imp/Dev of lane from H No E-27 to D-55, Mansrover Park Ward No. 222,AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	46.58	2023-24	Sanction issued
89	Imp/Dev of post office road & links, Mansrover Park Ward No 222, M-III Sh (N) Zone	MCD	40.35	2023-24	Sanction issued
90	Imp/Dev of lane from H No 1/2309 to 1/2367 & links East Ram Nagar Ward No 222 M-III Sh (N) Zone	MCD	36 62	2023-24	Sanction issued
91	Imp./Dev of Lane from H no C-2 to C-27 gali no 13 East Nathu Colony, J-57 to J-63 in MS Park gali no 7 & link in Ram Nagar, 1/2924 to 1/2927 in Ram Nagar ward no 222, AC-64, M-III Sh. (N) Zone	MCD	31.62	2024-25	santion issued
92	Imp./Dev. of links of Jain Mandir Wali Gali M S Park ward no. 222, AC-64, M-III Sh. (N) Zone.	MCD	22.24	2024-25	santion issued
93	Imp./Dev. of lane from H no 1/3293 to 1/3318 & links, 1/3318 to 1/3308, 1/3168 to 1/3164, 1/3360 to 1/3432, 1/3369 to 1/3366 & 1/3151 to 1/3171 in Ram Nagar, ward no 222 AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	41 21	2024-25	santion issued
94	Imp./Dev. of Lane from Flat no 136A to 133 A in DDA Flats. M.S. Park ward no 222, AC-64, M-III Sh. (N) Zone	MCD	4.45	2024-25	santion issued
95	Imp./Dev. of lane from H no B-78 to B-4A in M S Park Gita Gali in East Ram Nagar ward no 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone.	MCD	14.71	2024-25	santion issued
96	Imp./Dev. of Gali no 3, 4 & links in East Nathu Colony Ward no 222, AC-64, M-III Sh. (N) Zone	MCD	18.55	2024-25	santion issued
97	Imp./Dev. of Gali no 1,2,6 & 7 in New Modern Shahdara Ward no 222, AC-64, M-III Sh. (N) Zone	MCD	30.62	2024-25	santion issued
98	Imp./Dev of gali no 6A & links in New Modern Shah Ward no 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	44 91	2024-25	santion issued
99	Imp./Dev of RHS gali no 1 2 5 & 8 links in Jawa Park Ward no 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	40 33	2024-25	santion issued
100	Imp./Dev. of Lane from H no 601.2 to H no 660 in East Ram Naga Ward no 222, AC-64, M-III Sh (N) Zone	MCD	10.84	2024-25	santion issued
101	Imp./Dev Of streets near H no 297, 305,319,321,341,345,351,281 and 349 in double storey Kabool Nagar by pdg RMC in ward no 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	10 74	2024-25	santion issued
102	Imp./Dev Of gali from H no 233 to 185 and from H no 249 to 257 in Kabool Nagar double storey by pdg RMC in ward no 223 Rohtash Nagar Shah. (N) Zone	MCD	28.68	2024-25	santion issued
103	Imp./Dev. Of gali from H no 1/5954 to 1/5961, 1/5910 to 1/5902, 1/5895/5 to 1/5895, 1/5912-B to 650, 1/6074 to 1/6075 and 1/6072 to 1/6068 in Kabool Nagar by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	20.83	2024-25	santion issued
104	Imp./Dev. Of gali from H no 1/6344 to 1/6337, 1/6131 to 1/6127, 1/6149 to 1/6138, and 1/6080 to 1/6083, in East Rohtash Nagar by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Shah. (N) Zone	MCD	15 16	2024-25	santion issued
105	Imp./Dev Of gali no 8 Ram Nagar Extn from H no 1/4301 to 1/4479 by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Shah. (N) Zone	MCD	19.16	2024-25	santion issued

61C

106	Imp /Dev Of streets near H no 121 217,215 211 159,157,203 and 192 near Ghodewala park in double storey Kabool Nagar by pdg. RMC in ward no 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone.	MCD	13 42	2024-25	santion issued
107	Imp./Dev. of Gali no 7 from H.no 543 to C-502 and gali no 8 from H no C-474 to B-303 in C-blk Ashok Nagar by pdg RMC & B/W in ward no. 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone.	MCD	17.15	2024-25	santion issued
108	Imp./Dev. of link street of Gali no 6 from H.no C-236 to 446, B-128 to B-119A and from H.no B-133 to B-132 by pdg. RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone.	MCD	10.98	2024-25	santion issued
109	Imp./Dev. of link street of Gali no 3 Durgapuri Extn from H.no 84 to 81/3 and from H no 109 to 102 and link gali no 5 from H.no. 330 to 336 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	15.18	2024-25	santion issued
110	Imp./Dev of link street of Gali no 1 Durgapuri Extn from H no 14 to 25 C & its link from H.no 38 to 36 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	15.19	2024-25	santion issued
111	Imp /Dev of link street of Gali no 4 Durgapuri Extn from H no 194 A to F-1 H no 287 to 193 and from H no 192 to 190 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	12.04	2024-25	santion issued
112	Imp./Dev of Park no 26 in MIG DDA Flats in ward no 221 Ashok Nagar Shah.(N) Zone.	MCD	2.71	2024-25	santion issued
113	Suuplying, Installation, Testing & Commissioning of 70 No Water Cooler with RO+UV system in various locations at Rohtas Nagar Assembly Constituency (AC-64).	I & FC	65 76	2024-25	santion issued
114	Improvement and Development of road and drain from H No 1/9237 to H.No 1/9330, H No. 1/9292 to H No 1/9275. H No 1/9552 to MCD School. H No 1/9293 to H No 1/9306 and link from H. No 1/9293 in Partapura by Pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	29.84	2024-25	santion issued
115	Improvement and Development of road and drain from F-9 to G-33 Pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	27 82	2024-25	santion issued
116	Improvement and Development of road and drain from H No 1/9217 to H No 1525. H No 1/9193 to 1/9185 and from H No 1/9202 to 1/9191in West Rothas Nagar by Pdg RMC in Ward No. 224Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	21.96	2024-25	santion issued
117	Improvement and Development of road and drain from H No 1/9434 to H No 1/9444 in Mohan Park by Pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	4 57	2024-25	santion issued
118	Improvement and Development of road and drain from H No 1/9567 to H No 1/9560 and from H No 1/9577 to H No 1/9578 in Partappura by pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	7 32	2024-25	santion issued
119	Improvement and Development of road and drain gali No 2 from H.No 1/10537 to H No 1/0693in Mohan Park by Pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah(N) Zone	MCD	15.28	2024-25	santion issued
120	Improvement and Development of road and drain from Vikas Mall to W-2 Pdg RMC in Ward No 224Welcome Colony Shah (N) Zone.	MCD	54.99	2024-25	santion issued
121	Improvement and Development of road and drain from H No. C-19 to H.No. C-33 in Panchsheel Garden in C Block by Pdg RMC in Ward No. 224 Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	9.43	2024-25	santion issued
122	Improvement and Development of Gali No 8 from H No 1/9514 to H.No. 1/9500, H.No 1/9313 to H.No 1/9477 and H No. 1/9514 wali gali in West Rothas Nagar by Pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	18.33	2024-25	santion issued
123	Improvement and Development of road and drain from H No A-7 to H.No 45/1-11681 in Panchsheel Garden in C Block by Pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	9 6	2024-25	santion issued
124	Improvement and Development of road and drain from H No S 12 to Mandir and H No 1/9151 wali gali in S Block Naveen Shahdara by Pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	9.49	2024-25	santion issued
125	Improvement and Development of Gali No 5 from H No 1/10876 to H.No 1/10915, H.No 1/10483A to H No 1/10843C and H.No. 1/10876 wali gali in Subhash Park by Pdg RMC in Ward No. 224 Welcome Colony Shah (N) Zone	MCD	18.85	2024-25	santion issued

126	Imp./Dev Of Gali from H no 1/6695 to 1/6725 and from H no 1/6535 to 1/6528 in East Rohtash Nagar by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Sh. (N) Zone	MCD	12 95	2024-25	santion issued
127	Imp./Dev. Of Gali no 8 from H no 1/4225 to 1/4272 in Ram Nagar Extn. By pdg RMC & & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Sh (N) Zone	MCD	12 57	2024-25	santion issued
128	Imp./Dev Of road and drain from H no 1/9323 to H no 1/9351, H.no 1/9354, H.no 1/9347, 1/9274A, H no 1/9372 and H no 1/9333 in West Rohtas Nagar By pdg RMC & & B/W in ward no. 224 Welcome Colony Sh. (N) Zone	MCD	30 64	2024-25	santion issued
129	Imp/Dev. Of Gali no 9 from H no. C-274 to C-288 in C-block Hardevpuri by pdg. RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh. (N) Zone	MCD	20.81	2024-25	santion issued
130	Construction/Imp /Dev / of link streets of Gali no 6 from H no C 225 to C-263, H no C-228 to C-260 B and from H no C-235 to C-252 in C-block Hardevpuri by pdg. RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	11 31	2024-25	santion issued
131	Construction/Imp /Dev / of Gali from H no 1/5899 to 1/5901 in Kabool Nagar by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Shah (N) Zone	MCD	13 73	2024-25	santion issued
132	Construction/Imp /Dev / of Streets from H no 1/6150 to 1/6145 1/6157 to 1/6161 1/6168 to 1/1-6165, 1-6162 to 1/6161, 1/6170 to 1/6160, 1/6183 to 1/6172 and near H no 1/6171 in East Rohtash Nagar by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash Nagar Shah. (N) Zone	MCD	18 86	2024-25	santion issued
133	Construction/Imp /Dev / of drain in LIG Flats from H no C-257 to C-36, C-385 to C-388, C-673 to C-676 and H no C-804 to C-769 by pdg. B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	20.69	2024-25	santion issued
134	Construction/Imp /Dev / of drain in LIG Flats from H no C-993 to C-1064 by pdg B/W in ward no 221 Ashok Nagar Shah (N) Zone	MCD	9.95	2024-25	santion issued
135	Imp./Dev. Of lane from H.no 1/1420 to 1/1287 & link ward no 222, AC-64,M-III sh(N) zone	MCD	18 01	2024-25	santion issued
136	Imp./Dev. Of lane from E-46 to E-58 in M S Park ward no 222, AC- 64,M-III sh(N) zone	MCD	11.03	2024-25	santion issued
137	Imp./Dev Of lane from H no 1/2703 to 1/2664 in Ram nagar in ward no. 222, AC-64,M-III sh(N) zone	MCD	10 06	2024-25	santion issued
138	Imp./Dev Of lane from 1/2184 to 1/2183 & 1/2322 to 1/2325 & link East Ram nagar in ward no 222 AC-64 M III sh(N) zone	MCD	13 36	2024-25	santion issued
139	Imp /Dev Of lane from H no 1 2996 to 1 2910 in Ram nagar in ward no. 222, AC-64,M-III sh(N) zone	MCD	17 95	2024-25	santion issued
140	Imp /Dev Of lane from H no 1/3225 to 1 3226 and 1/2911A to 1/2935 in Ram nagar in ward no 222 AC-64 M-III sh(N) zone	MCD	7 25	2024-25	santion issued
141	Imp./Dev Of lane from H.no 1/2456 to 1/2454-F & 559/1 to 559/3 in East Ram nagar ward no 222, AC-64,M-III sh(N) zone	MCD	13 47	2024-25	santion issued
142	Imp./Dev Of lane from H.no.1/3515 to 1/3537 in Ram nagar ward no. 222, AC-64,M-III sh(N) zone	MCD	16.93	2024-25	santion issued
143	Imp./Dev Of links of gali no.5 (tyagi colony) in Ram nagar and B 96 to B-88 in west nathu colony ward no 222. AC-64 M-III sh(N) zone	MCD	15 35	2024-25	santion issued
144	Improvement Development of park near flat no 5A DDA flat M S park by pdg footpath repair etc. in Ward No 222 AC-64, Ram nagar east, Shah (N) Zone	MCD	5.9	2024-25	santion issued
145	Improvement Development of park near H no 70A DDA flats M S Park by pdg Footpath repair etc in Ward No 222, AC-64, Ram nagar east Shah (N) Zone	MCD	7.26	2024-25	santion issued
146	Improvement Development of park near H no 94A, DDA flats MS Park by pdg Footpath repair etc in Ward No 222 AC-64, Ram nagar east Shah (N) Zone	MCD	7.62	2024-25	santion issued
147	Improvement Development of Parshuram park DDA flat MS Park by pdg Footpath repair etc in Ward No 222 AC-64 Ram nagar east Shah (N) Zone	MCD	8.35	2024-25	santion issued
148	Imp./ Dev Of RHS links of budh bazaar road new modern Shahdara in Ward No 222, AC-64, M-III Shah (N) zone	MCD	19 97	2024-25	santion issued
149	Imp./ Dev Of RHS from 4 to 8 in New Monder Shahdara in Ward No 222, AC-64, M-III Shah (N) zone.	MCD	19 99	2024-25	santion issued
150	Imp / Dev. Of lane from H No F-7 to Gurudwara and link in MS Park 3 and 1/1996 to 1/1997 East Ram Nagar in Ward No 222, AC-64, M-III Shah (N) zone	MCD	17 7	2024-25	santion issued

41C

151	Imp. Dev Gali no 08 from H NO 437 to 664 in chanderlok & link of gali no 08 from Hno 673 to 674 by pdg RMC & B/W in ward no. 223 Rohtash nagar Sh(N) zone.	MCD	10.23	2024-25	santion issued
152	Imp. Dev gali no 02 from H no 1449/135 to 1449/127 in durgapuri. 2 from H no 235 to 286 (naveen bharti public school) by pdg RMC & B/W in ward no 223 Rohtash nagar Sh(N) zone	MCD	12.06	2024-25	santion issued
153	Construction Of Gali No 1 Durgapuri Ext from H No 1 to 60 its link from H No 2 to 6A/1 by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	18 66	2024-25	santion issued
154	Construction Of Gali No 3 from H No A-26 to A-29 and gali no 4 from H No A- 26 to A-23 in Hardevpuri A block by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	14 71	2024-25	santion issued
155	Construction Of Gali No 1 from H.No A-3 to A/22/2, its link from H.No. A-8 to A-6 and gali no 2 from H.No A-15 to A-28 in Hardevpuri A block by pdg RMC & B/W in ward no 221 Ashok Nagar Sh(N) zone.	MCD	17 73	2024-25	santion issued
156	Construction Of Gali from H No F-21 to F-25 in East Jyoti Nagar, H No 25C to 26 and B-43/A to 6A/2 in Durgapuri Ext by pdg. RMC in ward no 221 Ashok Nagar Sh(N) zone	MCD	19 48	2024-25	santion issued
157	Improvement Development road and drain Gali No 1 Mohan Park from H No 9407A to 9398A by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III Shah North Zone	MCD	13.04	2024-25	santion issued
158	Improvement Development road and drain Mohan Park from H No 10537 to H No 10984 by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III Shah North Zone	MCD	19 18	2024-25	santion issued
159	Improvement Development road and drain from H No 11039 to H No 11020 and from H No 11011A to H No 11005 by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III Shah North Zone	MCD	16 34	2024-25	santion issued
160	Improvement Development road and drain Gali No 6 West Rothas Nagar from H No 9219 to 9235 by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III Shah North Zone	MCD	12 65	2024-25	santion issued
161	Improvement and Development of road and drain from H No 11255 to H No 10799 near Namkeen Chowk Subhash Park by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III Shah North Zone	MCD	12 03	2024-25	santion issued
162	Improvement and Development of road and drain from H No F 45 to H No F 51 and H No F 9 to H No 76 Panchsheel Garden by pdg RMC in Ward No 224 Welcome Colony AC 64 EE(M) III	MCD	22.84	2024-25	santion issued
163	Imp./ Dev. Of lane from H No 1/3399 to 1/3420 1/3468 to 1/3426, 1/3484 to 1/3486, 1/3168 to 1/3160 in Ram Nagar Ward No. 222, AC-64, M-III Shah (N) zone	MCD	16.21	2024-25	santion issued
164	Imp./ Dev Of lane from H No 1/3127 to 1/3171 & 1/3014 to 1/3009 in Ram Nagar Ward No 222. AC-64, M-III Shah (N) zone.	MCD	16 29	2024-25	santion issued
165	Imp Dev Of gali from H No 1/2859 to 2854A in Ram Nagar Ward No 222, AC-64 M-III Shah (N) zone	MCD	8 76	2024-25	santion issued
166	Imp / Dev Of lane from H No 1/2167 to 1/2171 East Ram Nagar & 1/2491 to 1/2611 1/3625 to 1/3675 1/2854 to 1/2860 in Ram Nagar Ward No 222 AC-64, M-III Shah (N) zone	MCD	22 64	2024-25	santion issued

91. **श्री विरेन्द्र सिंह कादियान:** क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज कनेक्शन दे दिया गया है;

(ख) इन कॉलोनियों का नाम व सीवर के काम को आरंभ करने तथा पूरा होने की तिथि बताएँ;

(ग) शेष रही जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर का काम चल रहा है उनका नाम, काम आरंभ होने व काम पूरा होने की अनुमानित तिथि बताएँ;

(घ) अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2010 के बाद से अब तक, जितने घरों में सीवर का कनेक्शन हो गया है, उनकी वर्षवार संख्या बताएँ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में PM-UDAY योजना के अंतर्गत 1731 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियाँ हैं, इनमें से कितनी कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन नहीं हैं;

(च) क्या इन कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन देने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो विवरण दें और यदि नही तो क्यों; और

(छ) माननीय मंत्री जी ने PM-UDAY योजना के अंतर्गत इन 1731 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों को सीवर कनेक्शन देने हेतु कितनी बैठकें की हैं, फरवरी 2025 के बाद की गई इन बैठकों के मिनिट्स उपलबध कराएँ?

शहरी विकास मंत्रीः (क) विगत दस वर्षों में कुल 1226 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जा चुकी है, जिसमें से 849 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन दे दिया गया है।

(ख) इन कॉलोनियों का नाम व सीवर के काम को आरंभ करने तथा पूरा होने की तिथि अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है।

(ग) 154 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर का काम चल रहा है। उनका नाम, काम आरंभ होने व पूरा होने की अनुमानित तिथि अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।

(घ) अनाधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2010 के बाद से अब तक जितने घरों में पाईप से सीवर का कनेक्शन हो गया है, उनकी वर्षवार संख्या हैः

वित्तीय वर्ष	संख्या	कुल
2010-11	0	0
2011-12	0	0
2012-13	0	0
2013-14	225	225
2014-15	424	649
2015-16	156	805
2016-17	49	854
2017-18	2	856

2018–19	18	874
2019–20	93	967
2020–21	33	1000
2021–22	29	1029
2022–23	11	1040
2023–24	9	1049
2024–25	5	1054

(ङ) PM-UDAY योजना दिल्लल दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

(च) उपरोक्त।

(छ) उपरोक्त।

92. श्री पवन शर्माः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है व प्रशासनिक स्वीकृति एवं 'एक्सपेंडीचर' स्वीकृति दी गई है; और

(ख) पिछले एक वर्ष में कितनी सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण को स्वीकृति दी गई, कितनों पर काम चल रहा है और कितनी भविष्य के लिए प्रस्तावित हैं, सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति बताएँ?

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

शहरी विकास मंत्री: (क) MSPY शखा में विध्यमान दस्तावेजों के अनुसार उत्तम नगर विधान सभा में मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 37 कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है एवं प्रशासनिक तौर पर एक्सपेंडीचर की स्वीकृति दी गयी है।

दिसम्बर 2017 से जनवरी 2025 तक विधायक निधि योजना के तहत उत्तम नगर विधानसभा में कुल 262 कार्यों की स्वीकृति दी गई है, सूची संलग्न है। (Annexure-D)

(ख) पिछले एक वर्ष मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

वर्ष 2024–25 में विधायक निधि योजना के तहत उत्तम नगर विधानसभा में 72 कार्यों की स्वीकृति दी गई है सूची संलग्न है। (Annexure-E) कार्य की वर्तमान स्थिति संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ली जा सकती है।

93. चौधरी जुबैर अहमद: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एमसीडी की कई सड़कों पर ड्रेन नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सड़कों की सूची मुहैया करवाएं;

(ग) इन सड़कों पर बरसात या अन्य समय में बहने वाले पानी से सीवर जाम होने की समस्या से निपटने के लिए विभाग का एक्शन प्लान क्या है;

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(घ) क्या इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने टाइमलाइन के साथ कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो विस्तृत जानकारी मुहैया करवाएं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) और (ख) जी नहीं, दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर जल निकासी व्यवस्था का उचित प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्तमान में ड्रेन से जल निकासी व्यवस्था की क्षमता निम्न कारणों से काफी प्रभावित हुई है:-

Encroachment in the Shape of ramps, tharas, kitchen garden.

Malba/waste being dumped by the house owners during construction works.

Construction of ramps by house owner as per their convenience to match the plinth level during the construction of new house after demolition of the existing one.

(घ) और (ङ) अतिक्रमण को हटाना, नालों की समयबद्ध से सफाई करना ताकि जल भराव की समस्या से निजात पाई जा सके। दिल्ली नगर निगम चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को सम्पन्न कर रहा है।

94. श्री अरविन्दर सिंह लवलीः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र के तहत डूसिब की कॉलोनी जैसे कि चंद्रपुरी, सोनिया कैंप, बिहारी बिल्डिंग, ताज कॉलोनी व जी-ब्लॉक की झुग्गियों आदि के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण दीजिये; और

(ग) सरकार द्वारा डूसिब के तहत आने वाले शौचालयों की देखरेख व सुधार की क्या योजनायें बनाई गई हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) गाँधी नगर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपरोक्त, जे.जे. बस्ती में विकास कार्य विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त।

(ग) सरकार द्वारा डूसिब के तहत शाखा सी-8 में शौचालयों की देख रेख व सुधार का कार्य गुड ईयर सिक्योरिटी सर्बिसेस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।

95. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कुछ रिहायशी खाली प्लाट पड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की किस-किस पुर्नवास कॉलोनी में कुल कितने-कितने प्लाट खाली पड़े हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी की नन्द नगरी पुर्नवास कॉलोनी में भी कुछ रिहायशी प्लाट खाली पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो नन्द नगरी की पुर्नवास कॉलोनी के किस-किस ब्लॉक में, कुल कितने-कितने वर्ग मीटर के कुल कितने प्लाट खाली पड़े हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन प्लाटों को बेचना चाहती है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र में केव एक नन्द नगरी पुनर्वास कॉलोनी है जिसमें 35 प्लॉट खाली हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) डी-1 ब्लॉक नन्द नगरी में-18 प्लॉट 21 वर्ग मीटर

डी-2 ब्लॉक नन्द नगरी में-4 प्लॉट 21 वर्ग मीटर

डी-3 ब्लॉक नन्द नगरी में-1 प्लॉट 33.3 वर्ग मीटर

डी-3 ब्लॉक नन्द नगरी में-6 प्लॉट 36 वर्ग मीटर

ए-3 ब्लॉक नन्द नगरी में-6 प्लॉट 40 वर्ग मीटर

(ङ) यह नीतिगत मामला है, इसका सर्वेक्षण कराने के उपरांत समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बाद निर्णय लिया जाएगा।

(च) उपरोक्त।

(छ) उपरोक्त।

96. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में डूसिब की कुछ ज़मीन खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र में कुल कितनी-कितनी वर्ग मीटर जमीन किस-किस स्थान पर खाली पड़ी है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने खाली पड़ी जमीन की बाउंडरी वॉल कराई है ताकि इस पर अवैध कब्जे न हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो कहां-कहां कुल कितनी जमीन की बाउंडरी वाल कराई है?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) सूची संलग्न है। अनुलग्नक (क)

(ग) जी हाँ।

(घ) उपरोक्त ख के अनुसार।

S.No.	Plot No.	Area	Status
1	Behind Gagan Cinema	22390 Sqm.	Clear
2	E-2 Block Nand Nagri Behind CNG Station and near punarwas Bazar	2745 Sqm.	Clear

24/03/2025

E.O. to CE

97. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं? इसकी विस्तृत सूची मुहैया करवायें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयों वार सूची मुहैया करवायें;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, सूची मुहैया करवायें;

(च) क्या शौचालयों की सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या इन शौचालयों की साफ-सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु ोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) सीमापुरी विधानसभा में डूसिब के उन्नीस शौचालय हैं सूची संलग्नक है। अनुलग्नक (क)।

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पालिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकतानुसार साफ सफाई की जाती है दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, हारपिक, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी संबंधित खंड डिवीजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) जी हाँ।

(ञ) लागू नहीं है।

(ट) शौचालयों की सफाई का फोटो जेएससी ऐप पर अपलोड किया जाता है।

अनुलग्नक (क) S/C

JSC under jurisdiction Division C-08				
S. No.	Name of JSC/Location	JSC code	WC	AC No.
1	Road No. 64 Tahirpur(Leprosy Camp)	63CJ1114	20	63
2	Gram Kheda Mansarover Park	63CJ1118	20	63
3	Block G3-5, Sunder Nagari, Sani Bazar	63CJ1124	20	63
4	Block B Jhilmil Colony(Balmiki Basti)	62CJ1106	23	62
5	Block G3-5, Sunder Nagari, Near DC Office	63CJ1120	30	63
6	Block G3-5, Sunder Nagari, H-Block	63CJ1125	30	63
7	E2 Block, Nand Nagari	63CJ1121	30	63
8	E Block Seemapuri	63CJ1144	32	63
9	Sarhadpuri road No. 64(near Shanti Samiti opp.) New Seemapuri, Pt. II	63CJ1136	32	63
10	Jain Mandir Block-B, 1/35 Jain Mandir, Near Kabristan	63CJ1139	32	63
11	Sarhadpuri road No. 70(near Shanti Samiti opp.) New Seemapuri, Pt. I	63CJ1135	40	63
12	Tahirpur Road, No. 64, Near CNG Petrol Pump	63CJ1119	40	63
13	Block D1 & D2, Nand Nagari(I)	63CJ1126	40	63
14	Block D1 & D2, Nand Nagari(II)	63CJ1122	40	63
15	Block F, New Seemapuri	63CJ1117	42	63
16	H block Kalander Colony, Dilshad Garden Part-II(Old)	62CJ1110	44	63
17	F Block, New Seemapuri	63CJ1134	80	63
18	Block F1, F2 Sunder Nagari	63CJ1127	84	63
19	Jain Mandir Dilshad Garden	63CJ1140	100	63

20/03/2025

EO to CE

98. श्री अभय वर्माः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिवीजन सी-09 में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में कौन-कौन से कार्य करवाये गये और उन कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी एवं कितने कार्य अभी भी लंबित हैं, उन सभी कार्यों की सूची पूर्ण विवरण के साथ दें;

(ख) उपरोक्त में से लंबित कार्य कब से शुरू किये जायेंगे और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है;

(ग) उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यरत अधिकारियों का विवरण उनके मोबाईल नम्बर सहित दें;

(घ) क्या लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में रेलवे कॉलोनी, सब्जीमंडी झुग्गी मण्डावली, एसडीएम झुग्गी किशनकुंज और पीर मस्जिद झुग्गी रमेश पार्क को स्थानांतरित करने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, यह योजना कब तक अमल में लाई जायेगी;

(च) झुग्गी के बदले मकान योजना पूरी दिल्ली व लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कब तक लागू की जायेगी;

(छ) क्या मण्डावली के साकेत ब्लॉक और सेवा सदन को जोडने वाली सब्जी मंडी रोड पर स्थित 20 से 25 झुग्गियों को वहां से हटाने की सरकार की कोई योजना है;

(ट) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा; और

(ठ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र-58 के अंतर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास लंबित कार्यों की सूची संलग्न है।

(अनुलग्नक क) एवं सूची के अनुसार दो कार्यों को छोड़कर बचे हुए कार्य समास हो गये हैं।

(ख) एक कार्य अप्रैल 2025 तक सम्पूर्ण हो जायेगा। एवं एक कार्य एन. एच.ए.आई. के हस्तक्षेप के कारण लंबित है।

(ग) मुकेश पाल, अधिशासी अभियंता (मोबाइल–9717999181), अशोक भास्कर, सहायक अभियंता (मोबाइल–7428481854), विकास यादव, कनिष्ठ अभियंता (मोबाइल–8384835932)।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सरकारी जमीन पर स्थित झुग्गियों/ जे.जे. बस्तियों को दिल्ली स्लम एवं जेजे पुर्नस्थापन व पुनर्वास नीति–2015 के तहत उन्हें पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। वर्तमान में इन झुग्गी बस्तियों को स्थानांतरित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

(च) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सरकारी जमीन पर स्थित झुग्गियों/ जे.जे. बस्तियों को दिल्ली स्लम एवं जेजे पुर्नस्थापन व पुनर्वास नीति–2015 के तहत उन्हें पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यह योजना वर्ष 2015 से ही दिल्ली में लागू है।

(छ) नहीं।

(ट) उपरोक्त 'छ' अनुसार।

(ठ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सरकारी जमीन पर स्थित झुग्गियों/ जे.जे. बस्तियों को दिल्ली स्लम एवं जेजे पुर्नस्थापन व पुनर्वास नीति–2015 के तहत उन्हें पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। वर्तमान में न झुग्गियों को हटाने हेतु सम्बंधित भूमि अधिपति संस्था द्वारा कोई निवेदन प्राप्त नहीं है।

S/C अनुलग्नक (क)

LIST OF WORKS EXECUTED IN AC-58, LAXMI NAGAR W.E.F 2020-25

S.No.	Financial Year	Description of Work	Type of Work	Tender Amount (In Lakh)	Work Status		Remarks
					In Progress	Completed	
1	2020-21	A/R and M/O and some allied work of prefab JSC at JJC Near Dispensary Mandawali, Fazalpur (58PJ1215).	JSC	0.97	-	Completed	
	TOTAL	1- No.		0.97			
1	2021-22	A/R and M/O renovation of Porta Cabin Night Shelter (code-95) at Shakarpur, Laxmi Nagar (AC-58).	JSC	1.63	-	Completed	
	TOTAL	1- No.		1.63			
1	2022-23	Improvement of damaged main approach lane by provide and laying cement concrete pavement and drains along the nala of JJ Basti at Indra camp flood department office kishan kunj extension (AC58)	EIUS	20.27	-	Completed	
2	2022-23	Re-Construction and Raising of Platform, septic tank & B/Wall for 16 seater Prefab JSC (Code No.-58PJ1215) at JJ Cluster Harijan Basti Mandavali.	JSC	39.34	In Progress	-	This work will be complete till april,2025
3	2022-23	Pdg and laying sewer line and C C from Cluster to main Drain on road and Improvement of damaged Boundary wall along the Nalla at various locations in JJ Basti Sayeed Peer Baba ki Mazar Ramesh Park Laxmi Nagar (AC-58)	EIUS	0.99	-	Completed	
	TOTAL	03 Nos.		40.33			
1	2023-24	8 A R and M O and Special repair of 20 Seater JSC in JJ Cluster Sayeed Peer Baba ki Mazar, Ramesh Park (Near BVK) in AC-58.	JSC	3.83	-	Completed	
2	2023-24	Providing and fixing steel crossings and precast RCC slabs over the drain and improvement of damaged drains and drainage system at various locations at JJ Basti Sayeed Peer Baba ki Mazar Ramesh Park, Laxmi nagar (AC-58).	EIUS	2.74	-	Completed	
	TOTAL	02 Nos.		6.57			
1	2024-25	Construction of toilet premises in Night Shelters Code No. 111 and Code No. 95 at AC-55 and AC-58 for public use Trilokpuri and Laxmi Nagar.	JSC	3.8	Not Started	-	Due to NHAI Interference
	TOTAL	01 No.		3.8			

20/03/2025

EO to CE

99. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में डूसिब की खाली पड़ी जमीनों का विवरण दें;

(ख) उन खाली पड़ी जमीनों पर क्या सरकार की कोई प्रस्तावित है, योजना का विवरण दें;

(ग) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में डूसिब की खाली जमीनों पर अतिक्रमण का विवरण दें;

(घ) डूसिब की इन जमीनों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने सेल्टर क्षेत्र हैं तथा उनके कर्मचारियों का विस्तार से विवरण दे?

शहरी विकास मंत्रीः (क) सूची संलग्न है। 'क'

(ख) खाली पड़ी जमीनों पर सरकार की अभी कोई प्रस्तावित योजना नहीं है।

(ग) कृष्णा मार्केट के पीछे झिलमिल कॉलोनी में खाली जमीन पर अतिक्रमण था।

(घ) कृष्णा मार्केट के पीछे झिलमिल कॉलोनी में खाली जमीन जिसे अतिक्रमण था। मुक्त करवा दिया है तथा इसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी चार दीवारी करवाने के लिए estimate तैयार कर लिया गया है।

(ङ) शाहदरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 9 शेल्टर क्षेत्र है (प्रति लिपि सलंग्न है) तथा प्रत्येक शेल्टर होम में हर वक्त एक केयरटेकर उपलब्ध होता है और प्रत्येक शेल्टर होम में एक सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध होता है। 'ख'

अनुलग्नक-'क' 7/C

S. No.	Vacant Land in AC-62, Shahdara
1	Ram Leela Ground, B Block, Jhilmil Colony
2	Jhilmil Colony, Shahdara (Swayam Sewa Co-operative Group Housing Society)
3	Jhilmil Colony, Shahdara (Swayam Sewa Co-operative Group Housing Society)
4	Vacant Land At Jhilmil Colony Behind Krishna Market

21/03/2025

E.O to CE

अनुलग्नक-'ख' 4/C

Shahdara

Sl. No.	NS Code	Distt. Name	Night Shelter Name	Type	Capacity	Name of Agency
1	19	Shahdara	Nand Nagari	PORTA CABIN	120	Rachna Womens Development Association
2	50	Shahdara	Kasturba Nagar Shahdara Near Cremation Ground	RCC BUILDING	110	Rachna Womens Development Association
3	64	Shahdara	F-Block, New Seemapuri	RCC BUILDING	50	Rachna Womens Development Association
4	71	Shahdara	Vishwas Nagar BVK Sanjay Amar Colony	RCC BUILDING	40	Rachna Womens Development Association
5	80	Shahdara	GTB chowk Near GTB Hospital	PORTA CABIN	50	Rachna Womens Development Association
6	141	Shahdara	Ram Lila Ground Nand Nagri	PORTA CABIN	50	Rachna Womens Development Association
7	205	Shahdara	Near DLF corner road no - 70 new seemapuri	PORTA CABIN	50	Rachna Womens Development Association
8	214	Shahdara	Anand Vihar -1 (Male)	PORTA CABIN	50	Rachna Womens Development Association
9	242	Shahdara	Anand Vihar -2 (Female)	PORTA CABIN	50	Rachna Womens Development Association

18/3/25
HC(NS)

100. सुश्री शिखा रॉयः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है;

(ख) यदि हाँ, तो किये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायें;

(ग) इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास उन गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट है, जिन्हें बस्ती विकास केंद्र का कार्य आवंटित किया गया था; और

(ङ) डूसिब के अंतर्गत आने वाले शौचालयों में सुधार की क्या योजना है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) वर्ष 2024-25 की अवधि में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में इस खण्ड सी-6 द्वारा कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक (क)

(ख) सूची संलग्न है। अनुलग्नक (क)

(ग) उपरोक्त।

(घ) जी हाँ।

(ङ) डूसिब के अंतर्गत आने वाले शौचालयों का संचालन O & M एजेंसी द्वारा किया जाता है। आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है।

4/C

अनुलग्नक (क)

List of Completed and Ongoing wroks in AC-50

S.No.	Project ID	Name of Scheme	Project Name	Division	AA&ES Amount (In lacs)	Tendered Amount (In lacs)	Financial Year in which Project sanctioned	Expenditure incurred (In lacs)	Status	
1	16023	Construction of BVK/C HALL (Revenue)	Urgent special repair for Lok Sabha elections of the Community Hall at Chirag Delhi (AC-50)	C-6	9.92	7.07	2024-25	7.06	Complete	
2	16033	Construction of BVK/C HALL (Revenue)	Urgent special repair and painting work in the C/Hall building used as poling booths in the elections at Kalkaji (AC-50)	C-6	4.99	3.57	2024-25	3.57	Complete	
3	16035	Construction of BVK/C HALL (Revenue)	A.R & M.O of and special repair of BVK at JJ Basti Lal Gumbad behind Sadhna Enclave Malviya Nagar (AC-50)	C-6	9.73	7.59	2024-25	0	In progress	
4	16036	Construction of BVK/C HALL (Capital)	C/o toilet and renovation of BVK at Jagdamba Camp, Near SFS Flats, Sheikh Sarai (AC-50)	C-6	5.24	4.7	2024-25	0	In progress	
5	16037	Construction of BVK/C HALL (Capital)	A.R and M.O and special repair of BVK at JJ Basti, Ashoka Bindusar Camp, East of Kailash (AC-50)	C-6	9.79	6.97	2024-25	0	In progress	
6	16202	Construction of BVK/C HALL (Revenue)	Engaging Security Guard (without Gun) for watch and ward of Community Hall at Chirag Delhi (AC-50) for 9 months	C-6	9.66	5.26	2024-25	0	In progress	
7	16252	Environmental Improvement in Urban Slums (Revenue)	P/L C.C. Pavement over deteriorated lanes and improvement of drainage system in JJ Basti Swami Nagar, Near water tank, outer ring road, Kalkaji (AC-50).	C-6	8.4	6.14	2024-25	0	Complete	
8	16384	Environmental Improvement in Urban Slums (Revenue)	Providing and laying Cement Concrete pavement and improvement of SW drain in JJ Basti at Lal Gumbad behind Sadhna Enclave, Malviya Nagar (AC-50).	C-6	31.64	27.51	2024-25	0	In progress	
9	16454	Environmental Improvement in Urban Slums (Revenue)	P/L C.C. Pavement in deteriorated lanes and improvement of drainage system in JJ Basti Chandan Arya Vidya Mandir, Ashoka Bindusar Camp, East Kailash (AC-50).	C-6	24.27	19.4	2024-25	0	In progress	
10	16513	Environmental Improvement in Urban Slums (Revenue)	P/L CC pavement over deteriorated lanes and improvement of drainage system in JJ Basti Jagdamba Camp near SFS Flats Sheikh Sarai, Phase-II (AC-50)	C-6	41.42	35.91	2024-25	0	In progress	
11	16253	Improvement of Service in slum Resettlement Pocket	Upgradation and strengthening of common spaces and stair case shafts at JJ Tenements Block 23-43 at Kalkaji	C-6	293.46	3.25	2024-25	0	In progress	
			Total					10.63		

19/3/25

EO to CE

101. **श्री मुकेश कुमार अहलावत:** क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, इसकी विस्तृत सूची दें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया, तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयवार सूची मुहैया करायें;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिये किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है; सूची मुहैया करायें;

(च) क्या शौचालयों के साफ-सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(झ) क्या शौचालयों की साफ-सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींच कर अपलोड की जाती है;

(ञ) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में डूसिब के शौचालय हैं।

(ख) सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के शौचालयों की संख्या 11 है। (सूची संलग्न है अनुलग्नक क)

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2028 से नयी पालिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, हारपिक, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) हाँ।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) इसकी निगरानी सम्बंधित खंड डिवीजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(झ) हाँ।

(ञ) शौचालयों की सफाई का फोटो जेएससी ऐप पर अपलोड किया जाता है।

(ट) लागू नही है।

ANNEXURE "A'

4|c

LIST OF JSC IN SULTANPURI

S.No	Name of JSC
1	HGI Labour Colony Sultanpuri.
2	HGI Labour Colony Sultanpuri (Double storeyed)
3	F-7 Sultanpuri
4	Opposite F-7 Sultanpuri
5	E-6 Block Sultanpuri
6	D-1 Machali Chowck Sultanpuri
7	C-Block, Near Main Bus Stand Sultanpuri.
8	C-7 Sultanpuri
9	C-10 Sultanpuri (Potters Huts)
10	Y Block Dhobi Ghat Mangol Puri
11	P-1 Block Sultanpuri

19/03/2025

E.O & C.E

102. श्री जरनैल सिंह: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग द्वारा पार्किंग व शादी के शामियाने के लिए जगह ठेके पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी साइट्स का नाम, स्थान, अलॉटमेंट का स्टेटस व ठेका किसको दिया गया, इन साइटों से कितना राजस्व आता है, पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) 2015 से लेकर अब तक किस साइट में प्रतिमाह के हिसाब से कितना किराया आना चाहिए था व अभी तक कितना आया व यह साइट कितने महीनों से खाली रही इसका भी विस्तृत विवरण दिया जाए;

(घ) क्या यह सत्य है कि पार्किंग की साइट व शादी के शामियाने काफी समय तक खाली पड़े रहे जिनकी वजह से विभाग को राजस्व का नुकसान हुआ;

(ङ) आज कुल कितनी जगह से किराया आ रहा है व कितनी जगह से किराया नहीं आ रहा है इसका भी विस्तृत विवरण दें;

(च) टैंडर न होने व साइट के खाली पड़े रहने का प्रति साइट के हिसाब से कारण बतायें व इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण दें;

(छ) दिल्ली में कुल कितने सामुदायिक भवन व कितने बस्ती केंद्र हैं तथा इनमें से कितने आवंटित है व कितने खाली पड़े है, इसका भी विस्तृत विवरण दें;

(ज) क्या सामुदायिक भवनों को भविष्य में आवंटित करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है; और

(झ) यदि हां, तो उसकी जानकारी दी जाए?

शहरी विकास मंत्रीः (क) हाँ, पार्किंग साइट्स व शादी के शामियाने विभाग द्वारा अस्थायी आधार पर आबंटित किये जाते हैं।

(ख) पार्किंग साइट्स व शादी के शामियाने की सूची संलग्न है। अनुलग्नक (क)

(ग) डीयूएसआईबी की पार्किंग साइट और मैरिज चंक्स आबंटित करने का प्राथमिक उद्देश्य भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए और ना की राजस्व अर्जित करना है। इसीलिए पार्किंग साईटस और मैरिज चंक्स को स्थायी रूप से आवंटन न करके अस्थाई रूप आबंटन की जाती है। हालांकि, डीयूएसआईबी द्वारा, समय-समय पर, डीयूएसआईबी की वेबसाइट पर, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, और ई-टेन्डर के माध्यम से आबंटन के लिए उपलब्ध न पार्किंग स्थलों और मैरिज चंक्स के बारे में टेंडर विजार्ड (निविदा के लिए नामित साइट) द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। नीलामी में लेकिन फिर भी संभावित बोलीदाताओं से बहुत कम प्रतिक्रिया मिली। डीयूएसआईबी द्वारा पार्किंग स्थलों और मैरिज चंक्स के आवंटन के लिए निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को अपनाया गया है।

पार्किंग साइटस और मैरिज चंक्स के लिए टेंडर समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं और टेंडर लगाने में कोई देरी नहीं हुई है। पार्किंग साइट्स के लिए 6 बार टेंडर लगाए जा चुके हैं और मैरिज चंक्स के लिए भी 4 बार टेंडर लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 26 पार्किंग स्थल चल रहे हैं, और 15 अस्थायी पार्किंग स्थलों की ई-निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया में है। 15 अस्थायी पार्किंग स्थलों की सूची संलग्न है। अनुलग्न (ख)

वर्तमान में 5 मैरिज चंक्स को अस्थायी रूप से आवंटित है। 4 मैरिज चंक्स की ई–निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया में है। 4 मैरिज चंक्स की सूची संलग्न है। अनुलग्न (ग)

उपरोक्त विवरण के अनुसार कोई नुकसान नहीं हुआ है।

पार्किंग साइट्स से प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित है और मैरिज चंक्स से प्राप्तियां की सूची संलग्न है। अनुलग्नक (घ)

क्रमांक	वर्ष	प्राप्तियां (लाखों में)
1.	2015–16	6.51
2.	2016–17	–
3.	2017–18	–
4.	2018–19	–
5.	2019–20	309.50
6.	2020–21	158.28
7.	2021–22	107.41
8.	2022–23	117.67

(घ) उपरोक्त अनुसार।

(ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार।

(च) उपरोक्त (ग) के अनुसार और कोई अफसर दोषी नहीं है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(छ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास दिल्ली में कुल 219 सामुदायिक भवन हैं उनमें से लगभग 159 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को आवंटित है, तथा 60 सामुदायिक भवन Online Booking किये जाते हैं।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के दिल्ली में लगभग 317 बस्ती विकास केन्द्र है। उनमें से लगभग 193 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को आवंटित है तथा लगभग 124 खाली हैं। शेष सूचना सामुदायिक सेवा शाखा से सम्बधित है।

(ज) इस सम्बंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(झ) उपरोक्त।

103. श्री प्रेम चौहानः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के कितने शौचालय हैं तथा सीटों की कितनी संख्या है;

(ख) उनके रख-रखाव का कार्य आखिरी बार कब हुआ था, विवरण दें;

(ग) सभी शौचालयों के रखरखाव, पानी, सफाई जैसी सुविधा हेतु प्रत्येक शौचालय में कितने आदमी लगाये गए हैं अथवा किस कम्पनी को काम आवंटित किया गया है, सूची उपलब्ध करायें;

(घ) देवली विधानसभा में कितने शौचालय हैं जो कि पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए और कितने तोड़ दिए गए, विवरण दें; और

(ङ) जहां-जहां शौचालय तोड़े गए या बंद किये गए उन जगहों का विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) 11 शौचालय हैं तथा कुल 425 सीट हैं।

(ख) रख रखाव का कार्य निरंतर प्रक्रिया और O&M agency द्वारा किया जाता है।

(ग) इन शौचालयों पर डूसिब विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं।

यह कार्य मेसर्स खगोल लोकोमोटिव लेबर सोसाइटी लि. को आवंटित किया गया है।

(घ) देवली विधान सभा में डूसिब का कोई शौचालय बंद अथवा तोड़ा नहीं गया है।

(ङ) लागू नही है।

104. श्री सही राम: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के अंतर्गत कितने शौचालय हैं तथा इनमें सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन शौचालयों की देखभाल खुद डूसिब करती है या फिर किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जाती है;

(ग) इन सभी शौचालयों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी की सूची प्रदान करें;

(घ) क्या इन सभी शौचालयों में (पोर्टा केबिन, एमटीवी) के रखरखाव के लिए कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक शौचालय में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, और इसकी सूची सहित पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) 30 शौचालय हैं तथा कुल 1395 सीट हैं।

(ख) यह कार्य मेसर्स खगोल लोकोमोटिव लेबर सोसाइटी लि. तथा मेसर्स दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सुलभ शौचालय संस्थान को आवंटित किया गया है।

(ग) मेसर्स खगोल लोकोमोटिव लेबर सोसाइटी लि. तथा मेसर्स दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सुलभ शौचालय संस्थान।

(घ) डूसिब ने सभी सेवा सुविधायों युक्त (सफाई, जलापूर्ति और सीवेज सक्शन) एवं रख रखाव सहित पोर्टेबल शौचालय कक्ष उपलब्ध कराने का काम मेसर्स सारा प्लास्ट को दिया है।

(ङ) उपरोक्त अनुसार।

105. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लीमारन विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध करायें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयवार सूची मुहैया करवाए;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है? सूची मुहैया करवाएं;

(च) क्या शौचालयों के साफ सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(ज) क्या शौचालयों की साफ सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) सूची संलग्न है। (अनुलग्नक क)

(ग) टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024

(घ) 01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाईल हारपिक, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) इसकी निगरानी संबंधित खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशासी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते हैं।

(ज) जी हाँ।

(झ) लागू नहीं है।

(ञ) शौचालयों की सफाई का फोटो जेएससी ऐप पर अपलोड किया जाता है।

B/C अनुलग्नक (क)

List of Jan Suvidha Complexes in AC-22 Ballimaran

S.NO	Code of JSC	Location	Total No of Seats
1	22CO1315	Idgah Road (Basti Julahan)	58
2	22CO1334	Near Yog Maya Mandir Pahar Ganj	38
3	22CO1316	Ram Nagar Pahar Ganj, Gali Tel Mill	18
4	22CO1317	Shamji Mal Lane Nabi Karim, Pahar Ganj.	26
5	22CO1318	Kabir Basti	14
6	22CO1319	Krishna Basti Nabi Karim Pahar Ganj	20
7	22CO1320	Marwari Basti Nabi Karim Pahar Ganj	20
8	22CO1321	Chinoyt Basti Nabi Karim	39

H.O.B.

12/10/23 JE/C-10

19/3/25

19/03/2025 EO/LCE

H.O. By

12/10/23 JE/C-10

106. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 20.02.2025 की तिथि में दिल्ली में कितने 'रैन-बसेरे' चल रहे हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों में रैन-बसेरों पर कितनी बजट राशि आवंटित तथा कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) विगत पाँच वर्षों में कितने लोगों ने रैन-बसेरों का प्रयोग किया है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) दिनांक 20.02.2025 में दिल्ली में 197 रैन-बसेरे चल रहे हैं और इसके अलावा सर्दियों में अलग से 244 (पैगोडा टेंट) चल रहे हैं।

(ख) सूची संलग्न है। अनुलग्नक (क)

(ग) रैन बसेरो में औसत 5500 व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 1,00,37,500 लोगों ने रैन बसेरो का प्रयोग किया।

अनुलग्नक (क)

4/C

Subject:- Information of GIA received in r/o Night Shelters Plan Schmes for the F.Y. 2019-20 to 2023-24

Sr. No.	Name of Scheme	Financial Year 2019-20		Financial Year2020-21		Financial Year2021-22		Financial Year 2022-23		Financial Year 2023-24	
		Budget Allocated/ RBE	Expenditure	Budget Allocated/ RBE	Expenditure	Budget Allocated/ RBE	Expenditure	Budget Allocated/ RBE	Expenditure	Budget Allocated/ RBE	Expenditure
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Const. & Maint. of Night Shelter's (Revenue)	2000.00	1901.30	2353.00	2071.84	2000.00	2000.00	4500.00	3295.31	3500.00	3327.52
2	Const. & Mant. of Night Shelter's (Capital)	0.00	0.00	632.00	164.70	200.00	119.44	200.00	97.18	375.00	31.33
3	Providing Food Facilities at Night Shelter's (Revenue)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	401.03	2000.00	1609.57
	Total	**2000.00**	**1901.30**	**2985.00**	**2236.54**	**2200.00**	**2119.44**	**5200.00**	**3793.52**	**5875.00**	**4968.42**

Note: The Budget allocation is inclusive of unspent balance of previous wherein available.

18/3/25

AO(Plan) AAO(Plan) HC(Plan) Cashier(Plan)

107. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंडली विधानसभा क्षेत्र में डूसिब के शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, इसकी विस्तृत सूची सौपें;

(ग) इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया;

(घ) प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयवार सूची मुहैया करवाए;

(ङ) इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है? सूची मुहैया करवाएं;

(च) क्या शौचालयों के साफ-सफाई की निगरानी होती है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है;

(ज) क्या शौचालयों की साफ सफाई के उपरांत उनकी निगरानी हेतु फोटो खींचकर अपलोड की जाती है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) यदि हां, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती है?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) इसका उत्तर संलग्न सूची में है। (क)

(ग) इन शौचालयों का टेंडर माह-मार्च 2024 में किया गया था तथा कार्य दिनांक 27.03.2024 को प्रदान किया गया था।

(घ) 01.01.2028 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।

(ङ) सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाल, हारपिक, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है।

(च) जी हाँ।

(छ) समय-समय पर जाकर देखा जाता है और नियमित फोटो तारीख सहित अपलोड कराये जाते हैं।

(ज) जी हाँ।

(झ) लागू नहीं हैं।

(ञ) शौचालयों की सफाई का फोटो जेएससी ऐप पर अपलोड किया जाता है।

3/c

अनुलग्नक (क)

Information/record in respect of JSCs

S.no.	JSC Code	JSC Name	No. of WCs	Total no. of safai karmachari deployed	Availibility of Tap water in each WC (yes/no)	Availibility of flush in each WC (yes/no)	No. of WC open for 24 hour
1	56CJ1239	Block 11-12, Kalyanpuri	40	2	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	40
2	56CJ1204	JJC Block 18 Indira Camp Kalyan Puri	73	4	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	73
3	56CJ1238	Block-18 , Kalyanpuri	88	4	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	88
4	56CJ1236	Blk 17-21, Kalyanpuri	50	4	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	50
5	56PJ1205	Bus Stand Khichripur Block 13,14	20	2	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	20
6	56CJ1242	JJ Cluster Gazipur adjoining NH24	30	2	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	30
7	56CJ1245	JJ Cluster Block-17-21, Kalyanpuri.	94	4	yes	EU/Divyaang WC: Yes Other: No	94

20/03/2025
EO & CE

108. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र (एसी–17) में डूसिब की कई संपत्तियों को विभाग द्वारा सील किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सील संपत्तियों का एड्रेस और सील करने का कारण बताया जाये;

(ग) जो डूसिब संपत्तियां सील है, उन्हें डी–सील करने का क्या प्रोसेस है; और

(घ) डूसिब प्रॉपर्टी में पेड़ों की छटाई का क्या प्रोसेस है?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) 159/XIX, सराय बस्ती, दिल्ली, कारण अवैध अतिक्रमण। 239/XIX, सराय बस्ती, दिल्ली कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के कारण।

(ग) संपतियां डी–सील करने के मामले दिल्ली नगर–निगम द्वारा पारित दिनांक 25.10.2004 के प्रस्ताव संख्या 396 के अनुसार प्रोसेस किये जाते हैं।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पेड़ की छटाई एवं काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है।

109. श्री अशोक गोयलः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 5 सालों में डूसिब ने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न झुग्गी कलस्टरों में क्या-क्या काम किया गया, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के सभी कलस्टरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है; और

(ग) पिछले 5 वर्षों में पूरी दिल्ली के झुग्गी कलस्टरों के रख-रखाव एवं विकास के लिए सरकार ने कुल कितने पैसे आवंटित किये और विभाग द्वारा कितने पैसे खर्च किये गये, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्षवार विवरण दें?

शहरी विकास मंत्रीः (क) सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-क)

(ख) नहीं।

(ग) पिछले पाँच वर्षों में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में डूसिब ने दिल्ली के झुग्गी कलस्टरों के रख-रखाव एवं विकास के लिए सरकार ने कुल 960 लाख रूपये आवंटित किये और विभाग द्वारा 566 लाख रूपये खर्च किये गये।

10/C अनुलग्नक (क)/

ANNEXURE 1

s.no.	Assembly	Project Name	Div.
1	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC SH: Construction 60 Seater JSC at J.J Cluster Kaushal Puri Lal Bagh, Azadpur	C07
2	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: Providing and laying sewer line for 60 seater JSC at A.T. Mill, Lal Bagh, Azad Pur, AC-18.	C07
3	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: Relaying of damaged sewerage system by providing and laying new sewerage system for 20 seater JSC at Khilona Wala Bagh, AC-18, Model Town.	C07
4	Model Town (18)	N.O.W: Shishu Vatika, S.H: Construction of Boundary wall and footpath for Shishu Vatika after demolish of abandoned 53 seater Jan Suvidha Complex in JJ cluster, Chowki No.4, GTK Road, Azadpur in AC-18, Model Town.	C07
5	Model Town (18)	N.O.W: Construction and Management of Night Shelter. S.H: Providing and laying sewerage system at Night Shelter, Lal Bagh Azadpur, AC-18, Model Town.	C07
6	Model Town (18)	N.O.W: Built Up Facilities in BVK/Community Hall, S.H: Engagement of Resident Care Taker for watch and Ward for 1 no. BVK at Chowki No.4 (G.T.K. Road) and 1 No. Community Hall at Jatav Basti (Jawahar Nagar) for 12 months in AC-18, Model Town.	C07
7	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: A/R, M/O and Up-gradation of existing 42 seater prefab JSC at Kabir Nagar near R.P. Bagh by providing grit wash/glazed wall tiles on wall and kota stone flooring in AC-18, Model Town.	C07
8	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, S.H: Renovation/Up-gradation of existing 20 seater JSC prefab Block-38, Shakti nagar by providing grit wash/glazed wall tiles on wall and kota stone flooring in AC-18, Model Town.	C07
9	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: AR MO and Upgradation of existing 25 seater JSC near Camp Gar Ki Mandi, Rajpura Village	C07
10	Model Town (18)	Special Repair and ARMO, lying of sewerline, construction of approach pathways, replacing damaged kota stone in courtyard, Change window glass, WC door, WC seat and etc. BVK at Chowki No.4 Site I and BVK at Chowki No.4 Site-2, Model Town, AC-18	C07
11	Model Town (18)	Regarding Wall Art based created painting (visual art) of Skill development Center on light house project at community hall at Mukeem Pura, Malka Ganj.	C07
12	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head: Boring of tube well bore at 10 seaters prefab JSC at J J Cluster at Kaushal Puri, Lal Bagh, AC-18	C07
13	Model Town (18)	Pay and Use JSC Sub Head Up-gradation and Special Repair of existing 3 seater JSC (18C1088) near Hanuman Mandir, AC-18, Model Town.	C07
14	Model Town (18)	Pay and Use JSC, Sub Head:- Up-gradation and Special of Existing 20 seater JSC (code No. 18CJ1024) at Cigratte wala Bagh AC - 18 Model Town.	C07

19/3/25

EO&CE

9/C

no.	Assembly	Project Name	Div.
15	Model Town (18)	Pay and Use JSC, Sub Head :- Boring of tube well bore at 66 seaters (18CJ1022) JSC at J J Cluster at Kabir Nagar Near R.P Bagh , AC-18	C07
16	Model Town (18)	N.O.W. : Construction and management of Night Shelter. Sub. Head : Renovaton and Upgradation of Night Shelter (Code No. 68) at Lal Bagh, Azad Pur, AC-18.	C07
17	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: AR MO and Special repair of 10 seater prefab (18PJ1071) JSC at JJ Cluster Kaushal Puri, Lal Bagh, Azad Pur.	C07
18	Model Town (18)	N.O.W. pay and Use of JSC. SH:Renovation and upgradation of existing 32 seater Prefab (18PJI1021) JSC at JJ Cluster at Kishor Nagar Near R.P. Bagh AC 18.	C07
19	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Cigratte Wala Bagh Prembari Road, Model Town. AC-18	C07
20	Model Town (18)	Pay and Use JSC. SH. Construction of pucca structure of 20 seater JSC (code 18PJ 1028) at JJ Cluster Block 38 Shakti Nagar, AC-18	C07
21	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Mauji Wala Bagh, Lal Bagh Azadpur AC-18	C07
22	Model Town (18)	Pay and Use JSC. SH:. Operation Management and Maintenance of Jan Suvidha Complexes in AC No 18, Model Town, AC-20 (Chandni Chowk) and AC-21 (Matia Mahal) at locations as per list under jurisdiction of division C-7 of DUSIB for Three Months (Group-2)	C07
23	Model Town (18)	N.O.W: Construction & Management of Night Shelter. SH Engagement of Un-Skilled labour (Safaikaramchari) for day to day cleaning of DUSIB Night Shelter in Cluster-1 at different locations as per list enclosed under jurisdiction of Division C -7 for	C07
24	Model Town (18)	N.O.W: Construction & Management of Night Shelter.SH. Engagement of Un-Skilled labour (Safaikaramchari) for day to day cleaning of DUSIB Night Shelter in Cluster-2 at different locations as per list enclosed under jurisdiction of Division C -7 for	C07
25	Model Town (18)	N.O.W. Pay and Use JSC. SH. Periodical and day to day maintenance of Jan Suvidha Complex (20 Nos.) at different locations in AC-18 for one year.	C07
26	Model Town (18)	N.O.W. Pay and Use JSC. SH. Renovation and Up-gradation of existing 16 seater JSC (code 18 CJ 1026) at Khilona Wala Bagh AC-18, Model Town.	C07
27	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head Construction of Pucca Structure of 20 seaters JSC at JJ Cluster Ganda Nalla Gulabi Bagh, AC-18.	C07
28	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head Renovation and Upgradation of existing 06 seater (18CJ1066) JSC at JJ Cluster near ESI Dispensary, 15/4 Shakti Nagar, AC-18.	C07
29	Model Town (18)	Construction of Community Hall / BVK. SH. Renovation and Upgradation, AR and MO, replacing damage kota stone outside the building and other repair work at BVK Ganda Nalla Gulabi Bagh.	C07

Go to CG

8/c

no.	Assembly	Project Name	Div.
30	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster near Ramlila Maidan, Azad Pur.	C07
31	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Providing and laying CC Pavement and Improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh, GT Karnal Road.	C07
32	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Improvement of storm water line and CC pavement in J J Cluster J-Block, Aruna Colony, Majnu Ka Tilla.	C07
33	Model Town (18)	EIUS, Sub Head :Providing and laying CC Pavement and Improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh near Laxmi Narayan Mandir, AC-18.	C07
34	Model Town (18)	EIUS. SH Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster at Ganda Nalla, Gulabi bagh, AC-18.	C07
35	Model Town (18)	Built-up facilities of BVK / Community Hall. Sub Head : Renovation and Up-gradation, AR and MO, Relaying of sewer line, replacing damaged Kota Stone outside the Building and other repair work at Community Hall Rajpura Gur Ki Mandi, AC-18, Model Town.	C07
36	Model Town (18)	N.O.W: Shishu Vatica. Sub Head : Reconstruction of damaged boundary wall and development work of Shishu Vatica / Park at JJ Cluster Nalla Gulabi Bagh, AC-18.	C07
37	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Providing and laying and improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh near Masque, GT Karnal Road near Vijay Cinema, AC-18.	C07
38	Model Town (18)	N.O.W: Construction of Community Hall. SH. Renovation and Up gradation, AR and MO and Other Repair work at BVK Cigratte Wala Bagh.	C07
39	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Camp near Gur Ki Mandi, Rajpura Village AC-18, Model Town.	C07
40	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head :Relaying of damaged sewerage system by providing and laying new sewerage system for 103 seaters JSC (18CJ1070) at Chowki No.4, GTK Road, AC-18.	C07
41	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Chowki No. 4, Railway GTK Road, Azadpur, AC-18.	C07
42	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster near ESI Dispensary 15/4 Shakti Nagar, AC-18.	C07
43	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Ashram Wala Bagh, Model Town, AC-18.	C07
44	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Block-38, Shakti Nagar, AC-18.	C07
45	Model Town (18)	N.O.W:- Construction of BVK/Community Hall SH:- Renovation and up-gradation, AR and MO and other repair work at BVK Maujiwala Bagh, Lal Bagh Azadpur, Model Town, AC-18	C07
46	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster by the side of Railway Line, Shakti Nagar Godown, AC-18.	C07
47	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Mubarak Bagh near Police Station Model Town, AC-18.	C07
48	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Kishor Nagar near RP Bagh, AC-18	C07

Eo to CE

6\C

ANNEXURE 3

S.no.	Assembly	Project Name	Div.	AA&ES Amount	Tendered Amount
1	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC SH: Construction 60 Seater JSC at J.J Cluster Kaushal Puri Lal Bagh, Azadpur	C07	84.76	54.5
2	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: Providing and laying sewer line for 60 seater JSC at A.T. Mill, Lal Bagh, Azad Pur, AC-	C07	11.34	6.1
3	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: Relaying of damaged sewerage system by providing and laying new sewerage system for 20 seater JSC at Khilona Wala Bagh, AC-18, Model Town	C07	1.41	1.29
4	Model Town (18)	N.O.W: Shishu Vatika, S.H: Construction of Boundary wall and footpath for Shishu Vatika after demolish of abandoned 53 seater Jan Suvidha Complex in JJ cluster, Chowki No.4, GTK Road, Azadpur in AC-18, Model Town.	C07	18.76	12.43
5	Model Town (18)	N.O.W: Construction and Management of Night Shelter. S.H: Providing and laying sewerage system at Night Shelter, Lal Bagh Azadpur, AC-18, Model Town.	C07	2.21	1.02
6	Model Town (18)	N.O.W: Built Up Facilities in BVK/Community Hall, S.H: Engagement of Resident Care Taker for watch and Ward for 1 no. BVK at Chowki No.4 (G.T.K. Road) and 1 No. Community Hall at Jatav Basti (Jawahar Nagar) for 12 months in AC-18, Model Town.	C07	7.72	0
7	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: A/R, M/O and Up-gradation of existing 42 seater prefab JSC at Kabir Nagar near R.P. Bagh by providing grit wash/glazed wall tiles on wall and kota stone flooring in AC-18, Model Town.	C07	24.63	7.18
8	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, S.H: Renovation/Up-gradation of existing 20 seater JSC prefab Block-38, Shakti nagar by providing grit wash/glazed wall tiles on wall and kota stone flooring in AC-18, Model Town.	C07	2.58	1.6
9	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: AR MO and Upgradation of existing 25 seater JSC near Camp Gar Ki Mandi, Rajpura Village	C07	9.51	4.7
10	Model Town (18)	Special Repair and ARMO, lying of sewerline, construction of approach pathways, replacing damaged kota stone in courtyard, Change window glass, WC door, WC seat and etc. BVK at Chowki No.4 Site I and BVK at Chowki No.4 Site-2, Model Town, AC-18	C07	24.96	6.74
11	Model Town (18)	Regarding Wall Art based created painting (visual art) of Skill development Center on light house project at community hall at Mukeem Pura, Malka Ganj.	C07	2.4	0
12	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head: Boring of tube well bore at 10 seaters prefab JSC at J J Cluster at Kaushal Puri, Lal Bagh, AC-18	C07	4.51	4.18
13	Model Town (18)	Pay and Use JSC Sub Head Up-gradation and Special Repair of existing 3 seater JSC (18C1088) near Hanuman Mandir, AC-18, Model Town.	C07	5.45	1.2

EO to CE

S|C

...o.	Assembly	Project Name	Div.	AA&ES Amount	Tendered Amount
14	Model Town (18)	Pay and Use JSC, Sub Head:- Up-gradation and Special of Existing 20 seater JSC (code No. 18CJ1024) at Cigratte wala Bagh AC - 18 Model Town.	C07	13.69	7.6
15	Model Town (18)	Pay and Use JSC, Sub Head :- Boring of tube well bore at 66 seaters (18CJ1022) JSC at J J Cluster at Kabir Nagar Near R.P Bagh , AC-18	C07	10.38	4.65
16	Model Town (18)	N.O.W. : Construction and management of Night Shelter. Sub. Head : Renovaton and Upgradation of Night Shelter (Code No. 68) at Lal Bagh, Azad Pur, AC-18.	C07	3.85	2.32
17	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC. S.H: AR MO and Special repair of 10 seater prefab (18PJ1071) JSC at JJ Cluster Kaushal Puri, Lal Bagh, Azad Pur.	C07	3.18	1.74
18	Model Town (18)	N.O.W. pay and Use of JSC. SH:Renovation and upgradation of existing 32 seater Prefab (18PJI1021) JSC at JJ Cluster at Kishor Nagar Near R.P. Bagh AC 18.	C07	19.6	8.97
19	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Cigratte Wala Bagh Prembari Road, Model Town. AC-18	C07	28.68	17.52
20	Model Town (18)	Pay and Use JSC. SH. Construction of pucca structure of 20 seater JSC (code 18PJ 1028) at JJ Cluster Block 38 Shakti Nagar, AC-18	C07	34.16	19.18
21	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Mauji Wala Bagh, Lal Bagh Azadpur AC-18	C07	52.45	31.92
22	Model Town (18)	Pay and Use JSC. SH:. Operation Management and Maintenance of Jan Suvidha Complexes in AC No 18, Model Town, AC-20 (Chandni Chowk) and AC-21 (Matia Mahal) at locations as per list under jurisdiction of division C-7 of DUSIB for Three Months (Group-2)	C07	0	74.34
23	Model Town (18)	N.O.W: Construction & Management of Night Shelter. SH Engagement of Un-Skilled labour (Safaikaramchari) for day to day cleaning of DUSIB Night Shelter in Cluster-1 at different locations as per list enclosed under jurisdiction of Division C -7 for	C07	8.63	0
24	Model Town (18)	N.O.W: Construction & Management of Night Shelter.SH. Engagement of Un-Skilled labour (Safaikaramchari) for day to day cleaning of DUSIB Night Shelter in Cluster-2 at different locations as per list enclosed under jurisdiction of Division C -7 for	C07	6.64	0
25	Model Town (18)	N.O.W. Pay and Use JSC. SH. Periodical and day to day maintenance of Jan Suvidha Complex (20 Nos.) at different locations in AC-18 for one year.	C07	9.45	6.42
26	Model Town (18)	N.O.W. Pay and Use JSC. SH. Renovation and Up-gradation of existing 16 seater JSC (code 18 CJ 1026) at Khilona Wala Bagh AC-18, Model Town.	C07	15.27	7.66

41c

.10.	Assembly	Project Name	Div.	AA&ES Amount	Tendered Amount
27	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head Construction of Pucca Structure of 20 seaters JSC at JJ Cluster Ganda Nalla Gulabi Bagh, AC-18.	C07	41.27	41.37
28	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head Renovation and Upgradation of existing 06 seater (18CJ1066) JSC at JJ Cluster near ESI Dispensary, 15/4 Shakti Nagar, AC-18.	C07	5.09	2.82
29	Model Town (18)	Construction of Community Hall / BVK. SH. Renovation and Upgradation, AR and MO, replacing damage kota stone outside the building and other repair work at BVK Ganda Nalla Gulabi Bagh.	C07	9.79	5.03
30	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster near Ramlila Maidan, Azad Pur.	C07	20.33	13.07
31	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Providing and laying CC Pavement and Improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh, GT Karnal Road.	C07	48.6	30.81
32	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Improvement of storm water line and CC pavement in J J Cluster J-Block, Aruna Colony, Majnu Ka Tilla.	C07	39.61	26.57
33	Model Town (18)	EIUS, Sub Head :Providing and laying CC Pavement and Improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh near Laxmi Narayan Mandir, AC-18.	C07	0	0
34	Model Town (18)	EIUS. SH Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster at Ganda Nalla, Gulabi bagh, AC-18.	C07	26.99	16.86
35	Model Town (18)	Built-up facilities of BVK / Community Hall. Sub Head : Renovation and Up-gradation, AR and MO, Relaying of sewer line, replacing damaged Kota Stone outside the Building and other repair work at Community Hall Rajpura Gur Ki Mandi, AC-18, Model Town.	C07	0	0
36	Model Town (18)	N.O.W.: Shishu Vatica. Sub Head : Reconstruction of damaged boundary wall and development work of Shishu Vatica / Park at JJ Cluster Nalla Gulabi Bagh, AC-18	C07	8.73	9.73
37	Model Town (18)	N.O.W: EIUS, Sub Head :Providing and laying and improvement of drainage system at JJ Cluster Lal Bagh near Masque, GT Karnal Road near Vijay Cinema, AC-18.	C07	13.32	8.57
38	Model Town (18)	N.O.W: Construction of Community Hall. SH. Renovation and Up gradation, AR and MO and Other Repair work at BVK Cigratte Wala Bagh.	C07	13.54	0
39	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Camp near Gur Ki Mandi, Rajpura Village AC-18, Model Town.	C07	52.1	47.85

EO to CE

3/C

S.No.	Assembly	Project Name	Div.	AA&ES Amount	Tendered Amount
40	Model Town (18)	N.O.W: Pay and Use JSC, Sub Head :Relaying of damaged sewerage system by providing and laying new sewerage system for 103 seaters JSC (18CJ1070) at Chowki No.4, GTK Road, AC-18.	C07	14.49	8.45
41	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Chowki No. 4, Railway GTK Road, Azadpur, AC-18.	C07	78.82	0
42	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster near ESI Dispensary 15/4 Shakti Nagar, AC-18.	C07	12.05	7.98
43	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Ashram Wala Bagh, Model Town, AC-18.	C07	17.1	0
44	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Block-38, Shakti Nagar, AC-18.	C07	13.4	7.33
45	Model Town (18)	N.O.W:- Construction of BVK/Community Hall SH:- Renovation and up-gradation, AR and MO and other repair work at BVK Maujiwala Bagh, Lal Bagh Azadpur, Model Town, AC-18	C07	30.26	27.03
46	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster by the side of Railway Line, Shakti Nagar Godown, AC-18.	C07	21.77	12.8
47	Model Town (18)	EIUS, SH. Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system at JJ Cluster Mubarak Bagh near Police Station Model Town, AC-18.	C07	24.72	16.81
48	Model Town (18)	N.O.W.: EIUS SH.: Providing and laying CC payment and improvement of drainage system at JJ Cluster Kishor Nagar near RP Bagh, AC-18	C07	61.82	0
		TOTAL		960.02	566.34

EO to CE

110. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत संजय कालोनी में सुलभ शौचालय में बिजली की व्यवस्था चालू नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन न देने का क्या कारण है; और

(ग) इस सुलभ शौचालय में कब तक बिजली के कनेक्शन को चालू कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रीः (क) MCD के समय का बकाया राशि MCD के द्वारा नहीं जमा करने के कारण बिजली काट दी गई है। परन्तु अभी बिजली अस्थाई रूप से चालू है और MCD के साथ पत्राचार चल रहा है और MCD द्वारा बकाया राशि जमा करने के बाद स्थाई कनेक्शन ले लिया जायेगा।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) MCD से विवाद सुलझने के बाद स्थाई कनेक्शन ले लिया जायेगा।

111. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूसिब अपनी खाली जमीन किराए या लीज पर देता है;

(ख) वर्तमान में डूसिब की कितनी जमीन खाली है;

(ग) डूसिब द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये या लीज पर दी गई जमीन की सूची, किरायेदारों या लीज धारकों के नाम और उसमें प्राप्त होने वाले किराये की जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(घ) डूसिब ने पिछले 10 साल में कितने नाइट शेल्टर बनाए हैं उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाए;

(ङ) डूसिब द्वारा बनाए गए नाइट शेल्टर में सुरक्षा के लिए कौन-कौन से इंतजाम किए जाते हैं और संबंधित विभाग किन सुरक्षा मानकों का पालन करता है;

(च) क्या डूसिब की ग्रीन बेल्ट पर स्थायी या अस्थायी निर्माण की अनुमति है;

(छ) डूसिब द्वारा दी गई जमीन पर स्थापित नियमित एनजीओ, बस्ती विकास केंद्र और नशा मुक्ति केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ज) किन-किन मामलों में लीज या किराये के अनुबंध समाप्त होने के बाद विवाद चल रहे हैं, जानकारी प्रदान की जाए;

(झ) रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(ञ) रैन बसेरो और बस्ती विकास केंद्रों की सूची प्रदान की जाए साथ ही इन्हें संचालित करने वाली एजेंसी अथवा एनजीओ की सूची भी उपलब्ध कराई जाए;

(ट) रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा प्रस्तावित कार्यों के टेंडर और वर्क आर्डर की कॉपी तथा स्वीकृत धन राशि की जानकारी प्रदान की जाए; और

(ठ) रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा उपलब्ध कराए गए टॉयलेट ब्लॉक्स की संख्या की जानकारी प्रदान की जाए तथा इन टॉयलेट ब्लॉक्स के निर्माण और रखरखाव के लिए किए गए भुगतान की जानकारी प्रदान की जाए?

शहरी विकास मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) डूसिब की अनुमानित 585 जगह पर 481 एकड़ जमीन खाली है।

(ग) व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये या लीज पर दी र्ग 301 भूमि आवंटन की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक (ङ)।

पार्किंग साइट्स, शादी के शामियाने व व्यवसायिक भूखंड की सूची संलग्न है। अनुलग्नक (च)

(घ) डूसिब ने 15 स्थानों पर 31 नाईट शेल्टर बनाये गए हैं। सूची संलग्न है। अनुलग्नक (घ)

(ङ) नाईट शेल्टर में सुरक्षा के लिए महिला शेल्टर में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध होते हैं और सी सी टी बी कैमरा भी लगाए गए हैं। सभी रैन बसेरो में समय-समय पर स्थानिये पुलिस के द्वारा भी निरिक्षण होता है।

(च) ये नीतिगत मामला है।

(छ) बस्ती विकास केन्द्रों में आवंटित नियमित एन.जी.ओ. की सूची संलग्न है तथा नशा मुक्ति केन्द्र के लिये आवंटित बस्ती विकास केन्द्र की सूची संलग्न है। अनुलग्नक (क एवं ख)

(ज) सूची संलग्न है। अनुलग्नक (छ)

(झ) 1. Renovation and A/R and M/o Night shelter with Code No. 125 at JJC Lal Bagh under Mansarover Park Flyover AC-64, Rohtash Nagar.

2. Urgent repair of Night Shelter with Code No. 96 at JJ Cluster Lal Bagh under Mansarover Park Flyover AC-64, Rohtas Nagar.

3. Urgent repair in Welcome Ram Mandir Community Hall for Lok Saha Election, AC-64; Shahdara.

(ञ) रैन बसेरो की सूची संलग्न है और साथ ही एजेंसी की सूची भी। अनुलग्नक (ग)

बस्ती विकास केन्द्रों एवं उन्हें संचालित करने वाले एनजीओ की सूची संलग्न हैं। अनुलग्नक (क)

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ट) प्रस्तावित-04

अवार्ड के अंतर्गत-02 तथा स्वीकृत धनराशि Rs. 31,18,541/- और Rs. 2524783/- है।

टेक्निकल सैंक्शन-01

अवार्ड-01 स्वीकृत धनराशि और Rs. 918895/-

(ठ) डूसिब ने रोहतास नगर विधानसभा में 40 शौचालय ब्लॉक्स उपलब्ध कराए हैं, संचालन और रखरखाव सहित किराये पर होने वाला मासिक व्यय लगभग 349417 रूपये है।

112. श्री हरीश खुराना: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय अधिशेष (Fiscal Surplus) अथवा राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वर्ष वार आँकड़े प्रदान करें;

(ख) वर्ष 1993 से अब तक राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) तथा राजस्व घाटे (Revenue Deficit) के वर्षवार आँकड़े उपलब्ध कराएँ; और

(ग) वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय तथा राजस्व अधिशेष/घाटे के प्रतिशत के आँकड़े उपलब्ध कराएँ?

मुख्यमंत्री: (क) संलग्नक 'C'

(ख) संलग्नक 'D'

(ग) संलग्नक 'E'

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 112

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply furnished by SRD Branch is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय अधिशेष (Fiscal Surplus) अथवा राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वर्षवार आँकड़े प्रदान करें ;	संलग्नक 'C'
ख)	वर्ष 1993 से अब तक राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) अथवा राजस्व घाटे (Revenue Deficit) के वर्षवार आँकड़े प्रदान कराएँ और ;	संलग्नक 'D'
ग)	वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय तथा राजस्व अधिशेष/घाटे के प्रतिशत के आँकड़े उपलब्ध कराएँ	संलग्नक 'E'

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/397 Dated : 24/03/2025

Annexure-C 51/C

112 (क) वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय अधिशेष (Fiscal Surplus) अथवा राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वर्षवार आँकड़े:

Year	Fiscal Surplus (+)/ Deficit (-) (in crore)
1994-95	-388.90
1995-96	-555.94
1996-97	-689.98
1997-98	-575.92
1998-99	-959.25
1999-00	-1381.59
2000-01	-1447.32
2001-02	-1918.91
2002-03	-2396.43
2003-04	-2438.72
2004-05	-1483.18
2005-06	245.13
2006-07	-410.41
2007-08	-2040.88
2008-09	-2824.07
2009-10	-3549.96
2010-11	729.61
2011-12	-2545.12
2012-13	-2284.95
2013-14	-3942.71
2014-15	218.82
2015-16	1321.93
2016-17	-1050.51
2017-18	113.27
2018-19	2146.97
2019-20	-416.68
2020-21	-6707.79
2021-22	-7021.42
2022-23	4565.31
2023-24	-3934.14

All data collects from Economic Survey.

Annexure-D 50/C

112 (ख) वर्ष 1993 से अब तक राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) तथा राजस्व घाटे (Revenue Deficit) के वर्षवार आँकड़े :

Year	Revenue Surplus (+)/ Deficit (-) (in crore)
1994-95	549.55
1995-96	402.26
1996-97	764.18
1997-98	1158.72
1998-99	820.00
1999-00	751.33
2000-01	1747.49
2001-02	1290.53
2002-03	2067.74
2003-04	2261.44
2004-05	2735.15
2005-06	4532.59
2006-07	4438.14
2007-08	5141.86
2008-09	4589.65
2009-10	6550.45
2010-11	10642.36
2011-12	4428.31
2012-13	4901.61
2013-14	5614.16
2014-15	6075.09
2015-16	8656.30
2016-17	5264.19
2017-18	4913.25
2018-19	6261.03
2019-20	7498.80
2020-21	1449.98
2021-22	3269.92
2022-23	14456.90
2023-24	6462.30

All data colleds from Economic Survey.

Annexure-E 49/C

112(ग) वर्ष 1993 से अब तक राजकोषीय तथा राजस्व अधिशेष / घाटे के प्रतिशत के आँकड़े :

Year	Revenue Surplus(+)/Deficit(-) as % of GSDP	Fiscal Surplus(+)/Deficit(-) as % of GSDP
1994-95	2.24	-1.59
1995-96	1.47	-2.04
1996-97	2.42	-2.19
1997-98	2.81	-1.4
1998-99	1.73	-2.02
1999-00	1.42	-2.61
2000-01	2.79	-2.31
2001-02	1.9	-2.82
2002-03	2.87	-3.32
2003-04	2.81	-3.03
2004-05	2.73	-1.48
2005-06	3.93	0.21
2006-07	3.27	-0.3
2007-08	3.26	-1.29
2008-09	2.42	-1.49
2009-10	3.01	-1.63
2010-11	4.21	0.29
2011-12	1.29	-0.74
2012-13	1.25	-0.58
2013-14	1.26	-0.89
2014-15	1.23	0.04
2015-16	1.57	0.24
2016-17	0.85	-0.17
2017-18	0.72	0.02
2018-19	0.85	0.29
2019-20	0.95	-0.05
2020-21	0.19	-0.90
2021-22	0.38	-0.81
2022-23	1.45	0.46
2023-24	0.58	-0.35

All data Collects collects from Economic Survey.

113. श्री हरीश खुराना: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने विगत 11 वर्षों में केंद्र सरकार अथवा किन्हीं अन्य संस्थाओं से कोई ऋण लिया है;

(ख) दिल्ली सरकार पर दिनांक 1 अप्रेल 2014 को कितना ऋण था;

(ग) आज की तिथि में दिल्ली सरकार पर कितना ऋण है; और

(घ) वर्ष 2014 से अब तक दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार व अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋणों के वर्षवार आँकड़े प्रदान करें?

मुख्यमंत्री: (क) से (घ) संलग्नक 'F'

Most Urgent

Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 113

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply furnished by SRD Branch is as under:-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या दिल्ली सरकार ने विगत 11 वर्षों में केन्द्र सरकार अथवा किन्हीं अन्य संस्थाओं से कोई ऋण लिया है ;	संलग्नक 'F'
ख)	दिल्ली सरकार पर दिनांक 1 अप्रैल 2014 को कितना ऋण था ;	
ग)	आज की तिथि में दिल्ली सरकार पर कितना ऋण है ; और	
घ)	वर्ष 2014 से अब तक दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार व अन्य संस्थाओं के लिए गए ऋणों के वर्षवार आँकड़े प्रदान करें	

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/398 Dated : 24/03/2025

F

113. श्री हरीश खुराना

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क)	क्या दिल्ली सरकार ने विगत 11 वर्षों में केंद्र सरकार अथवा किन्हीं अन्य संस्थाओं से कोई ऋण लिया है;	जी हां
ख)	दिल्ली सरकार पर दिनांक 1 अप्रेल 2014 को कितना ऋण था:	₹32080.30 करोड़
ग)	आज की तिथि में दिल्ली सरकार पर कितना ऋण है; और	₹30109.55 करोड़ (मार्च, 2025)
घ)	वर्ष 2014 से अब तक दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार व अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋणों के वर्षवार आँकड़े प्रदान करें?	वर्ष 2014 से केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों के वर्षवार आँकड़े:-

वर्ष	ऋण राशि (₹ करोड़ में)
2014-2015	1764.32
2015-2016	2241.13
2016-2017	1695.53
2017-2018	1906.34
2018-2019	2800.00
2019-2020	4540.60
2020-2021	9500.00
2021-2022	5000.00
2022-2023	3251.22
2023-2024	0.00
2024-2025 (20 मार्च 2025 तक)	0.00

114. श्री संजय गोयल क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के वित विभाग द्वारा 2024–25 में सेक्टर/हेडवाइज कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 में सभी सेक्टरों को जारी किये गये पैसे में से फरवरी 2025 तक प्रत्येक माह आवंटित धनराशि का कितना खर्च किया गया;

मुख्यमंत्री: (क) और (ख) संलग्नक 'G'

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 114

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा 2024–25 में सेक्टर/हेड वाइज कितना धनराशि जारी की गई ; और	संलग्नक 'G'
ख)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में सभी सेक्टरों को जारी किये गये पैसे में से फरवरी 2025 तक प्रत्येक माह आवंटित धनराशि का कितना खर्च किया गया ;	

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/ 399 Dated : 24/03/2025

Major Head wise details of Budget Estimates and Revised Estimates for the financial year 2024-25

Annexure-G

REVENUE

(Rupees in crore)

Major Head - Revenue	Budget Estimates	Revised Estimates
2011	53.15	35.98
2012	24.20	24.56
2013	12.87	10.99
2014	2521.57	2680.90
2015	535.39	542.90
2029	9.76	6.89
2030	43.88	52.62
2039	52.24	40.22
2040	24.80	26.69
2041	204.87	194.21
2043	110.97	101.55
2045	1.22	1.06
2047	0.39	0.32
2049	2666.09	2666.09
2051	74.35	64.84
2052	172.77	157.42
2053	287.51	242.71
2054	94.80	97.62
2055	319.73	335.78
2056	528.91	518.67
2059	610.31	641.90
2062	32.11	28.76
2070	456.90	609.87
2071	3.00	5.00
2075	19.30	19.27
2202	15233.34	15345.81
2203	359.31	369.49
2204	136.11	139.29
2205	127.45	118.12
2210	7741.56	8014.77

2211	271.93	150.44
2215	3442.01	1685.61
2216	189.54	207.76
2217	2714.01	1696.51
2220	118.65	116.91
2225	133.35	193.30
2230	261.57	232.98
2235	6272.79	6216.12
2236	10.00	2.00
2245	141.85	147.41
2250	1.42	1.67
2251	18.27	18.74
2401	34.54	29.17
2402	0.65	0.71
2403	45.18	45.07
2404	14.00	24.00
2405	0.90	0.67
2406	78.17	73.25
2415	4.00	2.09
2425	20.49	20.40
2435	3.57	3.22
2501	7.00	8.00
2506	0.25	0.08
2515	13.99	14.32
2702	30.57	23.05
2711	186.14	291.03
2801	3285.48	3631.80
2810	17.00	12.00
2851	36.17	36.54
2852	24.59	13.90
3054	552.00	648.99
3055	4773.25	5176.27
3075	1.51	0.51
3435	166.90	93.59
3451	28.86	25.48
3452	70.48	63.66
3454	21.94	22.95
3456	236.56	246.45
3475	17.29	17.84
3604	5205.05	5798.47
Total Amount - Revenue	**60910.75**	**60087.24**

Major Head wise details of Budget Estimates and Revised Estimates for the financial year 2024-25

CAPITAL

(Rupees in crore)

Major Head - Capital	Budget Estimates	Revised Estimates
4047	0.00	0.02
4055	18.02	29.70
4059	260.59	249.68
4070	318.29	319.09
4202	290.05	535.09
4210	671.76	752.52
4216	1.00	5.00
4217	1576.01	1551.00
4220	0.19	0.34
4225	68.50	66.50
4235	11.99	59.62
4250	48.11	34.55
4403	11.39	3.27
4405	0.25	0.25
4406	25.69	99.59
4425	2.17	2.17
4515	900.33	300.03
4702	2.00	1.00
4711	83.05	110.00
4801	38.00	36.50
4810	10.00	10.00
4851	3.57	0.46
5054	1216.00	1243.24
5055	321.83	976.94
5425	1.34	1.21
5452	0.01	1.00
5475	39.28	17.76
6004	4914.33	4914.33
6215	2953.00	1814.40
6225	0.00	0.00
6851	1.20	0.20

7055	400.01	1676.00
7610	1.30	1.30
7615	900.00	2800.00
7999	0.00	0.00
Total Amount - Capital	**15089.25**	**17612.76**

Major Head wise details of Budget Estimates and Revised Estimates for the financial year 2024-25

REVENUE + CAPITAL

Major Head	Budget Estimates	Revised Estimates
Revenue	60910.75	60087.24
Capital	15089.25	17612.76
Total	**76000.00**	**77700.00**

(Rs. in Crore)

Sectors	Education	Health	Water & Sanitation	Roads & Transport	Power	Housing & UD	Agriculture, Rural Development & I&FC	Social Welfare & Social Sector	Interest Payment	Public Debt	Other	Total
BE 2024-25	16395.68	8685.25	7195.01	7469.47	3350.48	9802.90	1330.55	6740.90	2666.09	4914.33	7449.36	76000.00
RE 2024-25	16710.93	8917.74	6200.01	9916.15	3690.30	9376.58	847.88	6768.53	2666.09	4914.33	7691.46	77700.00
Expenditure (Month wise)												
Apr-24	1414.14	586.30	0.00	15.32	0.00	328.93	16.45	204.74	0.00	0.00	544.90	3110.77
May-24	1885.40	823.34	200.00	704.45	1185.24	964.40	35.70	346.98	444.35	819.05	444.42	7853.32
Jun-24	1033.62	487.67	124.25	461.41	0.01	609.13	22.23	268.54	222.17	409.53	427.96	4066.51
Jul-24	998.13	538.91	245.21	257.80	0.01	294.18	36.82	287.90	222.17	409.53	448.68	3739.33
Aug-24	995.26	599.06	753.38	656.36	986.22	1893.79	32.14	376.21	222.17	409.53	434.68	7358.80
Sep-24	924.86	551.44	387.67	892.52	14.95	630.79	34.10	307.44	222.17	409.53	465.76	4841.23
Oct-24	2189.49	1020.82	200.00	309.14	0.03	510.41	41.06	313.40	222.17	409.53	550.36	5766.41
Nov-24	1009.54	545.90	142.13	912.93	668.89	824.24	32.44	405.80	222.17	409.53	396.65	5570.21
Dec-24	1049.71	639.88	1163.16	109.94	9.99	351.38	54.03	327.41	222.17	409.53	413.82	4751.02
Jan-25	1098.64	475.02	-0.02	1071.50	0.00	372.67	125.79	462.86	222.17	409.53	561.08	4799.26
Feb-25	1388.03	546.25	50.00	819.01	0.00	1247.91	51.45	313.39	222.17	409.53	372.42	5420.17
Total Exp (till Feb'25)	13986.81	6814.59	3265.78	6210.38	2865.34	8027.83	482.20	3614.67	2443.91	4504.79	5060.72	57277.03

115. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को एक करोड़ रुपए की राशि खर्च करने से पहले पूर्वानुमति लेने का आदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आदेश में किसी को पूर्वानुमति लेने से छूट भी दी गई है; और

(घ) यदि हाँ तो किस श्रेणी के खर्चों को यह छूट दी गई है और क्यों?

मुख्यमंत्रीः (क) हाँ।

(ख) धन की उपलब्धता और राजकोषीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यय को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन करने के लिये।

(ग) हाँ।

(घ) 1. वेतन और भत्ते, बकाया सहित मजदूरी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सुरक्षा और स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति, टेलीफोन डाक शुल्क, पीओएल स्टाफ कार का रखरखाव, समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति और स्टेशनरी की खरीद और छोटे खर्चों और विभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक व्यय।

2. वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन का भुगतान, विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता और दिल्ली परिवार लाभ योजना के तहत शोक संताप परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता से संबंधित भुगतान।

3. पैनल अधिवक्ताओं सहित दिल्ली सरकार के अधिवक्ताओं के बिलों का भुगतान आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है-संलग्नक एच

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 115

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को एक करोड़ रुपये की राशि खर्च करने से पहले पूर्वानुमति लेने का आदेश जारी किया गया है ;	हाँ
ख)	यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ;	धन की उपलब्धता और राजकोषीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यय को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए
ग)	क्या इस आदेश किसी को पूर्वानुमति लेने से छूट भी दी गई है ; और	हाँ
घ)	यदि हाँ तो किस श्रेणी के खर्चों को यह छूट दी गई है और क्यों?	1 वेतन और भत्ते ;बकाया सहित, मजदूरी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सुरक्षा और स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति, टेलीफोन, डाक शुल्क, पीओएल, स्टाफ कार का रखरखाव, समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति और स्टेशनरी की खरीद और छोटे खर्चों और विभाग के दिन.प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक व्यय। 2 वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन का भुगतान, विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता और दिल्ली परिवार लाभ योजना के तहत शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता से संबंधित भुगतान। 3. पैनल अधिवक्ताओं सहित दिल्ली सरकार के अधिवक्ताओं के बिलों का भुगतान आदेश की प्रतिलिपि सलग्न है – सलग्नक 'H'

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/400 Dated : 24/03/2025

संलग्नक एच

No. F. 1/9/18/2024-25/Fin(B)/Part-fileI/ 224-235
Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department

4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat,
New Delhi 110002
Dated: 25/02/2025

ORDER

Subject: Expenditure Management and Rationalization of Expenditure for 2024-25

Considering the current position of resources and for better cash management, for all expenditure having financial implication above Rs.1 Crore **(Rupees one crore only)**, the Departments will take necessary permission for incurring the expenditure shall be sought from the Finance Department other than the following nature of expenditure:-

(i) Expenditure relating to Salaries and all allowances (including arrears), Wages, Salaries of outsource Staff, Medical Reimbursement, Security & Sanitation, Electricity and Water Supply, Telephone, Postage Charges, POL, Maintenance of Staff Car, Reimbursement for Newspapers, and Purchase of Stationery & petty expenses, and other essential expenditure required for running of day to day function of the Department.

(ii) Payment of Pension to the Senior Citizen and Widows, Unemployment Allowances to Disabled Persons and payments relating to immediate assistance to the bereaved family members under Delhi Family Benefits Scheme.

(iii) Payment of Bills of Counsels of Government of Delhi including Panel Counsels.

(iv) Laundry and Kitchen related expenditure of all Hospitals.

2 Further, instead of sending files to FD for relaxation, the departments may send letter with the necessary details such as nature of expenditure, estimated amount, the Budget head from which expenditure is proposed to be incurred, to the Finance Department after sanctioning the expenditure by the HOD concerned/Administrative Secretary at his own level in accordance with the Finance Department OM dated 07.08.2019 on delegation of financial powers. The only aspect to be examined by the FD in such proposals would be availability of the resources for meeting the expenditure. Such letters will, therefore be examined by the Budget Division of FD based on availability of resources and necessary relaxation will be accorded.

3 It is further clarified that above relaxation by the Finance Department is only for proper cash management of GNCT of Delhi and the Competent Authority for sanction of expenditure as well as the responsibility to ensure correctness of procedure and propriety of the expenditure as per provision of GFR, instruction issued by the Government of India & GNCT of Delhi, guidelines issued by CVC etc. shall continue to remain with the Administrative Secretaries/HoDs.

Contd...

4 All proposals relating to release of Grant-in-Aid, shall continue to be sent to Finance Department for concurrence.

5. Administrative Secretary of the Department concerned will continue to remain authorized for which prior concurrence of the Finance Department is required in terms of Finance Department OM dated 7/8/2019

6. This issues with the approval of Additional Chief Secretary (Finance).

(Satish)
Sr. Accounts Officer (Budget)

No. F. 1/9/18/2024-25/Fin(B)/Partfile-I/224-235 Dated: 25/02/2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/ Head of Departments, Govt. of NCT of Delhi
2. The Secretary to Chief Minister/Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. The O.S.D. to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Special Secretary (Finance I/II), Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
5. The Director, Planning Department, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi
6. The Controller of Accounts, Pr. Accounts Office, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
7. The Controller of Accounts, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi
8. The Joint Secretary (Expenditure-I), Finance Department, Govt. of NCT of Delhi
9. The Deputy Secretaries Finance (II / III / IV), Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi
10. The PPS, Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
11. The PS, Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
12. Website of FD/ Guard file.

(Satish)
Sr. Accounts Officer (Budget)

116. श्री कुलदीप कुमार: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन एजेंसियों को दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, उनकी सूची दें;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक एजेंसी को अनुदान आवंटन हेतु बजट राशि कितनी है;

(ग) विगत पाँच वर्षों में आवंटित अनुदान का कितने प्रतिशत वितरित हुआ है; और

(घ) विगत पाँच वर्षों में आवंटित अनुदान का कितने प्रतिशत वितरित नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री: (क) से (घ) संलग्नक 'K'

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 116

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	जिन एजेंसियों को दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, उसकी सूची दें ;	संलग्नक 'K'
ख)	पिछले पाँच वर्षों में अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक एजेंसी को अनुदान आवंटन हेतु बजट राशि कितनी है ;	
ग)	विगत पाँच वर्षों में आवंटित अनुदान का कितने प्रतिशत वितरित हुआ है ; और	
घ)	विगत पाँच वर्षों में आवंटित अनुदान का कितने प्रतिशत वितरित नहीं है	

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV 394

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/394 Dated : 24/03/2025

GIA relesed to Agency/Institutes

(Amount in Crore)

y/Institute	2019-20					2020-21					2021-22					2022-23					2023-24				
	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
gislative Studies	0.45	0.45	0.39	86.58	13.42	0.45	0.45	0.37	82.47	17.53	0.45	0.70	0.45	63.66	36.34	0.45	0.54	0.54	99.56	0.44	0.50	0.50	0.13	25.00	75.00
Service Society	0.13	375.78	333.35	88.71	11.29	283.50	288.50	3.99	1.38	98.62	0.03	2.06	0.00	0.00	100.00	0.00	2.84	0.00	0.00	100.00	284.44	42.50	42.50	100.00	0.00
e Resolution Society	3.00	3.00	1.55	51.80	48.20	2.50	2.50	2.50	100.00	0.00	2.50	2.60	2.08	79.92	20.08	2.70	2.70	2.54	94.18	5.82	7.00	7.00	3.69	52.71	47.29
te of Tool Engineering	17.00	15.00	15.00	100.00	0.00	17.50	14.50	7.56	52.10	47.90	22.00	4.88	4.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
nd Entrepreneurship University	0.00	0.00	0.00			15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	71.00	280.00	266.47	95.17	4.83	300.00	290.00	234.04	80.70	19.30	290.00	180.00	105.53	58.63	41.37
aceutical Sciences and Research	22.00	22.00	20.75	94.32	5.68	23.00	25.00	17.95	71.78	28.22	59.25	53.00	50.75	95.75	4.25	67.00	63.13	44.52	70.52	29.48	40.00	39.25	36.98	94.21	5.79
ission Society	0.10	0.00	0.00			0.05	0.05	0.00	0.00	100.00	0.05	0.05	0.00	0.00	100.00	0.05	0.30	0.26	86.82	13.18	0.05	0.05	0.00	0.00	100.00
ological University	30.00	29.00	26.75	92.24	7.76	30.00	29.00	28.00	96.55	3.45	56.00	53.00	53.00	100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	100.00	0.00	56.00	44.75	44.75	100.00	0.00
Institute of Information Technology	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	2.00	0.00	0.00	100.00
iversity for Women	19.00	19.00	17.50	92.11	7.89	20.00	20.00	14.98	74.92	25.08	30.00	25.00	23.40	93.58	6.42	30.00	26.00	25.99	99.96	0.04	26.00	19.25	19.25	100.00	0.00
sh Institute of Technology	30.00	30.00	28.03	93.44	6.56	30.00	30.00	24.70	82.33	17.67	51.00	75.00	63.58	84.78	15.22	75.00	80.00	66.02	82.52	17.48	80.00	72.50	67.81	93.54	6.46
	18.00	9.25	9.25	100.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	100.00	0.10	0.01	0.00	0.00	100.00
			0.00			0.00	0.00	0.00			30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	30.00	14.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00		
	61.00	43.15	39.99	92.68	7.32	60.00	25.00	7.33	29.32	70.68	60.00	43.00	41.03	95.42	4.58	55.00	111.20	64.49	58.00	42.00	125.00	112.00	86.15	76.92	23.08
ksha	2000.00	623.00	513.24	82.38	17.62	670.00	600.00	273.07	45.51	54.49	635.00	547.00	198.19	36.21	63.77	665.00	758.62	434.01	57.21	42.79	742.00	785.02	532.34	67.81	32.19
r's University	5.00	0.01	0.00	0.00	100.00	5.00	1.00	0.00	0.00	100.00	5.00	2.00	2.00	100.00	0.00	50.00	7.25	7.25	100.00	0.00	20.00	2.21	0.23	10.56	89.44
endra Dev College	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			31.80	43.00	43.00	100.00	0.00	42.70	47.70	47.66	99.92	0.08	47.70	47.70	47.69	99.97	0.03
idyalaya	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			18.99	25.38	25.38	100.00	0.00	26.10	36.10	35.59	98.58	1.42	35.60	35.60	31.38	88.15	11.85
kar College	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			31.33	35.62	35.62	100.00	0.00	39.10	43.50	41.63	95.69	4.31	48.50	48.50	44.65	92.06	7.94
edita College	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			21.35	20.10	20.10	100.00	0.00	20.65	23.00	22.85	99.35	0.65	27.00	27.00	26.30	97.40	2.60
arya College of Applied Sciences	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			22.90	24.83	24.83	99.99	0.01	25.30	31.85	30.56	95.95	4.05	33.85	33.85	32.46	95.90	4.10
Upadyaya College	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			30.21	38.73	38.73	100.00	0.00	37.50	42.00	42.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100.00	0.00
Education Aid Trust	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			60.00	20.00	0.00	0.00	100.00	50.00	10.00	0.00	0.00	100.00
Education Aid Trust	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	17.00			0.00	0.00	0.00		
te of Heritage, Research & Management	3.00	4.20	2.74	65.14	34.86	4.13	4.00	1.75	43.75	56.25	3.55	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
niversity for Early Childhood Care	2.00	2.30	0.00	0.00	100.00	0.60	2.00	0.00	0.00	100.00	0.10	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.01	0.00	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10.00	2.00	0.00	0.00	100.00
hi Institute of Physical Education & ces	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			14.97	17.52	17.25	98.47	1.53	16.35	19.00	18.20	95.80	4.20	20.00	20.00	19.96	99.81	0.19
avidyalaya	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			24.82	22.43	22.43	100.00	0.00	25.35	33.60	31.25	93.00	7.00	33.60	33.60	31.15	92.72	7.28
grasen College	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			17.23	30.28	30.26	99.92	0.08	26.10	36.30	35.90	98.89	1.11	41.30	41.30	40.63	98.37	1.63
almiki College of Education	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			7.97	4.78	4.78	100.00	0.00	8.40	10.50	10.07	95.93	4.07	10.50	10.50	10.15	96.66	3.34
guru College of Applied Sciences for	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			21.69	28.92	28.92	100.00	0.00	29.70	31.00	29.12	93.93	6.07	32.00	32.00	25.69	80.29	19.71
khdev College of Business Studies	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			11.84	16.89	16.80	99.48	0.52	17.65	19.00	17.92	94.31	5.69	20.00	20.00	18.35	91.76	8.24
d National Law School at New Delhi	10.50	10.50	10.38	98.81	1.19	10.50	10.50	10.50	100.00	0.00	10.50	10.50	10.50	100.00	0.00	62.00	36.00	20.45	56.80	43.20	37.00	38.00	33.00	86.84	13.16
niversity	70.00	91.00	90.00	98.90	1.10	100.00	47.00	38.50	81.91	18.09	95.00	65.00	54.98	84.58	15.42	98.37	88.00	76.48	86.91	13.09	90.00	92.00	77.63	84.38	15.62
damy	8.75	8.75	5.07	57.91	42.09	9.00	7.80	5.78	74.04	25.96	9.00	8.88	7.67	86.39	13.61	9.25	9.25	7.46	80.60	19.40	9.50	8.80	7.51	85.33	14.67
my	2.10	2.50	1.67	66.61	33.39	2.10	1.00	0.25	25.00	75.00	2.00	2.00	1.48	74.20	25.80	0.80	0.80	0.20	25.00	75.00	1.50	1.20	0.38	31.25	68.75
ojpuri Academy	0.50	0.13	0.13	96.15	3.85	0.50	0.00	0.00			0.50	0.14	0.13	89.29	10.71	0.25	0.25	0.06	25.00	75.00	0.22	0.22	0.00	0.00	100.00
Parisad	0.55	0.55	0.28	50.58	49.42	0.55	0.00	0.00			0.55	0.00	0.00			0.45	0.25	0.20	78.12	21.88	0.40	0.50	0.48	95.42	4.58
Parisad	1.12	0.45	0.28	62.22	37.78	0.45	0.00	0.00			0.45	0.00	0.00			0.25	0.10	0.00	0.00	100.00	0.20	0.10	0.00	0.00	100.00
my	14.40	18.50	15.77	85.25	14.75	14.90	11.90	8.70	73.11	26.89	16.00	14.00	9.25	66.06	33.94	14.25	14.40	10.04	69.70	30.30	18.50	15.80	12.44	78.74	21.26
demy	9.95	14.65	11.36	77.55	22.45	29.15	5.60	3.63	64.73	35.27	19.15	14.36	11.32	78.85	21.15	14.00	10.90	5.82	53.40	46.60	7.50	7.50	2.83	37.78	62.22
my	10.20	11.97	10.86	90.71	9.29	10.15	6.60	3.48	52.74	47.26	11.50	8.75	8.23	94.04	5.96	11.95	10.80	5.50	50.90	49.10	11.47	9.47	4.51	47.60	52.40
a Parishad	7.00	7.00	4.51	64.43	35.57	7.00	3.50	0.00	0.00	100.00	7.00	1.75	1.75	100.00	0.00	5.00	2.50	1.25	50.00	50.00	5.50	4.25	3.98	93.62	6.38
d Girdhari Lal Shastri Prachya Vidya	0.70	0.75	0.55	72.88	27.12	0.75	0.65	0.44	67.69	32.31	0.90	0.85	0.71	83.35	16.65	1.00	1.00	0.71	70.98	29.02	1.10	1.10	0.85	77.35	22.65
Bhojpuri Academy	3.00	2.70	2.41	89.42	10.58	18.00	0.70	0.28	40.50	59.50	3.70	1.12	1.07	95.91	4.09	3.75	3.70	1.70	45.84	54.16	3.75	3.45	0.43	12.38	87.62

GIA relesed to Agency/Institutes

(Amount in Crore)

Institute	2019-20 BE	2019-20 RE	2019-20 Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	2020-21 BE	2020-21 RE	2020-21 Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	2021-22 BE	2021-22 RE	2021-22 Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	2022-23 BE	2022-23 RE	2022-23 Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	2023-24 BE	2023-24 RE	2023-24 Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ishad	0.01	0.01	0.01	25.00	75.00	0.05	0.05	0.00	0.00	100.00	0.05	0.05	0.01	25.00	75.00	0.05	0.05	0.00	0.00	100.00	0.05	0.08	0.00	0.00	100.00
ty	11.30	11.30	6.39	56.52	43.49	11.85	10.10	7.64	75.68	24.32	11.85	9.76	8.38	85.81	14.19	11.75	9.20	5.85	63.63	36.37	9.20	10.99	8.39	76.30	23.70
ty	5.15	5.15	3.90	75.65	24.35	5.25	3.50	2.00	57.04	42.96	5.25	4.52	3.54	78.37	21.63	6.05	6.05	3.13	51.76	48.24	6.30	5.50	2.75	50.08	49.92
ty	3.15	3.15	1.96	62.36	37.64	3.25	3.25	2.58	79.15	20.65	3.25	3.47	2.91	83.93	16.05	4.40	3.90	2.62	67.13	32.87	3.90	3.72	2.56	68.92	31.08
	5.00	6.00	5.53	92.11	7.89	3.00	3.20	1.75	54.56	45.44	3.00	4.00	3.45	86.29	13.71	7.22	7.22	4.90	67.84	32.16	6.00	5.60	2.79	49.73	50.27
	4.50	4.85	3.61	74.38	25.62	4.85	3.90	2.83	72.49	27.51	4.00	3.25	2.42	74.43	25.55	3.70	3.20	3.10	96.93	3.08	3.14	7.00	7.00	100.00	0.00
ry	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	20.00	0.35	0.00	0.00	100.00	2.00	0.50	0.50	100.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	100.00	2.00	1.90	1.35	71.09	28.91
ishad			6.24			9.35	5.50	2.71	49.20	50.80	10.35	5.92	3.71	62.66	37.34	8.75	5.40	3.19	59.01	40.99	9.50	8.65	6.12	70.74	29.26
	0.00	0.00	0.00			2.00	0.35	0.00	0.00	100.00	2.00	0.01	0.00	0.00	100.00	2.00	0.01	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00			2.00	0.01	0.00	0.00	100.00	2.00	0.01	0.00	0.00	100.00	2.00	0.01	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00		
kar University for Archival Research ge	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00	0.50	25.00	75.00
dhari Lal Shastri Prachaya Vidya	0.70	0.75	0.55	72.88	27.12	0.75	0.65	0.44	67.69	32.31	0.90	0.85	0.71	83.35	16.65	1.00	1.00	0.71	70.98	29.02	1.10	1.10	0.85	77.35	22.65
of SKP	0.60	0.60	0.15	25.00	75.00	0.60	0.30	0.04	13.47	86.53	0.60	0.30	0.24	78.33	21.67	0.50	0.25	0.13	50.00	50.00	0.60	0.90	0.47	52.42	47.58
ak Sansthan at Khera Dabur	37.00	36.00	35.50	98.61	1.39	40.00	40.00	38.75	96.88	3.13	40.00	46.50	40.50	87.10	12.90	45.50	44.50	40.63	91.30	8.70	40.50	40.00	12.13	30.31	69.69
nstitutions/NGO	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.25	0.25	0.14	57.00	43.00	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00	0.25	0.25	0.25	100.00	0.00
iety (Delhi)	110.00	70.00	70.00	100.00	0.00	110.00	110.00	55.00	50.00	50.00	110.00	110.00	66.79	60.72	39.28	110.00	120.00	89.47	74.56	25.44	120.00	120.00	97.09	80.91	19.09
th Mission	220.13	165.00	144.31	87.46	12.54	160.00	145.00	139.90	96.48	3.52	160.00	166.66	82.96	49.78	50.22	160.00	109.09	93.04	85.29	14.71	266.66	266.66	163.29	61.24	38.76
al Chikitsalaya	91.00	72.60	72.50	99.86	0.14	92.00	89.50	69.25	77.37	22.63	92.00	93.50	85.69	91.65	8.35	83.50	85.00	88.68	104.33	-4.33	94.00	111.00	101.81	91.72	8.28
Control Society (DSACS)	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3.00	3.00	2.25	75.00	25.00	3.00	3.00	2.04	67.89	32.11	3.00	3.20	3.12	97.38	2.62	3.30	3.50	3.48	99.38	0.62
lth Mission for Women Mohalla	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			14.50	0.00	0.00			14.50	1.00	0.00	0.00	100.00	0.03	0.00	0.00		
halla Society	0.00	0.00	0.00			220.00	0.03	0.00	0.00	100.00	0.03	0.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Control Society (DSACS) for contractual employees	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3.00	3.00	2.25	75.00	25.00	3.00	3.00	2.04	67.89	32.11	3.00	3.20	3.12	97.38	2.62	3.30	3.50	3.48	99.38	0.62
lth Mission for Aam Aadmi Mohalla	220.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5.00	150.56	125.25	83.19	16.81	345.00	265.00	190.38	71.84	28.16	345.00	272.79	194.27	71.22	28.78	275.00	221.45	140.28	63.35	36.65
Speciality Hospital Society	52.00	39.50	39.50	100.00	0.00	51.00	25.00	19.00	76.00	24.00	48.00	34.99	34.56	98.77	1.23	47.00	51.00	46.38	90.94	9.06	50.00	58.00	36.48	62.90	37.10
per Speciality Hospital	76.00	55.00	53.50	97.27	2.73	75.00	75.00	62.00	82.67	17.33	75.00	75.00	52.02	69.36	30.64	75.00	75.00	68.10	90.80	9.20	88.00	108.00	103.57	95.90	4.10
dent & Trauma Services	60.00	55.00	55.00	100.00	0.00	95.00	125.00	74.25	59.40	40.60	75.00	101.00	87.80	86.93	13.07	100.00	125.00	132.07	105.65	-5.65	230.00	210.00	176.55	84.07	15.93
cer Institute	135.00	80.00	80.00	100.00	0.00	110.00	88.00	45.00	51.14	48.86	160.00	70.00	61.00	87.14	12.86	76.00	76.00	67.24	88.47	11.53	80.50	79.00	73.96	93.62	6.38
r and Biliary Sciences	85.00	102.50	102.50	100.00	0.00	115.00	115.00	40.00	34.78	65.22	95.00	115.00	102.00	88.70	11.30	90.00	40.00	37.50	93.75	6.25	225.00	225.00	168.75	75.00	25.00
an Behaviour & Allied Sciences	113.00	128.00	128.00	100.00	0.00	132.00	134.00	121.00	90.30	9.70	132.00	132.00	110.57	83.77	16.23	130.00	134.00	119.40	89.10	10.90	170.00	165.00	152.92	92.68	7.32
stitute of Dental Sciences	57.00	55.00	55.00	100.00	0.00	57.00	57.00	49.00	85.96	14.04	75.00	51.20	65.04	127.04	-27.04	66.00	63.00	58.00	92.06	7.94	58.00	58.00	45.03	77.64	22.36
stha Vyavsayak evam Swasthya Samiti (IVPSS)	0.18	0.18	0.18	100.00	0.00	0.18	0.18	0.18	100.00	0.00	0.18	0.18	0.18	100.00	0.00	0.18	0.18	0.18	100.00	0.00	0.40	0.40	0.40	100.00	0.00
nce	0.05	0.05	0.05	100.00	0.00	0.10	0.05	0.05	100.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	100.00	0.05	0.05	0.05	100.00	0.00	0.05	0.05	0.05	100.00	0.00
iti	50.00	0.00	0.00			15.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.00	5.00	0.00	0.00	100.00	10.00	2.00	0.00	0.00	100.00	5.00	1.00	0.00	0.00	100.00
ersal Health Care in Delhi	0.25	0.02	0.00	0.00	100.00	0.20	0.02	0.00	0.00	100.00	0.02	0.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Caste Development Corporation	0.00	0.00	0.00			0.00	1.20	1.15	95.89	4.11	0.01	0.01	0.00	0.00	100.00	0.01	0.01	0.00	0.00	100.00	0.01	0.01	0.00	0.00	100.00
the Other Backward Classes	2.10	2.46	1.38	55.93	44.07	2.26	2.37	1.34	56.33	43.67	2.50	2.68	1.95	72.94	27.06	2.77	2.60	1.84	70.93	29.07	2.75	3.00	1.24	41.47	58.53
n for safai karamcharis	2.85	2.48	0.85	34.38	65.62	2.64	2.31	1.47	63.67	36.33	2.62	3.01	1.71	56.75	43.25	3.25	3.30	2.00	60.46	39.54	3.35	3.35	2.39	71.24	28.76
Caste Financial & Development	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
oard	0.61	0.45	0.39	86.82	13.18	0.51	0.51	0.45	87.51	12.49	0.51	0.54	0.42	77.11	22.89	0.60	0.40	0.36	90.55	9.45	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00
of Social Sciences	0.00	4.07	4.05	99.43	0.57	4.50	4.50	0.00	0.00	100.00	5.00	7.36	2.12	28.86	71.14	5.00	8.70	6.88	79.11	20.89	6.00	6.00	0.00	0.00	100.00
mission	5.00	5.75	4.15	72.09	27.91	7.00	6.10	4.62	75.67	24.33	6.20	6.90	5.02	72.82	27.18	15.20	15.20	15.10	99.36	0.64	14.00	8.00	3.65	45.63	54.38
	2.05	1.25	0.93	74.33	25.67	2.05	2.05	0.56	27.31	72.69	2.05	2.05	0.40	19.41	80.59	2.10	2.10	0.17	8.27	91.73	2.10	1.25	0.00	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			8.00	3.27	1.94	59.17	40.83	8.00	6.00	1.07	17.75	82.25
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
ction Society	18.00	13.30	9.81	73.74	26.26	18.00	17.70	10.12	57.18	42.82	18.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		

GIA relesed to Agency/Institutes

(Amount in Crore)

cy/Institute	2019-20					2020-21					2021-22					2022-23					2023-24				
	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE	BE	RE	Release	% Amount Released i.r.o. RE	% Amount Not Released i.r.o. RE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ion for Women	20.74	25.35	24.69	97.41	2.59	40.74	32.74	31.39	95.88	4.12	35.74	27.44	27.10	98.76	1.24	35.74	35.00	33.52	95.78	4.22	35.00	35.00	26.14	74.68	25.32
	41.90	20.48	12.73	62.17	37.83	176.98	26.47	21.93	82.85	17.15	194.98	50.59	43.77	86.52	13.48	589.99	49.80	36.43	73.14	26.86	306.99	63.61	33.79	53.13	46.87
	5.10	2.50	0.46	18.59	81.41	5.00	2.50	2.50	100.00	0.00	5.00	1.39	1.39	100.00	0.00	5.00	1.19	1.19	100.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00
	1876.00	2030.00	2030.00	100.00	0.00	2050.00	2475.00	2475.00	100.00	0.00	2200.00	2320.00	2320.00	100.00	0.00	2350.00	2625.00	2350.00	89.52	10.48	2250.00	2900.00	2900.00	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	103.31	103.31	100.00	0.00	150.00	58.00	37.50	64.66	35.34	120.00	50.00	30.00	60.00	40.00
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	12.00	3.00	25.00	75.00	12.00	3.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00			6.00	6.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	105.00	24.31	1.06	4.36	95.64	51.06	15.17	0.29	1.93	98.07
ge Industries Board	6.10	7.50	6.91	92.08	7.92	5.85	5.75	5.17	89.87	10.13	6.05	6.00	5.12	85.38	14.63	6.05	6.65	6.59	99.07	0.93	6.95	7.35	6.96	94.71	5.29
	4.00	2.10	2.10	100.00	0.00	3.00	3.00	1.87	62.22	37.78	3.80	1.80	1.48	82.22	17.78	3.80	2.07	1.60	77.43	22.57	3.50	2.10	1.82	86.60	13.40
Advisory Board of Delhi	0.10	0.10	0.00	0.00	100.00	0.80	0.05	0.00	0.00	100.00	1.00	0.46	0.00	0.00	100.00	1.02	0.50	0.00	0.00	100.00	1.50	1.50	0.00	0.00	100.00
	1.50	1.00	0.78	78.20	21.80	1.50	1.00	0.38	37.50	62.50	1.00	0.50	0.00	0.00	100.00	1.00	0.30	0.00	0.00	100.00	1.00	0.65	0.00	0.00	100.00
mittee	3.30	2.70	2.70	100.00	0.00	2.80	1.70	1.70	100.00	0.00	2.70	1.68	1.68	99.70	0.30	3.74	4.50	2.16	48.08	51.92	4.60	6.80	6.80	100.00	0.00
Commission	3.00	3.00	1.86	61.96	38.04	3.90	2.15	0.98	45.35	54.65	2.40	3.90	3.10	79.43	20.52	6.75	5.50	3.58	65.15	34.85	6.75	2.73	2.72	99.97	0.03
ard	37.30	30.30	22.73	75.00	25.00	37.30	37.30	0.00	0.00	100.00	37.30	71.90	71.90	100.00	0.00	63.00	71.45	0.00	0.00	100.00	64.61	19.68	7.32	37.22	62.78
Garden Societies	30.00	10.00	7.45	74.50	25.50	10.00	9.68	9.68	99.95	0.05	18.00	13.25	13.21	99.70	0.30	50.00	11.65	11.10	95.28	4.72	29.70	10.00	8.38	83.79	16.21
	0.00	0.00	0.00			0.00	19.00	19.00	100.00	0.00	2.00	5.50	5.50	100.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00	3.00	3.00	2.98	99.31	0.69
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.30	0.00	0.00	100.00	15.00	10.00	10.00	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	12.66	12.66	99.96	0.04	2.00	2.80	0.00	0.00	100.00	0.40	3.82	0.00	0.00	100.00
	5.75	7.40	6.39	86.41	13.59	5.30	6.69	6.21	92.85	7.15	17.00	6.89	5.78	84.01	15.99	12.50	10.00	7.08	70.81	29.19	10.50	9.00	6.66	73.98	26.02
Wetland Authority	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.35	0.15	0.10	63.33	36.67	0.35	0.00	0.00		
	28.00	21.61	17.32	80.15	19.85	26.00	23.07	16.10	69.79	30.21	27.00	22.00	16.77	76.23	23.77	28.80	29.07	21.21	72.96	27.04	32.00	32.80	20.82	63.47	36.53
development Corporation	50.00	4.50	4.50	100.00	0.00	35.00	57.00	57.00	100.00	0.00	40.00	40.00	10.18	25.45	74.55	46.00	11.50	1.73	15.07	84.93	46.00	13.50	11.50	85.19	14.81
	2370.00	2210.00	2210.00	100.00	0.00	3724.00	3419.00	3419.00	100.00	0.00	3274.00	2274.00	2164.27	95.17	4.83	6710.00	3800.00	3674.33	96.69	3.31	5442.00	5405.00	3472.31	64.25	35.75
	232.02	181.02	178.88	98.82	1.18	232.02	649.54	633.26	97.49	2.51	187.02	101.11	58.54	57.90	42.10	187.08	173.40	155.69	89.79	10.21	185.17	235.00	208.78	88.84	11.16
oration of Delhi	4577.81	4811.62	4756.20	98.85	1.15	4942.62	4521.44	4152.30	91.84	8.16	4372.24	3523.44	3416.66	96.97	3.03	4405.19	4290.61	4172.37	97.24	2.76	5111.07	5328.71	5483.99	102.91	-2.91
	74.60	23.92	20.07	83.90	16.10	64.98	121.39	119.43	98.39	1.61	120.73	68.79	17.88	26.00	74.00	72.83	125.48	76.48	60.95	39.05	24.17	26.06	26.06	100.00	0.00
	16.52	14.52	14.52	100.03	-0.03	16.89	14.25	14.05	98.58	1.42	15.35	14.12	11.41	80.77	19.23	14.21	15.90	15.84	99.65	0.35	16.57	17.86	17.86	100.00	0.00

117. सुश्री आतिशी: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विभाग ने शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड को नीतियों के निर्धारण हेतु कोई पत्र भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी प्रति दें;

(ग) क्या वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड के सामने, नीति-निर्धारण न होने के कारण निधियों को स्वीकृत करने व उन्हें जारी करने के लिए कोई शर्तें रखी थीं;

(घ) क्या दिल्ली जल बोर्ड/शहरी विकास विभाग द्वारा, वर्ष 2024-25 में, इन नीतियों का निर्धारण करके वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें;

(च) क्या ऐसी जो नीतियाँ प्रस्तुत की गई थीं, उन्हें वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी थी, क्या इन नीतियों के लिए मंत्रीमंडल की स्वीकृति वांछित है, इन नीतियों को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है;

(छ) क्या दिल्ली जल बोर्ड की नीतियों को वित्त विभाग द्वारा वित्तवर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति दे दी गई है; और

(ज) क्या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वित्त विभाग द्वारा वित्तवर्ष 2025-26 की निधियाँ दिल्ली जल बोर्ड को स्वीकृत/जारी की जा सकती हैं?

मुख्यमंत्री: (क) जी नहीं।

(ख) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) 'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

118. सुश्री आतिशीः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 20 वर्षों (2004 से 2025 तक) के दिल्ली राज्य के कर राजस्व की जानकारी दें;

(ख) विगत दस वर्षों में संग्रहित सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी व सेस (Cess) का विवरण अलग-अलग प्रदान करें;

(ग) विगत दस वर्षों में संग्रहित स्टैंप ड्यूटी से अवगत कराएँ; और

(घ) दिनांक 20.02.2025 के बाद से सरकार ने 'कर-संग्रह' राशि में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए हैं?

मुख्यमंत्रीः (क) से (घ) सलग्नक 'I'

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: *Vidhan Sabha Unstarred Question No. 118*

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply furnished by SRD Branch is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	विगत 20 वर्षों (2004 से 2025 तक) के दिल्ली राज्य के कर राजस्व की जानकारी दें ;	सलग्नक 'I'
ख)	विगत दस वर्षों में संग्रहित सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी व सेस (Cess) का विवरण अलग–अलग प्रदान करें ;	
ग)	विगत दस वर्षों में संग्रहित स्टैंप ड्यूटी से अवगत कराएँ ; और	
घ)	दिनांक 20.02.2025 के बाद से सरकार ने 'कर–संग्रह' राशि में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए हैं?	

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/ 402 Dated : 24/03/2025

118 (क) विगत 20 वर्षों (2004 से 2025 तक) के दिल्ली राज्य के कर राजस्व की जानकारी दें;

उत्तर :

Year	Revenue Receipts (in crore)
2004-05	8562.63
2005-06	10843.53
2006-07	12193.62
2007-08	14912.38
2008-09	16352.21
2009-10	20451.34
2010-11	25024.10
2011-12	22393.17
2012-13	25560.97
2013-14	27980.69
2014-15	29584.59
2015-16	34998.85
2016-17	34345.74
2017-18	38667.27
2018-19	43112.61
2019-20	47135.82
2020-21	41863.60
2021-22	49312.98
2022-23	62702.84
2023-24	56797.79

118 (ख) : विगत दस वर्षों में संग्रहित सीजीएसटी, का विवरण अप्रदान करें;

उत्तर: सूचना (Annexure 'B') संलग्न है ।

ANNEXURE -'B'

Gross Collection (With Compensation) for the last 10 years

Rs. In Crore

S. No.	Financial Year	DVAT	SGST	Compensation (in SGST)	CST	Compensation (in CST)	IGST	Ent, Lux,tax etc w.e.f.	Total
1	2015-16	18418.35	NA	0	2081.19	2572.97	NA	NA	23072.51
2	2016-17	19718.33	NA	0	2253.09	690.53	NA	NA	22661.95
3	2017-18	11135.18	7964.65	157.00	1111.98	690.53	5659.95	69.87	26789.16
4	2018-19	6157.10	10838.77	4182.00	182.10	0.00	8608.28	31.39	29999.64
5	2019-20	5796.39	11988.70	7436.00	149.83	0.00	7896.78	14.19	33281.89
6	2020-21	4445.11	8898.36	11386.66	135.49	0.00	7672.61	4.81	32543.04
7	2021-22	5079.11	11328.54	12638.62	169.97	0.00	11998.58	0.51	41215.33
8	2022-23	5772.22	13618.48	12817.02	144.19	0.00	14665.05	1.54	47018.50
9	2023-24	6639.23	15813.75	1137.80	131.04	0.00	16518.19	0.33	40240.34
10	2024-25 (Tentative till Jan. 2025)	5980.14	14766.15	363	81.52	0	15288.03	1.09	36479.93

Note : CESS was transferred in the form of compensation to the state.

Source : 1. Goods & Service Tax (GST) came into effect from 01-07-2017.

2. Statistical handbook 2021-22

3. PAO, GNCTD

118 (ग) विगत दस वर्षों में संग्रहित स्टैंप ड्यूटी से अवगत कराएँ

उत्तर:

Year	Stamp & Registration Fes (including land revenue) (in crore)
2013-14	2969.08
2014-15	2841.67
2015-16	3434.11
2016-17	3145.94
2017-18	4118.58
2018-19	4458.73
2019-20	4609.01
2020-21	3552.98
2021-22	5212.09
2022-23	6022.91
2023-24	7152.29

118 (घ)	नांक 20.02.2025 के बाद से सरकार ने 'कर-संग्रह' राशि में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए हैं?
उत्तर	EXCISE DEPARTMENT : विभाग ने 20.02.2025 के बाद उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ दो बैठकें बुलाई हैं, ताकि उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि की जा सके।
	TRADE & TAXES DEPARTMENT : राजस्व वृद्धि के उपायः 1. करदाता आधार में वृद्धि क) रद्द या अपंजीकृत करदाताओं को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर काम करने वाली फर्मों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। ख) प्रमुख व्यापार और बाजार संघों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 2. क्षेत्रीय अध्ययन i) क्षेत्रीय राजस्व अध्ययन क) प्रमुख अपवादों की पहचान करना। ख) अनुपालन की निगरानी करना। ग) यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन कार्रवाई। ii) क्षेत्रीय विश्लेषण क) कर चोरी की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए समग्र क्षेत्रीय अध्ययन। ख) कर चोरी प्रथाओं का अध्ययन। 3. आईजीएसटी रियर्सल क) ऐसे करदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिन्होंने जीएसटीआर-2ए में पड़े आईजीएसटी के अयोग्य आईटीसी को सही ढंग से रिवर्स नहीं किया है। (ख) यह जीएसटीएन द्वारा आईजीएसटी हिस्से का उचित विभाजन सुनिश्चित करता है जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होती है। 4. गैर-वास्तविक करदाता (एनजीटीपी) मॉड्यूल क) फर्जी/गैर-मौजूद करदाताओं की पहचान के लिए विभिन्न मापदंडों पर आधारित एक ऑनलाइन डेटा संचालित मॉड्यूल का विकास। ख) फर्जी फर्मों की नियमित निगरानी और उन पर निलंबन, आईटीसी ब्लॉकिंग, बैंक कुर्की, मूल्यांकन आदि सहित कार्रवाई। 5. रिफंड जांच मॉड्यूल. क) विभिन्न मापदंडों के आधार पर रिफंड दावों की जांच के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। (ख) इससे उचित सत्यापन सुनिश्चित होगा और रिफंड के गलत दावों को समाप्त किया जा सकेगा।
	TRANSPORT DEPARTMENT : अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है ।

119. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में व्यापार एवं कर विभाग से पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत व्यापारियों से व्यापार एवं कर विभाग को कुल कितने कर की प्राप्ति हुई;

(ग) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में जी.एस.टी. एक्ट के अधीन कुल कितने व्यापारियों के पंजीकरण आवेदन रद्द किये गये और किस-किस कारण से रद्द किये गये, नगर निगम वार्ड अनुसार विवरण दें;

(घ) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत व्यापारी व्यापार एवं कर विभाग के किस जोन में आते हैं; और

(ङ) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार एवं कर विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड व्यापारियों की सूची उपलब्ध करवायें?

मुख्यमंत्री: (क)

(क) मुख्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार लक्ष्मी नगर विधान सभा के इलाके मंडावली, कुंदन नगर, कृष्ण कुंज, गुरु रामदास नगर, लक्ष्मी नगर, रमेश पार्क, गढ़वाली मोहल्ला, ललिता पार्क, शकरपुर, पांडव नगर और समसपुर में जीएसटी के कुल पंजीकृत व्यापारी की

संख्या 43698 है। जिनमें 25924 व्यापारी राज्य अधिकार क्षेत्र और 17774 व्यापारी केन्द्र अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ख) DVAT में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 37 है।

(ख)

(क) वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत व्यापारियों से व्यापार एवं कर विभाग को कुल जीएसटी कर 608.39 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	कुल जीएसटी (रुपए करोड़ में है)
2020-21	100.84
2021-22	111.54
2022-23	123.44
2023-24	159.57
2024-25	113.01
कुल	608.39

(ख) लक्ष्मी नगर विधानसभा में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए डीलरों का डीवीएटी संग्रह संलग्न है:

वर्ष	राशि करोड़ में
2020-21	0.865653
2021-22	0.58117
2022-23	0.633362
2023-24	0.782577
2024-25	5.326612

(ग) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में जी.एस.टी. एक्ट के अधीन कुल 10696 व्यापारियों के पंजीकरण आवेदन रद्द किये गये हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है:

रद्द करने का कारण	व्यापारियों की संख्या
Suo-motor	6946
On Application	3750
कुल	10696

(ध्यान दें: हमारे पास नगर निगम वार्ड अनुसार विवरण उपलब्ध नहीं है)

(घ)

(क) जीएसटीएन में पंजीकृत डीलर किसी एक जोन के अंतर्गत नहीं है। विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मी नगर के क्षेत्र में दिल्ली जीएसटी राज्य क्षेत्राधिकार के तहत कई जोन शामिल हैं।

(ख) DVAT के अनुसार लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत व्यापारी, व्यापार एवं कर विभाग के जोन में आते हैं।

(ङ) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार एवं कर विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड व्यापारियों की सूची उपलब्ध नहीं है।

120. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जनता द्वारा पिछले 5 वित्त वर्षों में केन्द्र सरकार को कुल कितना टैक्स दिया गया, वित्तीय वर्षवार विवरण दिया जाये;

(ख) दिल्ली सरकार को पिछले 5 वित्त वर्षों में केन्द्र सरकार से कुल कितना पैसा टैक्स के हिस्से के रूप में मिला, वित्तीय वर्षवार विवरण दिया जाये;

(ग) क्या दिल्ली सरकार द्वारा टैक्स कॉन्ट्रिब्यूशन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये पिछले 5 वर्षों में कोई पत्र लिखा गया; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाये?

मुख्यमंत्री: (क) से (घ) संलग्नक 'J'

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

Most Urgent
Time Bound
Vidhan Sabha Question

Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi -110001

Subject: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 120

Reference letter No. 5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-LV/232-236 dated 18.03.2025 on the subject cited above, the reply received from SRD Branch is as under:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली की जनता द्वारा पिछले 5 वित्त वर्षों में केन्द्र सरकार को कुल कितना टैक्स दिया गया, वित्तीय वर्षवार विवरण दिया जाये ;	सलग्नक 'J'
ख)	दिलली सरकार को पिछले 5 वित्त वर्षों में केन्द्र सरकार से कितना पैसा टैक्स के हिस्से के रूप में मिला, वित्तीय वर्षवार विवरण दिया जाये ;	
ग)	क्या दिल्ली सरकार द्वारा टैक्स कॉन्ट्रिब्यूशन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये पिछले 5 वर्षों में कोई पत्र लिखा गया ; और	
घ)	यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाये	

This issues with the approval of Director (Budget).

Yours faithfully,

(S.K. DAS)
Sr. Accounts Officer (Budget)

Dy. Secretary (Finance)-IV

U.O. No.F.9/27/2015-16/Fin(B)/ 403 Dated : 24/03/2025

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

121. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध या दूध से बने उत्पादों से दिल्ली सरकार को कितना जीएसटी प्राप्त होता है पिछले 10 वर्षों की वर्षवार जानकारी दी जाए;

(ख) दिल्ली सरकार को फूलों के व्यापार से कितना जीएसटी प्राप्त होता है पिछले 10 वर्षों की वर्षवार जानकारी प्रदान करें;

(ग) दिल्ली में रजिस्टर्ड फूल बेचने वालों की संख्या कितनी है यह संख्या उन सभी फूल बेचने वालों के नाम की सूची के साथ बताई जाए;

(घ) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार को इन सभी फूल बेचने वालों से कितना जीएसटी आया है उसका ब्यौरा दिया जाए; और

(ङ) दुकानदार द्वारा ऑनलाइन या यूपीआई पेमेंट न लेने पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है, इनकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए?

मुख्यमंत्रीः (क) दूध या दूध से बने उत्पादों से दिल्ली सरकार को प्राप्त जीएसटी का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2017-18	84.12364
2.	2018-19	137.5131
3.	2019-20	159.1405

4.	2020–21	176.9637
5.	2021–22	172.9819
6.	2022–23	365.848
7.	2023–24	299.5173
8.	2024–25	209.9126

(ख) दिल्ली सरकार को फूलों के व्यापार से प्राप्त जीएसटी नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2017–18	0.052
2.	2018–19	0.127
3.	2019–20	0.083
4.	2020–21	0.069
5.	2021–22	0.169
6.	2022–23	0.395
7.	2023–24	0.369
8.	2024–25	0.433

(ग) दिल्ली में रजिस्टर्ड फूल बेचने वालों की कुल संख्या 787 है। सूची अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(घ) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार को सभी फूल बेचने वालों से एकीकृत जीएसटी सूची अनुलग्नक-1:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2020-21	0.021
2.	2021-22	0.042
3.	2022-23	0.097
4.	2023-24	0.113
5.	2024-25	0.511
	कुल	0.511

(ङ) यह प्रश्न व्यापार एवं कर विभाग से संबंधित नहीं है।

122. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आबकारी नीति को लागू करते समय नियम और कायदे को ताक पर रखते हुए बहुत-सी जगहों पर शराब के ठेके खोल दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो जहां पर शराब के ठेके खोले गए वहां पर सरकार द्वारा निर्धारित रोड की चौड़ाई सहित क्या अन्य नियमों को भी ध्यान में रखा गया था;

(ग) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में शराब के ठेके खोलते समय सरकार द्वारा निर्धारित रोड की चौड़ाई सहित क्या अन्य नियमों को भी ध्यान में रखा गया था अथवा नहीं रखा गया था, विवरण दें;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त ठेके खोलने से करावल नगर से मुस्काबाद की मुख्य सड़क हमेशा जाम की स्थिति में रहती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जाम को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, उसका विवरण दें?

मुख्यमंत्रीः (क) आबकारी विभाग 04 निगमों से शराब की खुदरा दुकान खोलने हेतु प्राप्त आवेदनों को पत्र संख्या letter no. L-6/Ex/IMFL/2022-23/Vol-II/1997-2000 dt 03.08.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) और Delhi Excise Act, 2009 और Delhi Excise Rules, 2010 के अनुसार परीक्षण कर के शराब बिक्री का लाइसेंस जारी करता है।

(ख) उपरोक्त।

(ग) उपरोक्त।

(घ) यह विषय आबकारी विभाग की परिधि में नहीं है।

(ङ) उपरोक्त।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
O/O THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX
L- BLOCK , VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

F.No.L-6/EX./IMFL/2022-23/VOL-II/ 1997-2000 Date : 03/08/22

To,

1. The Managing Director (DTTDC) 19-A, DDA SCO Complex, Defence Colony, New Delhi- 110024	2. The Chairman-cum-Managing Director (DSCSC) Aapurti Bhawan, 7-9, Aaram Bagh, Paharganj, New Delhi.
3. The Managing Director (DSIIDC) Room No. G-08 & 11, Plot No. 74 A, DSIIDC Office Building, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024	4. The Executive Director (DCCWS) Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi-110015

Sub: Opening of Government Corporation liquor vends (L-6 vends) - reg.

Sir/Madam,

The Government has decided to revert to the Excise Duty based Policy regime w.e.f. 01/09/2022. The Government and its agencies (viz. DSIIDC, DSCSC, DTTDC, DCCWS), were sizeable players in the retail segment as well as public at large in the previous regime.

2. In this regard, please find enclosed herewith the Terms & Conditions for opening of L-6 vends alongwith the prescribed proforma for applying for opening of new L-6 vends.

3. You are requested to apply for grant of license in accordance with aforesaid Terms & Conditions on priority alongwith documents as mentioned in the proforma.

4. This issues with the prior approval of Commissioner (Excise).

Yours faithfully,

Encl: As above

Assistant Commissioner (IMFL)

20/C

'TERMS AND CONDITINOS FOR THE GRANT OF LICENCE IN FORM L-6 RETAIL VEND OF INDIAN LIQUOR/FOREIGN LIQUOR IN PUBLIC SECTOR (SELECTED UNDERTAKING OF THE DELHI GOVERNMENT NAMELY DTTDC, DSIIDC, DSCSC AND DCCWS)

L-6 License for retail vends of Indian Liquor/Foreign Liquor are granted only to the selected undertakings of the Delhi Government namely DTTDC, DSIIDC, DSCSC and DCCWS. Any proposal in respect of premises for opening of a vend would come from these Corporations. As such, an individual who wants to give his premises on rent for opening of vend has to approach the corporations, which after looking into suitability of the premises apply to the Office of the Commissioner of Excise for grant of L-6 license in respect of the premises.

1. **ELIGIBILITY TO HOLD LICENCE**

   As per Rule 32(1) of the Delhi Excise Rules, 2010, (hereinafter referred to as rules), L-6 Licence shall be granted to the retail vends in public sector to the Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time.

2. The vend premises should be in a pucca building with minimum floor area of 300 Sq. Ft. located in Local Shopping Centre (LSC)/Commercial premises.

   2.1 The proposed vend premises shall be inspected by the site inspection committee/team deputed by the Licensing Authority, comprising of Excise Officers *which shall ascertain the suitability of the proposed premises for grant of licence as* per the provisions under the Delhi Excise Rules, 2010.

   2.2 As per rule *51(1) of the Delhi Excise Rules, 2010*, no retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following namely :-

(a) Major educational institutions;
(b) Religious places;
(c) Hospital with fifty beds and above:

Provided that the condition mentioned in clause (C) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises"

Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules.

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

१९१८

Explanation I- For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II – For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III- The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

3. If the proposed premises meets the above requirement and found suitable and the grant of L-6 licence is approved, the concerned Corporation will require to deposit the prescribed licence fee before issue of licence.

4. Licence in Form L-6 for the licensing period shall be, *inter alia*, subject to the general conditions in Rules, 37, 50, 51 and 66 of the Delhi Excise Rules, 2010. The holders of L-6 licence shall abide by the provisions of the Delhi Excise Act, 2009, (hereinafter referred to as Act), the rules and orders issued thereunder, and any other law/rules in force in the National Capital Territory of Delhi relating to liquor.

   4.1 The applicant for L-6 licence should be in actual physical possession of a premises (hereinafter referred as "the proposed vend) measuring carpet area of 300 Sq. Feet and above, situated at LSC/Commercial premises duly approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc.

5. **PROCEDURE TO APPLY**

   5.1 Applications in the prescribed form (Annexure-I) along with other relevant documents, for L-6 licence shall be made to the Deputy Commissioner (Excise), (hereinafter referred as "the Deputy Commissioner).

   5.2 Applicant will submit the following documents along with the application :-

(a) Proof of lawful possession of the proposed premises i.e. ownership/lease/rental documents etc.

(b) An affidavit declaring that :-

(i) He is in actual physical possession of the premises for which he has made an application for grant of L-6 licence.

(ii) There is nothing adverse against the applicant as per the provisions of rule 23 of the Delhi Excise Rules, 2010.

५.४

१४।८

5.3 A lay out plan of the area in which the shop is located , clearly showing the proposed premises/vend.

6. Information , as required in the application form, shall be furnished with complete details and enclosures, truly and faithfully, so as to enable smooth processing of the application. The applicant shall not be entitled to any relief or compensation on account of delay in the finalization of his case for grant of the licence.

6.1 The applicant , whose application is not complete in all respect, will be given 15 days time to remove the deficiencies failing which the application shall be rejected summarily without any further notice.

7. **GRANT OF LICENCE**

7.1 All the applications for the grant of L-6 licence shall be subject to the acceptance by the licensing authority, who may accept or reject any application without assigning any reason. The licensing authority shall be under no obligation to grant any licence for which application has been made.

7.2 If, on scrutiny, any application is found incomplete, vague, confusing or not as per the terms and conditions, the same shall be summarily rejected and the decision of the licensing authority shall be final.

8. **COMPLETION OF FORMALITIES**

8.1 Successful applicants shall be granted L-6 licences, for their respective proposed vends, subject to the completion of the following requirements within fifteen days from the date of approval of the licence :-

(a) Payment of licence fee as prescribed under the Delhi Excise Rules, 2010, by way of demand draft or by online mode of payment, in favour of the Deputy Commissioner, Delhi.

(b) The successful applicant shall submit a plan of interior design of the proposed shop ensuring the following points :-

i. The shop floor area has been designed to ensure the display of the various liquor brands along with necessary price indicators .

ii. The interiors of the shop have been so designed that the shop has proper painting, lighting , flooring and hygiene.

17/c

iii. All the corporations shall take necessary steps to ensure 100% scanning and shall take all necessary steps for layout improvement and put signages in a prescribed font/format, wherever required.

iv. There shall be specific colour coding for the specific corporation vends i.e. green colour for DTTDC, blue for DCCWS, grey for [illegible] and yellow for [illegible], so that they are easily identified visually.

v. The vend incharge and other employees will wear uniform with name plates according to the colour code mentioned above.

vi. They shall display the helpline number of the concerned Corporation headquarters and the Excise Control Room (011-23370262) and shall maintain hygiene in an around the vend.

vii. They will ensure that no open wiring and fittings are visible to the customers.

9. The licensed premises shall be duly insured against fire and natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for removal of defects in the building.

10. TRANSPORT PERMITS/RIGHT TO SELL LIQUOR

10.1.1 On completion of the above-referred requirement, the applicant shall be granted licence in Form L-6, which will entitle him to make retail sale, from the proposed vend, of those brands of Indian Liquor/Foreign Liquor which have been approved/registered by the Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi.

10.1.2 The holder of L-6 licence shall be bound to procure liquor from holders of L-1/L-1F licence, at the rate approved by the Department. Transport Permits to procure liquor from holders of L-1/L-1F licences shall be issued to the holders of L-6 licencee subject to payment of excise duty and other levies applicable under the Act and the Rules.

11. TIMING AND RETAIL PRICE

11.1 Government of National Capital Territory of Delhi has approved the policy of flexi-timings for retail trade of liquor in Delhi. L-6 liquor vends will be allowed to remain open from 10.00 am to 10 p.m.

11.2 Holders of L-6 licence shall be bound to sell liquor only at a price fixed by the Excise Commissioner for each brand, and mentioned on labels. Any

161C

undercharging or overcharging shall be considered as violation of the terms and conditions and the licence shall be liable to be cancelled.

12. DRY DAYS

"Dry Days" as declared by the Government under Rules 52 of the Delhi Excise rules, 2010, shall be observed as "dry days". L-6 retail vends shall remain closed on all the "dry days". The holders of L-6 licences shall not be entitled to any compensation or relief due to any increase in the number of "dry days" beyond the normal number or due to change in the working hours of the retail vends during the course of the licensing period.

13. STOCK AND BOOKS OF ACCOUNTS

13.1 The holders of L-6 licence shall store only such number of brands of Indian Liquor/Foreign Liquor as may be approved by Deputy Commissioner.

13.2 The holders of L-6 licence shall maintain the books of accounts and sales statements in the prescribed proforma. He shall maintain true account for day to day, in ink, entering all figures in international numbers and other particulars in English or Hindi.

14. PAYMENTS

14.1 The licensee shall make all the payments to the Government in connection with the operation of his licence by way of bank draft or online mode approved by RBI, in the name of the Deputy Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

14.2 The licensee shall pay simple interest @ 12% per annum from the date next following the day on which any payment recoverable from him under section 29 of the Act becomes due to the Government until the date on which such payment is actually made or such amount is actually recovered, whatsoever may be the reason for the lapse of time before payment is made or recovery is affected.

14.3 The licensee shall not be entitled to any interest or any other relief or compensation on account of any delay in the payment of any amount to him by the Government.

15. BARCODE SYSTEM

15.1 For implementation of the Excise Supply Chain information Management System (ESCIMS), the standard operating procedures for barcode implementation shall be made available to all the licensees of the Department of Excise, Entertainment and Luxury Taxes of NCT of Delhi, who shall be required to procure, install and make

15|C

necessary provisions for IT and non IT infrastructure at his licensed premises as may be required for successful implementation of the Excise Supply Chain information Management System.

15.2 The holders of L-6 licence shall be bound to issue receipt/bill for each transaction of sale of liquor. The bill/receipt shall inter alia include:-

(i) name of the holder of the L-6 licence and address of the shop,

(ii) name and address of the customer,

(iii) date of sale,

(iv) names, quantity and batch no. of the brands sold.

16. RENEWAL

16.1 Normally, the Excise Year would be from 1st April to 31st March (see rule 21).

16.2 L-6 licence may be renewed at the sole discretion of the Licensing Authority subject to payment of such licence fee and compliance of such other conditions as may be prescribed from time to time.

17. PROHIBITION

17.1 In pursuance of the Directive Principles of the State Policy relating to Prohibition contained in Article 47 of the Constitution of India, Government of the National Capital Territory of Delhi may issue orders and directions from time to time and such orders and directions shall be Binding on the licensee and no compensation shall be payable on that account.

17.2 The licensee shall abide by the following prohibition measures, namely:-

(i) The licensee shall display a notice board prominently in front of the licensed premises declaring that "Drinking of liquor is injurious to health".

(ii) All persons employed by the licensee in the licensed premises shall be required to possess identity cards issued under the signatures of the authorized signatory and the employees shall be required to produce the identity card on demand by the Excise officer or any officer not below the rank of Sub-Inspector.

(iii) The licensee shall neither keep, distribute nor sell any advertisement material which is likely or intended to promote the sale or consumption of liquor. Eco-friendly carry-bags, however, can be used Subject to such advertising as not exhorting people to take to drinking.

14\C

(iv) No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to the programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (as amended from time to time) and The Cable Television Net Work Rules, 1996 (as amended from time to time.)

18. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

18.1 Other conditions and guidelines, as applicable to retail liquor vends, shall be adhered to in the case of L-6 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government from time to time.

18.2 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under section 29 of the Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by the licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation or relief on account of such refusal.

18.3 No outsourcing, whatsoever will be allowed in any form to the licensee.

18.4 In order to provide a wider choice to a customer for picking a brand of liquor, the department has initiated the idea self-services liquor vends. The self-serviced vends shall have such design and arrangements so that a customer does not require any aid and is not interfered while choosing a brand of his/her choice. The incentive for self-served vends may also include increasing the profit margin of such vends.

19. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-6 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer.

Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issuance of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

13/c

20. These terms & conditions, unless repugnant to be express provisions of the Delhi Excise Act, 2009, and the Rules made thereunder, shall be in addition to the said Act and the Rules, which are deemed to be incorporated in these terms & conditions as if they are expressly set out herein. Applicants are advised to access, read and understand the same before applying.

21. The Deputy Commissioner reserves the right to cancel or suspend any L-6 licence at will as per provision section 17 of the Act.

22. The Government reserves the right for a mid-term review of manner of levying duties/fees and amount of duties/fee etc. to be paid/payable in case any amendment is made to the Act, Rule or Law related to liquor & bonded warehouse in Delhi during the period of licence. Accordingly the changes if any shall be binding to all the L-6 licensees.

3/8/22

COMMISSIONER (EXCISE)

123. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में खुली शराब की दुकानों का विवरण दें;

(ख) पूजा स्थलों, स्कूलों तथा रिहायशी क्षेत्र (शाहदरा विधानसभा) के अंतर्गत खुली शराब की दुकानों का पूर्ण विवरण दें; और

(ग) नियमों की अवहेलना के कारण शराब की दुकान को बंद करने की क्या प्रक्रिया है, विवरण दें?

मुख्यमंत्रीः (क) 6-L खुदरा शराब की दुकानों से संबंधित रिकॉर्ड निर्वाचन क्षेत्र के बजाय लाइसेंस के अनुसार अनुक्रमित है। वर्तमान में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा दिए गए L-6 लाइसेंस द्वारा लगभग 26 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। सूची संलग्न है।

(ख) आबकारी विभाग 04 निगमों (DCCWS, DSCSC, DTTDC, DSIIDC) से शराब की खुदरा दुकान खोलने हेतु प्राप्त आवेदनों को letter no. L-6/Ex/IMFL/2022-23/Vol-II/1997-2000 dt 03.08.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) और Delhi Excise Act, 2009 और Delhi Excise Rules, 2010 के अनुसार परीक्षण कर के शराब बिक्री का लाइसेंस जारी करता है। इस परीक्षण में शराब की खुदरा बिक्री की दुकान एक अहम नियम Rule 51 (1) of Delhi Excise Rules, 2010 के अनुरूप ही दी जाती है जिसकी प्रति संलग्न है।

(ग) नियमों की अवहेलना करने पर Delhi Excise Act, 2009 और Delhi Excise Rules, 2010 में दिए गए प्रावधानों के तहत उप आयुक्त, आबकारी विभाग खुदरा दुकान का लाइसेंस रद्द कर सकता है।

Shahdara Assembly Constituency Liquor vend shops

Sr No.	Corp Name	Vend ID	Name	Vend Address
1	DSCSC	6NJR	BIHARI COLONY	Z-1,MAIN ROAD,KHASRA NO 636/412,BIHARI COLONY SHAHADRA 110032 MAIN NAJAFGARH ROAD, NEW DELHI, DELHI
2	DCCWS	7DGD	DILSHAD GARDEN	SHOP NO.43, BLOCK- B, GROUND FLOOR, LSC, DILSHAD GARDEN, DELHI , NEW DELHI, DELHI
3	DSCSC	5CDG	DILSHAD GARDEN C-BLOCK	SHOP NO. 10, BLOCK-C CSC, DILSHAD GARDEN , DELHI 95 , NEW DELHI, DELHI
4	DSCSC	5DGD	DILSHAD GARDEN B-BLK	SHOP NO. 29, BLOCK-B CSC, DILSHAD GARDEN , DELHI 5 , NEW DELHI, DELHI
5	DSIIDC	CV778	DILSHAD GARDEN	SHOP NO B-2A, DILSHAD GARDEN INDUSTRIAL AREA OBEROI COMPOUND, G.T. ROAD, DELHI, DELHI
6	DSIIDC	CV851	SHAHDARA G T ROAD	SHOP NO. 1 MAIN GT ROAD APSARA BORDER NEAR SHYAM PRAKASH PETROL PUMP DILSHAD GARDEN EXTN DELHI, DELHI, DELHI
7	DTTDC	4DLG	DILSHAD GARDEN, DAMODOR PARK	482/12, DAMODRA PARKDILSHAD GARDEN , NEW DELHI, DELHI
8	DTTDC	CV902	DILSHAD GARDEN 2	SHOP NO 3 & 4 DDA MARKET CSC DILSHAD GARDEN DELHI, DELHI, DELHI
9	DSCSC	6VRN	SEEMA PURI	SHOP NO.111-12, 97-98 DDA MKT., OLD SEEMAPURI, DELHI , NEW DELHI, DELHI
10	DSIIDC	1OSP	OLD SEEMA PURI	SHOP NOS. 183, 184, 185, 186, (ONE UNIT) DDA INDRA MARKET, NEAR BUS STAND, OLD SEEMA PURI DELHI-110095, NEW DELHI, DELHI
11	DSIIDC	CV884	OLD SEEMA PURI (NEW)	SHOP NO. 203 TO 210 GROUND FLOOR & BASEMENT MAIN ARADHAK ROAD OLD SEEMA PURI, DELHI, DELHI
12	DCCWS	CV1023	SHAHDARA, L-6 (DCCWS)	SHOP NO. 1/864, KHASRA NO. 1115/991/450, VILLAGE CHANDRAWALI, G.T.ROAD, SHAHDARA, , DELHI, DELHI
13	DCCWS	CV681	SHAHDARA L-6	SHOP NO. SG-38, ADITYA MAGA MALL, PLOT NO - 9D,CBD, SHAHDARA , DELHI, DELHI
14	DCCWS	CV881	MAIN BABARPUR ROAD, L-6 (DCCWS)	SHOP NO. 1/6710, MAIN BABARPUR ROAD,EAST ROHTASH NAGAR, SHAHDARA, , DELHI, DELHI
15	DSCSC	5KYP	ADITYA MEGA MALL, CBD	SHOP NO.SG-36 & 54, ADITYA MEGA MALL, PLOT NO.9D CBD, SHAHDARA, DELHI, DELHI
16	DSCSC	5SNM	VISHWAS NAGAR	SHOP NO. 28/1GROUND FLOOR, SIXTY FIT ROAD, VISWAS NAGAR, SHAHDARA , DELHI, DELHI
17	DSCSC	6SAB	LONI ROAD, SHAHDARA	1/641, LONI ROAD, SHAHDARA , NEW DELHI, DELHI
18	DSCSC	CV953	KANTI NAGAR EXTN.	B-8/8, MAIN ROAD, KANTI NAGAR EXTN., SHAHDARA, ROAD NO.57, DELHI-110051 , DELHI, DELHI
19	DSCSC	CV997	MANDOLI, SHAHDARA	KHASRA NO.11 & 11/1, VILLAGE MANDOLI, SHAHDARA , DELHI, DELHI
20	DSIIDC	CV690	SHAHDARA CHOOTA BAZAR	8/508 & 509 MAIN CIRCULAR ROAD CHOOTA BAZAR SHAHDARA, DELHI, DELHI
21	DSIIDC	CV714	SHAHDARA BALBIR NAGAR	SHOP NO 1439-II/101-A OLD NO 499 GALI NO 2 BALBIR NAGAR EXTN SHAHDARA, DELHI, DELHI
22	DSIIDC	CV715	SHAHDARA LONI ROAD	SHOP NO 1/5003-B MAIN LONI ROAD BALBIR NAGAR EXTN SHAHDARA, DELHI, DELHI
23	DSIIDC	CV731	YAMUNA VIHAR(GHONDA)	PROPERTY NO. A-189, MAIN YAMUNA VIHAR ROAD, NEAR GHONDA CHOWK, SHAHDARA, DELHI, DELHI
24	DSIIDC	CV879	BHAJANPURA	SHOP NO. 670, BHAJANPURA MAIN WAZIRABAD ROAD SHAHDARA, DELHI, DELHI
25	DTTDC	3VGS	MAYUR VIHAR	KHASRA NO.272VILLAGE GHAROLI, SHAHDARA , NEW DELHI, DELHI
26	DTTDC	4JWR	JAGATPURI, 100FT WIDE ROAD	C-105, JAGATPURI, 100FT. WIDE ROAD, SHAHDARA , NEW DELHI, DELHI

Extract of Delhi Excise Act 2009.

connection with resale, the deficiency shall be recovered from the original licensee. If these amounts together are more than the amount previously tendered, no refund shall be made to the original licensee.

49. **Refund of licence fee when delay is not attributable to licensee**. - (1) If the licence fee for any licence is of an annual character and the licence is granted after the commencement of the financial year, the Government may, if it is satisfied that the delay was not attributable to the licensee, remit the fee payable by a sum not exceeding the proportional amount for the quarter before the licence was granted.

(2) When a licence is cancelled for a cause other than a breach of conditions of licence, the licensee may be excused payment of the fee due to remainder of the term of the licence and if the fee has been paid in advance, proportionate fee for the un-expired period of licence shall be refunded.

50. **General Conditions applicable to all licences**. - Every licence under these rules shall be granted subject to the condition that the licensee shall comply with the provisions of the Act, the rules framed thereunder, terms and conditions of his licence and the orders issued by the Excise Commissioner from time to time and for such observance give security in such form, manner and amount as may be specified In addition, if the authority granting the licence so requires, shall give a personal bond with or with without surety in such amount as may be required to the satisfaction of such authority.

51. **Conditions dealing with licensed premises**.- (1) No retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor shall be located within one hundred meters from the following, namely.-

(a) major educational institutions;

(b) religious places.;

(c) hospitals with fifty beds and above:

Provided that the condition mentioned in clause (c) above shall not apply for retail vend of liquor for consumption "on" the premises:

Provided further that the condition of hundred meters shall apply for the licences granted after the commencement of these rules.

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor or Country Liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

Explanation I- For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II – For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III – The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/door of the premises proposed for licence to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

(2) The licensee shall not carry on any business connected with his licence, or store any liquor to be sold or otherwise deal with under his licence, except in the premises specified in his licence, hereinafter called the 'licensed premises'. The Excise Commissioner, may however, grant in an exceptional case, permission to store liquor at a place other than the licensed premises. This permission shall be granted on payment of an extra fee as prescribed and only in cases where it is impracticable to store the required stock in the licensed premises. Before the grant of permission, the Excise Commissioner shall satisfy himself that the proposed place is adequately guarded and that there is no means of access to it by the public.

(3) The licensed premises shall be established and maintained by the licensee at his own cost.

(4) No licensed premises for sale and storage of liquor shall be used for any other business, except with the permission of the Excise Commissioner. Persons or institutions holding more than one licence must have separate premises for their business. Separate accounts shall be maintained for sale conducted under such licences:

Provided that this sub-rule, except the provision relating to maintenance of separate accounts for sale conducted under the liquor licence, shall not apply to departmental store holding licence in form L-12.

(5) If a licensee holds a licence in form L-16, L-16F in conjunction with a licence in form L-15, L-15F, he shall not, in pursuance of the licence in form L-15, L-15F, sell any liquor after the hours fixed as the closing hours for the licence in form L-16, L-16F in any part of the licensed premises to which persons not residents in

the hotel are admitted or in any room or bar adjoining or opening into any room to which persons not residents in the hotel are admitted.

(6) Licensed premises shall be the premises owned or leased by the licensee, provided that where local conditions render it necessary, sites for liquor shops may be leased or bought for Government under the special orders of the Government in each case.

(7) Where the premises have been specially provided by the Government for any shop, the licensee shall be bound to carry on his business in those premises, and to pay to the Government, in addition to his licence fee, such rent for the premises as may be fixed by the Excise Commissioner.

(8) In the case of dining car licence in the form of L-20 and L-20F the licensed premises are every dining car authorised by the railway administration and any other premises licensed shall be for the purpose of storage only.

(9) Retail licences for consumption "off" the premises shall be permitted at sites or premises, located in a pucca building, the land use of which is commercial approved and shall conform to the orders and instructions issued by the Excise Commissioner from time to time.

(10) Retail licences for consumption "on" the premises, shall be granted at a site, duly approved by the local authority concerned, provided that the following documents have been furnished, issued by the agencies concerned:-

(a) Eating House Licence;

(b) Lodging House Licence in the case of L-15 only;

(c) Health and Trade Licence;

(d) Certificate by the Tourism Department, Government of Delhi, in the case of licences in form L-17 , L-28 and L-29; or the one which fulfils the following conditions-

(i) that the building should be well constructed and the approach should be suitable for restaurant;

(ii) that there should be adequate arrangements for service to the customers;

(iii) that the restaurant should, at all times adhere to good maintenance and service. The rates should be fixed in accordance with the rules, if any, prescribed by the local authorities and submitted to the Excise Department for concurrence. The rates

should be prominently displayed on the menu cards. These should also include VAT, service charges etc;

(e) certificate from the Tourism Department, Government of India in the case of licences in form L-15 and L-16;

(f) registration certificate under the Delhi Value Added Tax Act, 2004;

(g) site plan including the store room, area for the bar and the area for the service of liquor, prepared by registered architect;

(h) No objection Certificate from the Fire Department.

(11) The licensed premises of all kinds of licences shall have adequate storage facility, proper electrical fittings and shall be duly insured against fire and other natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for the removal of defects in the building.

(12). In case of Indian Liquor and Country Liquor vends, the licensed premises shall be used for the storage and sale of liquor as licensed and no other business shall be transacted from such premises, except with the approval of the Excise Commissioner.

(13). The licensee shall maintain conspicuously, above the main outer door of the licensed premises, a signboard exhibiting in conspicuous painted letters, his name, address and the class of licence held by him. The information shall be in Hindi, Urdu and Gurumukhi for country liquor and in Hindi, Urdu, Gurumukhi and English for Indian Liquor and Foreign Liquor Licence.

(14). The retail licensee for sale of liquor for consumption "off" the premises shall display at a conspicuous place in the licensed premises a list showing the retail price inclusive of VAT of each size of bottle of each brand of liquor on sale and the retail price, if any, fixed by the Excise Commissioner.

(15) Except during the licensed hours, the licensee shall permit no person except employees or members of his family to enter or remain on the licensed premises:

Provided that this clause shall not apply to departmental stores holding licences in form L-12.

52. **Declaration of dry days and conditions applicable thereto**.- (1) No licensee shall sell liquor on the days, which are notified as dry days by the Excise Commissioner, with the previous approval of the Government from time to time:

124. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र (एसी–19) में विभाग से लाइसेंस लेकर कुल कितनी दुकानें चल रही हैं, इनके एड्रैस सहित पूर्ण विवरण दें;

(ख) विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी नई दुकानों को लाइसेंस दिया गया, एड्रैस सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ग) विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी दुकानों के लाइसेंस कैंसिल किये गये, एड्रैस सहित पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री: (क) 6–L खुदरा शराब की दुकानों से संबंधित रिकॉर्ड निर्वाचन क्षेत्र के बजाय लाइसेंस के अनुसार अनुक्रमित है। वर्तमान में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा दिए गए L–6 लाइसेंस द्वारा लगभग 26 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। सूची संलग्न है।

(ख) 01.09.2022 से आज तक आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था (Excise Duty Based Regime) दोबारा बहाल कर दी गई है, जिसमें केवल सरकारी खुदरा शराब की दुकानों को ही काम करने की अनुमति है।

इसके तहत वर्तमान में कुल 798 खुदरा शराब की दुकानें चल रही है। (IMFL एल 6–702, एल 10–13) व (देशी शराब एल 8–83)।

(ग) 01.09.2022 से अब तक 2 सरकारी खुदरा शराब की दुकान का लाइसेंस कैंसिल किया गया है।

Sadar Bazar Assembly Constituency Liquor vend shops

Sr No.	Corp Name	Vend ID	Name	Vend Address
1	DCCWS	7RNE	SHAHZADA BAGH	308/1, Shahzada Bagh, Industrial Area, New Delhi. , NEW DELHI, DELHI
2	DSCSC	6SNL	SHAHZADABAGH	SHOP NO.5E, SHAHZADABAGH INDL. AREA, DELHI-35 , NEW DELHI, DELHI
3	DSIIDC	1NUMP	SHAHZADA BAGH	Shop No. 2, Shahzada Bagh, Industrial Area, Delhi-110035 , NEW DELHI, DELHI
4	DSIIDC	2GPL	Anand Nagar	Shop No. 149, Plot No. 14, Anand Nagar, Inderlok, Delhi-110035 , NEW DELHI, DELHI
5	DCCWS	CV801	SHOP NO. E-2/235A,SHASTRI NAGAR,L-6 (DCCWS)	SHOP NO. E-2/235A,GROUND FLOOR,SHASTRI NAGAR , DELHI, DELHI
6	DSIIDC	1BDV	ANAND PARVAT	GALI NO. 4, 31/2 ANAND PARVAT INDL. AREA, NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI
7	DTTDC	4SAR	SARAI ROHILLA	SHOP NO-23 &PART OF SHOP NO-22LSC, PADAM NAGAR CHANDER SEKHAR AZAD COLONY SARAI ROHILLA , NEW DELHI, DELHI
8	DCCWS	CV680	GULABI BAGH L-6	UNIT NO. G-4,5,6, PLOT NO-4, LSC GARG PLAZA,GULABI BAGH , DELHI, DELHI
9	DCCWS	CV827	GULABI BAGH-II, CSC, L-6 (DCCWS)	SHOP NO. 7A,7 & 9,CSC, GULABI BAGH, , DELHI, DELHI
10	DSIIDC	1KLB	GULABI BAGH	GARAGE NO.60, GULABI BAGH, DELHI , NEW DELHI, DELHI
11	DTTDC	4LJN	GULABI BAGH-II	SHOP NO-5 CSC GULABI BAGH DELHI-110007, DELHI, DELHI
12	DCCWS	CV980	ROSHNARA ROAD,SABZI MANDI,L-6 (DCCWS)	SHOP NO. 7740/48, 7739/47, GROUND FLOOR, FASIH BUILDING, ROSHNARA ROAD,SABZI MANDI , DELHI, DELHI
13	DSIIDC	CV722	OLD SUBZI MANDI	SHOP NO 68 & 69 ASHOKA MARKET OLD SUBZI MANDI DELHI, DELHI, DELHI
14	DSIIDC	CV857	KISHAN GANJ	SHOP NO 41,42,43&44 GF & FIRST FLOOR KISHAN GANJ, DELHI, DELHI
15	DSCSC	6NNR	ROSHANARA ROAD	8790,ROSHANARA ROAD NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI
16	DTTDC	CV795	ROSHNARA ROAD	SHOP NO 4002-4003-4007 & 4008, ROSHANARA ROAD DELHI - 110017, DELHI, DELHI
17	DSCSC	6SVN	QUTAB ROAD, SADAR BAZAR	SHOP NO.68, GROUND FLOOR, NEW QUTAB ROAD, SADAR BAZAR, DELHI-06 , NEW DELHI, DELHI
18	DSIIDC	1PSP	SADAR BAZAR	SHOP NO. 5314 TO 17, 5379 TO 81, PLOT NO. 16 G/F BASTI HARPHOOL SINGH SADAR BAZAR, DELHI, DELHI

S.O. (Excise)

125. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना एवं प्रसारण निदेशालय द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार की कार्यालय डायरेक्ट्री अंतिम बार कब छपी थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विगत कई वर्षो से दिल्ली सरकार में उसी पुरानी डायरेक्ट्री के साथ काम चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका नया प्रकाशन कब होगा तथा सरकारी कार्यालयों के प्रयोग के लिए कब से उपलब्ध हो जाएगी?

उपमुख्यमंत्रीः (क) सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा दिल्ली सरकार की कार्यालय में डायरेक्ट्री वर्ष 2016 में अंतिम बार छपी थी।

(ख) डिजिटल युग और सरकार के पेपरलेस होने के कारण समय-समय पर दिल्ली सरकार के सभी विभागों द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिकारियों और विभाग की नवीनतम संपर्क जानकारी का नवीनीकरण किया जाता है ताकि संबंधित जानकारी शीघ्रातिशीघ्र उपयोगकर्ता तक पहुँच सके।

(ग) उपरोक्तानुसार।

126. श्री अभय वर्माः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान दिल्ली सरकार ने अपने प्रचार-प्रसार पर कितना खर्च किया, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दें;

(ग) सातवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने-कितने बजट का आबंटन किया गया; और

(घ) इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों से संपर्क हेतु विवरण उपलब्ध कराया जाए?

मुख्यमंत्रीः (क) वर्षानुसार ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) सूचना एवं प्रचार निदेशालय में कार्यों का विवरण निम्न हैः-

1. सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों एवं उपलब्धियों का विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार एवं प्रसार करना।
2. दिल्ली के समस्त पत्रकारों के प्रत्यायन एवं उनके कल्याण से संबंधित कार्यों का निष्पादन।
3. दिल्ली के समस्त विभागों एवं स्वायत संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रचार एवं प्रसार की गतिविधियों में सहायता करना।

(ग) अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है।

(घ) कार्यरत अधिकारियों का सम्पर्क हेतु विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है। जिसकी प्रति अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

अनुलग्नक-क

प्रचार-प्रसार से सम्बंधित बजट एवं खर्च का ब्यौरा :-

		(राशि हजार में)	(राशि हजार में)
वित्तीय वर्ष	Head of account	बजट	खर्च
2020-2021	2220-01-001-99-00-26 Advertisement & Publicity	3260000	2932032
	Total	3260000	2932032
2021-2022	2220-01-001-99-00-26-Advertisement & Publicity	4890000	4889703
	2220-60-001-96-00-50-other charges-Media Network	200000	77830
	2220-60-001-95-00-50-other charges-Communication Teams	160400	151689
	2220-60-001-93-00-26 Health related issues	496200	496200
	2220-60-001-92-00-26 Environment and Pollution	199400	199394
	2220-60-001-91-00-26 Women Safety	98700	98667
	Total	6044700	5913483
2022-2023	2220-01-001-99-00-26 Advertisement & Publicity	2055734	1836985
	2220-60-001-96-00-50 other charges , Media Network	425620	407020
	2220-60-001-95-00-50-Other charges, Communication Teams	159670	49670
	2220-60-001-92-00-26 Environment and Pollution	22778	22425
	2220-60-001-91-00-26 Woman Safety	4158	3408
	Total	2667960	2319508
2023-2024	2220-01-001-99-00-26 Advertisement & Publicity	247511	247302
	2220-60-101-92-00-26-Media campaign on Environment Pollution-Advt. & Publicity	15028	15028
	Total	262539	262330
2024-2025 (फरवरी 2025 तक)	2220-01-001-99-00-26 Advertisement & Publicity	660000	117421
	2220-60-101-91-00-26-Media campaign on women safety-Advt. & Publicity	51000	0
	2220-60-101-92-00-26-Media campaign on Environment Pollution-Advt. & Publicity	51000	11775
	2220-60-101-94-00-49-Delhi Model of Governance for outreach programme-other Revenue Expenditure	90000	0
	2220-60-101-95-00-26-Communication Team for Every Department-Advt. & Publicity	51000	0
	2220-60-101-96-00-26- Collaboration with Media Network-Advt. & Publicity	167000	0
	Total	1172500	129196

Jitender

Login

सत्यमेव जयते

Directorate of Information & Publicity
Government of NCT of Delhi

2025 International Year of Cooperatives

Home About Us Advertising Publication Gallery Notice Board Media RTI Contact Us Search

Centralized Circular/Order/Scheme/Gazette

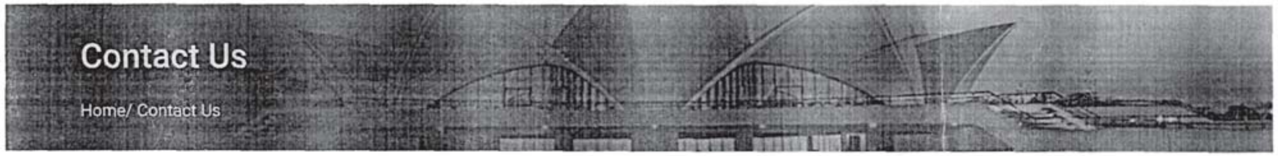

Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
Block No IX, Old Sectt., Delhi-110054
Telephone : 011-23814081

S. No	Name	Designation	Email	Contact
1.	Sh. A. Anbarasu	Principal Secretary (I&P)	secretary[dot]dip[at]delhi[dot]gov[dot]in	011–23810275
2.	Sh. R.N. Sharma	Director(I&P)	dirip[at]nic[dot]in	011-23814616
3.	Sh. Abhijeet Kumar Rai	Press Secretary to Lt. Governor	press-secytolg[at]delhi[dot]gov[dot]in	011-23940175

4.	Sh. Kaanchan Azad	Dy. Director	Kaanchanazad[dot]dip[at]gov[dot]in	9810506020
5.	Sh.Rajesh Shankar	Dy. Director	Rajesh[dot]Shankar28[at]gov[dot]in	8860608634
6.	Sh. Harish Kumar Sharma	Section Officer/Manager(HR)Shabdarth	harishk[dot]sharma[at]gov[dot]in	9868484108
7.	Sh. Pradeep Bhaskar	Sr. Accounts Officer(Shabdarth)	-	-
8.	Sh.Kapil	Section Officer/Media Manager(Shabdarth)	-	011-23810280
9.	Sh.Jitender Prasad	Sr. Accounts Officer	Jpd72kp[at]yahoo[dot]com	011-23819046
10.	Sh. Vinod Kumar Gupta	Information Officer	Guptavk211[at]gmail[dot]com	9811457212
11.	Sh. Chandan Kumar	Information Officer	Chandankumar[dot]dip[at]gov[dot]in	9910271973
12.	Sh. Manish Kumar	Field Publicity Officer	Manishkumar[dot]dip[at]gov[dot]in	9911018189
13.	Smt. Urmila Bainiwal	Information Officer	urmilabeniwal[dot]dip[at]gov[dot]in	011-23817926
14.	Sh. Govind Ram Kundalia	Astt. Information Officer	govind[dot]dip[at]gov[dot]in	9718287973
15.	Sh. Ajay Kumar	Photographer	Ajaykumar[dot]dip[at]gov[dot]in	9818983258

127. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने कितना पैसा मीडिया संस्थानों को विज्ञापन देने में खर्च किया है, संस्थानों के नाम के साथ दिए गए विज्ञापन राशि की सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ख) दिल्ली सरकार की मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी एवं उसके मेंबर्स की नियुक्ति के क्या मापदंड हैं; और

(ग) दिल्ली सरकार कौन-सी मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन के तहत पत्रकारों को मान्यता देती है, इसकी क्या गाइडलाइन है, पूर्ण विवरण दें?

निर्वाचन मंत्रीः (क)

1.	2014-15	14.53 करोड़
2.	2015-16	85.93 करोड़
3.	2016-17	71.67 करोड़
4.	2017-18	122.24 करोड़
5.	2018-19	50.88 करोड़
6.	2019-20	199.99 करोड़
7.	2020-21	293.20 करोड़

8. 2021–22 568.39 करोड़

9. 2022–23 186.28 करोड़

10. 2023–24 26.23 करोड़

विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का विवरण संस्थानों के नाम के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली सरकार की मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी एवं उसके मेम्बर्स की नियुक्ति दिल्ली प्रैस प्रत्यायन नियमावली के बिन्दु (4); जिसमें (4.1) से लेकर (4.5) में वर्णित है, के अनुसार करने का प्रावधान है। (प्रति संलग्न)

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली प्रैस प्रत्यायन नियमावली के अनुसार पत्रकारों को मान्यता देने का प्रावधान है। (प्रति संलग्न है।)

128. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या माननीय **निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल कितने नये मतदाता पहचान पत्र आवेदित किए गए थे, उनमें से कुल कितने बने तथा कुल कितने पेंडिंग में रहे, उसका विवरण दें; और

(ख) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं, उसका पूर्ण विवरण दें?

निर्वाचन मंत्री: (क)

वर्ष	कुल आवेदन	स्वीकृत	पेंडिंग
2021	14993	7752	0
2022	19609	11717	0
2023	7743	5657	0
2024	38751	16984	0
2025	7386	1374	289
कुल	88482	43484	289

(ख) पुरूष = 1,56,663

महिला = 1,35,223

ट्रांसजेंडर = 03

कुल = 2,91,889

129. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां तो पिछले विधानसभा चुनाव में कुल कितना पैसा खर्च हुआ;

(ग) क्या एमसीडी चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले एमसीडी चुनाव में कुल कितना खर्च हुआ;

(ङ) क्या दिल्ली में गुरूद्वारा चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो पिछले गुरूद्वारा चुनाव में कुल कितना खर्च हुआ?

निर्वाचन मंत्री: (क) हाँ।

(ख) I. वित्तीय वर्ष 2019-20 = रू. 102.32 करोड़

II. वित्तीय वर्ष 2020-21 = रू. 84.59 करोड़

कुल = रू. 186.91 करोड;

(ग) यह प्रश्न सीईओ दिल्ली कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

(घ) यह प्रश्न सीईओ दिल्ली कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

(ङ यह प्रश्न सीईओ दिल्ली कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

(च) यह प्रश्न सीईओ दिल्ली कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

Vidhan Sabha Question
Most Urgent

STATE ELECTION COMMISSION
N.C.T. OF DELHI & UT CHANDIGARH
NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE, DELHI
Phone :23990915, 23914156, 23952340, Fax : 23921236

F.1(212)/VidhaSabha Que/SEC/2023/3133F/18872 Dated : 21/03/2025

To,
The Dy. Secretary (Parliament Cell)
UD Department, GNCTD
9th Level, Delhi Secretariate, IP Estate,
New Delhi-110002

SUB : Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 129 raised by Hon'ble MLA Shri Somdutt for 26.03.2025.

Sir,

I am directed to inform you that an Unstarrred Question No. 129 (C&D) for 26.03.2025 was received in the Commission from the O/o CEO Delhi vide letter dated 17.03.2025. The Commission sent the reply to them vide letter dated 19.03.2025 (copy enclosed).

Now vide letter dated 20.03.2025, the O/o CEO Delhi has requested this Commission to send this reply directly.

Accordingly the requisite reply of Question No. 129 (C&D) is enclosed herewith for information and necessary action.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Deputy Secretary
State Election Commission

Copy to :
1. The Asstt. CEO (SVEEP), O/o Chief Electoral Officer, Old St. Stephen's College Building, Kashmere Gate, Delhi-110006, w.r.t. letter No. F.No.27/CEO/SVEEP/P.Q.No.129/2025/124 dated 20.03.2025.
2. The Dy. Secretary, (Question Branch), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.

Deputy Secretary
State Election Commission

<u>विधान सभा प्रश्न</u>

विभाग का नाम : राज्य चुनाव आयोग
विभाग का पता : निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6

अतांराकित प्रश्न संख्या:– 129
दिंनाक:– 26/03/2025
प्रश्नकर्त्ता का नाम:– श्री सोमदत्त, माननीय विधायक

क्या मामनीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

कम सं0	प्रश्न	उत्तर
ग.	क्या एमसीडी चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है;	नहीं
घ.	यदि हां, तो पिछले एमसीडी चुनाव में कुल कितना खर्च हुआ;	उपरोक्त अनुसार

उपर्युक्त जवाब विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत है।

हस्ताक्षर

(पी.के.गोयल)
उप सचिव

राज्य चुनाव आयोग
रा0रा0 क्षे0 दिल्ली एवं चण्डीगढ (यू.टी.)
निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6
फोन न:- 23990915, 23914156, 23952340

क्रम सख्या:रा0चु0आ0/2025/18830

दिनांक: 19/03/2025

सेवा में,

सहायक मुख्य चुनाव अधिकारी (स्वीप)
पुराना सेन्ट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006

विषय: लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची।

अतारांकित प्रश्न संख्या:– 129
दिंनाक:– 26/03/2025
प्रश्नकर्त्ता का नाम:– श्री सोमदत्त, विधायक

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
ग.	क्या एमसीडी चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है;	नहीं
घ.	यदि हां, तो पिछले एमसीडी चुनाव में कुल कितना खर्च हुआ;	उपरोक्त अनुसार

पी.के.गोयल
(पी.के.गोयल)
उप सचिव

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS
'F' BLOCK, VIKAS BHAWAN, IP ESTATE, NEW DELHI – 110002.

F.1/35/2012/DGE/Admn/V.S. Question/ 924-926 Dated: 24/3/25

To

The Deputy Secretary(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly Secretariat,
old Sectt. Delhi -110054.

Subject: Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No-129 raised by Hon'ble MLA Sh. Som Dutt for 26/03/2025.

Sir,

With reference to letter No. letter no. 27/CEO/SVEEP/PQ No. 129/2025/121 dated 17/03/2025 received from Asstt. CEO (SVEEP) on the above cited subject. Please find enclosed herewith the reply of unstarred question -129 (e) &(f) for further necessary action at your end.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister, Gurdwara Election, GNCTD.

Encl: As above.

Yours Sincerely

(S.P.TIWARI)
Election Officer

S. P. TIWARI
E.O./Head of Office
Directorate of Gurdwara Elections
'F' Block, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

F.1/35/2012/DGE/Admn/V.S. Question/ 924-926 Dated: 24/3/25

Copy for information:

1. The Asstt. CEO (SVEEP), Office of the Chief Electoral Officer, Delhi old St. Stephen Collage Building, Kashmere Gate, Delhi-110006.
2. Guard file.

(S.P.TIWARI)
Election Officer

S. P. TIWARI
E.O./Head of Office
Directorate of Gurdwara Elections,
'F' Block, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

दिल्ली सरकार
गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय
'एफ' ब्लॉक, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.

F.1/35/2012/DGE/Admn/V.S. Question/924-926 Dated: 24/03/2025

विषय: दिल्ली विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-129 (ङ) और (च) माननीय विधायक श्री सोम दत्त द्वारा 26/03/2025 के लिए उठाया गया।

क्र.सं.	जानकारी मांगी गयी	उपलब्ध कराई गई जानकारी
ङ	क्या दिल्ली मे गुरुद्वारा चुनाव का सारा खर्चा दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है	हाँ
च	यदि हां , तो पिछले गुरुद्वारा चुनाव मे कुल कितना खर्च हुआ ?	पिछले गुरुद्वारा चुनाव में कुल व्यय लगभग 10,02,48,414/- रुपये हुआ।

यह माननीय मंत्री, गुरुद्वारा चुनाव, जीएनसीटीडी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

आपका विश्वासी
एस.पी. तिवारी
24/3/25
(एस.पी.तिवारी)
चुनाव अधिकारी

S. P. TIWARI
E.O./Head of Office
Directorate of Gurdwara Elections
'F' Block, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

130. सुश्री आतिशी+श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 से 2025 के बीच रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजस्व प्राप्ति के आँकड़ों से अवगत कराएँ;

(ख) वर्ष 2015 से 2025 के बीच रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष के प्रतिशत में आँकड़ों से अवगत कराएँ;

(ग) वर्ष 2015 से 2025 के बीच दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के आँकड़ों से अवगत कराएँ; और

(घ) वर्ष 2015 से 2025 के बीच रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के Debt to GSDP अनुपात के आँकड़े दें?

मुख्यमंत्रीः (क)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ में)
2014-15	29,584.59
2015-16	34,998.85
2016-17	34,345.74
2017-18	38,667.27
2018-19	43,112.61
2019-20	47,135.82

2020-21	41,863.60
2021-22	49,312.98
2022-23	62,702.84
2023-24	56,797.78
2024-25 (BE)	64,141.95

(ख)

वर्ष	Revenue Surplusv (+)/ Deficit (–) as % of GSDP (at current prices)
2014-15	1.23
2015-16	1.57
2016-17	0.85
2017-18	0.72
2018-19	0.85
2019-20	0.95
2020-21	0.19
2021-22	0.38

2022-23	1.45
2023-24	0.58
2024-25 (BE)	0.25

(ग)

वर्ष	दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य पर) (₹ में)	दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्य पर) (₹ में)
2014-15	24709	213669
2015-16	270261	233115
2016-17	295558	244255
2017-18	318323	252960
2018-19	338730	257597
2019-20	355798	260559
2020-21	322311	228162
2021-22	370824	239821
2022-23	417217	252768
2023-24	459408	271490
2024-25	493024	283093

(घ)

Year	Debt top GSDP (at current price) Ratio (in %)
2014-15	6.48
2015-16	5.89
2016-17	5.41
2017-18	4.92
2018-19	4.55
2019-20	4.13
2020-21	4.63
2021-22	4.67
2022-23	4.15
2023-24	3.60
2024-25 (BE)	2.88

मानीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण आज वार्षिक बजट पर चर्चा होनी है नियम 107 के तहत प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध है। सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात पर भी चर्चा होनी है इसलिए समय का अभाव है। अत: आज नियम 280 के तहत सूचीबद्ध विषय उल्लेख के सभी मामले पढ़े हुए माने जाएगें। अब माननीय सदस्य गण बैठ जाइए, करेगें, बैठिए, बैठिए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइये। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण एक मिनट बैठिए, बैठिए आप बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए, आप सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है आप बैठिए, बहुत इंपोर्टेंट इशूज हैं। आप बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये, माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती आतिशी। बैठ जाइये, बैठ जाइये, आप बैठ जाइये, माननीय

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अजय जी मुझे, आपका अमर्यादित व्यवहार है मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप बैठ जाइए, मैं आपको, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती, एक मिनट भई, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी,, कोई सदस्य नहीं बोलेगा। कृपया करके शांति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती आतिशी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष से पत्र दिनांक 26 मार्च 2025 प्राप्त हुआ है जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि बजट पर चर्चा के लिए केवल एक घंटे का समय दिया गया है। मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि उनके पत्र में जो ये concern है पूरी तरह असत्य है। यह कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि बजट के लिए केवल एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति अर्थात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की

बैठक में जहां पर विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित थे यह निर्णय लिया जा चुका है कि बजट पर दिनांक 26 और 27 मार्च को चर्चा होगी, साथ ही सभी सदस्यों को पार्टी की सदस्यता के अनुसार बोलने का अवसर मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। पिछले सत्रों के दौरान जिन नियमों का पालन किया गया था उनका इस बार भी ध्यान रखा जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने पत्र में विषय उठाया है इस सदन में प्रश्नकाल हो रहा है, इस सदन में विशेष उल्लेख हो रहा है, सदन में ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस है वो लिया जा रहा है और सदस्यों को बात करने का पूरा मौका दिया जा रहा है लेकिन शायद ये विषय जो आपने यहां पत्र में लिखा ये तर्कसंगत नहीं है यहां पर बजट पर पूरी चर्चा होगी। बजट इतना शानदार है, एक लाख करोड़ का उस पर पूरी चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और आवश्यकता पड़ी तो सत्र की समयावधि भी बढ़ाई जाएगी लेकिन चर्चा इस सदन का मुख्य ध्येय है। विपक्ष के जो भी आरोप हैं वो तर्कसंगत नहीं है असत्य है और राजनीति से प्रेरित हैं, तो इसलिए मैं उनके पत्र का जवाब मैंने सदन के समक्ष देना मुनासिब समझा और बीएसी का जो निर्णय है उसके अनुसार दो दिन बजट पर चर्चा चलनी है और जितने भी सदस्य अपना नाम देगें proportionately उतने सदस्यों को बुलाया जाएगा। अब मैं प्रतिवेदन पर, प्रतिवेदन पर, बैठ जाइए मैडम।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं, कोई नहीं आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अब मोहन सिंह बिष्ट।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः यहां पर कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन रखेगें। ये प्रस्ताव करेगें यह सदन, एक मिनट, जो बीएसी की एक मिनट बीएसी की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सदन के समक्ष जो है वो मोहन सिंह बिष्ट जी रखेगें। यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। इस पर ये प्रस्ताव रखेगें पहले।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हां कहेगें

जो इसके विरोध में है वो ना कहेगें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये आपके सदस्य वहां हैं ना, वहां वो बात करें। आपके सदस्य वहां पर बात रखें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी प्रस्ताव

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

मेरे विचार में हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री संजय गोयलः यह सदन दिनांक 24 मार्च को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 24 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधित समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विरोध में है वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

नियम 107 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं उस पर चर्चा

माननीय अध्यक्षः अब नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव। श्री सूर्य प्रकाश खत्री माननीय सदस्य नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मागेगें।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुपस्थिति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः अनुमति चाहता हूं। सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः अनुमति चाहता हूं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि कार्यालयी कार्य के समुचित निष्पादन के लिए प्रत्येक विधायक के साथ कार्यरत

डाटा एंट्री ओपरेटर की संख्या दो से बढ़ाकर चार की जाए तथा उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप चीफ विप को नाम दे दीजिए।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, मैं प्रक्रिया पूरी कर लूं। एक मिनट, आप संजीव जी आप रूकिए। ये जो प्रस्ताव श्री सूर्य प्रकाश खत्री माननीय सदस्य द्वारा नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगने का

प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वो ना कहें।

...(व्यवधान)

देखिए जब वोटिंग हो रही हो तो उसके बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं बोला जाएगा। उससे क्या है कि प्रस्ताव की जो गरिमा है वो भंग होती है।

मेरे विचार में हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब श्री सूर्य प्रकाश खत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें जो प्रस्ताव यहां हमारे बीच में आ चुका है और अन्य सदस्य भी चर्चा में इसमें भाग लेगें।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि दिल्ली के अंदर जो हम लोग विधायक सब बनकर आए हैं दिल्ली की सेवा के लिए इसमें हमें जो है दो डेटा ऑपरेटर्स अलाउ हैं जिनकी जो हमारे को उनके लिए प्रतिमाह डेटा एंट्री के लिए हिसाब से जो न्यूनतम वेतन मिलता है उनके लिए वो मात्र 15 हजार रूपये हैं और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर आज के समय पोपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है आप एक–एक विधानसभा में एक लाख से लेकर ढाई–ढाई लाख तक की जनसंख्या है और कई जगह तो चार–चार लाख भी है। कई जगह चार–चार लाख भी है। अनिल जी के यहां तो आठ लाख हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि एक विधायक को काम करने के लिए मिनिमम चार लोग चाहिए होते हैं क्योंकि जनता का बहुत बोझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है विधायक के ऊपर और इसके साथ ही ये जो 15 हजार रूपये की न्यूनतम जो वेतन रखा गया है इसके लिए तो अनस्कील्ड का भी जो है एक प्रोवीजन जो कि कानून है जो कि उसकी अवहेलना है घोर जो है उसका उल्लंघन है क्योंकि मिनिमम जो है वो 18 हजार होनी चाहिए और ये तो स्कील्ड में आता है। ये स्कील्ड में आता है तो इसलिए मैं ये चाहता हूं और इस हाउस के माध्यम से के ये एक तरह से कानून का उल्लंघन भी है इसको दुरूस्त किया जाए और उनका जो न्यूनतम वेतन जो है वो बढ़ाया जाए स्कील्ड के हिसाब से होना चाहिए और मैं पूरे हाउस के अंदर ये कहता हूं जो स्कील्ड है वो दिया जाना चाहिए और इसके नियमत मैं आपसे इसके तहत जो भी मंत्री हैं वो इसका जवाब भी दें और इस हाउस जो है इसको पास भी करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो प्रस्ताव नियम 107 के तहत लाया है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि वर्षों से ये जो डेटा एंट्री ओपरेटर है उसकी सैलरी 15 हजार रखी गई। कई पे कमीशन आ गए इन्फलेशन बढ़ता गया लेकिन उस बेचारे की सैलरी वहीं की वहीं रही। पिछले सदन में भी हमने इस बात की जिक्र किया था हमने चिट्ठी स्पीकर साहब को लिखा था और फिर वो सरकार को गई थी कि हाइली स्किल्ड जो जो इम्पलॉयी होते हैं उनकी जो मिनिमम वेजिज है मेरे ख्याल से 26 हजार 800 है वो, वो उनको मिनिमम वेजिज दिया जाए चूंकि वो हाइली स्कील्ड हैं वो सारा काम जानते हैं और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इसकी संख्या को भी बढ़ाई जाए। संख्या बढ़ाना इसलिए जरूरी है। कि मैं अपनी ही कॉन्सिटिट्वेन्सी की बात करूं तो आज हमारी कॉन्सिटिट्वेन्सी में वोट 4 लाख 30 हजार हो गये हैं। पोपुलेशन 10 लाख के करीब है और ऐसे मैं ऑफिसिज़ में लोग सैकड़ों लोगों की संख्या में भीड़ होती है कई बार उनको ठीक से कैटर नहीं कर पाने के कारण नाराजगी जनता की होती है और जो सबके ऑफिसिज़ में होते होंगे, तो मैं ये मानता हूं कि ये चार की संख्या दो से बढ़ाकर इसकी संख्या चार कर दी जाये और साथ में मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं पिछले सदन में भी विधायकों के वेतन को लेकर के भी एक प्रस्ताव बनाया गया था। दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन पूरे देश से अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली के विधायकों की जो सैलरी है जो मानदेय है वो सबसे कम है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी मानदेय जो भी इन्फलेशन है और पूरे देश के अलग–अलग विधानसभा को स्टडी करके उसको उसी

प्रपोशन में दिल्ली के विधानसभा के सदस्यों के भी मानदेय तय किये जायें ताकि सुचारू रूप से अपनी वो विधायी कार्य भी और क्षेत्र का काम भी और जनता का काम भी ठीक से कर पायें बस यही हमारा आपसे निवेदन है और मैं फिर से सूर्य प्रकाश जी जो प्रस्ताव लाये हैं प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्षः इसमें, नहीं–नहीं आप अपना नाम दो ना आपके नाम आये हुये हैं यहां पर मैं उनके अभी, अभय वर्मा जी आप पहले चीफ व्हीप को दीजिये, अभय जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी माननीय सदस्य के द्वारा जो नियम 107 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और विपक्ष के मेरे साथी ने जो अभी इस नियम के तहत जो बातें रखी हैं दो हिस्से में बंट गया है बात। अभी जो प्रस्ताव आया है वो आया है जो डेटा ऑपरेटर है दो डेटा ऑपरेटर प्रत्येक विधायक को मिलते हैं और सर 2008–09 में ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर का एक प्रचलन शुरू हुआ और उस समय 15 हजार रूपया फिक्स किया गया था क्योंकि उस समय सरकार 15 हजार मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत मांगती थी कि इतना रूपया बनता है इसलिये दी लेकिन दुखद ये रहा कि उसके बाद सरकारें बदल गई, विधायकों की सैलरी पर भी एक–दो बार विवेचना हो गया लेकिन डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के जो मानदेय है उस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई और इस कारण वो 15 हजार लगातार 15 हजार ही बना रहा और अध्यक्ष जी पिछले 5 साल मैंने भी दो डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रखा तो वो बार–बार यही उपहास उड़ाते थे कि दिल्ली सरकार ने मिनीमम वेजेज एक्ट तो 25 हजार 26 हजार कर दिया है लेकिन विधायकों के साथ जो डेटा एन्ट्री ऑपरेटर है उसको अकुशल से भी नीचे है अकुशल श्रमिक का जो वेजिज़ है उससे भी नीचे रखा हुआ है ये कहां तक न्याय है और पिछली बार पिछली सरकार ने इस बारे में अभी संजीव जी ने

बताया है कि पिछली सरकार ने प्रयास किया और ये नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जो विधायक अपने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर से काम कराते हैं अध्यक्ष जी उनका समय का कोई निश्चितता नहीं होता। हम अगर 10.00 बजे कार्यालय पहुंचते हैं तो वो 9.00 बजे आते हैं और अगर हम दिन में 2.00 बजे तीन बजे क्षेत्र में निकल जाते हैं तो भी वो 5.00 बजे 6.00 बजे और कई बार तो हमें फोन करके कहना पड़ता है कि आप इन्तजार करो मैं कोई मैसेज देने वाला हूं इसको टाइप करना है तो सात-आठ बजे तक काम करते हैं तो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और इसलिये एक अच्छा विषय माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी लेकर आये हैं। मुझे लगता है कि इस हाउस को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिये। जहां तक संख्या का विषय है तो अध्यक्ष जी अगर एक विधायक के क्षेत्र में अगर चार वार्ड हैं तो अगर चार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस प्रकार से न्याय करेंगे जनता के साथ ये भी सोचने वाला विषय है। मुझे लगता है कि विधायक अपने क्षेत्र में अच्छे से परफोम करे, लोगों की सेवा में त्वरित कार्यवाही करे और लोग विधायक कार्यालय आयें तो संतुष्ट होकर जायें इसलिये ये जो प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से मानना चाहिये और इस पर आज पूरे हाउस को मोहर लगाना चाहिये क्योंकि अध्यक्ष जी अब नये-नये चुनकर हम लोग आये हैं उम्मीद बड़ी लगा रखी है लोगों ने, सत्ता भी परिवर्तन हुआ है तो लोगों को लगता है कि व्यवस्थायें बदलेंगी तो इसको गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसको पास करना चाहिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी, विधायक जो हैं वो जनता और सरकार के

बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं किसी को भी कोई दु:ख तकलीफ होती है तो वो सीधा विधायक कार्यालय आते हैं। किसी को राशन–कार्ड से समस्या है तो विधायक कार्यालय आते हैं, किसी को पुलिस से दिक्कत है तो विधायक कार्यालय आते हैं, अस्पताल से दिक्कत है तो विधायक कार्यालय आते हैं। जितने भी दिल्ली के अंदर विभाग चल रहे हैं उन सारे विभागों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है कोई भी समस्या है कोई भी परेशानी है तो पब्लिक का हर व्यक्ति जो है वो विधायक कार्यालय को ढूंढ़ता है और विधायक कार्यालय के ऊपर जो रोजमर्रा के काम का जो बोझ है वो तो है ही लेकिन जो सरकार की भिन्न–भिन्न योजनायें हैं चाहे वो पेंशन की है, चाहे वो राशन–कार्ड की है, चाहे वो अन्य योजनायें हैं उन सारी योजनाओं का भी जो है वो जो बोझ है वो विधायक कार्यालय को होता है। किसी का फार्म भरना है किसी की चिट्ठी बननी है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट बनना है, करैक्टर सर्टिफिकेट बनना है जो भी काम किसी भी तरह का काम अगर होना है सरकारी विभाग से संबंधित उन सारे कामों के लिये पब्लिक जो है विधायक कार्यालय में आती है और विधायक कार्यालय में सरकार के ऐसे से दो व्यक्ति हैं वो भी जो उनकी तनख्वाह है उसके हिसाब से वो अनस्कील के भी नीचे हैं। अब अगर मान लीजिये कि रोजमर्रा के काम के अलावा हमें कोई चिट्ठी बनवानी है किसी बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखनी है तो चिट्ठी बनाना भी जो है अपने आप में एक कला है। एक अनस्कील्ड व्यक्ति जो है वो कैसे हमारे भावों को चिट्ठी में डालेगा कैसे सरकारी लैंग्वेज को उसमें डालेगा और एक सही चिट्ठी जो अधिकारी तक पहुंचे और अधिकारी को समझ में आये उस काम की ग्रैविटी को वो समझ सके, काम की गंभीरता को समझ सके, ऐसी चिट्ठी बनाना जो है वो हर व्यक्ति के लिये संभव नहीं है तो स्कील्ड व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो चिट्ठी ठीक से बना सके, जो

हमारे ऑफिस में ना होने के समय वहां आने वाले लोगों को ठीक से अटेंड कर सके, उनकी समस्याओं को ठीक से समझ सके क्योंकि समस्या समझना भी जो है एक बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति के बस का ये भी नहीं है कि जो कार्यालय में व्यक्ति आ रहा है उसकी जो समस्या है उसको वो ठीक से समझ भी ले तो अगर विधायक ऑफिस में नहीं है और कोई पब्लिक से व्यक्ति ऑफिस में आ रहा है अपना काम बता रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है वो डेटा ऑपरेटर ही हैं हमारे जो वहां बैठकर पब्लिक को अटेंड करते हैं और अगर उनकी समझ, उनकी पढ़ाई–लिखाई, उनकी परिपक्वता जो है उस लैवल की नहीं होगी कि वो बताने वाले की समस्या को ठीक से समझ सकें तो उसका निवारण करना जो है वो असभंव है और क्योंकि विधायक हर समय कार्यालय में होना संभव नहीं है उनके लिये तो डेटा ऑपरेटर ही।

माननीय अध्यक्षः आपस में बात नहीं, कृपया आपस में बात ना करें।

श्री विशेष रविः डेटा ऑपरेटर ही वो व्यक्ति है जो वहां पर विधायक जी के ना होने के समय जो है उनकी समस्या को सुनकर उनको हल कर सके तो डेटा ऑपरेटर जो है वो सिर्फ जो छोटे–छोटे जो काम होते हैं वहीं तक उनका काम सीमित नहीं होता है बल्कि चिट्ठी बनाना, रोजमर्रा के अंदर जो लोगों के काम हैं उनको समझना और उसके बाद संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग को जो है उनकी चिट्ठी या उनको कॉल करके समस्या से अवगत कराना कई काम होता है। तो मेरी लिहाज़ से जो प्रस्ताव आज यहां पर आया है वो बहुत ही जरूरी है उसका पास होना बहुत जरूरी है, मैं उसमें सहमति अपनी देना चाहूंगा और इसके साथ–साथ जो संजीव झा जी ने जो बात करी कि दिल्ली में जो विधायकों का जो वेतन है उस पर भी जो है सदन को जो है संज्ञान लेना चाहिये। दिल्ली में विधायकों का वेतन इतना कम है कि ये शब्द आप ही के

हैं कि इतने कम वेतन में कोई विधायक जो है बिना किसी ऑब्लिकेशन के कैसे काम करे। अगर हमें ईमानदारी से काम करना है सभी विधायकों को ईमानदारी से काम करना है बिना किसी का अहसान लिये काम करना है तो हमें एक अच्छा वेतन जो है मिलना हर विधायक का जो है अधिकार है। बहुत सारे राज्यों के अंदर हमारे से कई–कई गुना जो है वेतन मिल रहा है और अभी दो दिन पहले जो है पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज़ हैं उनकी जो है सैलरी को इन्क्रीज़ किया गया है जबकि उनकी सैलरी पहले से बहुत अच्छी थी और लेकिन दिल्ली के अंदर जो है विधायकों की सैलरी जो है पहले ही बहुत कम है। 2008 में आखिरी बारी जो सैलरी बढ़ी थी उसके बाद 2015 में मैं सैलरी अलाउंस कमेटी का चैयरमेन था, हमने 15 से जो है दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का जो है काम शुरू किया। 2021 में 21 में जाकर सैलरी बढ़ी लेकिन जो हमने प्रस्ताव किया था वो उसका आधा भी नहीं था तो मेरा आपसे आज के इस मौके पर निवेदन है कि डेटा ऑपरेटर के साथ–साथ जो है जिसको भी आप सैलरी अलाउंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करें वो इस पर भी संज्ञान लें और क्योंकि उस समय सरकारों में फर्क था, ऊपर सरकार किसी और की थी और हमारे यहां सरकार किसी और की थी लेकिन अब तो जो है सब जगह आपकी सरकार है तो इसका फायदा तो जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों को मिलना ही चाहिये। तो सैलरी अलाउंस कमेटी के जो अध्यक्ष जो भी बनें उनको जो है मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो नया प्रस्ताव बनाकर वो केन्द्र सरकार को एम.एच.ए. को भेजा जाये और दिल्ली के विधायकों को एक सम्मानजनक वेतन जो है मिल सके, धन्यवाद, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः तरविन्दर सिंह मारवाह, माननीय सदस्य तरविन्दर सिंह

मारवाह। वैल के बीच में से कोई नहीं जायेगा, क्रॉस नहीं करेगा ऐसे। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वैल को क्रास ना करें अगर किसी को जाना है बाहर से जायें।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। विधायकों की बात चल रही है अगर देखा जाये अभी सदस्य ने कहा कि दो लाख, तीन लाख, चार लाख तक हमारी विधानसभाओं में, चलो पांच लाख तक, हैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी

(आपसी विचार विमर्श)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः थोड़ा सीरियस मामला है इसलिये अध्यक्ष जी पास करेंगे तभी काम होगा ना।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट देखिये, शुरू करिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी दो तो डेटा वाले कह रहे हैं, चार हो गये चलो डेटा वाले, एक जो आयेगा उसको रिसीव भी करना है ना, पानी पिलाना है उसको चाय पिलानी है जब सिस्टम देना है तो पूरा दो ना जी, कम नहीं रखना है, है ना, फिर जो व्यक्ति क्योंकि रात को भी लोग आकर तंग करते हैं आपको तो अध्यक्ष जी काफी साल हो गये हैं कई बार एमएलए रह गये तो रात के लिये भी एक व्यक्ति चाहिये कि नहीं, बताओ ना क्योंकि कोई आयेगा उसकी कम्प्लेंट सुनेगा क्योंकि हमारा काम तो 24 घंटे का है ना तो इसको देखते हुये छः या सात बनते हैं, देखा जाये तो अगर काम की बात करें तो, टालने की बात करें तो अलग बात है क्योंकि आज काम इतना बढ़ गया है। अभी–अभी पीडब्ल्यूडी में कितने महकमे हैं एक इलैक्ट्रिशियन है, एक वो सड़कों वाला है,

ड्रैन वॉटर वाला है, इसी तरह होर्टीकल्चर में अभी तक मेरी समझ में ही नहीं आया कितने महकमे पीडब्ल्यूडी में हैं फल्ड अलग है अभी तक नहीं समझ आया तीन बार बन भी गया तब भी ये चौथी बार है ठीक कह रहा हूं ना, अभी तक समझ ही नहीं आ रही दो महीने हो गये करें क्या डेढ़ महीना हो गया तो अध्यक्ष जी इसके लिये तो, नहीं–नहीं आदमी ना दो आदमी इससे ज्यादा मत दो अध्यक्ष जी इससे ज्यादा मत दो छः से ज्यादा मत दो लेकिन इतना काम बढ़ गया है। पहले वाला काम नहीं है और सबसे बड़ी बात है आतिशी जी बैठी हैं 11 साल में इन्होंने जो काम बढ़ा दिये जो काम बढ़ा दिये वो तो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। आप चलकर देखो जंगपुरा में जो सिद्धार्था एक्सटेंशन के साथ नाला जा रहा है आप मानोगे नाले में कम से कम 200 ट्रक मिट्टी पड़ी हुई है और वो NCRTC जो काम करती रही है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है काम तो बढ़ा दिया है इन्होंने, सीवर गलियों में जाओ तो बीस–बीस नहीं काम बढ़ाने का अब देखेगा कौन काम को ठीक करने के लिये एमएलए थोड़ी जायेगा। आगे–आगे एक–एक आदमी अभी तो ये दफ्तर की बात कर रहा हूं हर काउंसलर के यहां पर भी एक–एक आदमी चाहिए जो की सीवर और पानी देखेगा। इस हिसाब से तो 11–12 बन जाते हैं अध्यक्ष जी। नहीं–नहीं मैं बात ठीक नहीं कर रहा फील्ड के हिसाब से अगर देखो तो हर काउंसलर के नीचे एक व्यक्ति रखना पड़ता है जो जाकर सीवर पानी की कंप्लेंटें क्योंकि कर्मचारियों को जो इन्होंने बिगाड़ दिया है न इन्होंने जो बिगाड़ दिया है न आज उनको कंट्रोल करने में भी हमको 6 महीने लगेंगे। आतिशी जी तो पहले दिन ही बोर्ड लेकर बाहर खड़ी हो गई 2500 दो एटीएम लगा हुआ है 2500 निकाल कर दे दो एटीएम लगा है। ये देखो न एटीएम दो 2500 निकाल दो सबको एक–एक दे दो कार्ड। तो इसलिए जो काम बिगड़ा है उसको सही करने के लिए कम से कम 9 आदमी चाहिए। ये मैं

बिलकुल ठीक कह रहा हूं इसमें हंसने की बात नहीं है भईया। 6 तो हो गये अपने ऑफिस के लिए 1 रात के लिए 5 दिन के लिए और 3 चाहिए हमें अध्यक्ष जी 3 चाहिए मॉनीटरिंग के लिए। हमारा अधिकार है कि हमको इतने व्यक्ति मिलने चाहिए ये मैं बता दूं अध्यक्ष जी और जनता की भी मांग है क्योंकि काम होने चाहिए न। काम नहीं होंगे तो अगली बार हम इधर से उधर बैठ जाएंगे, काम होंगे तो इधर राजे बने रहेंगे ठीक है न। तो राजा बनना ठीक है और आपकी एक कलम से एक आपने बस जैसे हंसते रहते हो न ऐसे इस पर भी साइन कर दो एक। एक साइन कर दो जिससे की हम सबका भला हो जाए अगली बार भी इधर ही बैठें आकर उधर न जाएं। तो ये जो चीजें हैं अध्यक्ष जी बड़ी जरूरी हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्षः अनिल झा जी।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसको मेरा समर्थन देते हुए इस विषय पर मैं जो मारवाह साहब ने भी जो विषय रखा है वो बहुत गंभीर विषय है। जो स्किल्ड लेबर की बात दिल्ली सरकार का ही नियम है कि स्किल्ड लेबर को एक सम्मानजनक वेतन सरकार ने जो सुनिश्चित किया है। अगर एक विधायक एक कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति वह भी नहीं करेगा तो क्या होगा हो सकता है कि करप्शन वहीं से जन्म लेता हो। अगर हम 10 हजार, 5 हजार और 15 हजार देंगे एक स्किल्ड को जो बेचारा 8–10 घंटे काम करेगा तो मेरा ये मानना है हमें इस पर उनके स्किल्ड पेमेंट पर ही विचार नहीं करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि ईएसआई का कार्ड भी बनता है, उनका हैल्थ का भी इश्यू होता है, उनके पीछे बाल–बच्चे भी होते हैं। अगर अचानक उसके यहां कोई विपत्ति आ जाए हेल्थ को लेकर के हम देखते हैं दिल्ली सरकार के भी अंदर–अंदर अन्य कर्मचारियों की यह स्थिति है कि अस्पताल में

इलाज कराने जाता है पहले पेमेंट देता है उसके बाद उसकी उसको पेमेंट मिलती है और बहुत मुश्किलों से मिलती है। रिंबर्समेंट की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। मेरा यह मानना है जो स्किल्ड लेबर को विधायक के कार्यालय में दिया जा रहा है मैं एक सामान्य सी बात अध्यक्ष जी आपके सामने रखना चाहता हूं आखिर विधायक का प्रोटोकोल उसकी हैसियत क्या है। हम ये देख रहे हैं एक चीफ सेक्रेटरी है, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है जो नया लड़का यूपीएससी करके आया है उसको गाड़ी, ईडीओ, सीडीओ, वीडियो, रेडियो, येक्टर, रेक्टर, ट्रैक्टर, कंडक्टर सब मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है। मैं तो पूर्व विधायक भी रह लिया, वर्तमान भी रह लिया, पहले भी दो बार रह लिया तो पूर्व विधायक की पेंशन है 8 हजार 15 हजार किसी को बताते हैं तो शर्म आती है। आप ये बताईये कई ऐसे विधायकों के परिवार को जानता हूं जिनका देहांत हो गया है उनके परिवार का भरण–पोषण मुश्किल हो रहा है। यहां पर एक एलडीसी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में काम करता है उसकी तनख्वाह 80 हजार रुपया है। उसको ड्राइवर मिलता है, उसको बाहर घंटी बजाते हैं तो चपरासी दौड़कर जाता है, उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं एक विधायक का प्रोटोकोल कोई अधिकारी के पास जाएंगे तो वो उठकर खड़ा होगा, उनको छोड़कर आएगा, चिट्ठी का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो प्रोटोकोल अगर आप मान रहे हैं तो उस प्रोटोकोल के हिसाब से जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सुविधा मिलती है मिनिमम सुविधा उतनी आप विधायक को दे दीजिए, उतनी विधायक को दे दीजिए आप। अच्छा ये कोई मैं बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूं और ये नहीं है कि हम कोई नौकरी नहीं ले सकते थे। मेरी भी जी सरकारी नौकरी लगी वो तो छोड़कर के हम विधायकी करने आए हैं यहां पर यहां राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। उनको गाड़ी मिलेगा, पेट्रोल

मिलेगा, शाम को जब लेट हो जाएंगे तो वो उनको एक्स्ट्रा एक ड्राईवर मिलता है, ओवर टाइम का पैसा मिलता है। अब हमारे साथ स्थिति क्या है जी रात को शादियों में अध्यक्ष जी जाना पड़ता है। शादी की स्थिति यह है हमारे को तो अनॉथराइज कालोनी में इतनी मुश्किल कई बार आती है कि हम शादी में रात को 12 बज गये 1 बज गये मुझ पर फायरिंग हुई, फायरिंग हुई हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। हम कैसे–कैसे बचे वो हमारे को जानकारी है जबकि आपके सामान्य दिल्ली सरकार के अफसरों को रात्रि को उसको देखा जाए तो सुरक्षा की भी स्थिति मिल जाती है। अध्यक्ष जी, ये जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अब मेरा जैसा क्षेत्र है या संजीव जी का जो क्षेत्र है या मटियाला वाला क्षेत्र है जहां 8–8 लाख की आबादी है 6–6 वार्ड हैं हमारे यहां 5–5 वार्ड हैं कम से कम मिनिमम और विकास पुरी मिनिमम एक वार्ड में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हमको मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे हमको गाड़ी दे दीजिए, मैं तो यह नहीं कह रहा जो बेसिक सुविधा एक एसडीएम को है सामान्य से एक जो शुरुआती दौर में एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और दर्जा हमको यह कह दिया गया आप चीफ सेक्रेटरी वाले हैं हवा तो हमारी ऐसी बन रही है और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सम्मान जनक और दूसरी बात मैं यहां कह रहा हूं अध्यक्ष जी। कल पार्लियामेंट में और गोवा की विधानसभा में संसेक्स के हिसाब से पेमेंट तय होती है यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो संसेक्स सुनिश्चित करता है कि एक विधायक की यह सैलरी है और संसेक्स यह तय करता है यह विधायक की इस होगी कम बढ़ेगी जब पार्लियामेंट ने भी कर दिया है, सिद्धांतिक रूप से उसे स्वीकार कर लिया है तो दिल्ली विधानसभा को भी वह स्वीकार कर लेना चाहिए और डाटा ऑपरेटर के साथ उसकी जो वेतन है स्किल्ड लेबर के साथ–साथ हैल्थ की

योजना को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे कैशलैस उसको भी हैल्थ की सुविधा मिले जो हमारे स्टाफ में हैं और विधायक जो पूर्व विधायक हो गये हैं। देखिये सदन में मैं कहना चाहता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं पूर्व तो सबको होना है इसलिए कम से कम पूर्व विधायकों के विषय पर हमको विशेष चिंता करनी चाहिए। जो पंजाब में पेंशन है, जो गोवा में पेंशन है, जो अदर जगह पर पेंशन है वो पेंशन के ऊपर विचार करना चाहिए आपका बहुत–बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः चलिए इन्होंने अनिल झा जी ने 5 साल का सबका बीमा कर दिया है 5 साल तक कोई किसी को कोई कुछ हानि नहीं होगी किसी प्रकार की ठीक है न। आपने कहा पूर्व तो सबको होना है तो वर्तमान में तो सब सुरक्षित हो गये 5 वर्ष के लिए, चलिए कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी के द्वारा जो 107 नियम के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और ये सत्य है कि सरकार कानून लाती है और कानून का उल्लंघन बोलती है विधायक आप करो उल्लंघन। हमारे यहां जो डेटा ऑपरेटर था वो श्रम विभाग में चला गया और शिकायत करते हो जी आपने मिनिमम वेजेज का ध्यान नहीं रख रहे हमें मिनिमम वेजेज दे नहीं रहे मैं तो जा रहा हूं। तीन महीने काम किया छोड़ जाता है, सीखता है भाग जाता है पे कम है तो ये सत्य है कि जो व्यवस्था जो मिनिमम वेजेज हैं उसका पालन करते हुए और रिवाइव क्यों नहीं किया ये भी मैं जिन लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई उस समय 15 में तो उनको उस समय हर चीज को ध्यान रखना चाहिए डाटा ऑपरेटर की भी स्थिति देखनी चाहिए, पेंशन को भी ध्यान देना चाहिए सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम आगे टैक्नीकल तरीके से उसको काम करना चाहिए। दूसरा यह सत्य है कि आधारकार्ड का डाटा उसको लोड करना जांच करनी सही व्यक्ति है की नहीं है, शादी निमंत्रण

पत्र है उनको भी ऑपरेट करना, सोशल मीडिया एक और एड हो गया सोशल मीडिया ऑपरेटर भी चाहिए एक। पांच वार्ड मेरे यहां हैं छह वार्ड उनके वहां होंगे तो वार्डवाइज कम से कम एक व्यक्ति जो अन्य न समझते पेंशन अलग विषय है। सबको अलग और निवास प्रमाण–पत्र तो बहुत सारी चीजें डाटा ऑपरेटर ज्यादा चाहिए सत्य है और तभी विधायक का कार्य चल पाएगा और हमारी अनुपस्थिति में वही लोग काम करते हैं और मिनिमम वेजेज का पालना हर एक चीज में होनी चाहिए हमारी यहां भी होनी चाहिए और डेटा ऑपरेटर बढ़ाए जाने चाहिए ऐसा तो इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और विधायकों की स्थिति का अवलोकन करते हुए जो यूटी का जो पे है जे एंड के में भी वहां पर हमारे से ज्यादा है, गोवा में भी हमारे से ज्यादा है। तो सच है कि विधायकों को सम्मानित राशि दो उनका खर्चा ठीक ढ़ंग से चल सके। हमारा पेट्रोल का खर्चा 30 हजार रुपये है। कितनी शादियों में जाते हैं 30, 40, 50 हजार रुपये शादियों में शगन डालते हैं तो कोई इस व्यवस्था से नहीं चल रहे हम लोग लेकिन उन व्यवस्थाओं को सब लोग झेल सकें और उसका पालन करते हुए अपना जो प्रोटोकोल है उसकी व्यवस्था ढ़ंग से चल सके इतनी व्यवस्था सरकार को एक विधायक की करनी चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः डॉक्टर अनिल गोयल।

डॉ. अनिल गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं सूर्य प्रकाश खत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए थोड़ा इसमें मोडिफिकेशन की बात करना चाहता हूं। इसमें लिखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार बढ़ाया जाए। तो वो कुशल श्रेणी सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्या जरूरत है क्या हमको लेकिन हमको तो लगता है कि मैनेजीरियल स्किल की भी जरूरत है जो ओवरऑल मैनेजमेंट करे। हमको एक सोशल मीडिया के लिए भी मैनेजमेंट की

जरूरत है तो ये skill has to be defined. जो स्किल है आप सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर से विधायक का काम नहीं चल सकता सर। जो अभी मारवाह साहब ने कहा छह चाहिए वो डिसाइड आप इस क्योंकि मोशन में नहीं है इसमें इसलिए मैं नहीं बोल रहा लेकिन आपको चाहिए अलग–अलग स्किल के लोग। एक चाहिए रिसेप्शन पर, एक चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर दो, उसके अलावा मैनेजीनियल स्किल के लोग चाहिए, सोशल मीडिया के चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो गार्ड और वो भी चाहिए हमको सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए हमको एक पीओन चाहिए तो इस तरह से देखा जाए तो इसको और डिटेल्ड डिस्कशन की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास जो आता है उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जो आता है वो तीन महीने छह महीने हो सकता है एक साल में सीखने के बाद चला जाता है। उसके गवर्नमेंट स्कीम वो देखता है हमारी। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता है तो उसके लिए हमको एक सीनियर लोग भी चाहिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा मैनेजीरियल स्किल के लोग भी चाहिए। अगर इसका चार की जगह छह हों और अलग–अलग जॉब डिफाइन्ड हो। एक आफिस चलाने के लिए हमको पांच से छह लोग विद डिफरेंट स्किल्स चाहिए। कौशल श्रेणी अलग–अलग है not only data entry operator but also managerial skill and the social media person जो उसको जानता हो क्योंकि इसमें 12–12 घंटे 14–14 घंटे भी काम उनको कराना पड़ता है जॉब सिक्योरिटी है नहीं, जॉब प्रोफाइल अलग होनी चाहिए ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो इसमें लिखा है उसकी जगह, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय गृह मंत्री (श्री आशीष सूद): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों की भावना से सरकार अवगत है। सरकार इसके संदर्भ

में एक समिति बनाकर विचार करके इस विषय को आगे इसमें निर्णय करने की ओर बढ़ेगी। हम सदन की भावना का आदर करते हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं अभी दो 107 में दो चर्चाएं हुई एक तो डेटा ऑपरेटर को लेकर के और एक मानदंड बढ़ाने की बात की गई पार्लियामेंट की तर्ज पर तो इसके लिए सदन के समक्ष जो है एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें अभय वर्मा जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, पूनम शर्मा जी, संजीव झा जी, और विशेष रवि जी ये पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता अभय वर्मा जी करेंगे संयोजक के रूप में और अध्यक्षता के तौर पर और समयसीमा में। इस पर दो सप्ताह के अंदर-अंदर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समय बढ़ा देंगे। दो सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जो है वो चेयर को देंगे जिस पर आगे का फैसला तय किया जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय, एक मिनट बात कर लूं मैं पूरी बात कर लूं एक बार।

सुश्री आतिशीः उसमें एक बस जब मिले समय दे दीजिएगा।

माननीय अध्यक्षः किस विषय पर बात करनी है।

सुश्री आतिशीः ...की बात करनी थी तो लंच से पहले ही।

माननीय अध्यक्षः मैं अभी करूंगा, करूंगा मैं आपसे, लंच में भी एक घंटा मिलेगें कोई ऐसी बात नहीं है बैठिये-बैठिये मैं करता हूं। माननीय सदस्यगण मुझे यह घोषणा करते हुए और आप सबको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम दिल्ली विधानसभा को ई-विधानसभा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास

कर रहे हैं। हम इस परियोजना को 100 दिनों के भीतर लागू करने के लिए समयसीमा जो रखी है वो 100 दिन रखी है इसको हम लागू कर सकें ताकि विधानसभा का मानसून सत्र जून-जुलाई में ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग करके आयोजित किया जा सके। गत 22 मार्च, 2025 को हमने दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक एमओयू किया है। नेवा अर्थात नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को अपनाने से विधानसभा इसकी समितियों और सचिवालय की सभी कार्यवाही डिजिटल और कागज रहित हो जाएगी पेपरलैस हो जाएगी। सदस्यों को अपने नोटिस ऑनलाइन जमा करने और अपने फोन या टेबलेट पर विधानसभा के सभी रिकार्ड प्राप्त करने की सुविधा होगी। विधानसभा से संबंधित सभी कार्य जैसे प्रश्न, कार्यसूची, चर्चायें, विधायी कार्य, समिति कार्य आदि के अलावा ये एप्लीकेशन हमारे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में भी बहुत उपयोगी होगी।

सबसे विशेष बात ये है कि जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं उससे भी हम इस एप्लीकेशन से बहुत लाभान्वित होंगे और उनका समय पर निपटारन भी हो सकेगा। हम इसके लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेंगे और माननीय सदस्यों को छमट। के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए विधान सभा सचिवालय में एक स्थाई सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल Touch Screen डैस्क टोप पर किया जायेगा जिसे प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगाया जायेगा। आपके यहां पर सबको एक डैस्क टोप लग जायेगा और जो मानसून सत्र होगा, जब उसमें आप आयेंगे तो वो डैस्क टोप यहां पर लगे हुए होंगे और इसे किसी भी टेबलेट या मोबाइल डिवाईस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने मोबाईल पर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और

बहुत ही सरल है। ये जो ई–विधान सभा है ये बहुत सरल है। हर सदस्य चाहे वो टैक्नोलोजी से पूरी तरह से अवगत है भी कि नहीं है लेकिन जैसे मोबाइल चलाते हैं हम उसी प्रकार की एक साधारण एप्लीकेशन इसकी होगी। मैं इस नई तकनीक को अपनाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से पूरे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सहयोग देने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू का बहुत आभारी हूं। उन्होंने बहुत कोओपरेट किया है और इसके लिए हमको वो धन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं उनका हृदय से आभारी हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय, एनआईसी तथा भारत सरकार के अधिकारियों की भी सराहना करता हूं। यह प्रस्ताव पिछले कई वर्षो से लगभग अगर कुल लगायें तो पिछले आठ साल दस साल से ये पैंडिंग था जिस पर पिछले दस वर्ष में कोई कार्यवाई नहीं की गई और उसका मूल जो कारण था वो था कन्ट्राडिक्शन यानि कि जो दिल्ली की जनता की आवश्यकता थी कि सरकारें मिलकर काम करें और जिस तरह से बाकी तमाम चीजों में विवाद खड़े किये गए उसी तरह से दिल्ली की विधान सभा को भी ई–विधान सभा बनाने में भी विवाद हुए और उस पर सहमति नहीं दी गई। उस पर कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि जबकि इस कार्य के लिए फंड भी परियोजना का फंड भी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। फंड लेने से भी इन्कार किया गया और ये कहा गया कि हम इसको अपने स्तर पर खुद विकसित करेंगे और उसके लिए करोड़ों रूपये का प्रावधान किया गया जबकि पैसा केन्द्र दे रहा था उसके बावजूद दिल्ली सरकार पर वजन डाला गया और फिर उसके बाद टेंडर प्रक्रिया और वो तमाम चीज़ें कोई मैच्योर नहीं हुई। सारा डोल ड्रम मे चला गया, अव्यवस्थित हो गया और करोड़ों रूपया जो उस काम के लिए रखा गया था उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ और केन्द्र सरकार के पैसे को भी

वापिस कर दिया गया। दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विधानसभा सचिवालय ने पहले ही इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। नई सरकार के आने के तुरन्त बाद सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता जी के सहयोग से इस पर हमने तेजी से काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि ये सभी विभाग रिकॉर्ड समय में, मैं सभी दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों से भी आज सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस परियोजना पर तेजी से काम जो किया गया है मुझे उम्मीद है कि ये सभी विभाग रिकार्ड समय में, रिकार्ड समय में दिल्ली विधानसभा में छमट। को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे और जो काम दस वर्ष पहले हो सकता था वो हमने आते ही सौ दिन के अंदर हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। बहुत काम हमारा आगे बढ़ गया है। अभी हमारा डीपीआर तैयार हो गया है। उसके अनुसार सचिवालय में लगातार मिटिंग्स हो रही है। उस डीपीआर के according ट्रेनिंग हो रही है। तीन ट्रेनिंग्स सत्र जो है वो पूरे हो चुके हैं अभी लगातार और मैं स्वयं periodically बैठक ले रहा हूं और हम बहुत उत्साही हैं कि इस पूरी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वन नेशन–वन एप्लीकेशन का जो एक संकल्प लिया था जिसके अन्तर्गत इस विधान सभा को भी ई–विधान सभा हो जाना चाहिए था लेकिन हम देश के प्रधान मंत्री जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सपनों को दिल्ली विधान सभा में पूरा करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द हम इसको लागू करेंगे। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी सदस्य कुछ चाहता है उन पर, मंत्री जी से भी।

श्री राजकुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी इस बहुत महत्वपूर्ण योजना का आपने जो इस पर इनीशियेटिव लिया है इस पर आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार देश ई-टैक्नोलोजी के तरफ आगे बढ रहा है। आपने दिल्ली विधान सभा को भी इस रास्ते पर अग्रसर किया है। इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उस टीम के माध्यम से विधायकों का जो बैकएंड ऑफिस है जो डे-टू-डे वर्क्रिंग है उसको भी अगर विधान सभा के साथ जोड़ दिया जाए और अधिकारियों के कन्सर्ड नम्बर और सारी चीजें जो उनकी वर्क्रिंग है इसके साथ जोड़ दिया जाये तो निश्चित रूप से अधिकारियों की और विभागों की जवाबदेही तय होगी। जिससे हमें काम करने में और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर पायेंगे और उसमें पारदर्शिता भी आयेगी। असली सुशासन की जो इबारत अब आप लिखने जा रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी और आपको धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 90 दिन के तय समय सीमा में आपने ये निर्णय लिया है कि ई-विधान सभा होगा। लेकिन दो बातें जो भाटिया साहब कह रहे थे उसको भी मैं ऐड कर रहा था और साथ में ट्रेनिंग भी सभी विधायकों का कैसे इसका उपयोग किया जाये वो हो ताकि बहुत सारे लोग ई गैजेट से बहुत अच्छे से रूबरू नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है तो वो जानकारी हो जाये। इसके बाद अध्यक्ष महोदय एक बड़ी घटना अभी मुझे मैसेज आया है मेरे विधान सभा में हुई है। चौदह साल के एक बच्चे...

माननीय अध्यक्ष: पहले इसको पूरा कर लीजिए। बीच-बीच में मैं आपको

मौका दे दूंगा।

श्री संजीव झाः हॉ बस। बोलने जरूर दीजिएगा। एक बहुत बड़ी घटना

माननीय अध्यक्षः इसमें मंत्री जी उसको अलग से आप उठाईये ना। इसमें कोई और सदस्य भाग लेना चाहे, नहीं तो मैं मंत्री तरविन्दर सिंह मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी बहुत-बहुत आपका हम आभार सारे ही आभार प्रकट करते हैं कि आप जिस तरह नरेन्द्र मोदी जी सबको साथ, सबका विकास और नई दुनिया में ले जाने की बात हो रही है। आपने मोदी जी का जो विश्वास था, दिल्ली विधान सभा भी एक डिजिटल में आये। आपने अपनी सोच से किसी ने डिमांड नहीं की, किसी सदस्य ने कोई आपको पत्र नहीं लिखा, इस सोच का आपको मैं सौ में से सौ नम्बर देता हूं। ये बहुत अच्छी सोच है कि हमारे बारे में सोच रहे हैं। कई अध्यक्ष बन जाते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं महलों का ध्यान देते है। लेकिन आपने जो काम करके दिखा रहे हो और टाइम लिमिट अभी मैं देख रहा था कि आपने एक दम डिसिजन लेकर एमएलए के लिए कमेटी भी बना दी इससे बड़ी क्या हो सकती है। तालियां बजाओ और टाइम भी आपने बल्कि सिरसा जी ने कहा एक महीना, आपने कहा कि नहीं दो हफ्ते। देखो पहली बार हो रहा है ये। अध्यक्ष जी आप हमारे बारे में सोच रहे हो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लम्बी उम्र हो।

माननीय अध्यक्षः थोडा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः हॉ जी, हॉ जी। अध्यक्ष जी, मैने उस दिन भी कहा था। अध्यक्ष जी मैने उस दिन भी कहा था।

माननीय अध्यक्ष: आप भी करना चाहेंगी। तो जरूर समय दूंगा आपको।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैने उस दिन भी आपके लिए कहा था जब आपने भ्रष्टाचार की बात की थी और आपने उस पर ठोस कदम लिया कि ग्यारह साल में जो भी सीएजी है हम विधान सभा में पेश करेंगे। ये भी सराहनीय है। क्योंकि मोदी जी ने भी अपनी पब्लिक मिटिंगों में कहा था याद है ना कि हम सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट लेकर आयेंगे।

(समय की घंटी)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट जरा प्लीज।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: आपने मोदी जी की बात रखकर सीएजी की जो ग्यारह रिपोर्टो में चौदह रिपोर्टे।

माननीय अध्यक्ष: अभी इस मुद्दे पर बात कर लीजिए, अब मैं।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैं आपका धन्यवाद करता हूं पूरे जोर से और आप इस तरह हमारी हितों की रक्षा करो। हम आपके साथ हैं अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: ये सदन में मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर... मंत्री जी एक सैकेंड। इसमें एक लास्ट बात और स्पष्ट कर दूं। ये देश की पहली विधान सभा हो सकती थी ई-विधान सभा लेकिन देर आये दुरूस्त आये। अब ये 28वीं विधान से पहले 27 विधान सभा ई-विधान हो चुकी है। ये 28वीं विधान सभा हमने सौ दिन में इसको उससे जोड़ दिया है।

माननीय शिक्षा/यूडी मंत्री (श्री आशीष सूद): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विधान सभा को ई-विधान सभा बनाने के प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं आपके द्वारा इस इनिशियेटिव को आगे बढ़ाकर पूरे भारत में, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के प्रयासों को मजबूत करने का और नई टैक्नोलोजी के साथ गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने का जो संकल्प भारत के प्रधान मंत्री जी ने लिया है, उसको आप साकार करने के लिए यहां जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा के साथ साधुवाद देता हूं। आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल माध्यमों का गवर्नेंस में बहुत बड़ा योगदान है। वो आज विधान परिसर से शुरू हो रहा है। आने वाले समय में सभी विधायक कार्यालयों तक ये डिजिटल माध्यम गुड गवर्नेंस देने के लिए पहुंचे, इसके लिए भी जो सदस्यों ने यहां आपके सामने आशय रखें हैं उस पर कभी विधान सभा सचिवालय करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं पुनः आपके द्वारा नरेन्द्र मोदी जी के इस डिजिटल इंडिया प्रयास को डिजिटल माध्यमों से गुड गवर्नेंस देने के प्रयास को दिल्ली विधान सभा में किये जाने के लिए साधुवाद देता हूं और अध्यक्ष जी, अन्तिम वाक्य lighter side पर कहता हूं आपने कहा कि ये विधान सभा पहली हो सकती थी। 28वीं है तो 28 को भी जो numerological का खेल करते है 2 और 8 जोड़कर के नम्बर एक ही बन जाता है, शायद इसी दिन का इन्तजार करते करते इसे डिले किया गया होगा कि 28वें पर आठ और दो दस एक जमा जीरो तो एक numerological का आंकड़ा है। शायद इसीलिए ऐसा किया गया होगा। मैं आपका आभार व्यक्त हुए अपना स्थान लेता हूं। केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले भी एक बार पूर्व विधायक हमारे मित्र नसीब सिंह जी यहां आये थे। हम से भूल हो गई थी। वो यहां गैलेरी में उपस्थित हैं आपके ध्यान दिलाने हेतु।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री नसीब सिंह जी यहां एलजी गैलेरी में उपस्थित है कार्यवाही देखने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय सदस्यगण लोक सभा के रिटायर्ड सचिव और दिल्ली विधान सभा के सचिव रहे श्री एस.के. ष्टार्मा द्वारा लिखित पुस्तक के वितरण के संबंध में सूचना। दिनांक 18 मार्च, 2025 को प्रबोधन कार्यक्रम में ''संविधान सभा में दिल्ली'' विषय पर अपने व्याख्यान में लोकसभा के रिटायर्ड सचिव और दिल्ली विधान सभा के भी सचिव रहे श्री एस.के. शर्मा जी ने अपनी पुस्तक 'Bhimrao Ambedkar-Arbiter of Delhi's Destiny' का उल्लेख किया था। एक पूरा सत्र हुआ था एस.के. शर्मा जी का उसमें उन्होंने इस पुस्तक का भीमराव जी का जो योगदान है संविधान में बाबा साहेब भीमराव जी का उसको लेकर के जो दिल्ली के सम्बन्ध में उनके जो विषय थे उस पर तो उन्होंने पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी उस दौरान मैंने तो सभी सदस्यों में जिज्ञासा थी कि पुस्तक हमें भी मिलनी चाहिए। तो उस दौरान मैंने माननीय सदस्यों को यह आष्वासन दिया था कि इस पुस्तक की प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अतः आज यह पुस्तक सभी सदस्यों को वितरित की जाएगी। सदस्य इस पुस्तक की प्रति लंच ब्रेक के दौरान एमएलए लाउंज-01 से प्राप्त कर सकते हैं। ये पठनीय पुस्तक है। इसमें दिल्ली के सवैधानिक इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया गया है । मैं इस पुस्तक के लेखन के लिए श्री एस. के. शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन पुनः अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ।

*माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेन्द्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना भाषण बजट से सम्बन्धित विषयों तक ही सीमित रखें तथा समय का विशेष ध्यान रखें ताकि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर मिल सके। अब सदस्य चर्चा में श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः आज से तीन दिन पहले एक स्कूल गोइंग बच्चे का किडनैप हो गया और किडनैप के बाद उससे फिरौती की मांग हो रही थी। लेकिन कल रात में उस बच्चे की हत्या कर दी गई। उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा गया है पर वहां के लोगों का कहना है, मिलन बिहारी एक कॉलोनी है जहां का बच्चा है, वहां के लोगों का कहना है जो पकड़ा गया वो माईनर है, मेजर को पुलिस ने भगा दिया था, उनका कहना है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहना चाहता हूं और आप इसमें संज्ञान लें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसमें कोई कोताही ना बरते और ईमानदारी से इसकी जांच करें ताकि दोषी को सजा मिल पाए।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। ये मैसेज दे दिया जायेगा।

श्री संजीव झाः थैंक्यू। थैंक्यू अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब चर्चा प्रारम्भ करेंगे श्री डा. अनिल गोयल।

वार्षिक बजट (2025-26) पर चर्चा

डा. अनिल गोयलः अध्यक्ष जी, मुझको बजट पर बोलने के लिए कहा गया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में अपनी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जिन्होंने कल सदन में

विकास का संकल्प पत्र रखा जो ऐतिहासिक बजट था और पिछले दस सालों की बेहाली का भी कच्चा चिट्ठा था। उसके डेटा भी हमारे अगर आप बजट स्पीच में देखें और बजट डिटेल्स में तो वो सामने है। ये क्या हो सकता है कि जितना बजट एस्टीमेट था पिछली सरकारों का, पिछले दस सालों में वो 20 परसेंट से 15 परसेंट तक खर्च नहीं किया गया। यही बताता है कि वो sincerity क्या थी कि उस पैसे को खर्च तक नहीं किया गया। इस सरकार ने जो भविष्य का लेखाजोखा ये किया है ये दिल्ली के उज्जवल भविष्य का लेखाजोखा है। आप देखिये शिक्षा में जब पिछले बजट में 2024 में 16 हजार करोड़ कुछ था, अब उसको बढ़ा कर 19 हजार 2 सौ 91 कर दिया गया। स्वास्थ्य में पिछले बजट में पिछली आपदा सरकार के बजट में 08 हजार 600 था, अभी 12 हजार 893 कर दिया गया है। परिवहन व्यवस्था जो दिल्ली की चरमरा गई है, पांच हजार इलैक्ट्रिक बसें आयेंगी और ये एक बहुत बड़ा कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने से ही यह पोल्यूशन दिल्ली का खत्म हो सकता है, उसके लिए 12 हजार 952 करोड़ किया गया और साथ में पांच हजार इलैक्ट्रिक बसें और आयेंगी ये भी एक व्यवस्था की गई है। दिल्ली में जो सरकार है वो बेहाल थी पिछले सालों में, ना जल था, ना साफ पानी था, ना सीवर था, ना सड़क थी, ना बस थी, ना अच्छी हवा थी। उस सबके लिए व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में की जल 7195 से 09 हजार करोड़ हुआ। सामाजिक सुरक्षा जिस पर बैठकर, जिस रथ पर बैठकर पिछली सरकार आई थी कि हम लोग गरीबों को ये देंगे, वो देंगे वो 6694 करोड़ भी पूरे खर्चा नहीं हुए और अब इस सरकार ने 10597 करोड रूपये का बजट उसके लिए किया है। यमुना जो मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की और दिल्ली वासियों की माँ यमुना का नमन करते हुए पूरी विनम्रता के साथ इसको समुचित निभाने का संकल्प रखा

और उसके लिए बजट में भी व्यवस्था रखी 17 सौ 90 करोड़ रूपये की। इसी तरह ऊर्जा के लिए एमसीडी को जो पैसा नहीं मिलता था और जो पहाड़ दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं उसके लिए 10537 करोड़ रूपये दिये गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और अगले दो तीन साल में वो एमसीडी के ऑफिसर्स के कहने के अनुसार भी दिल्ली में ये साफ सफाई बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, मैनपावर की कमी थी और ये कूड़े के पहाड़ भी कम होंगे, प्रदूषण कम होगा। एक बहुत बड़ी बात इस मुख्यमंत्री जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता। जो होम गार्ड पिछले एक साल से Secretariat के बाहर दस हजार धरना दे रहे थे एक साल से ज्यादा उनको आपने 25 हजार किया ये मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। उनके 25 हजार परिवारों को, 25 हजार परिवारों का आपने रोजी रोटी का गुजारा किया, बसर किया है ये बहुत बड़ी आपने काम किया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तीस परसेंट टोटल रेवेन्यू में बचत है। मैं खासतौर से हैल्थ की बात करता हूं। एक अच्छे स्वास्थय के लिए एक प्राईमरी केयर है। उसके बाद एक Preventive health Care है उसके बाद Critical Care है beds है investigations है। उस सबके लिए आपने 12 हजार 893 करोड़ रूपये रखा ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का स्वास्थ्य अब बेहतर होगा। अगले एक साल में उम्मीद है 10 हजार बैड्स दिल्ली में बढ़ने वाले हैं जो आपका संकल्प है five bed per thousand population वो पूरा होने वाला है। preventive health वो हैल्थ है कि आपको primary care जो यहां मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर कुछ उल्टी सीधी दवाईया, दो घंटे डॉक्टर और एक emergency treatment कुछ नहीं मिलता था। जांच भी आउट सोर्स थे। वो आपने Preventive care में भी 06 हजार करोड़ से ज्यादा रखा है। इस के अलावा जब भी आप जानते हैं तो मातष्टत्व योजना है जो malnutrition बहुत

बड़ा कारण है देश में अनिमिया को उसको ठीक करने के लिए आपने मातृत्व योजना के तहत पैसे रखे हैं पांच सौ करोड़। पालना और आंगनवाडी ये बहुत बड़ा विषय है। जो बच्चे हैं उनको अच्छा खाना मिल सके ये भी एक स्वास्थ्य का पैरामीटर है, जो अच्छे स्वास्थ्य का पैरामीटर है वो भी आपने उस पर ध्यान दिया। साफ पानी जो आपने दस हजार से ज्यादा उसके लिए पैसे रखे हैं ये भी बहुत बड़ा विषय है कि दिल्ली में आगे आने वाले समय में हम को कम से कम पानी सड़क, सीवर इसके लिये परेशान नहीं होना होगा। अब आईये आप महिला समृद्धि योजना। पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं, 2500 कब देंगे, 2500 कब देंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि उसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है 2500 रूपये महिला समृद्धि योजना दी जायेगी। आयुष्मान योजना बहुत बड़ी योजना जिसके कारण दिल्ली में बुजुर्गो का 70 साल के ऊपर का इलाज फ्री नहीं हो पा रहा था। गरीब मरीजों का दस लाख का इलाज फ्री नहीं हो पा रहा था वो आपने शुरू करके उन बुजुर्गो को उन गरीब लोगों को एक स्वास्थ्य की हैल्थ की अच्छे स्वास्थ्य की गांरटी दी है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हम लोग डूसिब के टायलेट्स हम लोगों ने सब लोगों ने डूसिब के एरिया में अपने पिछले कई सालों से हम लोग वहां जाते हैं। वहां पर टॉयलेट ओवर फ्लो, वहां के दरवाजे टूटे हुए। वहां पर जो मैन पावर है वो तीन की जगह एक आती थी। ऐसा लगता था कि दिल्ली में कोई मैनेजमेंट ही नहीं था। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। डयूसिब की मैं बात करना चाहता हूं। झुग्गी-झोंपड़ी योजना के तहत जो वहां सीवर लाईनें पड़ेंगी, वहां पर सड़कें बनेंगी उसके लिए 696 करोड़ रूपया आपने जो रखा उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह से महिला सेंट्रिक जो आपने काम किये हैं। वूमैन हॉस्टल है, गरीबों के साथ इसमें अटल कैन्टीन है। इसके

अलावा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से आपने ग्रांट-इन-ऐड रखा है, जो उनकी एसोशिएसन्स थी, जब उनको ये पैसा मिलेगा तो आप सोचिये जिनके घर में खाने की मुश्किल होती है, उनको यह पैसा मिलने के बाद कितनी चेहरे पर खुशी आई है ये मैंने कल अपनी विधान सभा में देखा। जब कितने व्यापार बोर्ड वाले, वेल्फेयर बोर्ड आपने व्यापारियों का बनाया। जो आपने investment के लिए ease of doing business किया। इसके लिए हजारों लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी। जहां पीएम आवास योजना के तहत जो कई हजार घर दिल्ली में बने हुए थे, पीएम आवास के जो गरीबों को नहीं दिये गए अब आपके कार्यकाल में ये दिये जायेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा का जो बदहाली हम लोगों ने देखी। डेढ़ लाख बच्चे मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, डेढ़ लाख बच्चे फेल जो जाते थे नौवीं और ग्यारहवीं क्लास में। इसमें एक और भी मैं जोड़ना चाहता हूं। एक और घोटाला है मुख्यमंत्री जी। डायरेक्टर दिल्ली बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन के नाम पर दिल्ली के प्रतिभा विद्यालय को खत्म किया गया, systematically जो माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने 1997 में प्रतिभा विद्यालय किये थे वो गरीब बच्चों के लिए थे। गरीब बच्चे जो एमसीडी में fifth तक पढ़ते थे फिर आकर प्रतिभा विद्यालय में एडमिशन लेते थे। आपदा सरकार ने उनको systematically छः साल से खत्म करके एक direct दिल्ली बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन बनाया जिसके affiliation कोई Switerzerland की प्राईवेट कम्पनी से। इसकी जांच की आवश्यकता है कि इसका सिलेबस कौन बनाता है। इसका affiliation क्या है और इसमें देखिये कंपटीशन के नाम पर प्राईवेट जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको दिया जा रहा है। इस पर मैं जरूर चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। आपने जो जो पीएम श्री स्कूल स्किल

बिल्डिंग के लिए 20 करोड़ रूपये कम्प्यूटर लैब स्मार्ट क्लासेज, आज 2025 में अगर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज नहीं है, जो आपने सात हजार क्लासेज की बात की, कम्प्यूटर लैब की बात की जो 50 करोड़, लैंग्वेज लैब की बात की ये आपका futuristic vision है, मैं इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। एजूकेशन हब आपने बनाने की बात की। competitive exams भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था कि हम जो बच्चे competition में जाना चाहते हैं उनको मदद देंगे, 21 करोड़ आपने दिये। ये आप बधाई के पात्र हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए जो टैटर्स में है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है old fleet है उसके लिए आप पांच हजार इलैक्ट्रिक बस ये बहुत दूर तक दिल्ली के प्रदूषण को ठीक करने में, दिल्ली के ट्रैफिक congestion को ठीक करने में काम आयेंगी। मुख्यमंत्री जी 12 हजार 952 करोड़ आपने दिये। इंडस्ट्रीज का जब हम बात करते हैं। मेक इन इंडिया की बात करती है, ease of doing business की बात करती है। नये उद्योग नीति वेयरहाउस की बात करती हैं। सिंगल विंडो स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम ट्रेडर्स के वेल्फेयर के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और उनकी grievances redressal के लिए आप ट्रेड वेल्फेयर बोर्ड बनाया मैं उसके लिए भी मेरे अपने क्षेत्र में जितने उद्योगपति है, जितने वेयरहाउसिंग वाले हैं जितने बिजनेसमैन है उनकी तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं। पानी अभी बारह सौ एमजीडी करीब दिल्ली में जरूरत है लेकिन आता है एक हजार। क्या इससे आज से पहले किसी ने नहीं सोचा कि ये कमी पानी की कैसे पूरी की जाए। आपने सोचा मुख्यमंत्री जी। क्योंकि आपने कहा मुनक नहर को वाटर पाइप लाइन बनायेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। नए बोरवेल बनायेंगे और ये सब करके जरूर 1250 एमजीडी पानी दिल्ली को दे पायेंगे और हर घर को जो शुद्ध पानी देने का आपका वायदा है वो पूरा आप जरूर करेंगे। लेकिन

सीवेज की भी बात करें तो कोई ये क्यों नहीं सोच पाया कि 22 नाले दिल्ली के मेजर जो गिरते हैं यमुना में उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट कर सकें। आपने सोचा 40 decentralized sewage treatment plant आपने लगाने का इसमें संकल्प लिया है और पांच सौ करोड रूपये उसको कहा है। आप देखिये आठ सौ एमजीडी सीवेज दिल्ली में निकलता है। एक हजार 12 सौ पानी है, आठ सौ उसका 60 परसेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका 50-40 परसेंट वो ठीक है। इसका मतलब है 40-50 परसेंट सीवेज untreated यमुना में जा रहा है। इसके अलावा बहुत अनोथोराईज्ड कालोनी है, जहां पर सीवेज के बारे में जो डायरेक्ट septic tank के थ्रू जा रहा है यमुना में उसके बारे में भी विचार किया आपने। मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आपने झुग्गी-बस्तियों में भी कहा कि वहां उनकी डेवलपमेंट के लिए हम सीवेज, सीवर लाइन, वहां के पानी के लिए, वहां के कम्यूनिटी सेंटर्स के लिए, वहां के डूसिब टॉयलेंट्स के लिए एक बेहतर व्यवस्था करेंगे। तभी ये दिल्ली एक बेहतर होगी। हम सबने देखा गऊशाला का प्रोब्लम पूरी दिल्ली में। आपने एक बड़ी गऊशाला बनाने के लिए इसमें फंड एलोकेट किया। ये भी आप बधाई की पात्र हैं। मैं तो ये कहूंगा ये गऊशालाएं एक विधान सभा नहीं तो दो तीन विधानसभा में एक हो। तो हम जो सड़कों पर गऊएं देख रहे हैं उनको एक rehabilitateभी करें और दिल्ली की सड़कों को भी बेहतर कर सकें। ये मैं एक सुझाव इसमें रखना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी। अगर दिल्ली की हवा अच्छी होगी। दिल्ली में तीन महीने ग्रैब-4 लगता है, तीन महीने। इसका मतलब वहां सब काम सब बंद। construction बंद जितने वर्क्रस हैं वो चले जाते हैं गांव। वापिस आते नहीं...

(समय की घंटी)

डा0 अनिल गोयलः दो मिनट और अध्यक्ष जी। तो ग्रीन दिल्ली के पोल्यूशन कन्ट्रोल के लिए आपने तीन हजार 847 करोड़ के बिजली के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं जो ओवर हैड वायर है उसके लिए आपने जो 100 करोड़ रखे बहुत जरूरी थी। दिल्ली पार्क्स एडं गार्डन सोसाईटी- वो defunct कर दी गई खत्म कर दी गई। दिल्ली के पार्क को आरडब्ल्यूए एसोसिएशन लेने को तैयार है। वो पर्यावरण पोल्यूशन कन्ट्रोल में 70 लाख पौधे जो आप लगाने की बात कर रहे हैं वो भी आप बधाई की पात्र हैं। सबसे important काम इस बजट में हुआ Integrated Command Centre, overall सबकी अगर कोई grievance हो वहां सिंगल प्वाइंट है। सिंगल नोडल ऑफिसर है जिसको आप जाकर अपनी grievance कह सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की तो ये बहुत बड़ी बात है। एमसीडी को जो defect कर दिया गया उसको आपने 10 हजार 537 करोड़ रूपये दिये। आप स्मार्ट infra sugam आवाजाही जाम मुक्त दिल्ली के लिए आपका जो वचनबद्धता है उसके लिए दिल्लीवासी आपके आभारी है।

(समय की घंटी)

डा0 अनिल गोयलः मैं अपनी तरफ से अपनी विधानसभा की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर हवा के लिए, बेहतर पानी के लिए, बेहतर गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए और दिल्ली के futuristic vision के लिए दिल्ली के विकास के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, जो डयूरेशन है वो चार मिनट रहेगी। माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान।

श्रीमती नीलम पहलवानः आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से भारत को, विकसित भारत बनाने के लिए भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की राह पर कल दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने वाले थीम वाले मेगा बजट पेश करने के लिए माननीया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी व समस्त मंत्री मंडल का आभार व्यक्त कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूं और समस्त दिल्ली की जनता को बधाई देती हूं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर दिल्ली को विकसित दिल्ली की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली विधान सभा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रूपये का मेगा बजट पेश किया। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना करूं तो यह 31.5 फीसदी ज्यादा है। यमुना माता में सीवरेज का पानी सीधे ना गिरकर इसके लिए 40 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रूपये आंवटित किये गए हैं। मेरे से पूर्व सदस्य ने जो जरूरी बातें बताई उन पर मैं टाइम वेस्ट ना करके सदन का दिल्ली देहात के हितों के बजट में जो शामिल किया गया है उस पर मैं ध्यान केन्द्रित करूंगी। परिवहन विभाग को 12952 करोड़ का बजट जो सबसे बड़ा बजट है वो आवंटन किया गया है। जब बोर्ड को अलग-अलग सैक्टर को 09 हजार करोड़ रूपये दिये गए। जल भराव दिल्ली की अहम समस्या के 603 करोड़ का बजट। महिला समृद्धि योजना के लिए 51 सौ करोड़ का बजट जो एक महिला सम्मान निधि में उनके आत्म विश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। अन्त्योद्य की सोच के साथ जन कल्याण योजना के लिए दस हजार करोड रूपये दिये गए। बिजली के लिए 3843 करोड़ रूपये। मैट्रो के विस्तार के लिए 2929 करोड़। महिला एवं बाल विकास के लिए नौ हजार करोड़। पार्को के लिए डेवलपमेंट, जिसकी देहात को भी सख्त जरूरत है उसके लिए 20 करोड आवंटित किये गए हैं। सौ अटल कैन्टीन की स्थापना के लिए सौ करोड। ट्रैफिक

जाम और सड़क परिवहन के लिए एक हजार करोड़। एमसीडी को 06 हजार 897 करोड़ का शेयर दिया गया, जिससे एमसीडी अपने अच्छे कार्यो के हिसाब से दिल्ली विधान सभा के साथ मिलकर दिल्ली जो एक सपनों की दिल्ली है, हमारी मोदी जी की हमारी दिल्ली की जनता की उसको बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। पांच हजार नई इलैक्ट्रिक बसें दी गई। फायर स्टेशन को दुरूस्त करने के लिए 110 करोड़। शिक्षा के लिए आठ हजार करोड दिये गये। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जो बच्चे हर फील्ड में अपने टैलेंट को उजागर करके अपना एक इतिहास बनाने का काम करने का सपना रखते हैं। ये सपना हमारी सीएम साहिबा ने मिलकर पूरा किया है तो आने वाले सभी बच्चों की तरफ से मैं हमारी मुख्यमंत्री गुप्ता जी का तह दिल से बहुत-बहुत हार्दिक अभिनन्दन करती हूं। पीएमश्री योजना के तर्ज पर दिल्ली में श्री सीएम योजना स्कूल खोलने के लिए सौ करोड़। नए मैडिकल कॉलेज खोलने की योजना के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 5 करोड़ का ऐलान किया गया। दिल्ली में 6 हजार की जगह 9 हजार रुपये किसानों को मिलेंगे, जोकि किसानों के लिए ये बड़े खुशी और उनके सम्मान में उठाया गया सम्मानीय कदम है। आपके बजट ने दिल्ली में एक नयी ऊर्जा भरने का काम किया है। जो जनता हर तरीके से निराश होकर बैठ गयी थी दस सालों में जिनको ना बोलने के लिए कोई सामने था ना उनकी मन की बातें सुनने के लिए कोई सामने था सामने थी तो उनकी वेबसता, उनका बेचारापन, जो किसी के सामने बोल नहीं सके। हमारी सीएम साहिबा ने हर वर्ग के हर पहलू पर खुद रूबरू होकर दिल्ली की जनता को जो सम्मान देने के लिए काम किया है ये हमारी पार्टी की तरफ से जो 26 सालों का इतिहास है जब-जब दिल्ली विधानसभा का नाम आयेगा तब-तब इस 26 साल के बाद जब पहली बार हमारी सरकार विधानसभा में बनकर आयी तो ये

इतिहास हमारी माननीय हमारी सम्मानीय सीएम साहिबा के साथ आपका पूरे सदन का नाम बड़े गौरव से लिया जाएगा और जो इतिहास बनाने में हमारी सीएम साहिबा ने कदम उठाया है इस कदम के लिए हम कितनी भी प्रशंसा कर लें, जनता का जो दिल, जनता का जो आशीर्वाद, जनता की जो दुआएं हैं, ये हमेशा हमारी पार्टी के साथ रहेंगी। आप सब का बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः हरीश खुराना जी। माननीय सदस्य हरीश खुराना।

श्री हरीश खुरानाः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं जो सूची मेरे पास आई है।

श्री हरीश खुरानाः माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं कल पेश हुए दिल्ली के इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक लाख करोड़ का बजट पेश किया। सही मायने में आप और आपका पूरा मंत्री मंडल बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ना सिर्फ एक लाख करोड़ का बजट पेश किया, आपने जो 28,115 करोड़ रुपये कैपिटल एक्पेन्डीचर में रखें हैं, वो दिल्ली के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं आपको, इस सदन के माध्यम से। निश्चित तौर के ऊपर जो प्रधानमंत्री हमारे नरेन्द्र मोदी जी का जो दिल्ली को लेकर सपना है। एक समृद्ध दिल्ली हो, विकसित दिल्ली हो, स्वच्छ दिल्ली हो, स्वस्थ दिल्ली हो, उसको आपने अमली जामा पहनाने के लिए कल जो कुछ आपने बजट में रखा, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। हमने शुरु से कहा है कि जो हम कहते है वो करते है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा

कि 2500 रुपये देंगे। सामने वाले, अभी आये हुए हमें 30 दिन हुए नहीं सवाल पूछने लग गए, तो उनका जबाव कल आपने बजट से उनको दे दिया कि 5100 करोड़ रुपये आपने बजट में रखकर, मेरी महिला बहनों को जो सम्मान का काम किया है, ये सदन आपका ह्रदय से धन्यवाद करता है, बधाई देता है मित्रों। मोदी जी ने हमें कहा था दिल्ली वालों को कि और हमने भी प्रोमिस किया था कि जिस दिन, क्योंकि सामने वालों ने तो कहने के बावजूद आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करी, लेकिन हमने ना सिर्फ संकल्प लिया था कि हम जब हमारी सरकार आएगी उस पर हम करेंगे, ना सिर्फ आपने उसको लागू किया बल्कि 5 लाख से उसको 10 कर दिया ये भी निश्चित तौर पर आप बधाई की पात्र हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो भी तो उसके लिए 210 करोड़ रुपये रखना। हमारा एक बजट जो हमने रखा विकसित दिल्ली का उसमें सड़कों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपने 3,843 करोड़ रुपये रखे। बधाई की पात्र हैं आप। चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड में 1400 करोड़ रुपये सब बातें आ गयी हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार का संकल्प था कि हम गरीबों को अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, आपने 696 करोड़ रुपये रखकर डूसिब में जो स्लम और जेजेक्लस्टर का डेवलपमेंट का काम आपने करा, वो निश्चित तौर में आप बधाई की पात्र हैं और ना सिर्फ डूसिब के लिए आपने जो वूमैन के लिए जो सोचा वूमैन हमारी गरीब महिलाओं के लिए जो टॉयलेट और बाथरूम के लिए 230 करोड़ रुपये रखे, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सदन आपका धन्यवाद करना चाहेगा। अटल कैंटीन योजना हमारा संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण काम था 100 करोड़ रुपये उसके लिए रखे। बहुत अच्छा किया, बधाई की पात्र हैं। इंडस्ट्रियल पोलिसी और वेयर हाउसिंग लायेंगे। सबसे इम्पोर्टेन्ट बात जो मेरे सामने वाले मेरे मित्र जो कहते रह गए करा

नहीं। हम लोगों ने जो ट्रेड और वेलफेयर के लिए जो आपने बोर्ड रखा है, निश्चित तौर के ऊपर व्यापारी वर्ग आपके लिए, निश्चित तौर पर जो हमने कहा आपने उसको करके दिखाया, बधाई की पात्र हैं। यमुना साफ करना हो, उसके लिए वाटर एनर्जी सैक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये हों, 320 करोड़ रुपये हैल्थ सेक्टर के अंदर 400 वेलनेस जो हमने खोलने हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके लिए हों, हैल्थ सेक्टर के अंदर 10,295 करोड़ रुपये हों, ये सब चीजें जो आने रखीं, मैं उस पर नहीं डीटेल में जाना चाहता लेकिन मेरे मंत्री जी यहां बैठे हैं एस.सी. वेलफेयर के लिए जो 10,047 करोड़ रुपये अब तक के मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे हैं, ये दिखाता है कि हमारी सरकार जो है वो एस. सी. और एस.टी के लिए हमेशा संकल्प रही है कि हम उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी आप लोग, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। और जो महिलाओं के लिए, जो वृद्ध महिलाओं के लिए आपने 2500 से 3000 किया, हमारा सदन, इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बधाई के पात्र होना चाहिए, लेकिन अब मैं दूसरी चीजों पर आता हूं। कल से मेरे विपक्ष के लोग थोड़ा मुझे लगता है पॉलिटिकल कोमा में हैं, उनको सूझ नहीं रहा कि इस पर क्या बोलें, कल से दो रट लगा कर रखीं हैं। हवा हवाई बजट है, इक्नॉमिक सर्वे पेश नहीं हुआ। विपक्ष की नेता से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं रिसर्च कर रहा था 2015-16 में मुझे नजर नहीं आया, आपके पास हो तो मुझे इक्नॉमिक सर्वे मुझे भेज दीजिएगा। आपका मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग रिपोर्ट जो आपका अपना साइट है जो आप कुछ दिन पहले तक चलाती थीं, उस पर 2015-16 का जिक्र नहीं है। इसलिए मेरी जानकारी आप दुरुस्त कर दीजिएगा, तो इसलिए आपका कहना कि इक्नॉमिक सर्वे के बगैर नहीं आ सकता, तो 2015 में आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर सकते हो, हो सकता है मैं गलत हूं।

कल से हवा-हवाई बातें करने की बातें मेरी विपक्ष की नेता कर रही हैं।

(समय की घंटी)

श्री हरीश खुरानाः अध्यक्ष जी दो तीन मिनट लूंगा, इनकी ना एक पोल खोलना जरुरी भी है अध्यक्ष जी। ये हवा-हवाई बातें करते हैं। सुनिये-सुनिये, सुनिये-सुनिये, आप जो कहती हैं, उसकी पोल खोल रहा हूं, हवा-हवाई की बात क्या होती है। हवा-हवाई क्या होता है मैं बता रहा हूं। 2019 में आपने बजट पेश किया आतिशी सुनियेगा, 60 हजार करोड़ का बजट और एक्चुअल, अब आप बोलने दीजिए ना, अब आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये समय जो है ना आप सदन का व्यर्थ कर रहे हैं, ये सदस्यों के समय से ही कटेगा।

श्री हरीश खुरानाः अब आप हवा-हवाई की बातें कर रही हैं, मैं जरा पोल खोलनी शुरु करूं ना इनकी। तिलमिला क्यों रहे हो।

माननीय अध्यक्षः जो सदन को डिस्टर्ब करेगा उसी के उसी के बोलने के समय में से समय कटेगा।

श्री हरीश खुरानाः अभी तो तुम्हारी पोल खुलनी शुरु हुई है। 60 हजार करोड़ का बजट आप लेकर आयी थी 2019-20 में।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट रुक जाईये। हरीश जी एक मिनट बैठिये। मैं माननीय सदस्यगणों को बताना चाहता हूं जो डिस्टर्ब करेगा, उसके समय में से ही उतना समय कटता जाएगा। चलिये।

श्री हरीश खुरानाः 2019 के अंदर माननीय एलओपी जी आप ही शायद

फाइनेंस मिनिस्टर थीं या मनीष जी थे। 2019 के अंदर आप बजट लेकर आते हैं 60 हजार करोड़ लेकिन आप खर्च कितना करती हैं 51 हजार करोड़ रुपया, 14 परसेंट हवा-हवाई। 2020 के अंदर 65 हजार करोड़ का बजट लेकर आती हैं, खर्च करती हैं 52 हजार करोड़ रुपया, 19 परसेंट हवा-हवाई। 2021-22 के अंदर 69 हजार करोड़ का बजट लेकर आती हैं, खर्च करती हैं 61 हजार करोड़, हवा-हवाई 11 परसेंट। 2023 के अंदर 78,800 करोड़ का बजट लेकर आती हैं, खर्च करती हैं 650824 करोड़ रुपये, 16 परशेंट हवा-हवाई। ये होता है हवा-हवाई। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और बहुत बड़े-बड़े दावे करती थीं आप एजुकेशन सेक्टर की, जरा मैं उसकी भी पोल खोल दूं, जरा आपके लिए आतिशी जी, सुनना अच्छी तरह सुनना।

माननीय अध्यक्षः चेयर को एड्रेस करिये।

श्री हरीश खुरानाः अध्यक्ष जी मैं सुनाना चाहता हूं, एलओपी जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थीं, हवा-हवाई की बातें करती हैं। 15,577 करोड़ का बजट था एजुकेशन सेक्टर के अंदर 2019 के अंदर, खर्च कितना किया 11,973 करोड़ रुपया, 23 परसेंट हवा-हवाई। 2020 के अंदर 15,383 करोड़ रुपये बजट इस्टीमेट एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूं, खर्च कितना किया 10,783 करोड़ रुपया, 29.9 परसेंट हवा-हवाई नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं ज्यादा लम्बा भी नहीं जाऊँगा, 2023 के अंदर 16,904 करोड़ रुपये का बजट इस्टीमेट था, खर्च हुआ 14827 करोड़ रुपया, 12 परसेंट हवा-हवाई। अध्यक्ष जी ये सिर्फ एजुकेशन सेक्टर का हाल है पूरा ओवरऑल मैं बताऊं, 24-24 परसेंट अगर ये खर्च नहीं करती तो इसकी जिम्मेवारी ये बताएंगी कौन होगा। अब मैं एक महत्वपूर्ण आपका बहुत दिनों से हमारी अध्यक्ष जी, एलओपी और इनके तमाम आम आदमी पार्टी के।

(समय की घंटी)

श्री हरीश खुराना: नेता कहते हैं कि हमने

माननीय अध्यक्ष: कन्क्लूड करिये।

श्री हरीश खुराना: सरप्लस बजट दिया, अध्यक्ष जी एक मिनट और। ये आँकड़ा दिखाता है अध्यक्ष जी 1994 से लेकर के जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आयी और भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार दोबारा आयी है। कभी भी किसी भी वर्ष रेवेन्यू सरप्लस, कभी नेगेटिव नहीं गया। इसका सबूत आपके सामने है अध्यक्ष जी। मैं आज भी जो सवाल है उसका जवाब उसमें भी जवाब आया है। तो ये जो झूठ बोलते हैं कि पहली बार हुआ है, इतिहास के अंदर वो गलत है। हालत ये है रेवेन्यू सरप्लस जो 2.24 था जब मदन लाल खुराना जी यहां पर मुख्यमंत्री होते थे, मुकेश जी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उस वक्त 2.24 परसेंट ऑफ द जीएसडीपी होता था। इनके काल की वजह से, आज वो रह गया 0.58 परसेंट अध्यक्ष जी। ये हाल है ये हैं हवा-हवाई लोग। इसलिए बधाई देता हूँ मैं रेखा गुप्ता जी को।

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब मैं संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि अभी सभी साथी कह रहे थे कि 27 साल बाद सरकार बनी और ये पहला बजट था। हम भी इंतजार कर रहे थे, कि 27 साल के बाद, केंद्र में चूंकि इनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार बनी है तो पहला बजट कैसा होगा। पहले ही दिखा कि बजट से पहले इकॉनोमिक सर्वे आता है, इकॉनोमिक सर्वे नहीं आया और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने

सदन में जो कहा, मुझे लगता है वो बयान गैर जिम्मेदाराना था। उससे भी बड़ी बात कि इस सदन में ऑन रिकॉर्ड लवली जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 4 बार ऐसा हुआ, मैं रिकॉर्ड 93 से खंगालने लगा मुझे एक भी साल ऐसा नहीं लगा, दिखा, जहां बजट से पहले इकॉनोमिक सर्वे नहीं हुआ, तो, मिसलीड किया हाउस को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको अपनी बात कहने दीजिए, आप अपने वक्त पर कहिएगा ना। एक मिनट।

श्री संजीव झाः हाउस को मिसलीड किया, अब।

माननीय अध्यक्षः मैं इनके बोलने के बाद आपको मौका दूंगा।

श्री संजीव झाः मैंने जब पूरा बजट देखा तो बजट में अपने वादों से ज्यादा गाली-गलौच था। मुझे कहते हैं ना कि,

''वो समन्दर खगांलने में लगे हैं,

वो हमारी कमियां निकालने में लगे हैं,

जिनकी कृतार्थ से शैतान भी शर्मिंदा है,

वो हमारी इज्जत उछालने में लगे हैं।"

मैं ये कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर आप 2013 में हमारी 49 दिन की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि

अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली के बिल आधे करेंगे और पानी के बिल मुफ्त करेंगे। तब लवली जी की सरकार थी उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं ये कैसे कर सकते हैं, नए लोग हैं ये सम्भव ही नहीं है। 48 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बिजली बिल आधे किए और पानी के बिल भी मुफ्त किये। वादे तो आधे का था, लेकिन बिजली बाद में हमने मुफ्त करके दिखाया। अगर आप आँकड़े देखें तो मैं जब आँकड़ों को इकट्ठा कर रहा था, तो जब ये कांग्रेस की सरकार के आँकड़े हमने देखे। हमने अपने आँकड़े देखे कि अगर 2014 तक अगर आप स्कूल के कमरों की संख्या देखें, आजादी के बाद से तो टोटल कमरों की संख्या थी 24,728, 2015 से 2024 तक जो कमरों की संख्या स्कूल की बनी वो 22 हजार और बहुत सारे एक्सपेरीमेंट दिल्ली की सरकार के स्कूल में हुए, चाहे वो Entrepreneurship Programmes, Happiness curriculum हों चूंकि मनीष जी कहा करते थे कि स्कूल का जो खर्चा है वो एक्सपेनडीचर नहीं, वो इन्वेस्टमैंट है, जोकि इन्वेस्टमैंट का रिटर्न होता है और उसके अपने परिणाम दिखे, दिल्ली के सरकारी स्कूल एकमात्र देश का ऐसा सरकारी स्कूल था कि 2015 से अगर 2024 तक के आँकड़े देख लें तो 7 हजार बच्चे मेडिकल का एग्जाम और लगभग 9 हजार बच्चे आईआईटी जेई का एग्जाम पास करके दिखाया। तो वो जो इन्वेस्टमैंट था उसका अपना रिटर्न मिला। हम ये देख रहे थे कि वास्तव में अभी हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है अभी तक 2014 तक कि अगर बात करें तो टोटल अस्पताल में जो बैड की संख्या थी वो 10,700 थी। हमारी सरकार आयी हमने 2024 तक टोटल बैड की संख्या 14,759 किया और फिर 2026 तक का हमारा प्लान था कि 30 हजार बैड होगा, जिनकी जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, कि 16,186 बैड बढ़ाये जायेंगे जिसमें 11 नए अस्पताल

और जो 14 एडजेस्टिंग अस्पताल थे उसमें बैड की संख्या बढ़ती गयी। तो 30 हजार बैड की संख्या पर हमने दिल्ली के अस्पतालों में लाकर हमने खड़ा किया। हम ये कहते हैं कि देखिये गाली देना बहुत आसान है और हमेशा आप जब हमारी तुलना हमसे करेंगे तो शायद कमियां दिखेंगी, लेकिन हमारी तुलना अगर आपसे, अपने आप से करेंगे, खुद से करेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप हमने जितने भी स्कीम्स चाहे आप देखिये मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की स्कीम चलाया। दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर अगर कोई चाहे पुलिस का अधिकारी हो या आर्मी हो, अपनी शहादत देगा तो 1 करोड़ का सम्मान राशि सरकार देगी, इसकी शुरुआत दिल्ली की सरकार ने की थी। कुछ-कुछ प्रदेशों की सरकार उसको फॉलो कर रही हैं।

(समय की घंटी)

श्री संजीव झा: तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदया कि मैंने आपके बजट को देखा आपने पहला बजट पेश किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आपके लोग या आपके अधिकारी आपको फंसा रहा है, चूंकि आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा दिया है, वो फिक्सीशियस दिखता है, आपने स्मॉल सेविंग्सेज 15,000 करोड़ रेवेन्यू दिखा रहे हैं, स्मॉल सेविंग्स हैं ही 10,000 करोड़ तो कहां से 15,000 करोड़ आप ले आयेंगे। ऐसे जितने भी आँकड़े हैं अभी आप कर रहे हैं ना 76 हजार, 78 हजार का बजट था आपका 76 हजार पर आपने उसको एक्सपेन्डीचर था आपका, मैं दावे से कहता हूं कि जो एक लाख करोड़ का बजट है जब साल के अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे तो कितने परशेंट का रेवेन्यू. होगा, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आपका ये बजट फिक्सीशियस बजट है और आपने जरूर 5100 करोड़ का प्रोविजन रखा है

महिलाओं के लिए, महिला सम्मान के लिए, लेकिन जब बजट के समापन भाषण में आप जरूर ये बताइयेगा कि 5100 करोड़ जो आपने दिया 2500 रुपये वास्तव में मिलेंगे कैसे?

(समय की घंटी)

श्री संजीव झाः जोकि आपके बजट के आँकड़ो से मैं दावे से कह सकता हूँ, कि महिलाओं को इस साल कोई पैसा नहीं मिलने वाला, चूंकि हवा-हवाई बजट है। जहां कहीं दूर-दूर तक कोई तथ्य दिखता नहीं है। बेसलेस आँकड़े दिये गये हैं और बेसलेस तैयारियां की गयी हैं। तो अगर आप वास्तव में आपके देने के इरादे हैं तो समय जरूर बताइयेगा। सिलेंडर का आपका वादा था कि होली और दीवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, आपके बजट में कहीं नहीं दिखा। तो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं।

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड करिये।

श्री संजीव झाः आपका पहला बजट ही हवा-हवाई बजट है। दिल्ली की जनता के सपने तार-तार हो जायेंगे।

मुझे ऐसा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य लवली जी।

श्री अरविंदर सिंह लवलीः जी हमारे साथी, सम्मानित साथी अभी जो है मेरा नाम ले के कोट कर रहे थे इसलिये मैं जो है उसकी जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं कि उस दिन भी मैंने हाउस में खड़े होकर क्या कहा था। मैंने हाउस में खड़े होकर कहा था कि ये विधान सभा 1993 से बनी है। उससे पहले भी

जो है इस विधान सभा में चाहे वो मेट्रोपोलिटिन काउंसिल के टाइम में हो, चाहे जब ये विधान सभा मेट्रोपोलिटिकल काउंसिल भंग थी और उसके बाद तीन चार साल दिल्ली में कोई बॉडी नहीं थी और दिल्ली का बजट जो है पार्लियामेंट पास करती थी उस समय का टाइम है। मैंने उस समय भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि ये सदन को या तो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या हमारे ये साथी अभी लेजिस्लेशन को अच्छे से जानते नहीं हैं इकनॉमिक सर्वे होता क्या है। Economic survey is the document of a ministry for the development of economics over past years. Economic survey has nothing to, please listen to me, please I am not yielding, Economic survey is not a document जो आपका फ्यूचर जो है वो डिसाईड करेगा, आपको पता है कि देश का पहला इकनॉमिक सर्वे कब आया था। 1964 में, आप कहना चाहती हैं कि 1964 से पहले

...(व्यवधान)

श्री अरविंदर सिंह लवली: आप अपनी बारी में बोल लीजियेगा न 1964 से पहले आप कहना चाहती हैं कि देश में बजट नहीं आता था, 1964 में जब पहली बार फाइव इयर प्लान बना तो उस समय के जो चीफ इकनॉमिक एडवाइजर थे शायद उनका नाम शानुमन शेट्टी था वो फर्स्ट आदमी थे जो इकनॉममिक सर्वे ले के आये। इकनॉमिक सर्वे निश्चित रूप से डायरेक्शन होती है और आप कह रहे हो कि इकनॉमिक सर्वे क्यों नहीं लाये, इकनॉमिक सर्वे को आपने माना कब है आपकी सरकारों ने, कोविड के समय में दिल्ली में हैल्थ सर्विसिज इतनी खराब थी आपने इकनॉमिक सर्वे की बात मान के हैल्थ सर्विसिज के लिये कुछ किया क्या अगले बजट में। दिल्ली की सड़कें खराब हैं आपके लीडर ने आपको चिट्ठी लिखी आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने दिल्ली की सड़कें खराब हैं आपने इकनॉमिक

सर्वे की बात मानी? इकनॉमिक सर्वे और एक्चुअल बजट का सरकार की नीयत के उपर डिपेंड करता है इकनॉमिक सर्वे के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि सरकार किस नीयत से काम कर रही है। आपके समय के इकनॉमिक सर्वे क्या कह रहे थे कि यमुना साफ मत करो, आपके समय ये इकनॉमिक सर्वे कह रहे थे कि आप दिल्ली में बसिज मत खरीदो, मेट्रो का पैसा रोक के रखो, Economic survey is an important document but Economic survey is not a mandatory document इकनॉमिक सर्वे जो है एक प्रिसिडेंट है और कंस्टीट्यूशन में दिखाईये कहां इकनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है constitution only mention वो भी आर्टिकल 112 के अंदर वो मेंशन करता है और वो भी बजट वर्ड नहीं, बजट वर्ड आप और हम यूज कर लेते हैं अपनी कनविनिएंस के लिये कि बजट वर्ड हम यूज कर लेते हैं। 112 भी ये कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जो है वो सरकार के लिए मैनडेटरी है। कंस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इकनॉमिक सर्वे जो है अगर कंस्टीट्यूशन में रखा हो तो मैं नैतिक जिम्मेदारी लूंगा नहीं तो आप जिम्मेवारी लीजियेगा कंस्टीट्यूशन में कहीं इकनॉमिक सर्वे is not a mandatory document, it is the precedent and it is the although I agree, it is the healthy precedent and it should be followed but in this case this is not a normal circumstance, these are circumstances after ten years जब इस दिल्ली को लूटा गया है। इकनॉमिक सर्वे के नाम से दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं है, दिल्ली की सड़कें खराब, दिल्ली का सीवर खराब, दिल्ली के अस्पताल खराब, दिल्ली की सड़कें खराब, तो आप इकनॉमिक सर्वे की बात कर रही हैं और किस इकनॉमिक सर्वे को फालो करने की बात कर रही है

(समय की घंटी)

श्री अरविंदर सिंह लवली: इसलिये मैं ये।

माननीय अध्यक्ष: अब क्लैरिफिकेशन हो गया।

श्री अरविंदर सिंह लवली: मैं खत्म कर रहा हूं, कंन्कल्यूजन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: बजट पर आने दीजिये।

श्री अरविंदर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, इकनॉमिक सर्वे का बेसिक परपज है कि उसकी आउटकम क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार को इनके दस सालों की आउटकम के ऊपर कागज लेके आने चाहियें, खाली इनकमिंग था इनके यहां आउटकम कुछ नहीं था उस सरकार का। आज अगर इकनॉमिक सर्वे आये तो उसके साथ वो पूरे दस सालों की इनकी कारगुजारी को भी आउटकम के साथ ले के आना चाहिये कि उस इकनॉमिक सर्वे के आउटकम क्या हैं, यही मैं उस दिन कहना चाह रहा था।

माननीय अध्यक्ष: अजय महावर जी चर्चा को जारी रखिये, बजट की चर्चा को जारी रखिये। एक मिनट बैठ जाईये अभी बाद में, बजट पे चर्चा होने दीजिये। अजय महावर जी।

श्री अजय महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले। बैठ जाईये आतिशी जी।

...(व्यवधान)

श्री अजय महावरः सबसे पहले

...(व्यवधान)

श्री अजय महावरः विकसित दिल्ली।

माननीय अध्यक्षः अजय महावर जी शुरू करें।

श्री अजय महावरः सबसे पहले विकसित दिल्ली।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इनके सदस्य ने कोई प्रश्न खड़ा किया था इसलिये उन्होंने बोला है मेरा नाम लिया है उनको क्लैरिफिकेशन, अभी बजट पर चर्चा चल रही है मैंने कहा ये सारा आपके समय में से कटेगा। क्योंकि आप बात ही नहीं करने दे रहे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले विकसित दिल्ली के लिये एक लाख करोड़ के जो पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा बजट है, शानदार बजट और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शानदार प्रजेंटेशन के लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाने के लिये और विकसित दिल्ली जो विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलने के लिये अपने लक्ष्य को लेकर इस बजट में चल रहा है। ये इतिहास याद करेगा यह बजट नींव का ही नहीं, मील का

पत्थर साबित होने वाला है। अब ये कोई बात नहीं भैया बचा लिया करो न ठीक से। देखिये ये हमारा विकसित दिल्ली का थीम बजट है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार अनेक थीम बजट लेकर आयी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार क्या लेकर आयी थी ग्रीन बजट। ग्रीन बजट ने दिल्ली को क्या दिया दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा। ये था आपका थीम बजट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गैस चैंबर में रहने के लिये मजबूर हो गये हैं इससे बढ़िया तो हमें मार दो। ये था आपका थीम बजट? आपने अगला थीम बजट लिया स्वराज बजट। स्वराज बजट के नाम पर क्या दिया दिल्ली को, भ्रष्टाचार, घोटाले। स्वराज का मतलब तो था कि जनता स्वराज करेगी। इन्होंने स्वराज का मतलब स्व राज यानि अपना राज समझ के बाबू जी का राज समझ के शीश महल बना लो, घोटाले कर लो, अपनी महिला सांसद को पीट दो, जो मर्जी करो। अंशु प्रकाश जी हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उनको घर बुला के पीट दिया। ये इनके स्वराज की व्याख्या थी। शर्म आनी चाहिये इस सरकार को जो पिछली थी। फिर लाये रोजगार बजट। रोजगार बजट थीम क्या था इनका। देखिये क्या हालत की डीटीसी कर्मचारियों की, हर विभाग में सीट खाली है, कल भी चर्चा आ रही थी हॉस्पिटल्स में एमएस नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं, वाईस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं हैं। दस साल में 400 लोगों को रोजगार नहीं दिया आपने। ये था आपका रोजगार बजट की असलियत। फिर लाये आप राम राज बजट, हम रामराज लायेंगे दिल्ली में। रामराज के नाम पर गली-गली दारू के ठेके खोल दिये ये था आपका रामराज बजट। आबकारी विभाग के उस समय आप गली-गली दारू के ठेके खोल रहे थे। एक पर एक फ्री बांट रहे थे। राम राज के नाम पर आप राम का बदनाम करने का काम कर रहे थे। शर्म नहीं आई तब। मैं आपके पेट का दर्द समझ रहा हूं, मैं आपके पेट का दर्द समझ रहा हूं क्योंकि राम के अस्तित्व

को तो आप मान ही नहीं रहे थे। आप तो मंदिर को भी नकार रहे थे। आपका दर्द जायज है। फिर लाये आप देशभक्ति बजट।

...(व्यवधान)

श्री अजय महावरः अरे सुनिये साहब माद्दा रखिये सुनने का, हौंसला रखिये, हौंसला रखिये जरा। आप लाये देशभक्ति बजट बड़ी चीख-चीख कर देश भक्ति बजट लेकर के आये। देश भक्ति बजट के नाम पर क्या किया घुसपैठियों को अंदर लाने का, रोहिंग्या को बसाने का और घुसपैठी बांग्लादेशियों को लाने का, सर्जिकल स्ट्राईक का सेना से सबूत मांगने का ऐसा पाप आपने किया है इस देश के सामने, ये आपका देश भक्ति है। ये आप सेना से सबूत मांगोगे। और अब तो पन्नु ने भी कह दिया कि किस-किस के रिश्ते खालिस्तानियों से हैं, आपके एक पूर्व साथी ने भी कह दिया, ये आपका देश भक्ति बजट था। तो आप जिस-जिस थीम के बजट लेकर आये उसको तार-तार, जार-जार कर दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने विकसित भारत के बजट की जो फाउंडेशन रखी है वो इतनी शानदार रखी है कि इसके हर कदम पर विकसित भारत भी आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे अभी मुझे एक साथी कह रहे थे लंच के टाइम पर अरे एक लाख करोड़ का बजट दे दिया है कहां से लायेंगे, क्या करेंगे। आपने तो कहना चाहिये मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आपको अरे मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है और हौंसला हो तो फासला क्या है। इसको पूरा करने का काम आपने इस बजट से किया है। अरे दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जा रहा है उससे रिसोर्सिस बढ़ते हैं, इकनॉमिक एक्टीविटीज और फ्लो बढ़ जाती है, इनकम जनरेट होती है और रिपेमेंट का रास्ता भी जनरेट होता

है। आपने खुद तो कुछ किया नहीं, आपकी हवा हवाई को भी हरीश जी ने अभी बताया। और इंफ्रास्ट्रक्चर बांड की बात भी इसमें मुख्यमंत्री जी ने की है। आप देखिये नितिन गडगरी जी ने क्या शानदार हाईवेज बना दिये पूरी दुनिया में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर दिया। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बांड्स का सहारा लिया। पर आपने तो विज्ञापन के अलावा कुछ करना ही नहीं था। आप तो 19-20 हजार की दवाई बांट कर के खेतों में छिड़क कर के और 12 करोड़ का विज्ञापन देने वाले लोग हैं और इसमें जो दिल्ली कराह रही थी

(समय की घंटी बजी)

श्री अजय महावरः जो दिल्ली कराह रही थी देखिये कितनी विडम्बना है लवली जी ने पहली बार कहा था इस बात को, आदरणीय लवली जी ने जो दिल्ली कराह रही थी, देखिये दिल्ली को डेवलपमेंट चाहिये था, बिजनेस हब चाहिये था, स्पोर्ट्स सेंटर चाहिये थे people of Delhi is crying basic needs of life ये क्या मजाक बना दिया आपने दिल्ली को। और उस दिल्ली के लिये अगर सीवर, पानी, हवा, यमुना, टूटी सड़कें, ये दिल्ली दी आपने 10 साल में दिल्ली वालों को। रूला दिया। डेवलपमेंट के तो सपने ही भूल गये वो दिल्ली। और उस दिल्ली को वापस दिल्ली बनाने का काम ये बजट करेगा जो कल मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने रखा है सदन में। आप देखिये कल्याणकारी योजना। आप अभी कह रहे थे सिलेंडर की बात। आपने ये तो नहीं बताया कि फर्क तो है हम में और आप में, फर्क है देखिये महिला सम्मान योजना, मातृत्व वंदन योजना, अटल कैंटीन योजना, वरिष्ठ नागरिकों को ग्रांट देना, पालना घर बनाना, किसी महिला के दर्द को समझा। या तो प्रधानमंत्री जी ने समझा था जब उन्होंने टॉयलेट बनाने का फैसला लिया था तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया था

लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा 9 करोड़ अब पहुंच गये हैं लगभग। जब टॉयलेट बनाये तब उन गरीब बहनों से पूछो जो गांव में शाम का इंतजार करती थी और उसका ध्यान उन बच्चों का ध्यान छोटे-छोटे पालना घर बनाने का काम वो कैसे माई काम करने जायेगी कैसे नौकरी पर जायेगी, उसके बच्चे कैसे पलेंगे अगर इसका ध्यान रखा है तो महिला होने के नाते रेखा गुप्ता जी ने इस बजट में रखा है।

(समय की घंटी)

श्री अजय महावरः ट्रैडर्स का ध्यान रखा, वेयरहाउस पॉलिसी लाये, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात हुई, यूथ के लिये सीट फंडिंग की बात हुई, झुग्गी ग्रामीण किसान रूरल फंड और इन सारी चीजों में समाहित किया गया। और फर्क तो है, फर्क तो मैं मानता हूं जरूर है। आपने 24-25 में क्या किया था एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर पर दिया आपने 15,924 करोड़, बजट में हमने दिया 19,039 करोड़, हैल्थ फैमिली वेलफेयर में आपने दिये 8,500 हमारे बजट में 12,894 करोड़, ट्रांसपोर्ट में आपने दिये 6,535 करोड़ हमारे बजट में 10,677 करोड़, सोशल वेलफेयर में आपने क्या दिया आपने 4,438 करोड़ हमारे बजट में विकसित दिल्ली के बजट में 10,232 करोड़ दिया गया है। वाटर सप्लाई सेनिटेशन में आपने मात्र 1,500 करोड़ के आसपास दिये हमने लगभग 4,917 करोड़ रूपया इस बजट में दिया गया है और एनर्जी में आपने 3,600 और हमने 3,800 करोड़ देने का काम किया है। रोड और ब्रिजेज में 1663 करोड़ आपने 24-25 में दिये अब 3,843 करोड़ हैं। अरबन डेवलपमेंट में आपने 2,316 करोड़ दिये जो अब 3,213 करोड़ है और रूरल डेवलपमेंट जिसके लिये आप बार-बार बातें करते थे बड़ी शर्मनाक बात है आपने 192 करोड़ रूपये दिया हमारी मुख्यमंत्री जी ने

1,024 करोड़ का प्रोविजन रूरल डेवलपमेंट में दिया।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिये। बस फिनिश।

श्री अजय महावरः तो ये एक पूरा बजट है, अच्छा बजट है और,

''उम्मीदों के दीये बुझाया नहीं करते,
दूर हो मंजिल तो पांव डगमगाया नहीं करते
और हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का
वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते।"

माननीय अध्यक्षः चलिये धन्यवाद अब अगले वक्ता।

श्री अजय महावरः एक आधी मिनट और चाहिये। ये जो बार-बार चिल्ला रहे हैं न केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि आप ही लोगों ने तबाह किया है। झूठी-झूठी बातों पर मेरे लोग, वो कह रहे थे केजरीवाल जी झूठी-झूठी बातों पर वाह किया करते थे जो वाह किया करते थे उन्होंने मुझे तबाह किया है। संस्कारों से कोई बड़ी विरासत नहीं है आप लोगों ने संस्कार... हमेशा सुख सुविधाओं को त्याग कर होती है आपके शीश महल बनाने पर नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः चलिये। प्रेम चौहान, प्रेम चौहान जी नहीं हैं, अनिल झा जी।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ये जो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है ये इस पर विशेष आपका दृष्टि रहनी चाहिये क्योंकि मुझे संशय है कई सदस्यों की दृष्टि में दोष है इसलिये वो विकल्पों की तलाश की तरफ आगे नही बढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः दोनों तरफ का ध्यान रखना।

श्री अनिल झाः हां मैं दोनों तरफ का ध्यान रखूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे सौभाग्य है मैंने छात्र संघ में काम किया है तो मुझे लगता था मुख्यमंत्री जी अब 27 वर्ष के बाद ये पूरी सरकार आई है लेकिन 27 वर्ष के बाद जो सरकार आई है लेकिन उसमें क्या है अब समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कई चीजें बदल जाती हैं। तो इस सरकार के अंदर भी बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जो आज से 10-15 साल पहले दूसरी सरकार के एडवाइजर थे, हैं तो अब वो अपना लीपापोती करके इस सरकार के एडवाइजर हो गये हैं तो कई बार मैं इस बजट को देखता हूं तो लगता है एक मिनट, एक मिनट मैं एक्चुअली मेरे इसमें कई सारे सीनियर लोग हैं जिनके सामने मैं बड़ा हुआ हूं तो वो मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन मैं बिल्कुल हौंसले से रखूंगा अपनी बात को। मैं अध्यक्ष जी इसमें देख रहा हूं पूरे बजट में हम देख रहे हैं आकार में।

माननीय अध्यक्षः आपका कहना है पीहर और ससुराल दोनों यहां हैं आपके।

श्री अनिल झाः हां। अब अध्यक्ष जी इसमें मैं ये देख रहा हूं इस बजट के अंदर आकार में उत्सव मनाने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष जी ये देखिये व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है।

माननीय अध्यक्षः नहीं पार्टी तो व्यक्तिगत नहीं होती न।

श्री अनिल झाः कोई नहीं ये मेरे चाचा हैं ये उस पार्टी में हैं।

माननीय अध्यक्षः हैं, बता दो उसमें क्या है। बीजेपी में।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, इस बजट को देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगता था केंद्र सरकार का जो अपना वित्तीय बजट है दिल्ली सरकार को लेकर के उस बजट के केंद्रीय बजट कुछ बढ़ा करके देगा। यानि कि हम देखते थे 2023 तक में केंद्र सरकार में दिल्ली सरकार को मात्र 325 या 330 करोड़ रूपया दिया था जबकि वो प्राप्त करते थे हजारों करोड़ रूपया। मुझे लगता था रेखा जी की सरकार बनी है तो केंद्र सरकार इस पर ज्यादा मेहरबानी करेगी, ज्यादा मेहरबानी हुई नहीं। जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है तो हमको कई सदस्य डांट रहे हैं कि आप लोग काहे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि 1964 में पहली बार आया था। तो 1964 में पहली बार आया तो पहली बार तो हम आजाद हुए थे उसके बाद तो पहली बार तो पहले आयेगा। नहीं आया था तो इसलिये तो कह रहे हैं अब आना चाहिये। क्योंकि समय, काल, परिस्थिति बदल गया है, 20 साल पहले आप मोबाइल, लैपटाप यूज नहीं करते थे। अब मोबाइल, लैपटाप यूज करते हैं तो काहे यूज करते हैं मत करिये, वैसे ही बनाइये। तो समय, काल, परिस्थिति जब बदलती है तो बजट का दृष्टिकोण भी बदलता है। इसलिये जब 5100 करोड़ रूपये महिला का किया गया रेखा जी के द्वारा बजट में तो हम चाहते थे उसका क्रम काल उसका क्रमवार ब्यौरावार विवरण होना चाहिये था कि महिलाओं के कल्याण के लिये कैसे होगा। किसानों के ऊपर जब बजट की चर्चा की गयी तो मैं ये समझता था कि सीमांत किसानों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिये कि कौन वहां पर जमींदार किसान है, कौन खेतीबाड़ी कर रहा है और जो दलित किसान है ओबीसी जो किसान है उन किसानों के लिए किस प्रकार के वेलफेयर की चर्चा की जायेगी, उनके हैल्थ की चर्चा की जायेगी, उनके कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे खड़ा किया जायेगा, एक बार भी किसानों के बजट के मामले में कोऑपरेटिव मूवमेंट की कोई चर्चा नहीं हुई जबकि कोऑपरेटिव

मूवमेंट के बिना इस देश का किसान तरक्की नहीं कर सकता है, उसका अनाज मंडियों तक बेहतर तरीके से नहीं मिल सकता है, उसको बेहतर अनाज का मूल्य नहीं मिल सकता है, उसकी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

महोदय, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे देश के लोग अलग-अलग राज्यों से यहां आये हैं, हम लोग भी बिहार से यहां पढ़ने के लिए आये थे। हम लोग भी यहां पर आये थे, हम यहां के होकर रहें। लेकिन मैं देखता हूं स्वास्थ्य वाले मामले में जब ये कह रहे हैं... तो मैं ये कह रहा था हैल्थ के बजट में 1885 करोड़ रुपया कम हुआ। एक तरफ बार-बार अरविंद केजरीवाल जी के विषय में ये कहते हैं कि उस सरकार ने जो है हैल्थ पर अच्छा काम नहीं किया, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है, तो महोदय, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, उनको भरना है, उनको फिल-अप करना है, आईसीयू के बेड्स बढ़ाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर अस्पतालों का, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया जाएगा तो हैल्थ सेक्टर कैसे डेवलप करेगा, नए अस्पताल कैसे बनेंगे। जो डीडीए ने अलॉटेड की है जमीन उसके बारे में चर्चा कैसे होगी।

अध्यक्ष जी, एक विषय पर बार-बार चर्चा हो रही है कि यमुना बहुत गंदी हो गई है, बहुत मैली है, मैली कर दी गई है यहां सबसे गंदा पानी था। हरियाणा में जहां से यमुना बह रही है वहां तो बिसलेरी का पानी था यमुना में, जहां पर सरकार थी 15 साल से मनोहर लाल खट्टर जी की, वहां बिसलेरी का पानी बहता था, दिल्ली आते ही वो कन्वर्ट हो जाता गंदा पानी में और यू.पी. में जाते ही फिर उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता, खाली दिल्ली में गंदा रहता था। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार जिनकी थी मैं नाम नहीं लूंगा, हरियाणा में सरकार किसकी थी, वो आप जानते हैं, वो जानते हैं वहां पर भी ये चर्चा होगी सदन के अंदर

कि यमुना जहां से बहती थी वहां का ऑक्सीजन लेवल कैसा था। कोई बताए हरियाणा के यमुना के अंदर एक मछली जीवित बचती हो, एक कछुआ रहता हो, एक मगरमच्छ था उसके अंदर, एक चिड़िया आती थी वहां पर, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। खाली दिल्ली के चिल्ला से किल्ला तक का यमुना गंदा, पानी गंदा है, बाकी पूरी जगह यमुना का पानी बहुत स्वच्छ था, बिसलेरी की बोतल थी, उसके पैसे पर कोई चर्चा नहीं हुई। और एक महीने से हम जाकर देख रहे है, वहां का अभी, मैं गया था तो हमने तो कोई परिवर्तन नहीं देखा। लेकिन चलो अभी पहला बजट आया है, अगली बार जब बजट आयेगा तो हम उस पर और चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष जी, शिक्षा के बजट में भी कमी लाई गई है। कमरों की जो चर्चा हुई, नए स्कूल, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं देखता था कि बच्चों के अंदर कांफिडेंस आया था पिछले 10 वर्षों के अंदर, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा नहीं कि मैं यहा आ गया हूं तो एकदम में मेरा ह्रदय परिवर्तन हो गया लेकिन मैं देखता हूं भोजन, भोजन के मामले में, कपड़ों के मामलों में, बच्चों के जूते के मामले में, उनकी पीडीसी कैम्प लगते थे, पर्सनलिटी डेवपमेंट कैम्प, जो कभी हम सुना करते थे वो यहां पर हुए। बच्चे आईआईटी पर जाने की हिम्मत रखने लगे। यूपीएससी के एग्जाम कैसे दें, साइंस की एगजीविशन कैसे लगाएं, कैसे उनकी यात्राएं कराएं, मेरा ये मानना होता था और इस सरकार का ये मानना होता था, हजार किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है बच्चों को हजार किलोमीटर या 500 किलोमीटर या सौ किलोमीटर दुनिया को देख लेना। इस सरकार ने वो किया बच्चों को दुनिया को दिखाने का मौका दिया। गरीब बच्चे भी देखते थे कि कैसे हम लोग अच्छे और बेहतर कॉलेजिस के अंदर जाएं, वहां पर शिक्षा लें। आप आंकड़ा देखियेगा 20 साल पहले का कि जो बच्चे पहली क्लास में पढ़ने जाता था...

(समय की घंटी)

श्री अनिल झाः वो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता था ऐसा आंकड़ा 63 प्रतिशत था, उस आंकड़े को समाप्त किया शिक्षा के मामले में। और अध्यक्ष जी साफ सफाई का जहां तक मामला है, 15 गड्ढे भरेंगे, गड्ढे भरेंगे, गड्ढे भरेंगे, इस सरकार के अंदर 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं जो मेयर के दावेदार थे, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 15 बरस तो एमसीडी इनके पास थी काहे गड्ढा नहीं भरे। 15 बरस तो, अध्यक्ष जी, आप भी रहें, आप भी एमसीडी के बड़े नेता रहें,

...(व्यवधान)

श्री अनिल झाः एमसीडी का आदमी काम नहीं कर रहा था और अब तो एक शब्द बार-बार ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन,

(समय की घंटी)

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, डबल इंजन, अब तो 6 इंजन की सरकार हो गई है, दिल्ली सरकार इनकी है, डीडीए की सरकार इनकी है, दो इंजन। अब एमसीडी में सोच रहे हैं कब्जा करेंगे तो तीन इंजन। एनडीएमसी हो जाएगी तो चार इंजन। दिल्ली छावनी बोर्ड हो जाएगा तो पांच इंजन। दिल्ली पुलिस हो जाएगी तो छः इंजन। तो छः इंजन की सरकार इनकी है और गड्ढा हम भरेंगे। पहले भी एमसीडी इनके पास थी, काहे ना गड्ढा भर लिये थे। इस सारे बजट पर...

माननीय अध्यक्षः चलिए कंक्लूड करिये।

(समय की घंटी)

श्री अनिल झाः स्पष्टीकरण होना चाहिए और अकाल में उत्सव नहीं मनाना चाहिए...

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद।

श्री अनिल झाः ऐसी जन-कल्याणकारी सरकार को ऐसा काम करने चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल बजट सदन में प्रस्तुत किया उसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा क्योंकि एक, 76 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ करना कोई आसान काम नहीं था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रही थीं तो मैं चेहरे देख रहा था, इन सबके चेहरे ऐसे डाउन थे, सोच रहे थे, हमने क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, हम कैसे रह गये, हमको तो करने ही नहीं दिया केजरीवाल जी ने, हम भी कर लेते तो ऐसा हो जाता, तो स्थिति ऐसे थी। अब आपको बताते है ये अभी कह रहे थे हमारे माननीय साथी कि सेंटर, जो ग्रांट है वो 12 हजार 95 करोड़ इस साल में रहने वाली है 12 हजार 95 करोड़। 15 हजार 380 करोड़ का लोन मोदी जी की सरकार के माध्यम से दिल्ली सरकार को मिलना है जिससे कि दिल्ली को विकसित होने का रास्ता खुलेगा। आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो कभी ईमानदारी से काम ही नहीं किया और ईमानदारी से जो काम नहीं था, कोई नहीं देता। आज बैंक में चले जाइये आप पैसे लेने के लिए,

यदि आप बैंक में पैसा लौटाने की बात नहीं करेंगे तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो इसीलिए आपने काम करने की बात ही नहीं करी। आप कहते हैं कि सेंट्रल गवर्मेंट ने रोड फंड में एक हजार करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैपिलटल प्रोजेक्ट्स के लिए एक हजार करोड़ का प्रोवीजन किया है, ये कहते हैं कुछ नहीं किया है सेंट्रल गवर्मेंट ने। और आपको हम बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टैक्स का है, जो एजुकेशन पर है, एक लाख करोड़ के हिसाब से 19.29 परसेंट, 19 हजार 291 करोड़ रुपये 16 हजार 396 करोड़ के कम्पेयर 2024-25 के माध्यम से आपको बताएं।

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 2024-25 में 8 हजार 685 करोड़ रुपये और इस बार 12 हजार 893 करोड़ रुपये का प्रोवीजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप पहले बजट तो पढ़ लेते आप। आपने आपके 2024-25 और 2025-26 का, अब तो माननीय अध्यक्ष जी ने आपको लैपटॉप दे दिया है, टैब दे दी है उसमें कम्पैरिजन डेटा है, आप पढ़कर आते तो अच्छा लगता सदन में। क्वालिटी डिस्कशन होना चाहिए, खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। दिल्ली की जनता को आपने 10 साल गुमराह किया इसलिए आपको पीछे छोड़ दिया।

दूसरा आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में 7 हजार 470 करोड़ रुपये था, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 हजार 952 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए रखा है जोकि 12.95 परसेंट है आज इस बजट का।

ऐसे ही हाउसिंग डेवलपमेंट में 98 सौ करोड़ रुपये आपने 2024-25 में था आपका, इस बार 10 हजार 694 करोड़ रुपये इसके अंदर रखा गया है।

वाटर सप्लाई में आपने हालत ऐसी कर दी 10 साल पानी नहीं दिया। पानी की स्थिति ऐसी हो गई कि पानी या तो आ रहा है तो खारा आ रहा है या गंदा आ रहा है। 7 हजार 195 के कम्पेयर 9 हजार करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रोविजन किया है, लगभग 18 सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन एक्सट्रा किया है। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ फिक्टिशस बजट बनाया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए इस बातों को।

सोशल वेलफेयर में 6694 के कम्पेयर में 10 हजार 597 करोड़ रुपये का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। अनेकों अनेक योजनाएं, जो संकल्प हैं, मोदी जी की गारंटी के साथ हंड्रैड परसेंट पूरे होंगे और शत-प्रतिशत पूरे होंगे और इसी बजट के अंदर पूरे होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है।

इसी तरह से पावर सेक्टर में बात करे तो उसमें भी और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया, 1758 करोड़ रुपये, 1331 करोड़ के कम्पेयर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट का प्रोविजन किया है।

और आपको बतायें आयुष्मान योजना हमारे कई साथियों ने, आपके कई, 50 हजार नए कैमरे, आपके सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें किया है।

सड़क और पुल बनाने के लिए 3 हजार 443 करोड़ रुपये का प्रोविजन इस बजट के अंदर किया गया है, जिससे कि ट्रैफिक जाम कम हो और ट्रैफिक जाम नहीं हो और पॉल्यूशन भी कम हो।

हमारे उद्यमी भाई पिछले 10 साल से इतने परेशान थे क्योंकि मैं भी एक छोटी सी इंड्रस्टी चलाता हूं तो पता है कि किस तरह से ये जो 29 इंडस्ट्रियल एरिया थे, सारे के सारे ऐसे अस्त-व्यस्त हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है और वहां के व्यापारी भाई, उद्यमी भाई करोड़ों रुपये टैक्स के रूप में देते हैं और वहां भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को नर्कमय किया और इसलिए एनसीआर में शिफ्ट होने लगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उनके लिए हम D Development प्रोग्राम बनायेंगे जिससे कि दिल्ली का उद्यमी दिल्ली में रहे, कहीं दूसरे स्टेट में ना जाए।

और दिल्ली के ट्रेडर्स के लिए भी इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वेलफेयर बोर्ड बनाया है उसके अंदर 'विवाद से विश्वास योजना', क्योंकि आज वैट के 2016-17 और 17-18 के केसिज इतने पड़े हुए पेंडिंग जिनका पिछली सरकार ने कोई निष्पादन नहीं किया, सोचा तक नहीं। और हमारे व्यापारी भाई परेशान हो-आकर, इतने परेशान थे इसलिए वेलफेयर बोर्ड आज व्यापारियों के विवाद को सुलझाने में काम करेगा।

टूरिजम इंडस्ट्री के अंदर जो दिल्ली भूल चुकी थी अपने आपको कि दिल्ली भी कोई दिल्ली है, देश की कैपिटल है, देश का दिल है और माननीय मोदी जी ने टूरिजम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यमुना के अंदर वाटर बोट्स, वाटर स्पोटर्स और अन्य जो अक्षरधाम मंदिर तक केंद्रित हमारे जो कर्तव्यपथ तक के सारे उसको लेकर एड करके इस टूरिजम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि आज देश की दिल्ली के अंदर 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट आता है और 3 करोड़ जो अपना नेशनल टूरिस्ट आता है, यदि दिल्ली में आता है, दिल्ली सुंदर दिखाई देगी तो देश के अंदर उसकी व्यवस्था, अच्छे मन में जाएगी और बार-बार वो दिल्ली में अपने बच्चों को लेकर आना चाहेगा।

ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 हजार कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा बनाने का संकल्प जो लिया है, कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है लेकिन हमारी सरकार है संकल्प से सिद्धि तक कार्य करती है और जो कहती है वो करती है और देखियेगा ये सरकार 20 साल क्या 40 साल भी जाने वाली नहीं है क्योंकि ये सरकार काम करेगी, ये काम करने वाली सरकार है। यहां visionary जितने भी विधायक बैठे हुए हैं सब आप, अपने आपमें एक-एक एक्सपर्ट विधायक बैठा हुआ है, वो जानता है काम को कैसे करना है, निष्ठा से कैसे करना है, ईमानदारी से कैसे करना है। आपके यहां तो एक था, वन-मैन था, जो कहता था वो येस, तो येस, नो तो नो, बाकि कोई सुनवाई नहीं होती थी आपके यहां पर। यहां हमारी मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय सबकी सुनते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं।

और ऐसे ही 12 सौ छात्रों को निःशुल्क जो ग्याहरवीं के स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे अपनी कक्षा में उनको टैब देना, जो कार्य किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की हम सराहना करते हैं।

और एससी छात्रों को जो हमारी आईटीआई हैं, पॉलीटेक्निक क्लिनिक है या हमारे स्किल सेंटर्स हैं जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनको एक हजार रुपये का stipend देने का काम भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपने कभी सोचा भी नहीं, आप सिर्फ कहते हैं, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की बात करते हैं चित्र को लेकर, चित्र को इधर-उधर रख देते हैं, पता नहीं है कहां रखना है, क्या इसकी व्यवस्था है। लेकिन हम समतावाद, समता के साथ काम करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है।

किसान सम्मान निधि में 9 हजार रुपये कहना आसान है, 6 हजार प्लस 3 हजार, उसमें सभी बजट का प्रोविजन किया है।

बसों की बात तो है 5 हजार बढ़ेंगी, हंड्रैड परसेंट बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, चिंता मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है दिल्ली को इन्होंने अव्यवस्थित कर दिया।

बिजली के तार इतने डेंजर्स हैं कि वो कभी भी एक्सीडेंट का रूप ले लेते....

(समय की घंटी)

श्री संजय गोयलः और एक्सीडेंट का रूप लेने की वजह से आपके उसको हटाने के लिए सौ करोड़ का जो प्रोविजन किया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए पर्यावरण में भी 806 करोड़ रुपये का आपने प्रोविजन किया गया है।

690 कोर्ट रूम हैं आज की डेट में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 कोर्ट रूम बढ़ाने का जो कार्य किया है इससे जो सालों साल अपने विवाद जो कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं वो भी कम होंगे और टाइम भी कम होगा जिससे कि लोगों को अपने व्यवस्थित तरीके से अपने जो विवाद है सुलझाने में इसका फायदा होगा।

इसी तरह से सौ स्थान जो ऐसे हैं जहां फायर बिग्रेड, आग लग जाती है गर्मियों में, चिन्हित करके सौ स्थानों पर फायर बिग्रेड की गाड़ी खड़ी करना, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है क्योंकि वो समझती हैं दिल्ली को, दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्हें पता है कहां-कहां, क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है।

इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड बनाना, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रहें ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।

आनंद विहार बस अड्डा जो है हमारे बराबर में ही है। बस अड्डे तो तीन की बात की है लेकिन उसको रिडेवलपमेंट का कार्य किया, इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं।

दिल्ली में ऑडिटोरियम और स्टेडियम नए बनाने का कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो ठीक है, बहुत सराहनीय है।

इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बजट है, गरीब, किसान, युवा, महिला, व्यापारी, उद्यमी, होमगार्ड, मध्यमवर्गीय, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेल, पीडब्लूडी, आपके जल बोर्ड, डूसिब, सड़कें, नालियां ये सारे मदों के अंदर जो व्यवस्थित तरीके से काम किया गया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अनिल शर्मा जी।

श्री अनिल शर्माः मैं आदरणीय स्पीकर साहब आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने बजट पर मुझे आज बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने, जो बजट पेश किया है जैसे देश के अंदर आज देश तरक्की कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये बजट आया है दिल्ली अब विकास की तरफ चलेगी और विकास, विकास और विकास होगा इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बजट के लिए

बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही जो 76 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ का आपने जो बजट पेश किया है ये अपने आप में, दिल्ली के अंदर जो अभी हर जगह पर डेवलपमेंट की जरूरत है वो सब चीजें दिल्ली में आने वाले समय में ठीक होगी और ये जो बजट है ये रह वर्ग और हर क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया है। सबसे बड़ी बात इस बजट की ये है कि इसमें कोई भी क्षेत्र या कोई वर्ग नहीं छोड़ा गया।

साथ ही सबसे पहला काम जो देश के अंदर माननीय मोदी जी ने 'आयुष्मान योजना' पूरे देश में जो लागू हो रखी थी, जो दिल्ली में अब तक लागू नहीं थी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहला काम आपने 'आयुष्मान योजना' को इसके अंदर लागू किया है और वो 5 लाख तो जो भारत सरकार देती है उसके अलावा 5 लाख अब दिल्ली सरकार भी उसमें दिया करेगी और दिल्ली की जनता को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं।

साथ ही जब से ये सरकार बनी है अभी डेढ़ महीना तकरीबन हुआ है, अपोजिशन पार्टी वाले एक ही रट लगाये रहते हैं कि 2500 रुपये, मैं आज पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक हजार रुपये का वादा किया था, 10 महीने बीत गये थे चुनाव आने में, इन्होंने एक हजार रुपये किसी महिला को नहीं दिया था। पंजाब के अंदर तीन साल से इनकी सरकार है, वहां भी इन्होंने वादा किया था पर मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी मुख्यमंत्री जी को, हमारी 2500 रु जो उसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट इसके अंदर प्रोविजन किया है और आने वाले समय में हमारी सभी गरीब माताओं, बहनों को 2500 रुपये मिलेंगे, ये बहुत बड़ा काम जो इस बजट में किया है।

साथ ही जो हमारी गर्भवती बहनें, हमारी उन महिलाओं के लिए भी 210 करोड़ रुपये का जो प्रोविजन इस बजट में किया है ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है।

साथ ही मैं एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं। हमारी नेता-प्रतिपक्ष जी आज सवेरे एक विषय के ऊपर बोल रही थी कि झुग्गी के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 10 से 11 साल से इनकी सरकार थी, अभी तो हमारा बजट आया है, अभी बजट आया है, अभी हम वहां चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं अगर उसके पीछे किसी की, उसके अंदर कोई कमी है, उसकी अगर सही मायने में कोई जिम्मेदार है तो ये सामने आज अपोजिशन में बैठे, जो पहले 10 साल इधर बैठते थे वो उसके जिम्मेदार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने झुग्गी बस्ती के लिए जो 696 करोड़ रुपये का बजट रखा है, आने वाले समय में चाहे वहां नाली हो, गली हो, खड़ंजा हो, और तो और जो वहां पर अभी बारात घर नहीं होते थे, जो गरीब व्यक्ति अपनी शादी में दिक्कत होती थी कि वो कहां शादी करायेंगे, आज वो 696 करोड़ रुपये के जब बजट उनकी झुग्गियों में मिला है तो चाहे वहां टॉयलेट हो, चाहे बारात घर हो, हर चीज की व्यवस्था रहेगी और जो मोदी जी का वादा होता है अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, सबका साथ सबका विकास, उस काम को अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुग्गी बस्ती वालों के लिए किया है, यह सच में बहुत बड़ा काम है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको।

साथ ही 'अटल कैंटीन' जो वादा किया था, खासकर झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए, गरीब के लिए खाने के लिए सौ कैंटीन खोली जाएंगी, सौ करोड़ रुपये

उसके लिए आवंटित किए हैं ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ, खाली सीसीटीवी कैमरे ही नहीं उसके अलावा भी और ऐसी बहुत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजों की जो घोषणा इसके अंदर की हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को।

साथ ही मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वैसे तो उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव के दौरान उन बातों का जिक्र हमने जब किया दिल्ली की जनता को तो दिल्ली की जनता ने इनको 62 से 22 पर कर दिया और जिस हिसाब से ये आजकल अपनी बात रख रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है 22 से ये 2 पर जरूर रह जाएंगे आने वाले समय में। इन्होंने खाली घोटाले ही नहीं, खाली घोटाले ही नहीं, घोटाले, शीशमहल का घोटाला, घोटाले तो इन्होंने अध्यक्ष जी बहुत किए हैं परन्तु जो शीशमहल का घोटाला जब इन्होंने किया, जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोनाकाल के अंदर जब दिल्ली की जनता को जरूरत थी दवाइयों की, दिल्ली की जनता को जरूरत थी खाने की तो उस समय के मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिये, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि वो अपने मकान शीशमहल बनाने में व्यस्त थे, परन्तु माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता का ख्याल रखा और दिल्ली की जनता के लिए अस्पताल से लेकर खाने की व्यवस्था करी, आज में मुख्यमंत्री जो उस टाइम के थे उनको आज सही मायने में दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है वो मुख्यमंत्री छोड़ो, लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ो विधायक भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हरकत ऐसी की थी। साथ ही, कल एक साथी विधायक अपोजिशन पार्टी के बोल रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे यहां का स्कूल बहुत

जर्जर हालत में है, मुझे सुनकर बड़ा अचम्भा सा हुआ कि ये तो बोल रहे थे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते थे और वो तो ऐसे शिक्षा मॉडल है कि ऐसा शिक्षा मॉडल तो शायद देश में ही नहीं है। आप कई विधायक अभी डेढ़ महीने पहले ये सरकार बनी है और डेढ़ महीने में ही स्कूल जर्जर हो गया, इस बात से ये जाहिर होती है अध्यक्ष जी की इन्होंने कोई स्कूल भी नहीं बनाए और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से वो शिक्षा मंत्री नहीं थे शराब मंत्री थे, शराब मंत्री इसी वजह से खुद भी हारे और तिहाड़ जेल के अंदर दोबारा से उनका इंतजार हो रहा है कि वो कब आएंगे क्योंकि अभी मुकद्मा चल रहा है। इनकी सरकार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं ये पढ़ी-लिखी सरकार का जो आपने कहा ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बहुत बड़प्पन है जो आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहता हूं ये पढ़ी-लिखी सरकार नहीं थी ये घोटालों की सरकार थी, इन्होंने खाली घोटाले, शीशमहल का घोटाला ही नहीं, शराब का घोटाला किया। इन्होंने स्कूल की जो अभी बात कर रहे थे कि स्कूल बनाए, स्कूल के जो कमरे बनाए। एक कमरा बनाने में जो खर्चा आता है अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। एक से दो लाख मैं कह रहा हूं 5 लाख का एक कमरे में खर्चा हो जाएगा, 25-25 लाख रुपए का खर्चा इन्होंने एक-एक कमरे के नाम का लिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हर चीज में घोटाला किया है और तो और अध्यक्ष जी बस दो मिनट और। मैं आपको कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी एक मोहल्ला क्लीनिक खुलता था जिसके अंदर ना दवाई होती थी, ना डॉक्टर होता था। दिल्ली के अखबारों में एड आए तो समझ में आती थी, वैसे तो वो भी कोई तुक नहीं थी। मोहल्ला क्लीनिक एक मोहल्ले में खुलता था परन्तु दिल्ली के ही अखबारों में ही नहीं अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं पूरे देश

के अखबारों में एड आती थी ये एड की सरकार था इसी वजह से आज ये अपोजिशन में बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने खासकर जो समस्या समझी पानी की और सीवर की जिसकी आज दिल्ली के अंदर हम जब सुबह आज पब्लिक से मिलते हैं तो कोई पब्लिक का बड़े से बड़ा कोई काम नहीं लेके आता हमारे पास, पानी और सीवर की बात करते हैं। मैं बताई देना चाहता हूं कि 9 हजार करोड़ रुपए इन्होंने जो उसके लिए रखे हैं मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में पानी और सीवर की समस्या दिल्ली से जरूर दूर होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही जो नई बसों के लिए 5 हजार नई बसें जो आएंगी वो भी बहुत बड़ा काम इस दिल्ली के जनता के लिए आपने किया है और खाली जो इनके घोटालों की जैसे मैंने जिक्र किया जो इन्होंने टिकट के नाम पर घोटाला करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हर महिला को कार्ड मिलेगा, वो महिला को जो फ्री बस है वो फ्री बस की घोषणा पहले से ही हमारे मैनिफैस्टो में हो चुकी है, उनको फ्री वो मिलेगा। बस मैं आखिरी प्वाइंट कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जो माननीय मोदी जी ने भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजट में रखा है, सौर ऊर्जा का बात। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर बिजली के बिल इससे बहुत कम होंगे और हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे और जितनी भी जगह खासकर गरीब बस्तियों में हमें सौर ऊर्जा जिसके ऊपर सब्सिड़ी भी दिल्ली सरकार दे रही है उससे हम सबको फायदा मिलेगा, बातचीत तो बहुत थी, खासकर अभी हमारे दोस्त जो बोल रहे थे शायद बिना पढ़े बोल रहे थे कि हमने बजट कम कर दिया। हैल्थ के ऊपर 8519 से 12800 किया है, एजूकेशन के ऊपर 15 हजार से 19 हजार किया है। कोई बजट कम नहीं किया, 76 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी

आपका धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य कुलदीप कुमार।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने बजट की चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी दिल्ली विधानसभा में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दिल्ली के लोगों को ये उम्मीद थी के 27 साल बात भाजपा की सरकार आई है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष जी के ये दिल्ली में एक महीने में लगने लगा कि ये भाजपा की सरकार नहीं है ये दिल्ली वालों पर विपदा की सरकार आ गई है। जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर अध्यक्ष जी दिल्ली वालों पर विपदा पर विपदा, विपदा पर विपदा आती जा रही है। कल जो बजट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया हमें लगा कि 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है तो कुछ विजन होगा बजट के अंदर, कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी, दिल्ली वालों के लिए कुछ फायदे की बातें होंगी लेकिन अध्यक्ष जी पूरा का पूरा बजट खोखला बजट है, केवल हवा-हवाई बजट है, धरातल पर जो बजट है वो दिखता नहीं है और अध्यक्ष जी बजट के अंदर अभी यहां हरीश खुराना जी ने कहा यहां पर कि 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट एससी/एसटी के लिए रखा गया। मंत्री जी यहां बैठे ही थे एससी/एसटी के मैंने उस समय पूछा की क्या रखा गया है। अध्यक्ष जी एससी/एसटी कम्पोनेंट फंड के अंदर जो पैसा रखा जाता था 140 करोड़ रुपए 2024-25 में रखा गया था और 2025-26 के बजट में 130 करोड़ रुपए किया गया है आपने 10 हजार करोड़ रुपए किसको दे दिए, एससी/एसटी का तो आपने 10 करोड़ रुपए कम कर दिया जो उनको फंड मिलता था। तो

ऐसी हवा-हवाई बातें ना करें दलित समाज के लिए एससी/एसटी के लिए फंड को इस सरकार ने कम किया है क्योंकि ये सरकार कभी-भी दलितों के हितेशी सरकार नहीं हो सकती है। इस सरकार के पास ना दलितों के लिए, ना उनके उत्थान के लिए, ना उनकी पढ़ाई के लिए उनके बच्चों की लिखाई के लिए कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है, पूरी तरह से खोखली सरकार है। दूसरा बार-बार यहां अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा की साबरमती का सी-प्लेन, साबरमती का रिवर फ्रंट मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी साबरमती का रिवर फ्रंट जो 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठ के सवार होके चालू किया था कहां तक पहुंचा है वो, क्या वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच गया, वो तो रास्ते में ही रूक गया, बंद हो गया वो, नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जब यहां वक्तव्य रखें तब बतायें क्या वो सी-प्लेन आज चालू है, झूठ का ढ़कोसला पूरी सरकार झूठ पर टिकी हुई, पूरे झूठे आंकड़े, बस सदन में आओ और झूठ बोल दो। वो सी-प्लेन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक चलना था वहां तक पहुंच भी नहीं पाया अध्यक्ष जी, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है इस सदन के अंदर और किसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी बातों को झूठलाने में लगे हुए हैं, पूरी की पूरी सरकार आज यहां नरेंद्र मोदी जी की बात को झूठ साबित करने में लगी हुई है। बजट में बात हुई 5100 करोड़ रुपए की, महिलाओं के लिए बात हुई। मैं पूछना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं बड़ी सम्मान से उनका नाम लेता हूं, क्यों लेता हूं, उन्होंने कहा था कि हम तो 8 मार्च को महिला दिवस को, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दे देंगे, ये किसकी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित कर दिया, जुमला साबित कर दिया मुझे कहते हुए खेद है, मुझे कहते हुए खेद है इस सदन के अंदर के प्रधानमंत्री

के वक्तव्यों को, प्रधानमंत्री की गारंटी को रेखा गुप्ता जी ने जो उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जुमला साबित करने का काम किया। अध्यक्ष जी महिलाओं के सिलेंडर की बात हुई, महिलाओं के उत्थान की बात हुई, कहां गया सिलेंडर, हिंदुओं का त्यौहार होली आ गया, रंग भी लग गए, सब गले भी मिल लिये और आप लोगों ने मिल बांट के पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी ने बड़े आराम से खीर भी खा ली। अरे महिलाओं को खीर कब मिलेगी, वो महिलाएं उस सिलेंडर में खीर पका पाएं, वो सिलेंडर उनको कब मिलेगा, हवा-हवाई बातें। पूरे बजट सत्र के अंदर, पूरे बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी स्त्री सिलेंडर की बात नहीं कही। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी महिलाओं के साथ, आप तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलें। हमें बहुत खुशी हुई लेकिन आपको पहले ही बजट भाषण में कहना चाहिए था कि हम फ्री सिलेंडर भी देंगे और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे भी कहता हूं मैं की आप ये तय करें, ये बताएं इस सदन को की मेरी माता-बहनें जो इंतजार कर रही हैं उनके खाते में 2500 रुपए आने का काम कब होगा ये बताने का काम करें। फिर यहां एक्साइज की बात की अध्यक्ष जी अभी, यहां एक्साइज की बात करी गई की जी वो तो शराब मंत्री है, वो तो ये मंत्री हैं। अब तो भाजपा की सरकार आ गई, मैं आपसे कहता हूं सदन में, हम सबका समर्थन है दिल्ली में जितने दारू के ठेके हैं तुममे हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ मैं आपको कहता हूं आज यहां पर खड़े होकर, करके दिखाओ आपमें हिम्मत है तो। और दूसरी बात आप तो एक पर एक फ्री की बात करते थे, आज तो योगी जी के राज में, महाराज जी के राज में उत्तर प्रदेश में लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई हैं। हर ठेके पर एक के साथ एक फ्री मिल रही है, भाजपा वाले चुप बैठे हुए हैं अरे कैसी आपकी ये पीड़ा है, आपकी पीड़ा जहां आम आदमी पार्टी की

सरकार होती है वहां तो आपकी पीड़ा जग जाहिर हो जाती है, जैसे ही भाजपा की सरकार आती है आपकी पीड़ा खत्म हो जाती है। कैसी पीड़ा लेकर चलते हैं आप लोग। क्या पीड़ा है आपके अंदर, कोई पीड़ा नहीं है, जनता के मुद्दों से, जनता की बातों से, जनता से आपको कोई मतलब नहीं है। केवल ये सरकार आज से 27 साल पहले जब ये सरकार आई थी तब भी ये सरकार लूट-खसौट की सरकार थी और मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार इन 5 सालों में केवल और केवल लूट-खसौट की की सरकार साबित होगी, लूट-खसौट।

...(व्यवधान)

श्री कुलदीप कुमारः मेरा मुंह मत खुलवाओं खुराना जी, रिकॉर्ड बता दूंगा, रिकॉर्ड बता दूंगा, आपका टाइम काट लेंगे, आप पहले बोल लिए इसलिए बोल रहे हो बीच में, वर्ना टाइम काट लेते आपका, अध्यक्ष जी टाइम काट लेंगे आपका। पूरी सरकार, दूसरी बार जब से सरकार आई है कह रहे हैं क्या विपदा आ गई। अध्यक्ष जी प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज जो लूट चल रही है दिल्ली के अंदर एक महीने के अंदर ही वे मोटी-मोटी डोनेशन लेकर प्राइवेट स्कूल वाले आज गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है फीसों के अंदर, आपके मंत्री चुप हैं, शिक्षा मंत्री चुप हैं, मुख्यमंत्री चुप हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं हैं, बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, बिना किसी उसके, बिना उसके डोनेशन ली जा रही है मोटी-मोटी, सब चुप हैं। सारे के सारे चुप हैं एक महीने में। अभी तो ट्रेलर है ये अभी तो आपकी पूरी पिक्चर दिल्ली वाले देखेंगे की कैसे दिल्ली के लोगों को लूट-खसौट के खाओगे। आयुष्मान भारत की आप बात करते हो, कौन से आयुष्मान भारत की बात करते हो आप लोग, अगर इतना अच्छा आयुष्मान भारत है तो मेरे बगल में खोड़ा कालोनी है, गाजियाबाद है, लोनी है, सारे के सारे लोग दिल्ली में इलाज कराने क्यों आते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री कुलदीप कुमारः वहां तो मोदी जी का आयुष्मान भारत लागू है, उसकी बात आप लोग क्यों नहीं करते हो, उसकी बात कब करोगे आप लोग और 10 लाख के इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हो। ये इंश्योरेंस दिल्ली वालों को लगता है महंगा पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए कन्कलूड करिये।

श्री कुलदीप कुमारः ये किसको मिलेगा अभी तो पता ही नहीं है, किस-किस को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी दिल्ली की सरकार में, दूसरी बात। मुख्यमंत्री जी ने कहा एमएस नहीं है, एमएस चले गए कहां चले गए एमएस, कहां चले गए अधिकारी।

माननीय अध्यक्षः खत्म करिये।

श्री कुलदीप कुमारः कहां गए। सारे के सारे लैफ्टिनेंट गवर्नर से, आप लोगों ने।

माननीय अध्यक्षः सतीश उपाध्याय जी।

श्री कुलदीप कुमारः 10 साल तक अपोइंटमेंट नहीं होने दी और सर्विसिसज का विषय ही आप जानते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ऐसी बातें करती हैं सदन में आकर।

माननीय अध्यक्षः सतीश उपाध्याय जी।

श्री कुलदीप कुमारः जो सदन का विषय नहीं है, जो सदन का मैटर नहीं है, उसकी बात आप आकर करते हो।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री सतीश उपाध्यायः आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज के बजट की चर्चा इस सदन के ऐतिहासिक चर्चा है, दिल्ली के नागरिकों के सपनों को साकार करने वाला विकसित दिल्ली को बनाने वाला बजट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने बहुत कुछ देखा है पिछले 10 सालों के अंदर। दिल्ली की जनता ने झूठे वायदे भी देखे, झूठे नारे भी देखे, मुफ्त की राजनीति भी देखी, विज्ञापनों का दौर और शोर भी देखा। लेकिन आज दिल्ली की जनता को मिला है हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में।

(माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट अपराह्न 3.38 बजे पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्षः बोलिए सतीश जी।

श्री सतीश उपाध्यायः हमारी नई मुख्यमंत्री के रूप में इस नई सरकार ने दिल्ली के लिए नया दृष्टिकोण दिया है, नई दिशा दी है और दिल्ली को विकास का स्पष्ट एक नया रोड मैप भी दिया है। मैं इसके लिए सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे दूरदर्शी बजट पेश किया और दिल्ली को एक लाख करोड़ रुपया दिया। साथियों हमने पिछली सरकारों का दौर भी देखा है, 2023-24 में आम आदमी पार्टी ने 78,800 करोड़ का बजट दिखाया लेकिन वो सिर्फ कागजों पर था। 2024-25 में उन्होंने खुद ही 28 हजार करोड़ रुपया घटाकर 76 हजार करोड़ रुपया कर दिया। ऐसी गिरावट दिल्ली के इतिहास में कहीं नहीं मिली होगी और राज्यों की सरकार में भी जब बजट बनाते हैं तो नीचे जाकर के गिरावट आपने कभी नहीं देखी होगी। आज जब हमारी नई सरकार आई है 31 परसेंट से बढ़ाकर के 24

हजार करोड़ रुपए की बढ़त के साथ एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो ना केवल आंकड़े दिखाता है बल्कि हर गली, हर मोहल्ले और हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने का वायदा भी करता है और इरादा भी रखता है। अब तुलना कीजिए अध्यक्ष महोदय जहां आप सरकार ने वायदों की झड़ी लगाती रही, हमने नींव रखी है, उन्होंने वायदों की नींव झड़ी लगाई, हमने नींव रखी है स्कूलों की, नए अस्पतालों की, सड़कों की, विकास की, गांव को आगे बढ़ाने की और सबसे ज्यादा बढ़कर दिल्ली के लोगों में विश्वास की। इस नीवं को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात अगर स्वास्थ्य की करें तो आपकी बातों में मोहल्ला क्लीनिक था, लेकिन हकीकत में गम्भीर बीमारी के लिए एक भी बेहतर अस्पताल नहीं मिला। हमने क्या किया, हमारी मुख्यमंत्री की सरकार ने क्या किया फर्क तो साफ दिखता है, फर्क दिखता है 10 लाख का हैल्थ बीमा हमने दिया, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर नागरिकों को सुरक्षा दे रही है, 2144 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया, 1 हजार करोड़ के निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 332 करोड़ रुपये भी हमने दिये। ये है जमीनी काम, दिखावटी पोस्टर नहीं है ये, ये जमीनी काम है। हम बात करें अगर शिक्षा की, शिक्षा में एएफबी ने कहा था स्कूल बनवाएंगे लेकिन क्या हुआ, छतें टपकती रही, शिक्षक कम पड़ते रहे और पैसे कहां गए, पैसे गए शीशमहल में और गोल्डन टॉयलेट में और सारे पैसे चले गए भ्रष्टाचार में। सभी के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमने क्या किया, फर्क तो साफ दिखता है, ये फर्क दिखता है हमने 60 नए श्रीस्कूल खोले, सीएम स्कूल खोले, एजूकेशन हब हम नरेला में 500 करोड़ का प्रावधान किया, 100 भाषा की प्रयोगशालाएं करने का प्रावधान किया, 145 स्मार्ट क्लासिसिज, निशुल्क लैपटोप योजना, अटल विद्या शक्ति मिशन और राजनीतिक कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर पर

परीक्षा की तैयारी। आपके पास सिर्फ स्लोगन थे हमारे पास सिस्टम है, वो केवल स्लोगन देते थे और हम व्यवस्था के सिस्टम को ठीक करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी जल ही जीवन है और ये जल पर पूरी दिल्ली की बुनियाद टीकी हुई है। हमने क्या किया, आपने हर साल यमुना सफाई का वायदा किया, हर साल डुबकी लगाने का वायदा किया, करोड़ों खर्च हुए लेकिन यमुना आज भी मां यमुना वैसी की वैसी ही है। हम क्या कर रहे हैं, फर्क तो साफ दिखता है, फर्क तो साफ दिखता है और वो फर्क है 9 हजार करोड़ का जल का बजट जिसमें समग्रता है, जिसमें सारे लोगों की चिंता है। 40 डि-सैंट्रलाइज एसटीपी बनाने का जिससे की यमुना को प्रदूषण से रोका जा सके। जीपीएस टैंकर, मोबाइल एप, पाइपलाइन की मरम्मत, वाटर बॉडिज़ का रिवाइवल, हर कदम तकनीक से जुड़ा है और पाादर्शिता से भी भरा है। हर कदम तकनीक से भी जुड़ा है और पारदर्शिता से भी भरा है। हम बात करें अगर महिलाओं की तो आप सरकार के 10 सालों में महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोस प्लान नहीं था, फ्री राइड के वायदे तो थे लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। हमने स्ट्रीट लाइट को मजबूत करने का प्रावधान किया है और इसमें हमने जो किया वो फर्क तो साफ है कि महिलाओं के लिए 51 सौ करोड़ की योजना जिसके तहत हर जरूरतमद महिला को 25 सौ प्रतिमाह करने का हमने जो एक वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे।

गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रूपये वन स्टाप सैन्टर महिला सैन्टर और महिलाओं के लिए विशेष बजट प्रावधान हमने किया है। गरीबों के नाम पर भी राजनीति बहुत की गई। खर्च नहीं किया गया। पीएम आवास योजना को लागू नहीं किया गया जिसमें हजारों गरीब वंचित रह गए। हमने आते ही वो योजना लागू की 20 करोड़ का बजट दिया ताकि हर गरीब को छत मिल सके। अध्यक्ष

महोदय, आपकी सरकार का सच ये है वो सरकार शोर तो बहुत करती थी, बातें तो बहुत करती थी लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था जमीन पूरी तरह से खाली थी। बजट के पैसे खर्च नहीं किए और जो किए वो केवल प्रचार में, दिखावे में और भ्रष्टाचार को अपने अंदर लेने के लिए। हमें जनता ने सिर्फ सरकार नहीं जनता ने हमें केवल सरकार ही नहीं दी है हम पर विश्वास किया है हमको जवाबदेही भी दी है और उस जवाबदेही को हमारी सरकार पूरी तरह से पूरा कर रही है। अब दिल्ली बदलेगी, अब दिल्ली पूरी तरह से बदलेगी। मैट्रो के लिए 2929 करोड़ रूपये, परिवहन सैक्टर के लिए 12 हजार 952 करोड़ रूपये 5 हजार नई इलैक्ट्रिक बसें, 506 करोड़ पर्यावरण मंत्रालय के लिए, फायर सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए इस आपदा को इसीलिए हटाया कि दिल्ली में पूरी आपदा थी और इसलिए आपदा का भी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। छह हजार 857 करोड़ एमसीडी को ताकि शहर साफ रहे क्या होता रहा एमसीडी के साथ लगातार आप देखिए कि एमसीडी के साथ जिस तरीके से 2019 से लेकर और 20 से लेकर अगर 26 तक हम देखें लगातार दिल्ली जो देश की राजधानी है वो पूरी तरह से कूड़े और कचरे के पहाड़ बना दिया गया है उसको उसके साथ जिस तरह का सौतेला बर्ताव किया गया आज मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने केवल एमसीडी को

(समय की घंटी)

श्री सतीश उपाध्याय: उनका पूरा का पूरा हिस्सा ही नहीं दिया उसके साथ आगे के लिए भी प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय दो मिनट मैं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, बशीर भद्र साहब ने एक शेर याद दिलाना चाहता हूं-

''लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।"

(समय की घंटी)

श्री सतीश उपाध्यायः आप सरकार ने सिर्फ बस्तियां जलाई विकास की भरोसे की और प्रशासन की। अब हमारी सरकार उन बस्तियों को फिर से बसा रही है और अंत में एक पंक्ति कहना चाहता हूं दिल्ली अब घोषणाओं की नहीं योजनाओं की राजधानी बनेगी। दिल्ली अब घोषणाओं की नहीं योजनाओं की राजधानी बनेगी। वादों की नहीं इरादों की राजधानी बनेगी और ये बजट नहीं ये नई दिल्ली के भविष्य की नींव है आपने मुझे बोलने का मौका दिया

(समय की घंटी)

श्री सतीश उपाध्यायः बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयः गजेन्द्र जी। अरे भाई डिस्टर्ब मत करो ना हाउस को। बोलने दो उनको

श्री गजेन्द्र दरालः आपने मुझे जो कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिल्ली के विकास का जो बजट रखा उस पर बोलने का मौका दिया और देखिए कल जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री के अंदर एक जोश, एक उत्साह पूरे बजट के अंदर दिखा वो सुनिश्चित करता है कि मोदी जी ने उनने उन्हें जो जनता को जो आश्वासन दिया, जो विकास की गारंटी को सुनिश्चित किया वो इस बजट के अंदर दिखता है। जो दिल्ली के अंदर बदलाव को सुनिश्चित किया वो इस बजट

के अंदर दिखता है और जो दिल्ली के अंदर परिवर्तन होने वाला है वो इस बजट के अंदर दिखता है। मैं अपनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर आभार करता हूं कि उन्होंने कल मेरी मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे स्वर्गीय डाक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का एक सपना कि मेरी दिल्ली देहात के अंदर एक स्पोटर्स युनिवर्सिटी बने और उसके लिए उन्होंने लगभग 88 एकड़ जमीन वहां पर एक्वीजीशन करा के और इस दिल्ली के अंदर एक ऐसी स्पोर्ट्स यूनिसर्सिटी बने जिससे यहां के युवा बच्चे आगे बढ़ सकें और हमारे इस भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन कर सके लेकिन दुर्भाग्य दस साल के अंदर एक बार वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सोरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूर्व में मनीष सिसोदिया जी का जाना हुआ। वहां पर नारियल भी तोड़ा और नारियल के बाद वहां पर किसी मेरी मातृशक्ति को उसका वी.सी. अप्वाईट करके और कहा हम इस युनिवर्सिटी को तैयार करने जा रहे हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक उस स्पोटर्स जमीन के अंदर सिर्फ काबली कीकर और देसी कीकर ही खड़ी है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य मेरे दिल्ली देहात का है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने जो मेरे दिल्ली देहात के किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री स्व-किसान योजना के तहत राशि के अंदर बढ़ावा किया उसके लिए मैं बार-बार धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और अपने इस कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और बात रही अभी कुछ देर पहले भाई अनिल झा ने कहा कि गढ्ढे कहां भर दिए, कहां भर दिए। मैं भाई को बताना चाहता हूं कि आज से आठ-नौ महीने पहले जिस रोहतक रोड़ पर एक किलोमीटर को क्रास करने में तीन-तीन घंटे लगते थे आप जा जाओ मेरी विधानसभा में स्वागत है। आप तीन मिनट के अंदर उस एक किलोमीटर को क्रास कर जाओगे हमारे बनने के बाद। ये परिवर्तन है दिल्ली के अंदर और आप जिस किराड़ी के फाटक को

लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे कभी आप भी भारतीय जनता पार्टी में होते हुए आज से आठ-नौ महीने पहले जब बारिश के अंदर इस पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की अगर आकस्मिक मौत हुई तो किराड़ी विधानसभा में और तब आप सभी के साथ मिलकर इन भ्रष्टाचारियों के पाप खोलते थे। आज आपको पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई कि इन भ्रष्टाचारियों के बीच में बैठकर आप एक ऐसे संगठन के लिए बोल रहे हैं। आप को सोचना चाहिए। आपको जरूरत है अपनी अंतरआत्मा से सोचने के लिए। मैं आपको कहता हूं अनिल भाई सोचना? मैं आभारी हूं अपनी मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने हर सैक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया है

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र दरालः नहीं, नहीं, अनिल भाई बैठे रहो आप बड़े जोर जोर से कह रहे थे आवाज करके कि गढ्ढे कहां भर दिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गढ्ढे कहां भर दिए। बैठिए आप आराम से।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षः अनिल जी आप हाउस को चलने दीजिए डिस्टर्ब ना कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनिल जी गलत बात है ये, आप इस सदन के मेंबर हैं गौर से सुनने की हिम्मत रखिये।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षः क्यों नहीं बोल सकते वो आपके नाम को। आप भी सदन के मेंबर हैं और आपने जो बोला उसको कंक्ल्यूड किया उन्होंने, क्या हो गया। आप बोलिये। नहीं गलत बात है ये, ये गलत तरीका है।

श्री गजेन्द्र सिंह दरालः जहां तक आप विकास की बात करते हैं दिल्ली का विकास होना सुनिश्चित है क्योंकि यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने हर जनसभा में कहा कि मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूं और उस बात को दिल्ली की जनता ने जाना और आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व कहता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और ये होकर दिखायेंगे, करके दिखायेंगे ये वादा करते हैं। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर जो इन्होंने बजट दिल्ली को दिया वो बजट इनके सिर्फ 62 और 67 विधायकों की तिजोरियों में घूम के रह गया, वो जनता के बीच में जा ही नहीं पाया, अगर वो गया होता तो आज ये 22 की संख्या में नहीं होते और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इस सदन का टाइम वेस्ट करने के लिये।

(समय की घंटी)

श्री गजेन्द्र सिंह दरालः क्योंकि हमें पांच साल के बाद ये 22 भी हमारे भाजपा के बैठे होंगे, वहां सिर्फ जीरो होगी। ये भी आपसे वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः आदरणीय सिरसा जी। सिरसा जी।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षः नहीं गलत बात है ये।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षः सुनिये ये सदन के अंदर, नहीं नहीं ये गलत बात है।

सुनिये, ये गलत बात है ये गलत परिपाटी है। इस सदन के अंदर जो व्यक्ति है उसका नाम लिया जा सकता है। यदि वो सदन।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आतिशी जी, अच्छा, ठीक है।

माननीय उपाध्यक्षः बिल्कुल ये ठीक है। सेकेंडली जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य उसका नाम बिल्कुल बोला जा सकता है, आपने बोला तो उन्होंने कहा। लेकिन जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में नहीं बोला जा सकता है। ये पहले भी थी।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): अनिल भाई बैठ जाईये आराम से।

माननीय उपाध्यक्षः नहीं-नहीं आप बैठिये मैम।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): आतिशी मैडम, आतिशी, आतिशी जी।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): आतिशी जी हमें पता है आप केजरीवाल जी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं आप।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षः बोला है न, बहुत सी चीजें नहीं बोली जाती।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपने मुझे हमारे बजट के उपर बोलने का मौका दिया। मैं आतिशी जी की भावना समझ सकता हूं। आतिशी मैडम।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मैडम आप समझदार हैं आप रूलिंग की बात कर रहे हैं और आप क्या करते थे यहां सदन के अंदर। हमने आपके सदन के अंदर जो हरकतें आप करते थे न वो कितना बुरा हाल था इस सदन का। आप सदन को चलने दीजिये। मैडम आप सदन को चलने दीजिये आतिशी जी। मेरी आपसे हंबल रिक्वेस्ट है आप बैठ जाईये। बैठ जाईये आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता आपकी पार्टी में।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): आतिशी जी बैठिये

माननीय उपाध्यक्ष: आप, बोलने दीजिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये आप।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधान सभा में एक शानदार जनकल्याणकारी बजट को लाकर इस दिल्ली के अंदर दिल्ली के विकास की नींव रखने का काम किया है। मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास करते हुए हमें इतना बड़ा मैनडेट देकर दिल्ली को

दोबारा इस उजाड़ी हुई दिल्ली को, इस लूटी हुई दिल्ली को, जिसको दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, स्थापित करने का हमें मौका दिया है। देखिये, ये बजट एक लाख करोड़ का बजट हमारी मुख्यमंत्री जी केवल 30 दिन की सरकार में देने में कामयाब हुई। अध्यक्ष जी पहले आपको ये जरूर समझना होगा पिछले दस साल से बजट यहां पर पढ़े जाते थे वो बजट केवल पढ़ने के लिए थे जहां मेरे से पहले भी कुछ मैम्बर साहिबानों ने कहा कभी ग्रीन बजट था कभी कोई नाम से बजट था उनका परपज़ क्या था उनका परपज़ था लोगों को मीठी-मीठी बातों में लाकर जो दिल्ली को लूटा कैसे जाएगा उसकी एक जन कल्याण नीति बनाई जाती थी कि इस नीति को कैसे काम किया जाएगा। अभी चले गए हमारे एक मैम्बर साहब यहां बोल रहे थे ये बैठे हैं इधर ही बैठे हैं माफ करना बड़ी सुंदर बात ये बोल रहे थे बोले दिल्ली की बिजली हाफ कर दी, पानी माफ कर दिया, बताऊँ आपको, बताऊँ आपको एक लड़का ढूंढा शादी के लिए पूछा क्या काम करता है बोला लकड़ी का व्यापारी है क्या काम करता है बोला लकड़ी का व्यापारी है, हमने कहा काफी बड़ा आदमी है लकड़ी का व्यापारी है तो शादी कर देनी चाहिए जब शादी शुदी हो गई पता क्या चला दातुन सुबह जा के पार्क में बेचता है। ये काम किया बोले बिजली हाफ, पानी माफ। ये बैठे हैं हमारे लवली जी 200 यूनिट बिजली में से सौ यूनिट बिजली का हाफ बिल दिया करते थे शीला दीक्षित जी ऐसे ही होता था 200 यूनिट में से आधी सौ यूनिट का बिल माफ ही था क्योंकि 200 में से हाफ बिल देते थे और तुमने 400 में से...

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): सुनिए-सुनिए-सुनिए मैं बता देता हूं आपको नहीं पता तो बताते हैं बताते हैं इसी तरह हमारी, नहीं पता

इनको, तुम सब निक्कर पहनके चलते थे ठीक कहा तुमने, इसी तरह, आतिशी जी सुनिए, इसी तरह पंजाब में स्वर्गीय दिल्ली के

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): तो दातुन बेचने वाले लोग, आप बेचते दातुन हैं

*(3.57 पर माननीय अध्यक्ष महोदय **श्री विजेन्द्र गुप्ता** पीठासीन हुए)*

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): बेचते दातुन हैं पार्क में और बताते हैं अपने आपको लकड़ी के व्यापारी हैं। बेचते दातुन हैं वो भी सुबह जा के पार्क में और बताते हैं अपने आपको लकड़ी के व्यापारी हैं। इस तरह ही आज ये एक लाख करोड़ का जो बजट है ये दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी बजट क्यों है क्योंकि आप देखिए हमारी सरकार ने सड़कों के लिए जिसको आप खुद ही कहते थे गढ्ढे भरने के लिए, बताइए विधानसभा के अंदर बोल रहे थे क्या बोल रहे थे अब हमने गढ्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है हमने दिल्ली के गढ्ढे भरने का काम करना है। अब ये नहीं बताया गढ्ढे हमने खोदे थे जिसमें तुम गिर रहे हो, खोदे भी हमारे हैं जिसको हमने भरना है। अब पहले गढ्ढे खोदने का काम करते हैं फिर भरने का काम करते हैं और फिर कहते हैं हम ओहो! हमारी तारीफ में कसीदे पढ़े जाएं। देखिए? इस दिल्ली के अंदर 3,843 करोड़ रूपया केवल निर्माण के लिए लगाया गया है इस दिल्ली के अंदर हमारे इस बजट में जो आपने 1200 एकड़ पिछले दस साल से जो इंडस्ट्री लगने के लिए तीन बड़े स्थान थे क्योंकि आपका तो ध्यान ही लूटने की तरफ था तो काम करने की तरफ तो ध्यान नहीं था अब वो तीनों के तीनों इंडस्ट्रीयल

पार्क जब डेवलेप होंगे तो दिल्ली में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह हमारी सरकार ने तय किया है एक ग्लोबल इनवेस्टर्स की एक मीट कराई जाए कि दिल्ली को विकसित करने के लिए दिल्ली में जो इंवेस्टमेंट लाना चाहते हैं उसकी इंवेस्टमेंट ला के दिल्ली को रोजगार दिया जाए। हमारी सरकार इसी तरह Trader Welfare Board बोर्ड बनाने जा रही है इससे क्या है दिल्ली के ट्रेडर्स के लिए एक संजीवनी होने जा रही है। मैं यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी एक योजना को और स्थान दिया है जो अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्म शताब्दी पर सौ स्थानों पर अटल कैंटीन खोलने का काम है। आप कल्पना करिए जब भोजन वो भी स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन एक पौष्टिक भोजन एक गरीब के घर तक पहुंचेगा तो उसका लाभ हमारी दिल्ली की इस गरीब के घर-घर तक पहुंचने का काम हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है। हमारी सरकार झुग्गी-झोंपड़ी और कालोनियों को लेकर भी उतना ही चिंतित है क्योंकि पिछले दस साल में तुमने उनको इतना रूलाया है कि आज उनके पास ना शौचालय है ना कोई अच्छी व्यवस्था है, पीने का पानी उन तक पहुंचता नहीं है 696 करोड़ रूपया हमारी सरकार ने उन झुग्गी बस्ती वालों के लिए भी चिंता करते हुए रखा है। इसी तरह 500 करोड़ रूपया यमुना माता की सफाई के लिए, यमुना मां अब मुझे फिर वही कहना तो पड़ेगा तकलीफ तुम्हें होगी पर झेलनी भी तो पड़ेगी ये तकलीफ तुम्हें झेलनी भी पड़ेगी। ये जो केजरीवाल जी कहते थे यमुना के नाम पर वोटें नहीं मिलती। बड़े दुःख और खेद की बात है कि आप यमुना मैया के प्रति ऐसे अपशब्द बोलते हैं, आप बैठ के झूठ बोलते हैं 2014 के चुनाव में 15 में कि मैं 5 साल में यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं कर पाते। फिर भी इसमें दोबारा से झूठ बोलते हैं फिर गोवा इलैक्शन से पहले फिर झूठ बोल के कहते हैं और फिर जब चुनाव का समय आ जाता है

तो कहते हैं यमुना जी को साफ करने से वोटें नहीं मिलती। वोटें तो नहीं मिलती, लेकिन फिर श्राप ऐसा मिलता है कि जेल में भी जाना पड़ता है और दिल्ली भी छोड़नी पड़ती है। लेकिन हमने उसी यमुना जी की सफाई के लिये 500 करोड़ रूपया जिस यमुना जी के नाम पर आपने 8,000 करोड़ रूपया डकार गये, यमुना जी को साफ करने के नाम पर उसकी सफाई के लिये हमने रखा है। इसी तरह हमारी सरकार आने वाले समय में 400 वैलनेस सेंटर बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार आयुष्मान भारत के तहत एक जरूरतमंद को जब 10 लाख रूपये का उसका इलाज वो भी मुफत में, वो भी दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में जैसे मोहल्ला क्लिनिक में तो आतिशी जी ने बताया था वो भी इलाज कराने नहीं जाती, तो हमारे गरीब परिवार के लोग क्यों जायें। झुग्गी बस्ती वाले क्यों जायें, उनको भी वहीं इलाज होना चाहिये इसलिये 10 लाख रूपये तक का मुफत में इलाज देने का काम भी हमारी दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से पिछले 10 सालों से हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया लेकिन हमारी सरकार जहां नई इंडस्ट्री पॉलिसी ला रही है वहीं 9,000 करोड़ रूपये का पीने के पानी के लिये जल बोर्ड को जिसको भी आपने दोनों हाथों से लूटा, घर में साफ पानी सबके जाये, सीवरेज की नई लाइन डल जाये और 9,000 करोड़ रूपया देने का हमने काम उसमें भी किया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली के अंदर अब जीपीएस से ये जो टैंकर माफिया आप खड़ा करके गये थे, जिनसे लूटने का जिन्होंने दिल्ली को काम किया है अब जीपीएस से आप उनका सारा हिसाब-किताब लेने का भी हमारी सरकार काम करेगी। मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि एजुकेशन के अंदर भी क्रांति लाने के लिये जिस क्रांति को आप फेल करके बच्चों को

नौंवी में और दसवीं के बोर्ड के एग्जाम में जाने नहीं देते थे उसके लिये पीएम श्री जैसे स्कूल बनाने की ये सौ करोड़ रूपया और इसी तरह जैसे मेरे से पहले कहा है स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बनानी हो, या 200 करोड़ लगा के स्किल युनिवर्सिटी लानी हो, या एक सौ करोड़ लगा के 7,000 स्मार्ट क्लासिज़ बनानी हों या 50 करोड़ से कई कंप्यूटर लैब बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मुझे यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से किसान की चिंता मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले हमारे पंजाब के किसानों को कैसे पीट-पीट कर जेलों में बंद किया गया वो किसान जिनको केजरीवाल जी ने कहा था हमें आते ही तुम्हारे एमएसपी लागू कर दूंगा, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा इस नाम से ली थी, 24 घंटे के अंदर सारी फसलों के ऊपर एमएसपी हो गयी ये कहा था सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अब जो हक मांगते हैं तो उनको डंडों से पीट-पीटकर जेलों में बंद किया जाता है उन्हीं किसानों की चिंता करते हुये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जहां उन किसानों के लिये केन्द्र की सरकार उनको 6 हजार रूपया देती है वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के किसानों को 3 हजार रूपया दिल्ली की सरकार भी टॉपअप के रूप में देने का काम करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी ये आपको एक और बधाई देना चाहता हूं इस दिल्ली को आपने उस दिन भी कहा था इस दिल्ली को जब बाबर ने लूटने का काम किया तो फिर महाराणा सांगा ने उसको रोकने का काम किया, जब हुमायू ने लूटने का काम किया तो शेरशाह सूरी ने उसको रोकने का काम किया, जब अकबर ने लूटने का काम किया तो महाराणा प्रताप ने उसको रोकने का काम किया और जब औरंगजेब ने लूटने का काम किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोकने का काम किया और इसी तरह जब दिल्ली के मालिक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने लूटने का काम किया तो दिल्ली की हमारी नेत्री रेखा गुप्ता जी ने उसको रोकने का काम किया। दोनों

हाथों से लूटने का काम करते थे, बिल्कुल आपके पेट में तो दर्द होना स्वाभाविक है थोड़ी सी गोलियां खाया करो, खानी चाहिये अच्छी बात है और नहीं-नहीं और दूसरी बात आज जो अपने आपको दिल्ली के मालिक बताते थे हमें इस बात का खेद है लूटने के बाद दिल्ली का हाल पूछने भी नहीं आये। आज एक महीना हो गया सत्ता की लालसा ऐसी है, सत्ता की लालसा ऐसी है जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते खुद तो गये गये सारे के सारे ही पंजाब में साथ ले गये। केजरीवाल जी वहां, मनीष सिसोदिया जी वहां, सत्येन्द्र जैन जी वहां हम उनका नाम पता है क्यों ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन कुर्सियों पर बैठकर लूटने का काम किया इसलिये उनका नाम लेकर बता रहे हैं हम बता रहे हैं इन कुर्सियों पर बैठकर दिल्ली के विकास का काम करने वाले लोगों ने जब लूटने का काम किया और नाम उनका हम ही नहीं अकेले ले रहे ई.डी. और सी.बी.आई. भी ले रही है ई.डी. और सी.बी.आई. भी उन्हीं का नाम लेती है और विजिलेंस वाले भी उन्हीं का नाम लेते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये, बैठ जाईये।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्रीः और नाम तो, अरे तेरे इतने पेट में क्यों दर्द हो रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये।

माननीय उद्योग मंत्रीः मुझे ये कहते हुये पीड़ा हो रही है। आज एक महीना हो गया इतनी सत्ता की लालसा है कि सत्ता छोड़ने का नाम नहीं लेते। एक लाख करोड़ रूपये का बजट दिल्ली के विकास के लिये है।

माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाईये, नहीं-नहीं आप अपनी सीट पर जाईये।

माननीय उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आज एक लाख करोड़ का जो बजट है ये दिल्ली के लिये एक जन कल्याण का बजट है ये 76 हजार करोड़ रूपये का बजट।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जारी रखिये।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्रीः अरे तू बैठ जा तेरे को मैं जानता हूं बैठ जा।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्रीः अरे बैठ जा बैठ जा जानता हूं मैं तेरे को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिये आप कह दीजिये, आप आप लखनवी अन्दाज़ में।

माननीय उद्योग मंत्रीः आज, अरे ये मेरा छोटा भाई है मैं उसको जो मर्जी बोलूं हमारे दो भाईयों की बात है।

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं लखनवी अंदाज में कह दीजिये, पहले आप पहले आप।

माननीय उद्योग मंत्रीः अनिल भाई क्या हम तेरे को तू नहीं कह सकते।

माननीय अध्यक्षः चलिये हो गया बैठिये अब आप बैठिये हो गया।

माननीय उद्योग मंत्रीः मेरे भाई तू मेरा बड़ा भाई है। आप मेरे बड़े भाई हैं ठीक है।

माननीय अध्यक्षः बस बस हो गया बैठिये।

माननीय उद्योग मंत्रीः और पूनम हमारी बहन है हम जो मर्जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब मैं, देखिये आप चर्चा को चलने देंगे।

माननीय उद्योग मंत्रीः आप बोलेंगे आप बोलेंगे, अरे आप बोलिये।

माननीय अध्यक्षः चलिये बैठिये-बैठिये।

माननीय उद्योग मंत्रीः चलिये चलिये आप बोलेंगे आप बोलेंगे आप, हमारी पूनम भाभी को भी हम आप ही बोलते हैं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी आप जारी रखिये, बैठिये-बैठिये।

माननीय उद्योग मंत्रीः चलिये, मैं आपको अध्यक्ष जी मैं जहां हमारी बहन।

माननीय अध्यक्षः बोल तो दिया।

माननीय उद्योग मंत्री: माननीय रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के हर वर्ग की बात को सुना है किसान की बात को सुना है, गरीब की बात को सुना है, एक बेटी की भावना को सुना है और जब उन बहन-बेटियों को जरूरत पड़े तो जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ढाई हजार रूपया उनके खाते में पहुंचे उसके लिये भी 51 सौ करोड़ रूपये का पहली बार ये सरकार है पहले बजट में रखने का काम किया है और मैं अपने विपक्ष के दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं तीन साल से, हां जी बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री: अच्छा, इसी तरह अध्यक्ष जी, मुझे याद है ये जो सामने मेरे विपक्षी नेता...।

माननीय अध्यक्ष: ये टी-ब्रेक के बाद आपका कॉन्टिन्यू करा देते हैं, ठीक है टी-ब्रेक 20 मिनट का टी-ब्रेक है उसके बाद सिरसा जी को कॉन्टिन्यू।

(सदन की कार्यवाही चायकाल हेतु 20 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 4.33 बजे समवेत हुआ।

*माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेन्द्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष: शुरू करिये।

माननीय उद्योग मंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये बजट एक लाख करोड़ का बजट दिल्ली की आशाओं और उम्मीदों का बजट, दिल्ली के जन-जन का बजट और दिल्ली के लोगों का बजट। इस बजट में हमने हर पहलू का ध्यान रखा इस बजट में जहां परदर्शिता का ध्यान दिया गया वहीं दिल्ली के अन्दर हर वर्ग का

चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे वो झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला हो हमने हर वर्ग का ध्यान दिया है वहीं हमने दिल्ली में स्वच्छ हवा रहे इसके लिये हमारी सरकार ने 506 करोड़ रूपया इन्वायरमेंट के लिये और फोरेस्ट के लिये हम ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाकर दिल्ली को हरा बना सकें। 3 सौ करोड़ रूपया पोल्यूशन को रोकने के लिये दिल्ली की हवा को साफ बना सकें और इसमें हमने एक रूपया भी इसके लिये नहीं रखा कि विदेश के अखबारों में एड देकर अपनी वाह-वाह लूटेंगे इसके लिये हमने एक रूपया भी नहीं रखा हमारा मकसद दिल्ली के काम करके दिल्ली के दिल जीतना है दिल्ली के लोगों का ना की विदेश के अखबारों में जिस अखबार को खुद को ही ना पढ़ता हो उसके लेख लगाकर फिर दिल्ली की विधानसभा में पढ़-पढ़कर सुनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब देश की सरकार हमारी काम कर रही थी दिल्ली में कोविड के दौरान यहां की सरकार दिल्ली की सरकार 40 लाख रूपया रोज का अखबारों पर इश्तिहार लगाने का काम कर रही थी ये वो बजट था ये सरकार जो देती थी 40 लाख रूपये के रोज के इश्तिहार लगते थे और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन को तड़प रहे थे, डॉक्टरों को तड़प रहे थे, दिल्ली के लोग अस्पतालों में खड़े लाइनों में लगे थे शमशान की लाइनों में लगकर अपने परिवार का संस्कार करने के लिये भी लगे थे और ये 40 करोड़ रूपया रोज का अखबार में एड देने का काम कर रहे थे ये इनका बजट था। आज हमसे पूछने वाले अभी पूछ रहे थे अब हम क्या करें अगर आप पढ़ नहीं पा रहे बजट में लिखा हुआ है 51 सौ करोड़ रूपया हमारी बहन-बेटियों के लिये है ढाई हजार रूपया महीना देना है, आतिशी जी आप तो लोकसभा से, और एक वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम हजार रूपया देंगे लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम

हजार रूपया देंगे एक के छोड़िये दो-दो चुनाव हार कर चले गये वो हजार रूपये को बहन-बेटियां ढूंढ रही हैं। तीन, ये वो लोग हैं यहीं इस विधानसभा में फिर कहा पहले कहा लोकसभा में हजार रूपया देंगे हमें वोट दे दो फिर बोले अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे दो मैं जेल नहीं जाऊँगा। मैं याद कराना चाहता हूं यहां पूछा जा रहा था और मैंने बार-बार ये बात कही आज फिर से दोहराकर ये बात बोलना चाहता हूं आज मैं फिर आपको फिर आपको बताना चाहता हूं। इसी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था हम हजार रूपया देंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद देंगे वो बेटियां-बहनें आज तक ढूंढ़ती रहीं फिर फार्म भरवा दिये अब 21 सौ देंगे और जब हम चुनाव लड़ने जाते थे तो बहन ऐसे फाड़कर फेंकती थी ऐसे फाड़ती थीं बहनें कागज फेंकतीं थीं हम कहते थे अरे कागज क्यों फाड़ रहे हो, कह रहे इतने नकली हैं इनका कागज भी हमारे घर में चला जायेगा तो वो भी नेगेटिविटी का घर बनकर रह जायेगा और कागज भी बाहर फाड़कर फेंक जाती थी ऐसी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर और फिर देखिये, मैं तो है हैरान हूं यार एक बात तो माननी पड़ेगी आपका कॉन्फिडेंस की दाद है भई सौ के सौ नम्बर हैं आपके। वो बहनें एक हजार के लिये पिछले तीन साल से इन्तज़ार कर रही हैं एक हजार रूपये के लिये पिछले तीन साल से इन्तज़ार कर रहे हैं और भई इनकी भी आप देखो इन, इन लोगों का कॉन्फिडेंस इनसे जीतना पड़ेगा, हजार तो देना छोड़ो हमारा ढाई हजार जो हम दे रहे हैं 51 सौ करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान करके रख दिया ये उसकी चिंता नहीं करते, ये कहते हैं जी आज ही हमें रात को दो पर अपने हजार रूपये को इनको याद नहीं आता। इसी तरह आतिशी जी, तो आतिशी जी हम आपको ये कहना चाहते हैं ये आज, जी-जी-जी-जी अब बोलिये आपका बोलना भी जरूरी है तो आतिशी जी, आतिशी जी हमारी सरकार जैसे आपने सही कहा कि मोदी जी जो

कहते हैं वही करते हैं हमारी सरकार खाली दिल्ली में नहीं और खाली दिल्ली में नहीं हम मध्यप्रदेश में भी दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं, हम हरियाणा में भी दे रहे हैं, हम महाराष्ट्रा में भी दे रहे हैं और दीदी हम दिल्ली में भी देंगे और मैं आपको एक बात और बताऊँ, लवली जी और आप भी सुनो मारवाह साहब क्योंकि आपको बोलना होगा आपके काम आयेगा ये जरूरी है आपके लिये हम आपको बतायें हम खाली ढाई हजार दिल्ली में नहीं हम बड़ी जल्दी सूद साहब हम बड़ी जल्दी 2027 के बाद मारवाह साहब 2027 के बाद पंजाब की बहनों को भी हम ही जाकर ढाई हजार देकर आयेंगे वो भी हमारे हिस्से आने वाला है, वो भी हमारे हिस्से आने वाला है। ये केजरीवाल जी ने तो ना केजरीवाल जी को अब इस बात की चिंता नहीं मैं हार गया, केजरीवाल जी को ये चिंता है कि मैं तो हार गया ये भगवंत अभी तक मुख्यमंत्री बनकर बैठा है इसको हटाना बड़ा जरूरी है। अब कह रहे हैं तीनों को साथ ले गए। कह रहे मनीष भई चल, कह रहे क्या करना है, कह रहे सत्येन्द्र चल, कह रहे क्या करना है कह रहे हम तो वेले हो गये सनम हम तो डूबे हम अब भगवंत मान को भी ले डूबेंगे ये बेचारे उसकी भी सरकार डूबाने के लिये वहां पहुंच गये हैं। अरे, मेरे भाई वो आपका साथी है ऐसे मत करो उसके साथ। मैं उसके तरफ से माफी मांग लेता हूं, मैं भगवंत मान की तरफ से माफी मांग लेता हूं। अगर उसने कोई गलतियां की हैं तो उसको माफ कर दो ऐसे मत करो बेचारे को इतना जलील मत करो और सुनिये इतना जलील करते हैं बेचारे को, अब मनीष सिसोदिया गया पहले सत्येन्द्र जैन गया और तो और जिस आदमी ने मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर एक नेत्री एमपी को पीटने का काम किया, अब उसको भी जाकर भगवंत मान के सिर पर बिठा दिया, कह रही अब ये आकर बैठ गया। तो इसलिये हमारे बजट से आपको तकलीफ होनी जायज है और मैं एक बात और

है मुझे अभी बाहर मिडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा देखो में आतिशी का बहुत सम्मान करता हूं वो हमारी नेत्री विपक्ष की हैं आप उसकी कुर्सी खाने का इन्तज़ाम मत करो। तुम क्या सोचते हो हम एक लाख करोड़ का बजट देंगे और ये डांस करेंगे अरे भई ये तो रोयेंगे ही और क्या करेंगे अगर हंसेंगे तो केजरीवाल कुर्सी छिन लेगा इनकी तो आपकी में दर्द समझता हूं आपकी, मैं तुम्हारा साथी हूं मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं तुम्हार डर और खौफ जायज़ है इसलिये मैं आपको बधाई देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ और बात विजेन्द्र जी अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं नाम थोड़ी लूंगा इनमें से किसी का भी लेकिन अकेले मैं मुख्यमंत्री जी के कमरे में आकर मेरे कमरे में आकर सारे एमएलए बधाई देकर गये हैं। मुख्यमंत्री जी के कमरे में आकर भई आपने कमाल कर दिया अब हमारे सारे सीवेज खुल जायेंगे, हमारी सड़कें भी बन जायेंगी हमारे ये हमारे कमरे में आकर और ये भी देश में पहली बार हुआ है। देखो, इस बात की खुशी हमें खुशी इस बात की है अध्यक्ष जी देश में पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने ये प्रस्ताव रखा विपक्ष ने यहां पर कहा विपक्ष ने क्या कहा, कह रहे यार केजरीवाल जी के शीशमहल को म्यूज़ियम बना दो और टिकट लगा दो ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुख्यमंत्री की नालायकी को जगजाहिर करने के लिये म्यूज़ियम बनाने की बात करें यह भी प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है। मैं ये मानता हूं आपके दर्द और पीड़ा को मैं समझ सकता हूं कितना पीड़ा, अब देखो हंसते हैं देखो केजरीवाल जी का नाम लेते ही ना जैसे केजरीवाल जी के पर्दे उतर रहे हैं खुश हो जाते हैं हमारे नेता के नाम बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है ऐसे मुंह बनाकर अरे तू बोलेगा कैसे ओये और ये पता है क्या कह रहे हा-हा-हा-हा-हा ये है चाल। मैं मानता हूं केजरीवाल जी यहां इस पीड़ा को समझ सकते होंगे कहीं देख रहे होंगे तो उनको कितना

दर्द हो रहा होगा और उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं एक नेता के लिये इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बनाये एमएलए उस पर हंस रहे हों इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे भाईयों एक लाख करोड़ के बजट में आपके इलाके का विकास भी होगा, आपकी सड़कें भी नई बनेंगी, आपकी बहन-बेटियों को भी ढाई हजार रूपया महीना मिलेगा, आपके बच्चों के परिवारों के लिये भी नई सीवेज की लाइनें डलेंगी, नई पानी की लाइनें डलेंगी। अध्यक्ष जी ये बजट देश के इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में दिल्ली का बजट लिखने जाने वाला है जब दिल्ली के लोग विकास की बात करा करेंगे तो ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गवाही में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट बना था जिसने दिल्ली को बदलने का काम किया। आप सबका बहुत धन्यवाद और विपक्ष के मित्रों आपका भी धन्यवाद जो आप अपने नेता के एब्सेंस में भी उसकी चिंता करते हो, आपका भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र कुमार जी। माननीय सदस्य सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार देश के प्रत्येक राज्य की सरकार से सुंदर सरकार रही। दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी के मॉडल को पूरे देश के लोगों ने पसंद किया है और आम आदमी पार्टी की सरकार के स्कूलों को देखने के लिये, हॉस्पिटल को देखने के लिये और, पहले बोल तो लेने दो सर।

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमारः तो आपसे, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कहना चाहता हूं दिल्ली के विकास को मॉडल को तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पसंद करने का काम किया। जिस सरकार में।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी...

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमारः जिस सरकार में, जिस सरकार में देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिन्होंने इस मॉडल को अपने प्रदेशों में उस मॉडल को उतारने का प्रयास किया गया। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री, देश का पहला मुख्यमंत्री जिसने देश में शुरूआत करी बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और मोहल्ला क्लीनिक फ्री और महिलाओं के लिये डीटीसी फ्री। इस देश का पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने साबित किया मानवता, इंसानियत को दर्शाने का प्रयास करने का यदि काम किया है तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने ये मॉडल साबित करने का काम किया उसी मॉडल को लेकर हम तमाम प्रदेशों में गये और इसकी चर्चा हुई। आज पंजाब में भी सरकार जो बनी वो दिल्ली के विकास के मॉडल को लेकर बनी तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कहना चाहता हूं वास्तव में जो शिक्षा पर आम आदमी पार्टी ने काम किया। उन्होंने गरीब के, एक केला बेचने वाले के, एक सब्जी बेचने वाले के बच्चे को जो डॉक्टर बनाने का काम किया मेरी विधानसभा में।

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमारः मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूं। 15 बच्चे मेरे यहां से डॉक्टर बने, तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं, दो बच्चे वहां

टीचर्स बने, तीन बच्चे वहां मेरी विधानसभा में. आप बैठिये-बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट point of order

श्री सुरेन्द्र कुमारः वहीं आ रहा हूं वहीं सर वहीं आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी वहीं आ रहा हूं अभी।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट-एक मिनट point of order है राजकुमार चौहान जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजकुमार चौहान जी।

...(व्यवधान)

श्री राजकुमार चौहानः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः राजकुमार चौहान जी को आप, दो मिनट आप बैठ जाईये, हां जी।

श्री राजकुमार चौहानः एजुकेशन का स्तर कितना अच्छा रहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हर साल का डेटा निकलवा लें कि कितने बच्चे हर साल।

माननीय अध्यक्षः ये point of order में नहीं आता आपकी बारी आये तब बोलना।

श्री राजकुमार चौहानः एक मिनट 100 परसेंट रिजल्ट कितने स्कूलों का आता है।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र कुमारः आज दिल्ली का जो शिक्षा का बजट है करीब 5 परसेंट बजट दिया है और बच्चों के लिये शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जितना पियेगा उतना वो दहाड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने आप जाकर देखें मेरे यहां बहुत अच्छा स्कूल बना है एक, फाइव स्टार स्कूल बना है फाइव स्टार जैसा।

श्री हरीश खुरानाः पुरानी सरकार हो गई वो।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अरे पुरानी अभी सरकार बनी भाई पीछे तो बनी है दस साल की सरकार में काम हुआ है।

श्री हरीश खुरानाः नई हमारी पार्टी की सरकार है।

माननीय अध्यक्षः हरीश जी समय देखो।

श्री सुरेन्द्र कुमारः हमने बच्चों को गरीब बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का काम करने का काम किया गया। इस बार उस.. करीब 5 परसेंट।

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही अब 5.00 बजे तक चलेगी इसलिये कुछ वक्ता हैं उनको आप बोलने दो।

श्री सुरेन्द्र कुमारः बजट की कटौती की गई। आप कहते हैं कि डीटीसी

में घाटा रहा हमने दिल्ली की जनता को फिफटी परसेंट फ्री यात्रा देने का अपनी महिलाओं को अपनी बेटियों को अपनी माताओं को जो फ्री हमने यात्रा कराने का काम किया ये देश की पहली सरकार है। परिवहन अपनी परिवहन विभाग में पहली बार गाड़ी चलाने का जो काम करने का जो काम किया देश की पहली सरकार है। इसी सरकार की तमाम नीतियों को लेकर तमाम देश के प्रत्येक राज्यों में सोच विचार कर रहे हैं कर रहे हैं कि हमें भी ये आम आदमी पार्टी का मॉडल हमें भी देना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के पहले विरोधी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये संविधान में नियम है कि जितनी जनसंख्या होती है उसी जनसंख्या के आधार पर 17 परसेंट बजट एससी, एसटी, ओबीसी को देना चाहिये लेकिन इस बार वो बजट नहीं दिया गया वास्तव में बजट के इस या भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी दलितों के बच्चों के साथ और इस सूचीबद्ध समाज के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया गया। तो आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार वो सरकार थी ये सरकार यदि आपदा के समय, कोरोना के समय यदि कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी कोई व्यक्ति मरता था तो उसको हमारी सरकार एक करोड़ रुपये देने का काम करती थी। यदि उस समय कोई हमारा कोई भी कर्मचारी शहीद हुआ मेरे यहां ऐसे 7 घरों को एक-एक करोड़ रुपये देने का काम हमारी सरकार ने कहा। आप आयुष्मान की योजना की बात करते हैं हमारी सरकार 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इलाज फ्री करने का काम करती थी। उस वक्त में भी आपने स्वास्थ्य विभाग में भी कटौती का काम किया। आपने सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने का काम किया क्योंकि या हमारा एमएसओ या डॉक्टर हो इन सभी की यदि परमीशन कौन देता था एलजी देता था। एलजी के बगैर कोई सरकार नहीं चलती सरकार तो एलजी की चलती थी। इन दो सालों में लगातार

आम आदमी पार्टी को परेशान करके और ये साबित करने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी निक्ट्ठी सरकार है लेकिन प्रदेश की जनता जानती है हम जानते हैं कि 1.9 से हम हारे हैं कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। कोई हमारा कैंडिडेट 200 वोट से हारा कोई 300 से हारा कोई 700 से हारा अगली बारी फिर आएंगे फिर यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी फिर हम उधर बैठेंगे क्योंकि 5 साल आपको देखेंगे। हर समाज का व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है 27 साल बाद आपको मौका देने का काम दिल्ली की जनता ने करने का काम किया। अब देखते हैं आप कितने खरे उतरते हैं और मेरा कहने का तात्पर्य यह है जनता उसी को वोट देती है जो काम करती है। जनता ने 3 बार सरकार बनाने का काम दिल्ली के लोगों ने कहा करने का काम और आपने हमें 2 साल लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपने जो 1 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है उस बजट में एससीएसटी के बच्चों को भी जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको लागू करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यमुना पार एक ऐसा क्षेत्र है जो एशिया का सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या वाला क्षेत्र है। मैं आपसे अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से की हमारे यहां एक यमुना विकास बोर्ड होता था उसको भी चालू कराने का काम करें। जब राजकुमार जी हमारे इधर मंत्री रहते थे तो निश्चित तौर से 50 करोड़ रुपये तो मैंने अपने यहां खर्च करने का काम किया तो आपसे कहना चाहता हूं यमुना पार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो आपसे निवेदन करना और ये जनसंख्या वाला क्षेत्र आप वहां पर विकास बोर्ड को लागू करके उसको भी अपने इस बजट में लाना चाहिए था और आपसे माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमारः आप तो लागू करो क्या हो गया। आप लागू करो क्या कोई तो शुरुआत करे, नहीं कोई तो शुरुआत करे।

(समय घंटी)

श्री सुरेन्द्र कुमारः तो आपसे नहीं अनॉथराइज।

माननीय अध्यक्षः आपसे बुलवाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट सर एक मिनट।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सुरेन्द्र जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यमुना पार विकास बोर्ड किसने गठन किया?

श्री सुरेन्द्र कुमारः तो आप चालू कर लो न अब।

श्री मोहन सिंह बिष्टः नहीं किसने किया?

श्री सुरेन्द्र कुमारः अरे अब आप चालू कर लो हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे, आपकी सरकार हो गई तो चालू करो। मैं आपसे अनॉथराइज कालोनियां। अनॉथराइज कालोनियों को रेगूलराइज करने के लिए दिल्ली सरकार के पास अधिकार नहीं हैं, सुन लीजिए मेरी बात। 2021 में अनॉथराइज कालोनी पक्की करने के लिए आप डीडीए को आपने देने का काम किया गया। आप सुन लीजिए, क्योंकि डीडीए ने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप तो डिस्टर्ब मत करो। अब तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो सुरेन्द्र जी को।

श्री सुरेन्द्र कुमारः डीडीए ने एक भी कालोनी पक्की नहीं करी, माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब बोलने दीजिए न साइलेंट।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः कोई देखिये पूरा करने दीजिए। आप खुद ही नहीं बोलने दे रहे मेंबर को। आप बोलने दो न उनको, मैं बैठा हूं न, मैं कर लूंगा अपने आप बोलिए-बोलिए।

श्री सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, जब दिल्ली सरकार की एक भी कालोनी डीडीए ने नहीं करी क्यों 2021 में ये सारी कालोनी कहां चली गई डीडीए के पास चली गई ऐसा आप इस बजट में नहीं लेकर आए कि किस तरह इन कॉलोनियों को हम रेगूलराइज करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग तमाम यहां अनॉथराइज कॉलोनी के कम से कम 70-80 परसेंट लोग यहां बैठे हैं जो अनॉथराइज से लोग जीतकर आते हैं। मेरे यहां भी ऐसी 6-7 कॉलोनी हैं जिनको रेगूलराइज नहीं किया गया जो रेगूलराइज किया जाएगा तब इन कॉलोनियों को यूडी से पैसा अनॉथराइज फंड लगाने का काम किया जा सकता है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इसको भी बजट में लाना चाहिए था तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं लंबी बात न कहते हुए ये जो बजट आया है वास्तव में बच्चों के भविष्य के अंधकार के लिए आया है। उनके साथ धोखा हुआ है और यहां के ओबीसी, एससीएसटी, माइनॉनिटी

(समय की घंटी)

श्री सुरेन्द्र कुमारः के लोगों के साथ अत्यंत धोखा करने का काम किया है भारतीय जनता ने और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर फिर यदि अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम अच्छी सरकार बनाएंगे लेकिन दिल्ली के विकास के मॉडल को ये जो विश्वस्तरीय जो विकास मॉडल हुआ है, जो तमाम विदेशों से आकर हमारे मोहल्ला क्लीनिक देखी, हमारे स्कूल देखे।

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये।

श्री सुरेन्द्र कुमारः हमारे हॉस्पिटल देखे जिन्होंने ये चर्चा अपने देश में जाकर देखी। अमरीका के राष्ट्रपति आते हैं, उनकी पत्नी आती है, जापान का प्रधानमंत्री आता है ये तमाम विदेशी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए उन्होंने अपने देश में जाकर ये चर्चा करने का काम किया कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी सरकार चलाकर मानवहित जन कल्याण के लिए।

माननीय अध्यक्षः चलिए, गजेन्द्र यादव जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, गजेन्द्र यादव।

श्री गजेन्द्र सिंह यादवः माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जिन्दाबाद कहकर मैं अपनी बात शुरु करना चाहता हूं क्योंकि कल जो 1 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया उसकी चर्चा दिल्ली की गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले और एक-एक आरडब्लूए में चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने शासन काल में मालिक समझकर राशन कार्ड के बदले

महिला की अस्मिता लूटी हो। जिन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं की बेईज्जती करने के लिए पिंक ठेके खुलवाए हों और देशभर में दिल्ली की महिलाओं को बदनाम किया हो कि दिल्ली की महिलाएं दारू पीती हैं ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह महिला समृद्धि बजट पसंद नहीं आयेगा। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप विपक्ष की अकेली महिला विधायक हैं अरे कम से कम आपको तो खड़े होकर रेखा जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस पर महिला समृद्धि और गर्भवती महिलाओं के लिए जो फंड का प्रावधान किया है उसके लिए आपको तो ताली बजानी चाहिए थी। आप सुनना नहीं चाहती हैं एक बार जैसे ही मुख्यमंत्री जी बजट पेश करती हैं तो आपके सांप लोट जाते हैं की ये काम इन्होंने ऐसा कर दिया जिससे अगले 20 साल तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार-बार चुनकर आती रहेगी। आयुष्मान योजना में मैं विपक्ष के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं ये केवल डबल इंजन की सरकार नहीं है आयुष्मान योजना में डबल बेनिफिट भी दिल्ली के एक-एक परिवार को दिया है 5 लाख के ऊपर 5 लाख और दिया है और 10 लाख की आयुष्मान योजना जिस आयुष्मान योजना को इनके मालिक जो खुद को दिल्ली का मालिक कहते थे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि वे दिल्ली के मालिक नहीं केवल यहां पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों के मालिक थे वो रोककर बैठे थे आयुष्मान योजना को और आज आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने जब बजट पेश किया तो आयुष्मान योजना में 10 लाख का लाभ दिल्ली के एक-एक परिवार को दिया है 100 अटल कैंटीन और वाटर टैंकर में जीपीएस लगाना। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनने में सामान्य लगता है लेकिन उन परिवारों की हालत देखिये वे कितने खुश हैं कि टैंकर में जीपीएस लगेगा जो 12 साल तक टैंकर माफियाओं की सरकार चलती रही उस

एक-एक बूंद का जो लेखा-जोखा है वो टैंकर में लगा हुआ जीपीएस देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम श्री योजना की तर्ज पर सीएम श्री योजना स्कूल खोले जाएंगे। मैथिली और भोजपुरी एकेडमी का बजट 6 करोड़ कर दिया। 139 करोड़ कला और संस्कृति के लिए दिये जाएंगे ये बहुत बड़े कदम हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जब यहां बैठकर आदरणीय सीएम मैडम बजट प्रस्तुत कर रही थी तो जैसे ही उन्होंने यह कहा की वरिष्ठ नागरिकों की जो पिछले 4 वर्षों से ग्रांट रुकी हुई थी वो ग्रांट अब शुरु होगी तो मेरे दिमाग में मेरे अपने विधानसभा के वसंतकुंज के वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के जिले सिंह जी, सुभाष खन्ना जी। महरौली के वरिष्ठ नागरिक संस्था के श्री एससी जैन और प्रकाश भारती जी का चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये वो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास हम वोट मांगने गए तो इनके चेहरे उतर जाते थे आंखों में आंसू आ जाते थे और वो ये कहते थे की तीर्थ यात्रा के नाम पर हमारे को बाहर लेकर गये लेकिन हमारी जो ग्रांट रोक ली गई वो बिलकुल ऐसे ही किया जैसे कोई जेबकतरा तीर्थ का इशारा करके ले जाता है और बैग लेकर भाग जाता है बुजुर्गों का। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जितनी ज्यादा प्रशंसा करना चाहूं उतनी ही कम है। मैं तो फस्ट टाइमर एमएलए हूं लेकिन बजट के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में गया हूं तो हर जगह मेरे झुग्गी-झोपड़ी के जो परिवार हैं वे सभी परिवार 696 करोड़ का जो बड़ा बजट झुग्गी-झोपड़ी के लिए दिया है वो बजट सुनने के बाद मेरे एरिया की कुसुमपुर पहाड़ी, मोतीलाल नेहरू कैंप, बीएसएस कैंप इन सभी में जो हमारा करीब तबका रहता है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और खुश है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूं और फिर से जितने मर्जी सांप लोटें विपक्ष पर लेकिन मैं फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जय-जयकार

कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये बजट रखा गया है और आदरणीय सीएम मैडम रेखा गुप्ता जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बजट की बाकी चर्चा कल जारी रहेगी अब, हां जी।

श्री अभय वर्माः बजट सत्र जो चल रहा है इसमें जो हमारे मेंबर हैं एमएलए साथियों का बहुत उत्साह है और लगातार बहस चाह रहे हैं। आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी पत्र लिखा था कि बजट सत्र लंबा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कल भी बजट पर चर्चा चलेगी तो कम से कम दो दिन 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दो दिन हाउस को बढ़ा दिया जाए ताकी सारे बिजनेस को हम लोग पूरा कर पाएं।

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही दो दिन के लिए बढ़ाई जाती है और ये सदन अब 2 अप्रैल तक चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, एक मिनट मुद्दा, मैं मुद्दे के लिए दूंगा समय आपको।

...(व्यवधान)

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय: पहले अब एक मिनट। अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी:-

(क) वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे (हिन्दी एवं अंग्रेजी)

(ख) वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे (हिन्दी एवं अंग्रेजी)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हो जाएगा, हो जाएगा मैंने कर दिया आपको बैठ जाईये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शुरु करिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाईये, आप इसको सदन की कार्यवाही को बाधित न करें, आप सदन की कार्यवाही को चलने दें, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वो मैं इसमें रूलिंग दे चुका हूं अपनी, रूलिंग दे चुका हूं सुबह मैं। आतिशी जी अगर आप देखिये मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी अब। नहीं आपको सदन से मैं निष्काषित करता हूं ऐसे नहीं आपको जाना होगा।

माननीय गृह मंत्री (श्री आशीष सूद): अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ऐसे ये जिस प्रकार का ये आचरण हो रहा है, मंत्री खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री जी खड़ी हैं और इस प्रकार के आचरण में हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस तरीके से सदन चलाने में ये तरीका ठीक नहीं है। उनको अपनी बात कहनी है अपने समय में कहें जब मुख्यमंत्री खड़ी हैं तो ये परिपाटी ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः अब मुख्यमंत्री जी दस्तावेज पटल पर रखेंगी।

माननीय मुख्य मंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं :-

(क) वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[4]

(ख) वर्ष 2022-23 के लिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[5]

माननीय अध्यक्षः ये दो सीएजी की और चार यानि कि इसमें एक में फाइनेंस अकाउंट्स 21-22 और 22-23 और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 21-22 और 22-23 ये भी सदन के पटल पर रख दिये गये हैं और इस पर भी कल बात होगी। अब माननीय सदस्यगण मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव-संवत्सर-2082 हिन्दु नववर्ष के सुअवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर में रविवार 30 मार्च, 2025 को सांय् 6 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है व इस अवसर पर विधानसभा को सुसज्जित भी

---

4. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23383 पर उपलब्ध।

5. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23384 पर उपलब्ध।

किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्री मोहनसिंह बिष्ट जी माननीय उपाध्यक्ष और हमारे श्री कपिल मिश्रा जी माननीय मंत्री बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। भारतीय नववर्ष के सुअवसर पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर कैलाशा बैंड के साथ अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। आप सभी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है वो सपरिवार इस कार्यक्रम में 30 मार्च, 2025 को सांय् 6 बजे आमंत्रित हैं और परिवार के साथ शामिल हों। सदन की कार्यवाही कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 27 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।